


बस्ती महायोजना 2021




गोरखपुर सम्भागीय नियोजन खण्ड
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
गोरखपुर

प्राक्कथन

बस्ती नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नवसृजित बस्ती मण्डल एवं बस्ती जनपद का मुख्यालय है। यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 एवं पूर्वोत्तर रेल मार्ग द्वारा प्रदेश के प्रमुख नगरों से सुसम्बद्ध है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस नगर के प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इसके सर्वांगीण सुनियोजित विकास के लिए शासकीय अधिसूचना संख्या-6020/37-3-82-55 एन.के.वी.-82 दिनांक 14 अक्टूबर, 1983 के अधीन बस्ती विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया। कालान्तर में इस नगर के क्षेत्रीय प्रशासनिक एवं आर्थिक महत्त्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष-1997 में इस नगर को नवसृजित बस्ती मण्डल का मुख्यालय स्थापित किया गया। मण्डल मुख्यालय की स्थापना के उपरान्त यहाँ नगरीय विकास की असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं अनियोजित नगरीय विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० के गोरखपुर सम्भागीय नियोजन खण्ड द्वारा बस्ती नगर पालिका एवं इसके अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्र के वर्तमान विकास के स्वरूप एवं स्थानीय आवश्यकताओं का विस्तृत सर्वेक्षण एवं विश्लेषण करके बस्ती विनियमित क्षेत्र हेतु वर्ष-2021 तक की अनुमानित 2.35 लाख जनसंख्या की विभिन्न नगरीय आवश्यकताओं हेतु बस्ती महायोजना-2021(प्रारूप) तैयार किया गया, जिसको शासन स्तरीय गठित समिति द्वारा दिनांक 10-11-2009 को सम्पन्न हुई बैठक में परीक्षणोपरान्त अनुमोदित किये जाने के पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी सभा, विनियमित क्षेत्र, बस्ती की दिनांक 16-06-2010 को सम्पन्न हुई बैठक में जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया। नियंत्रक प्राधिकारी सभा से अनुमोदनोपरान्त जन-सामान्य से महायोजना प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के निमित्त उसकी प्रदर्शनी दिनांक 21-07-2010 से 19-08-2010 तक कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित नियत प्राधिकारी कार्यालय में लगाई गई। प्रदर्शनी अवधि में कुल 112 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए जिनका निस्तारण शासनादेश संख्या-1217/9-आ-3-2002-20 विविध/2002, दिनांक 18 जून, 2002 के अधीन गठित समिति द्वारा दिनांक 08-01-2014 से 10-01-2014 तक सुनवाई के उपरान्त दी गई संस्तुति के आधार पर किया गया। समिति की संस्तुति के अनुक्रम में नियंत्रक प्राधिकारी सभा की दिनांक 10-01-2014 को सम्पन्न हुई बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त बस्ती महायोजना-2021(प्रारूप) में आंशिक संशोधन करने

का निर्णय लिया गया। आंशिक संशोधनोपरान्त नियंत्रक प्राधिकारी सभा की दिनांक 07-02-2014 को सम्पन्न हुई बैठक में बस्ती महायोजना-2021 को अन्तिम रूप से अनुमोदित कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। उक्त महायोजना शासन के स्वीकृति के पश्चात बस्ती विनियमित क्षेत्र में प्रभावी होगी।

बस्ती महायोजना-2021 को अन्तिम रूप प्रदान करने में सहयोग करने वाले समस्त राजकीय, अर्द्धराजकीय तथा स्थानीय कार्यालयों आदि से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए मैं आशा करता हूँ कि यह महायोजना बस्ती विनियमित क्षेत्र के भावी सुनियोजित विकास एवं यहाँ के नागरिकों की समस्त मूलभूत आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को मुर्त स्वरूप प्रदान करने में सक्षम होगी।



(अनिल कुमार दमले)


आई०ए०एस०

जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र,
बस्ती, जनपद-बस्ती।

प्रस्तावना

बस्ती नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख प्रशासनिक एवं व्यावसायिक केन्द्र है, जो कुआनों नदी के बायें तट पर स्थित है। यह नगर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-28 एवं पूर्वोत्तर रेल मार्ग द्वारा उत्तर प्रदेश एवं देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1997 में यहाँ नव सृजित बस्ती मण्डल के मुख्यालय की स्थापना किये जाने के पश्चात इस नगर का प्रशासनिक एवं क्षेत्रीय महत्त्व बढ़ने के कारण इस नगर का विकास अनियोजित रूप में तीव्र गति से होने लगा। नगर में हो रहे अनियोजित विकास को नियंत्रित करने एवं सुनियोजित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सम्भागीय नियोजन खण्ड द्वारा बस्ती नगर पालिका एवं उसके आस-पास हो रहे विकास का विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर विश्लेषण करके विनियमित क्षेत्र बस्ती के लिए बस्ती महायोजना-2021 (प्रारूप) प्रक्षेपित 2.35 लाख जनसंख्या को मूलभूत नगरीय अवस्थापना सुविधाएँ प्रदान करने हेतु तैयार किया गया, जिसको शासन स्तरीय गठित समिति की दिनांक 10-11-2009 में परीक्षणोंपरान्त अनुमोदित किये जाने के पश्चात नियंत्रक प्राधिकारी सभा की दिनांक 16-06-2010 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया। जिसके अनुक्रम में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित नियत प्राधिकारी कार्यालय में उक्त महायोजना (प्रारूप) पर जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के लिए उसकी दिनांक 21-07-2010 से 19-08-2010 तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस अवधि में कुल 112 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। जिनकी सुनवाई/निस्तारण जिलाधिकारी, बस्ती की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 08-01-2014 से 10-01-2014 तक की गई। तत्पश्चात नियंत्रक प्राधिकारी सभा की दिनांक 10-01-2014 को सम्पन्न हुई बैठक में उक्त समिति की संस्तुति/निर्णय के अनुक्रम में बस्ती महायोजना-2021(प्रारूप) में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात संशोधित बस्ती महायोजना-2021 को नियंत्रक प्राधिकारी सभा की दिनांक 07-02-2014 को सम्पन्न हुई बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से अन्तिम रूप से अनुमोदित करते हुए उसे शासन को स्वीकृतार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मैं जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, बस्ती तथा राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालयों/संस्थाओं का आभारी हूँ, जिन्होंने बस्ती महायोजना-2021 की संरचना में अमूल्य सहयोग प्रदान किया है।


(एस0के0जमों)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश

महायोजना दल

श्री एस०के० जमॉ
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
उत्तर प्रदेश

श्री विनोद कुमार
सहयुक्त नियोजक
खण्ड, गोरखपुर

श्री राम लखन
अपर सांख्यिकीय अधिकारी
खण्ड, गोरखपुर

श्री राम निवास
सहायक सांख्यिकीय अधिकारी

श्री लोकेश सिंह
स्थापत्य एवं नियोजन सहायक

श्री आलोक सामन्त
अनुरेखक

श्री सुरेश चन्द्र
वरिष्ठ सहायक

श्री आत्मा राम
कनिष्ठ लिपिक/टंकक

श्री मुरलीधर वर्मा
पत्रवाहक

श्री एन०आर० वर्मा
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
उत्तर प्रदेश

श्री महेन्द्र प्रताप यादव
अर्हमानचित्रकार

श्री राम स्वरूप
कनिष्ठ लिपिक/टंकक

श्री महेन्द्र कुमार चौधरी
सहायक सांख्यिकीय अधिकारी

श्री चन्द्रमान प्रसाद
मुख्य मानचित्रकार

श्री हरिद्वार प्रसाद
नील मुद्रक(प्रा०)

श्री गोरख प्रसाद
वरिष्ठ लिपिक

श्री हरी प्रसाद
जीप चालक

श्री पारस नाथ
चौकीदार

मृतपूर्व अधिकारी एवं कर्मचारी

श्री वी०के० विद्यार्थी
सहयुक्त नियोजक
खण्ड, गोरखपुर

श्री महेन्द्र प्रताप यादव
सहयुक्त नियोजक
खण्ड, गोरखपुर

श्री इन्द्रमोहन
जीप चालक

श्री प्रभात कुमार
सहायक नियोजक
खण्ड, गोरखपुर

श्री राम सिंह,
अपर सांख्यिकीय अधिकारी
खण्ड, गोरखपुर

डॉ० संजय कुमार श्रीवास्तव
सहायक सांख्यिकीय अधिकारी

श्री आशीष कुमार सिंह
अर्हमानचित्रकार

श्री भगवान सिंह
अवर अभियंता

श्री कमलाकर द्विवेदी
आशुलिपिक

श्री रामदेव साहू
पत्रवाहक

श्री एम०डोमिनिक लुरदूदास
सहयुक्त नियोजक
खण्ड, गोरखपुर

श्रीमती मनोरमा सक्सेना
सहयुक्त नियोजक
खण्ड, गोरखपुर

श्री राजकुमार
पत्रवाहक

विषय सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
<u>अध्याय-1</u>		
उद्भव एवं विकास		
1.1	परिचय	1
1.2	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
1.3	भौगोलिक स्थिति	1-2
1.4	क्षेत्रीय स्थिति	2
1.5	जलवायु	2
1.6	आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं	2
1.7	नगरीय विकास की दिशा	3
1.8	विनियमित क्षेत्र	3-5
1.9	नगर की वर्तमान मुख्य समस्याएं	6-7
1.10	महायोजना की आवश्यकता	7
1.11	महायोजना बनाने के उद्देश्य	7-8
<u>अध्याय-2</u>		
जनांकिकी		
2.1	बस्ती नगर की जनसंख्या वृद्धि	9-10
2.2	लिंगानुपात	11
2.3	साक्षरता	12
2.4	जनसंख्या घनत्व	12
2.5	भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान	13
<u>अध्याय-3</u>		
आर्थिक आधार		
3.1	विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में नगर की श्रम शक्ति का विभाजन	14-15
3.2	श्रम शक्ति की विशेषताएं	15-16
3.3	भावी श्रम शक्ति का पूर्वानुमान	16-17

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय—4		
आवास		
4.1	आवासीय घनत्व	18—19
4.2	परिवारों का आकार एवं आवासीय इकाइयों की संख्या	19
4.3	परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं	20
4.4	आवासीय निर्माण संस्थाएं	20
4.5	आवासीय इकाइयों की भावी आवश्यकता	20—21
अध्याय—5		
व्यापार एवं वाणिज्य		
5.1	वाणिज्यिक क्षेत्र एवं व्यापारिक दुकानें	22
5.2	मण्डी समिति	23
अध्याय—6		
उद्योग		
6.1	औद्योगिक विकास	24—25
6.2	उद्योग की सम्भावनाएं	25
अध्याय—7		
कार्यालय		26—27
अध्याय—8		
सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं		
8.1	शिक्षा	28
8.1.1	नर्सरी/प्राथमिक पाठशाला	29
8.1.2	जूनियर हाईस्कूल	29
8.1.3	इण्टरमीडिएट कालेज (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय)	29
8.1.4	स्नातक/स्नातकोत्तर विद्यालय	30
8.1.5	तकनीकी/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	30

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
8.2	स्वास्थ्य	30
8.3	वाचनालय/ पुस्तकालय	31
8.4	पुलिस/ अग्निशमन	31
8.5	डाक एवं तार घर/ दूरभाष केन्द्र	31
8.6	बैंक	31
अध्याय-9		
उपयोगिताएं एवं सेवाएं		
9.1	पेय जलापूर्ति	32
9.2	विद्युत	33
9.3	जलोत्सारण एवं मल-जल प्रवाह	33
9.4	सालिड वेस्ट डिस्पोजल	33
अध्याय-10		
यातायात एवं परिवहन		
10.1	मुख्य नगरीय/ क्षेत्रीय मार्ग	34
10.2	स्थानीय मार्ग	35
10.3	सड़क परिवहन	35
10.4	राजकीय बस सेवा	35
10.5	ट्रक सेवा	36
10.6	रेल सेवा	36
अध्याय-11		
वर्तमान भू-उपयोग		
11.1	वर्तमान भू-उपयोग का स्वरूप	37-38
11.1.1	आवासीय/ निर्मित	38
11.1.2	व्यावसायिक	38
11.1.3	औद्योगिक	38
11.1.4	राजकीय	38-39

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
11.1.5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं/ उपयोगिताएं एवं सेवाएं	39
11.1.6	यातायात एवं परिवहन	39
11.1.7	बाग/खुले स्थल	39
11.1.8	नदी/ नाले एवं जलाशय	39
11.1.9	ग्रामीण आबादी	39
11.1.10	श्मशान एवं कब्रिस्तान	39
11.1.11	कृषि/ अन्य	39

अध्याय-12

महायोजना प्रस्ताव

12.1	योजना दृष्टिकोण	40
12.2	प्रस्ताव	41-42
12.2.1	आवासीय	43
12.2.2	व्यावसायिक	43-45
12.2.3	औद्योगिक	46
12.2.4	कार्यालय	47
12.2.5	सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं	47-49
12.2.6	उपयोगिताएं एवं सेवाएं	49-50
12.2.7	यातायात एवं परिवहन	50-51
12.2.7.1	वर्तमान मार्ग	51
12.2.7.2	प्रस्तावित मार्ग	51
12.2.7.3	रेलवे लाइन/ परिसर	51
12.2.7.4	बस अड्डा	52
12.2.7.5	ट्रक अड्डा/ ट्रान्सपोर्ट नगर	52-54
12.2.8	मनोरंजन	54-55
12.2.9	अन्य	56

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
---------	-------	--------------

अध्याय-13

महायोजना के क्रियान्वयन में शासन की विभिन्न नीतियों / प्राविधानों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण

13.1	हाईटेक टाउनशिप एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति	57
13.2	रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति	57-58
13.3	पर्यटन नीति	58-59
13.4	फिल्म नीति	59
13.5	औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति	59
13.6	सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति	60
13.7	आपदा प्रबन्धन नीति	60

अध्याय-14

बस्ती महायोजना प्रारूप 2021 का जोन्स में विभाजन

बस्ती महायोजना-2021 जोनिंग रेगुलेशन्स

1.	परिचय	68-74
2.	भू-उपयोग परिसरों/ क्रियाओं की परिभाषाएं	75-86
3.	प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमत्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध	87-88
4.	विशेष अनुमति से अनुमत्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएं	89-90
5.	प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमत्यता	91-95
6.	भू-उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क (Impact Free) का निर्धारण।	96

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
	<u>अनुलग्नक-1</u>	
	दैनिक उपयोग की दुकानों की सूची	97
	<u>अनुलग्नक-2</u>	
	निर्मित / अर्द्धनिर्मित / आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची	98
	<u>अनुलग्नक-3</u>	
	व्यावसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषणमुक्त लघु उद्योगों की सूची (10 हार्स पावर तक)	99-100
	<u>अनुलग्नक-4</u>	
	प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं / उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतीकरण के उपयोग की विधि	101-103
	<u>अनुलग्नक-5</u>	
	बाजार स्ट्रीट हेतु मानक (अपेक्षायें)	104-105
	<u>परिशिष्ट</u>	
1.	बस्ती विनियमित क्षेत्र घोषित किये जाने सम्बन्धी शासकीय अधिसूचना	106-107
2.	बस्ती विनियमित क्षेत्र सीमा विस्तार / संशोधन सम्बन्धी शासकीय अधिसूचना	108-109
3.	नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र बस्ती के गठन सम्बन्धी शासकीय अधिसूचना	110
4.	नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र बस्ती के गठन सम्बन्धी संशोधित शासकीय अधिसूचना	111-112
5.	विनियमित क्षेत्र बस्ती के सीमान्तर्गत नगर एवं ग्रामवार स्थित जलाशयों की सूची	113-119
6.	शासनादेश पत्र संख्या 5235 / 8-3-2008, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008	120-121
7.	विनियमित क्षेत्र बस्ती के अन्तर्गत वर्तमान मार्गों की चौड़ाई का विवरण	122-126

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
8.	बस्ती महायोजना-2021 को तैयार करने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अभिकरण (एजेन्सी) घोषित करने सम्बन्धी नियंत्रक प्राधिकारी सभा की बैठक दिनांक 04.07.2008 की कार्यवृत्त	127-130
9.	बस्ती महायोजना प्रारूप-2021 के परीक्षण से सम्बन्धित शासनस्तरीय समिति की बैठक क्रमशः दिनांक 11.07.2008 एवं दिनांक 10.11.2009 की कार्यवृत्त	131-136
10.	बस्ती महायोजना प्रारूप को जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमोदित किये जाने विषयक नियंत्रक प्राधिकारी सभा की बैठक दिनांक 16.06.2010 की कार्यवृत्त।	137
11.	बस्ती महायोजना प्रारूप-2021 पर जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने सम्बन्धि स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति	138-140
12.	बस्ती महायोजना प्रारूप-2021 पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण हेतु गठित समिति का निर्णय/संस्तुति सम्बन्धि विवरण।	141-211
13.	आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण हेतु गठित समिति के निर्णय/संस्तुति को अनुमोदित किये जाने सम्बन्धी नियंत्रक प्राधिकारी सभा की बैठक दिनांक 10.01.2014 की कार्यवृत्त	212-214
14.	बस्ती महायोजना-2021 को अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने विषयक नियंत्रक प्राधिकारी सभा की बैठक दिनांक 07.02.2014 की कार्यवृत्त।	
15.	बस्ती महायोजना-2021 को तैयार करने में अपनायी गई विधिक प्रक्रिया एवं शासन स्तरीय महायोजना परीक्षण समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन की स्थिति।	215-217
16.	बस्ती महायोजना-2021 में विभागीय मानक के अनुसार सुविधाओं/सेवाओं का भावी जनसंख्या के आधार पर आगणन सम्बन्धी विवरण	222-225
17.	संसाधन नियोजन एवं चरणबद्धता	226-229

तालिकाओं की सूची

क्रमांक	तालिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	1.1	बस्ती विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित नगर एवं ग्रामों के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का विवरण	4-5
2.	2.1	बस्ती नगर की दशकवार जनसंख्या वृद्धि	9
3.	2.2	पूर्वी उत्तर प्रदेश के द्वितीय श्रेणी के नगरों की तुलनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर	10
4.	2.3	बस्ती नगर तथा उ०प्र० (नगरीय) के लिंगानुपात का तुलनात्मक विवरण	11
5.	2.4	बस्ती नगर की साक्षरता दर का विवरण	12
6.	2.5	बस्ती नगरीय क्षेत्र की भावी जनसंख्या का विभिन्न विधियों के आधार पर पूर्वानुमान	13
7.	3.1	बस्ती नगर में कार्मिकों की भागीदारिता दर 1981-2001	15
8.	3.2	बस्ती नगर में श्रमिकों का विभिन्न आर्थिक श्रेणियों में विभाजन वर्ष 1991-2001	16
9.	4.1	बस्ती नगर में परिवारों एवं आवासीय भवनों का विवरण वर्ष 1991-2001	19
10.	4.2	बस्ती नगर में आय वर्ग के अनुसार अनुमानित आवास एवं क्षेत्रफल सम्बन्धी विवरण	21
11.	6.1	बस्ती नगर में क्रियाशील औद्योगिक इकाईयाँ और इनमें कार्यरत श्रमिकों का विवरण	25
12.	7.1	बस्ती नगर में स्थित विभिन्न कार्यालयों एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों का विवरण	27
13.	11.1	बस्ती विनियमित क्षेत्र का वर्तमान भू-उपयोग वर्ष 2006	37-38
14.	12.1	बस्ती महायोजना प्रारूप-2021 का प्रस्तावित भू-उपयोग	41-42
15.	12.2	बस्ती महायोजना प्रारूप-2021 में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट मार्ग	45

क्रमांक	तालिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
16.	12.3	बस्ती महायोजना प्रारूप-2021 वर्तमान प्रमुख मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई का विवरण	52-53
17.	12.4	नगर के आन्तरिक मार्गों/चौराहों के विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण का चरणबद्ध कार्यक्रम (प्रथम चरण)	53
18.	12.5	नगर के आन्तरिक मार्गों/चौराहों के विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण का चरणबद्ध कार्यक्रम (द्वितीय चरण)	54
19.	14.1	बस्ती महायोजना प्रारूप-2021 जोनवार प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों का विवरण	62-65
20.	14.2	जोनवार प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों में निवास हेतु अनुमानित जनसंख्या का संक्षिप्त विवरण	67

संलग्न मानचित्रों की सूची

क्रमांक	मानचित्र का विवरण
1.	बस्ती महायोजना-2021 भौगोलिक स्थिति का मानचित्र
2.	बस्ती महायोजना-2021 क्षेत्रीय स्थिति का मानचित्र
3.	भावी नगरीय विकास की दिशा एवं भौतिक तथा प्रशासनिक अवरोध का मानचित्र
4.	नगरीय विकास हेतु अनुकूल भूमि का मानचित्र
5.	विनियमित क्षेत्र बस्ती का मानचित्र
6.	बस्ती महायोजना वर्तमान भू-प्रयोग-2006 का मानचित्र
7.	बस्ती महायोजना-2021 प्रस्तावित भू-उपयोग का मानचित्र
8.	बस्ती महायोजना-2021 यातायात एवं परिवहन संरचना का मानचित्र
9.	बस्ती महायोजना-2021 जोन सीमा का मानचित्र

अध्याय—1

उदभव एवं विकास

1.1 परिचय :

बस्ती नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक नगरों में से एक है। यह नगर कुआनों नदी के किनारे पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28 एवं पूर्वोत्तर रेल मार्ग द्वारा प्रदेश एवं देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1801 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में इसे गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय बनाया गया। तत्पश्चात 6 मई 1865 में इसी नाम से बस्ती जनपद का सृजन किया गया। कालान्तर में वर्ष 1997 में यहाँ बस्ती मण्डल का मुख्यालय स्थापित हुआ।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

बस्ती नगर की उत्पत्ति एवं विकास के सम्बन्ध में मीमांसकों का यह मत है कि यह नगर प्राचीन समय में बस्ती नगर एवं उसके आस-पास का क्षेत्र "कोशल" नाम से प्रसिद्ध था। सत्पथ ब्राह्मण के अनुसार "कोशल" वैदिक आर्यों का एक राज्य था। इतिहासकारों के अनुसार "कोशल" के सबसे प्रभावशाली राजा इक्ष्वाकु थे, जिनके शासनकाल में "कोशल" राज्य ने अत्यधिक विकास किया। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम के शासनकाल में "कोशल" राज्य की प्रभुसत्ता अपने चरम सीमा पर थी। भगवान श्री राम ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जिसे राम राज्य कहते हैं। इस अवधि में कोशल राज्य अधिक विकसित हुआ और इसके बाद "कोशल" के शासक विभक्त हो गये। "कोशल" में राम के ज्येष्ठ पुत्र 'लव' अयोध्या के राजा बने तथा छोटे पुत्र 'कुश' राज्य के उत्तरी भाग श्रावस्ती के शासक बने। कालान्तर में बस्ती जनपद इन्हीं से सृजित हुआ और इस नगर का शनैः शनैः विस्तार एवं विकास होता गया।

1.3 भौगोलिक स्थिति :

बस्ती नगर उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल में कुआनों नदी एवं गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के मिलन बिन्दु पर स्थित है। साथ ही यह पूर्वोत्तर रेलवे के

गोरखपुर-लखनऊ वाया गोण्डा ब्राड गेज रेल पथ से सम्बद्ध है। यह नगर 26°-48' उत्तरी अक्षांश तथा 82°-46' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इस भू-भाग की संरचना एल्यूवियम फार्मेशन (Alluvium Formation) से हुई है। सम्पूर्ण क्षेत्र सामान्यतः समतल है, परन्तु कहीं-कहीं पर नदी/नालों के कारण ऊँची-नीची भूमि भी विद्यमान है। इस नगर का ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूरब की ओर है।

1.4 क्षेत्रीय स्थिति :

बस्ती नगर रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों एवं स्थानों से सुसम्बद्ध है। इस नगर को दिल्ली-हाबड़ा ब्राड गेज रेल पथ देश के पूर्वोत्तर एवं उत्तरी भाग जोड़ता है। बस्ती जनपद के पूरब में नवसृजित जनपद संत कबीर नगर, पश्चिम में गोण्डा, उत्तर में सिद्धार्थनगर, दक्षिण में फैजाबाद एवं नवसृजित जनपद अम्बेडकर नगर स्थित है। नगर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर की दूरी क्रमशः 223, 80, 70, 33 एवं 70 किलोमीटर है।

1.5 जलवायु :

बस्ती नगर की जलवायु उत्तर प्रदेश के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु से भिन्न है। तापमान की दृष्टि से यहाँ का अधिकतम तापमान 44 एवं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 1166 मिली मीटर होती है तथा आर्द्रता औसत 70 प्रतिशत रहती है। गर्मी के दिनों में माह मई एवं जून सर्वाधिक गर्म तथा जाड़े के दिनों में माह दिसम्बर एवं जनवरी सर्वाधिक ठंडा रहता है।

1.6 आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएँ :


बस्ती नगर में नवसृजित मण्डल मुख्यालय के आस-पास के क्षेत्रों में गन्ने की अधिक पैदावार होने के कारण इस मण्डल में चीनी मिलें अधिक हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ राजकीय फल उद्यान में अनेक प्रजातियों के विकास एवं संरक्षण हेतु शोध कार्य किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह नगर प्रतिभावान रहा है। बहुचर्चित साहित्यकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का जो हिन्दी साहित्य के एक सशक्त गद्य समालोचक, निबन्धकार एवं हिन्दी साहित्य के विकास क्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, का सम्बन्ध बस्ती नगर से रहा है।

बस्ती महायोजना-2021

क्षेत्रीय स्थिति



उत्तर प्रदेश के परिपेक्षमें
बस्ती की स्थिति।



गोरखपुर सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ. प्र.

1.7 नगरीय विकास की दिशा :

बस्ती नगर कुआनो नदी के तट पर स्थित होने के कारण नगर के पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में स्थित ग्रामों का अधिकांश भाग कुआनो नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इन दिशाओं में विकास की सम्भावना नगण्य है। फिर भी यह नगर फैजाबाद एवं टांडा मार्ग पर छिट-पुट विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जबकि बस्ती-गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग संख्या-28, बस्ती-बाँसी, बस्ती-डुमरियागंज तथा बस्ती-मेंहदावल मार्ग पर भावी विकास की प्रबल सम्भावना है। साथ ही गोरखपुर मार्ग पर प्लास्टिक काम्पलेक्स के औद्योगिक रूप से विकसित होने, आवागमन, कच्चे माल एवं भूमि की पर्याप्त उपलब्धता के कारण इस मार्ग पर विकास की प्रक्रिया तीव्र होने की सम्भावना है।

1.8 विनियमित क्षेत्र :

बस्ती मण्डल के अन्तर्गत आने वाले नगरों में बस्ती नगर द्वितीय श्रेणी का एक महत्वपूर्ण नगर है। इसके आस-पास का क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र है फिर भी प्रशासनिक, औद्योगिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण नगर है। बस्ती नगर तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों का नगरीय विकास अनियोजित एवं अनियंत्रित रूप में हो रहे विकास को नियंत्रित करने एवं सुनियोजित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना संख्या-6020/37-3-82-55 एन0के0वी0-82 दिनांक 14.10.1983 के अधीन बस्ती विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया। तत्पश्चात् पुनः इसमें आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना संख्या 3120/9-आ-3-2002-55 एन0के0वी0/82 दिनांक 30.11.2002 के द्वारा बस्ती नगरपालिका परिषद क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र तथा इसके निकटवर्ती कुल प्रख्यापित 69 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए वर्तमान बस्ती विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है।

इस घोषित विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत बस्ती नगर पालिका परिषद तथा इसके आस-पास क्षेत्र के कुल 69 राजस्व ग्रामों के क्षेत्र सम्मिलित हैं। बस्ती नगर का क्षेत्रफल 1943 हेक्टेयर है तथा वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनसंख्या 107601 है। विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित कुल राजस्व ग्रामों का क्षेत्रफल 3169.00 हेक्टेयर एवं वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनसंख्या 47784 है, जिसका विस्तृत विवरण तालिका संख्या 1.1 में दिया गया है।

तालिका संख्या 1.1

बस्ती विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नगर एवं ग्रामों के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का विवरण।

क्र० सं०	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या		
			वर्ष 1981	वर्ष 1991	वर्ष 2001
(अ)	नगरीय क्षेत्र				
	बस्ती नगर पालिका परिषद	1943	69465	87371	107601
(ब)	ग्रामीण क्षेत्र				
1.	चैनपुर •	24.28	233	218	264
2.	मडुहार • (महुडार)	142.86	943	1150	1703
3.	बघावार • (बधावर)	40.87	50	65	84
4.	पिपरी •	12.95	74	103	124
5.	रुधौली •	55.85	464	592	735
6.	देईपार •	30.35	241	376	404
7.	गोरया	26.71	गैर आबाद	9	85
8.	बसिया •	44.52	419	577	708
9.	दामोदरपुर •	16.19	गैर आबाद	गैर आबाद	9
10.	डडवापुर •	40.07	गैर आबाद	96	7
11.	खोराखार •	65.16	432	584	649
12.	नउडाडानी • (नाउडाडरानी)	13.76	गैर आबाद	18	18
13.	खारीघाट • (रवीरीघाट)	65.97	1579	2015	3021
14.	सन्तपुर गढ़वा खास •	22.26	295	529	905
15.	हरदिया बुजुर्ग •	56.66	431	625	785
16.	डडोहा • (डडोहा)	61.11	542	807	974
17.	मरवा नगर •	199.52	2554	3405	4608
18.	बरगदवा	21.04	गैर आबाद	गैर आबाद	94
19.	दरदिया खुर्द	18.21	65	60	57
20.	बड़ार •	42.09	गैर आबाद	गैर आबाद	गैर आबाद
21.	ऊँची भीटी	23.88	गैर आबाद	गैर आबाद	6
22.	मुड़घाट •	59.09	730	971	1503
23.	बड़ावन	16.19	183	235	333
24.	बढ़नी	14.57	गैर आबाद	गैर आबाद	गैर आबाद
25.	देउरी	58.68	गैर आबाद	गैर आबाद	गैर आबाद
26.	हवेली खास •	84.99	498	491	1063
27.	नावछ	92.27	गैर आबाद	10	गैर आबाद
28.	मेघ	16.19	गैर आबाद	गैर आबाद	गैर आबाद
29.	संसारपुर	84.58	534	552	680
30.	अहमद	86.20	9	2	39
31.	खोरहवा • (खौरहवा)	25.09	227	434	472
32.	मुबारन राजापुर • (मुवरा नरंजनपुर)	83.77	1210	1438	1926
33.	लाकैहवा • (लौकिहवा)	34.80	330	423	531

क्र० सं०	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या		
			वर्ष 1981	वर्ष 1991	वर्ष 2001
34.	बेलगड़ी •	38.85	420	546	657
35.	बनडीह उर्फ मिश्रौलिया •	54.23	457	546	685
36.	मुण्डेरवा •	40.47	339	454	561
37.	डारीडीहा	151.76	1291	1623	2205
38.	सुपेलवा •	39.26	256	365	645
39.	चननी सियरोवास •	48.56	494	644	797
40.	परासी	29.54	328	385	466
41.	जामडीह शुकुल •	27.92	340	456	663
42.	जामडीह पाण्डेय •	24.69	591	853	1143
43.	मनहन डीह •	29.54	479	720	948
44.	इटली पाण्डेय	22.66	गैर आबाद	गैर आबाद	गैर आबाद
45.	नवडाह तिवारी	12.14	51	51	66
46.	लबनापुर	12.55	223	270	295
47.	सोनबरसा	47.35	300	444	553
48.	घरसोहिया •	50.99	825	1107	1409
49.	गिदही बुजुर्ग •	25.50	123	199	221
50.	गिदही खुर्द •	34.40	723	846	1156
51.	वैरिया उर्फ बड़रिहवा •	15.78	5	गैर आबाद	32
52.	परसा तकिया •	25.50	469	593	805
53.	जिगना •	71.63	847	1006	1232
54.	पिपरा रामकिशुन •	36.42	275	319	390
55.	करनपुर	34.80	183	273	294
56.	झरकटिया	53.83	445	552	571
57.	पचौरा	46.14	250	479	364
58.	बरहुचा	32.78	231	313	355
59.	जिगनी	43.71	352	423	319
60.	बाई पोखर	56.66	579	613	734
61.	मझखेरिया	46.95	400	467	593
62.	मंझरिया शुकुल •	39.66	333	457	559
63.	बरवा •	50.99	471	513	604
64.	लखनौरा •	64.75	1763	1069	2383
65.	बड़ेरिया खुर्द •	17.40	607	810	992
66.	बन्दरिया बुजुर्ग • (बड़ेरिया बुजुर्ग)	50.99	403	522	649
67.	मरवटिया •	85.79	1476	1911	2456
68.	छिहोलिया •	14.97	151	143	195
69.	लैबुद्धवा •	7.11	गैर आबाद	गैर आबाद	गैर आबाद
	योग	3169.00	28523	35757	47784
	महायोग (अ + ब)	5112.00	97988	123128	155385

नोट :- 1. तारांकित राजस्व ग्राम महायोजना क्षेत्र में सम्मिलित हैं।

1.9 नगर की वर्तमान मुख्य समस्याएं :

1. नगर में सन्तुलित व सुनियोजित आवासीय सुविधाओं का अभाव है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ आवासीय भवनों की उपलब्धता में समान वृद्धि न हो पाने के कारण आवासीय भवनों की कमी होने से नगर की आवासीय समस्याएँ बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न आवासीय इकाइयों में व्यापक स्तर पर एक ही इकाई में एक से अधिक परिवारों के निवास के फलस्वरूप जनसंख्या सघनता की समस्या जटिल हो जाती है।
2. नगरीय सीमा के अन्तर्गत मिश्रित भू-उपयोग से नगर के सुचारू व संतुलित विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे नगरवासियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाओं एवं सेवाओं का लाभ उठा पाना दुष्कर हो जाता है। मिश्रित भू-उपयोग के अन्तर्गत आवासीय एवं व्यावसायिक भू-उपयोग का एक साथ निर्माण किया जाता है, जिसके कारण भवन का पिछला या ऊपरी भाग आवास के रूप में प्रयुक्त होता है तथा अगला या नीचे का भाग व्यावसायिक क्रिया-कलाप हेतु प्रयोग में लाया जाता है।
3. नगर में कोई सुनियोजित ट्रान्सपोर्ट नगर/ट्रक अड्डा न होने के कारण इनका ठहराव सड़क पर ही होता है। सामान उतारने-चढ़ाने तथा उनके लिये पार्किंग स्थल न होने से मार्गाधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होता है, जो सुगम यातायात में बाधक होते हैं।
4. नगर के आन्तरिक भाग में गन्दे जल के निस्तारण की व्यवस्था न होने के कारण नगर क्षेत्र के मध्य तथा आस-पास के निचले क्षेत्रों में बरसात के दिनों में जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है।
5. नगर के पुराने क्षेत्रों में जहाँ खुली एवं विकास योग्य भूमि उपलब्ध है वहाँ बढ़ती हुयी जनसंख्या के दबाव के कारण अनियोजित एवं अनधिकृत निर्माण के फलस्वरूप पार्को, सामुदायिक सेवाओं एवं सुविधाओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हुई है उसके अनुरूप सामुदायिक सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो पायी है।

निर्मित क्षेत्र के बाहर नये एवं खुले क्षेत्रों में हुये अनियोजित एवं अनियंत्रित भौतिक विकास के कारण इन क्षेत्रों तक पहुँच मार्ग का अभाव पेयजल विद्युत आपूर्ति सीवरेज एवं जल निकासी आदि की समस्याएं तेजी से उभरने लगी हैं।

1.10 महायोजना की आवश्यकता :

किसी भी नगर को सुनियोजित, नियंत्रित एवं दिशाबद्ध विकास के लिए आवश्यक है कि नगर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र को समाहित करते हुए एक दीर्घकालिक योजना तैयार की जाय जो यह निर्धारित करे कि नगर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं तथा आवश्यकताओं से सम्बन्धित क्रिया-कलाप कहाँ पर स्थापित किये जायें। जिससे कि नगर का विकास इस प्रकार हो कि नागरिकों को आवास से लेकर हर प्रकार की क्रियाओं एवं सुविधाओं आदि हेतु उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित की जा सके।

महायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भू-उपयोगों की रूपरेखा, नगर के वर्तमान भू-उपयोग, नगर की जनसंख्या, आर्थिक एवं सामाजिक क्रिया-कलाप, विकास की दिशा एवं सम्भावनाएँ, भावी जनसंख्या तथा उसके अनुरूप विविध प्रकार के भू-उपयोगों की आवश्यकताओं पर आधारित रहती है, जिसका निर्धारण नगर के वर्तमान स्वरूप के विश्लेषण एवं विकास की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

1.11 महायोजना बनाने के उद्देश्य :

1. वर्तमान नगरीय समस्याओं के निराकरण हेतु नगर की भावी जनसंख्या की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थलों पर नगरवासियों हेतु नगरीय सुविधाओं का प्रस्ताव तैयार करना।
2. नगर के आन्तरिक भाग में स्थित अविकसित रिक्त भू-क्षेत्र तथा वाह्य मार्गों पर होने वाले अनियोजित एवं अनियंत्रित निर्माणों को नियंत्रित कर भावी विकास हेतु उपयुक्त दिशा निर्देश सुनिश्चित करना।
3. युक्तिसंगत जनसंख्या के घनत्व के आधार पर नगर के चतुर्दिक क्षेत्रों को समुचित भू-उपयोगों में समायोजित करना।

4. नगर के अन्तर्गत स्थित विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक/वाणिज्यिक क्रिया-कलापों एवं उनकी सहयोगी क्रियाओं को वर्गीकरण के आधार पर एक सुनियोजित भौतिक स्वरूप प्रदान करना।
5. नगर के संतुलित आवासीय विकास हेतु विभिन्न आय वर्गों के लिए भावी आवासीय एवं विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं, उपयोगिताओं एवं सेवाओं आदि का समुचित प्राविधान करना।
6. नगर की क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्थिति के अनुसार आन्तरिक यातायात एवं परिवहन, विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के मध्य निर्बाध एवं सुविधाजनक संचलन प्रणाली तथा क्षेत्रीय यातायात हेतु आवश्यक मार्ग, बस व ट्रक अड्डों के विकास की योजना तैयार करना।
7. कृषि भूमि के अनियंत्रित एवं मनमाने ढंग से विभिन्न मिश्रित एवं अव्यवस्थित भू-उपयोगों में परिवर्तन को नियंत्रित कर सुनियोजित करने का मार्ग प्रशस्त करना।
8. नगरवासियों हेतु स्वच्छ पर्यावरण का विकास तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण विकसित करना।

अध्याय-2

जनांकिकी

किसी भी नगर का नियोजन एवं भौतिक विकास उसकी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना यथा-वाणिज्य एवं व्यापार, उद्योग एवं सामुदायिक सुविधाओं आदि की स्थिति पर आधारित होता है। नगर के सुनियोजित विकास की रूपरेखा निर्धारित करने हेतु वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं का आंकलन कर वर्तमान जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ ही नगरीय जनसंख्या के गुणात्मक एवं गणनात्मक स्वरूप का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। इसी अध्ययन के आधार पर योजनाकाल हेतु विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत भूमि की आवश्यकता एवं अन्य सुविधाओं का आंकलन किया जाता है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बस्ती नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है।

2.1 बस्ती नगर की जनसंख्या वृद्धि :

बस्ती नगर की जनसंख्या की भूतकालीन प्रवृत्ति ही भावी जनसंख्या की दिशा सूचक है। योजनाकाल में नगर की जनसंख्या के आकार के आंकलन हेतु नगर की भूतकालीन जनसंख्या वृद्धि दर की प्रवृत्ति एवं विशिष्टता का अध्ययन करना आवश्यक है, जैसा कि तालिका संख्या 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 2.1

बस्ती नगर की दशकवार जनसंख्या वृद्धि

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या	दशकान्तर वृद्धि	दशक वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1.	1971	49635	—	—
2.	1981	69465	19830	39.95
3.	1991	87371	17906	25.78
4.	2001	107601	20230	23.15

स्रोत : जिला जनगणना पुस्तिका वर्ष 1971, 1981, 1991 एवं जनगणना वर्ष 2001 के प्राविजनल आँकड़े।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बस्ती नगर की जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणनानुसार 49635 थी, जो वर्ष 1981 में बढ़कर 69465 हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 1991 की जनगणनानुसार जनसंख्या 87371 थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 107601 हो गयी। इस प्रकार 1971-1981 के दशक में 39.95 प्रतिशत, 1981-1991 में 25.78 प्रतिशत एवं 1991-2001 में 23.15 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है। इससे स्पष्ट होता है कि इस नगर की जनसंख्या वृद्धि में उत्तरोत्तर के दशकों के प्रतिशतांश में निरन्तर ह्रास हुआ है। परन्तु नवसृजित मण्डल मुख्यालय बनने के उपरान्त जनसंख्या वृद्धि की अधिक सम्भावना है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रमुख नगरों की जनसंख्या वृद्धि के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1991-2001 के दशक में बस्ती नगर की जनसंख्या वृद्धि की दर घटती-बढ़ती रही है, जैसा कि तालिका सं० 2.2 में तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 2.2

पूर्वी उत्तर प्रदेश के द्वितीय श्रेणी के नगरों की तुलनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर

क्रमांक	नगर	जनपद	जनसंख्या		जनसंख्या वृद्धि दर (प्रतिशत में)
			वर्ष 1991	वर्ष 2001	
1.	बस्ती	बस्ती	87371	107601	23.15
2.	गोण्डा	गोण्डा	106078	120391	13.49
3.	बलरामपुर	बलरामपुर	60077	72501	20.68
4.	देवरिया	देवरिया	81943	104222	27.19
5.	आजमगढ़	आजमगढ़	78382	104943	33.88

स्रोत : जनगणना प्रकाशन वर्ष 1991 एवं जनगणना वर्ष 2001 के प्राविजनल आँकड़े।

2.2 लिंगानुपात :

गत तीन दशकों में वर्ष 2001 को छोड़कर बस्ती नगर की जनसंख्या का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के औसत नगरीय जनसंख्या के लिंगानुपात से (अर्थात् प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या) लगातार कम रहा है, जैसा कि तालिका संख्या 2.3 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या : 2.3

बस्ती नगर तथा उ०प्र० (नगरीय) की लिंगानुपात का तुलनात्मक विवरण
(वर्ष 1991-2001)

क्रमांक	नगर/प्रदेश	लिंगानुपात		
		वर्ष 1981	वर्ष 1991	वर्ष 2001
1.	बस्ती नगर	826	855	886
2.	उत्तर प्रदेश (नगरीय)	846	862	876

स्रोत : जनगणना प्रकाशन वर्ष 1981, 1991 एवं जनगणना वर्ष 2001 के प्रोविजनल आँकड़े।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। वर्ष 1991 में बस्ती नगरीय क्षेत्र में पुरुषों की संख्या 47106 तथा स्त्रियों की संख्या 40265 थी, जिनका लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या) 855 थी। इसी प्रकार वर्ष 2001 की जनगणनानुसार नगर में पुरुषों की संख्या 57053 तथा स्त्रियों की संख्या 50548 थी, जिनका लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या) 886 रही। नगर के इस लिंगानुपात में लगातार वृद्धि होने का मुख्य कारण यहाँ की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति एवं उनके प्रति लोगों के दृष्टिकोण में आये परिवर्तन को दर्शाता है, जो स्वस्थ मानसिकता का प्रतीक है।

2.3 साक्षरता :

साक्षरता किसी भी नगरीय क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रतीक होती है। जिस नगर की साक्षरता दर जितनी ही अधिक होगी, उस नगर में उतना ही अधिक वहाँ के लोगों की विकास में भागीदारिता बढ़ेगी। जैसा कि बस्ती नगरीय क्षेत्र का साक्षरता सम्बन्धी विवरण तालिका संख्या 2.4 में प्रदर्शित है।

तालिका संख्या : 2.4
बस्ती नगर की साक्षरता दर का विवरण
वर्ष 1991 एवं 2001

क्र० सं०	वर्ष	कुल जनसंख्या	कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत एवं संख्या	कुल साक्षरों में स्त्री एवं पुरुष साक्षरों का प्रतिशत			
				साक्षर स्त्रियों की संख्या	प्रतिशत	साक्षर पुरुषों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1991	87371	51567 (59 प्रति)	19889	38.57	31678	61.43
2.	2001	107601	73144 (68 प्रति)	30757	42.05	42387	57.95

स्रोत : जनगणना प्रकाशन वर्ष 1991 एवं जनगणना वर्ष 2001 के प्राविजनल आँकड़े।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1991 में कुल साक्षरों का प्रतिशत 59.00 रहा, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 68.00 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार वर्ष 1991 में कुल साक्षर में स्त्री एवं पुरुष का प्रतिशत क्रमशः 38.57 एवं 61.43 रहा, जो वर्ष 2001 में बढ़कर कुल साक्षरों में स्त्री एवं पुरुष का प्रतिशत क्रमशः 42.05 एवं 57.95 प्रतिशत रहा।

2.4 जनसंख्या घनत्व :

बस्ती नगर पालिका परिषद सीमा के अन्तर्गत कुल 25 वार्ड हैं, जिसमें जनसंख्या घनत्व का वितरण एक समान नहीं है। नगर का आन्तरिक भाग बहुत घने एवं संकरे बसे हुए हैं, जबकि वाह्य भाग कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। नगर पालिका क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 19.43 वर्ग किलोमीटर है, जिसके अनुसार वर्ष 1981, 1991 एवं 2001 में नगर का औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्रमशः 3575, 4497 एवं 5538 व्यक्ति रहा है। नगर के संलग्न वाह्य क्षेत्रों में अत्यधिक भू-क्षेत्र रिक्त है जो कृषि एवं बागों के रूप में प्रयुक्त है।

2.5 भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान :

किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि में सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक कारणों का सीधा प्रभाव जहाँ एक ओर जनसंख्या में मृत्यु दर तथा जन्म दर पर पड़ता है, वहीं आर्थिक क्रियाओं का विस्तार अथवा संकुचन की स्थिति जनसंख्या के प्रवसन को प्रभावित करती है। परिणामतः जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवसन दर से सम्बन्धित आवश्यक आँकड़ों की उपलब्धता से भावी जनसंख्या सम्बन्धी पूर्वानुमान पर्याप्त सीमा तक सही कर पाना सम्भव माना जा सकता है। बस्ती नगर की भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान जनसंख्या प्रक्षेपण की विभिन्न विधियों के आधार पर आंकलित कर निम्न तालिका संख्या 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 2.5

बस्ती नगरीय क्षेत्र की भावी जनसंख्या का विभिन्न विधियों के आधार पर
पूर्वानुमान वर्ष 2001-2021

क्र० सं०	विधियाँ	जनसंख्या (प्रक्षेपित)					
		नगर क्षेत्र की जनसंख्या			महायोजना क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या		
		वर्ष 2001	वर्ष 2011	वर्ष 2021	वर्ष 2001	वर्ष 2011	वर्ष 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गणितीय	107601	127831	148061	39575	50154	60733
2.	ज्यामितीय	—	132515	163197	—	54014	73718
3.	इंक्रिमेन्टल	—	137255	175081	—	57083	82337
	योग	107601	397601	486339	39575	161251	216788
	औसत	—	132534	162113	—	53750	72263

स्रोत : विभागीय प्रक्षेपण।

कुल प्रक्षेपित जनसंख्या : 162113+72263 = 234376 अर्थात् 235000

अध्याय—3

आर्थिक आधार

किसी भी नगर का भौतिक विकास मुख्यतः उसकी आर्थिक क्रियाओं यथा – उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार, यातायात एवं परिवहन आदि पर निर्भर होता है। नगर का सुदृढ़ व गतिशील आर्थिक आधार नगर के बहुमुखी एवं भौतिक विस्तार को प्रोत्साहित करता है। नगर का वर्तमान आर्थिक आधार जितना मजबूत होता है, उसी अनुपात में उसका भावी विकास व विस्तार भी सुदृढ़ता से हो पाता है। अतः किसी भी नगरीय क्षेत्र के विकास हेतु महायोजना तैयार करने से पूर्व नगर की अर्थव्यवस्था तथा उसकी प्रकृति का अध्ययन करना अति आवश्यक है। नगर के आर्थिक आधार के निर्धारण में मुख्य मापदण्ड इसकी कुल नगरीय जनसंख्या में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों की भागीदारिता दर से होती है। बस्ती नगर में श्रमिकों की मुख्य भागीदारिता नगर में स्थित चीनी मिल तथा विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक क्रिया-कलापों से है।

3.1 विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में नगर की श्रम शक्ति का विभाजन :

नगर की वर्ष 1981, 1991 एवं 2001 की जनगणनानुसार कुल जनसंख्या में कार्मिकों की भागीदारिता दर क्रमशः 26.29, 23.89 एवं 23.16 प्रतिशत थी। जबकि वर्ष 1991 एवं वर्ष 2001 में यह भागीदारिता दर वर्ष 1981 के उपरान्त घटती गयी। इस प्रकार कुल जनसंख्या में कार्मिकों के प्रतिशत में ह्रास का मुख्य कारण जनसंख्या के वृद्धि के अनुरूप रोजगार में वृद्धि का न होना प्रतीत होता है, जैसा कि तालिका संख्या 3.1 में प्रदर्शित है।

तालिका संख्या : 3.1

बस्ती नगर में कार्मिकों की भागीदारिता दर वर्ष 1981-2001

क्र० सं०	काम करने वाले/काम न करने वाले	वर्ष 1981		वर्ष 1991		वर्ष 2001	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	काम करने वाले	18262	26.29	20870	23.89	24923	23.16
2.	काम न करने वाले	51203	73.71	66501	76.11	82678	76.84
	योग	69465	100.00	87371	100.00	107601	100.00

स्रोत : जनगणना प्रकाशन वर्ष 1981, 1991 एवं जनगणना वर्ष 2001 के प्रोविजनल आँकड़े।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बस्ती नगर में वर्ष 1981, 1991 एवं 2001 में कुल कार्मिकों की संख्या 18262, 20870 एवं 24923 है, जिनकी कुल जनसंख्या में प्रतिशत दर क्रमशः 26.29, 23.89 एवं 23.16 है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्मिकों के भागीदारिता दर में वृद्धि नहीं हो रहा है जो जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में आर्थिक आधार के कमजोर संरचना को दर्शाता है। नगरीय क्षेत्र के भावी विकास एवं विस्तार की गति को देखते हुए वर्तमान में नगरीय क्षेत्र के आस-पास नगरीय क्रियाओं में स्वाभाविक विकास होना निश्चित है।

3.2 श्रम शक्ति की विशेषताएँ :

बस्ती नगर की व्यावसायिक संरचना जो तालिका संख्या 3.2 से स्पष्ट है, कि वर्ष 2001 की जनगणनानुसार प्राथमिक श्रेणियों में कार्यरत अर्थात् कृषक एवं कृषि मजदूरों की संख्या 568 है, जो कुल श्रम शक्ति का 2.28 प्रतिशत है। इसी प्रकार पारिवारिक उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 662 है, जो कुल श्रम शक्ति का 2.66 प्रतिशत है। जबकि अन्य सेवाओं के अन्तर्गत सर्वाधिक मजदूरों की संख्या 21288 है, जो कुल श्रम शक्ति का 85.41 प्रतिशत है। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि पिछले दशक वर्ष 1991 की अपेक्षा वर्ष 2001 में कृषक एवं कृषि मजदूर की संख्या में भारी ह्रास हुआ है, जो यह दर्शाता है कि कृषक एवं कृषि मजदूरों में सम्मिलित लोग अन्य सेवाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो आर्थिक विकास का सूचक है। इस प्रकार वर्ष 1991 की दशक की अपेक्षा

वर्ष 2001 में पारिवारिक उद्योग एवं अन्य सेवाओं में संलग्न श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसा कि तालिका संख्या 3.2 में प्रदर्शित है।

तालिका संख्या : 3.2

बस्ती नगर में श्रमिकों का विभिन्न आर्थिक श्रेणियों में विभाजन वर्ष 1991-2001

क्र० सं०	व्यावसायिक श्रेणी	वर्ष 1991		वर्ष 2001	
		श्रमिक संख्या	प्रतिशत	श्रमिक संख्या	प्रतिशत
क.	मुख्य कामगार				
1.	(प्राथमिक सेक्टर) कृषक एवं कृषि मजदूर	3669	16.58	568	2.28
2.	(द्वितीयक सेक्टर) पारिवारिक उद्योग	229	1.04	662	2.66
3.	(तृतीयक सेक्टर) अन्य सेवाएँ	16972	76.72	21288	85.41
	योग	20870	94.34	22518	90.35
ख.	सीमान्त कामगार	1252	5.66	2405	9.65
	कुल श्रमिक (क+ख)	22122	100.00	24923	100.00

स्रोत : एन०आई०सी० बस्ती।

3.3 भावी श्रम शक्ति का पूर्वानुमान :

बस्ती नगरीय क्षेत्र (महायोजना क्षेत्र) की वर्ष 2021 तक की जनसंख्या लगभग 235000 होनी अनुमानित की गयी है। श्रमिकों की संख्या एवं उनकी संरचना (विभिन्न व्यावसायिक श्रेणी में) का सही अनुमान लगाना कठिन कार्य है क्योंकि अप्रत्याशित कारकों द्वारा इसका प्रभावित होना संभावित रहता है।

बस्ती नगर आर्थिक आधार के अन्तर्गत यहाँ विभिन्न व्यापारिक एवं वाणिज्यिक क्रियाओं के साथ-साथ कृषि पर आधारित विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं का विशेष महत्व है। यहाँ पर नवनिर्मित कृषि मण्डी स्थापित होने के फलस्वरूप इसके आस-पास के क्षेत्रों में धान एवं गन्ना की पैदावार प्रचुर मात्रा में होती है। धान एवं गन्ना के अपशिष्ट पदार्थ से अन्य कई तरह के जैसे कागज, दफ्ती आदि महत्वपूर्ण उद्योग विकसित किये जा सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप इस नगर के आस-पास के निकटवर्ती क्षेत्रों के आर्थिक क्रियाओं

में विशेष वृद्धि होगी। इसके साथ ही भावी संरचना में प्राथमिक श्रेणी में जैसे कृषक एवं कृषक मजदूरों में कमी आयेगी तथा उद्योग के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों की संख्या में वृद्धि होने का अनुमान है।

अतः यह अनुमान किया गया है कि बस्ती नगरीय क्षेत्रों में वर्ष 2021 में कुल 37706 कार्मिक होंगे, जो कुल भावी नगरीय जनसंख्या के 33 प्रतिशत होंगे।

अध्याय-4

आवास

मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में मुख्यतः अन्न, जल, वस्त्र एवं मकान है। किसी भी नगर क्षेत्र की आवासीय दशाओं पर वहाँ की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि तथा ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्र की ओर हो रहे आब्रजन के कारण इन नगरीय क्षेत्रों में आये दिन आवासीय सुविधाओं में अत्यधिक कमी आ रही है, क्योंकि आब्रजन के अनुपात में नगरीकरण की प्रक्रिया धीमी है। प्रायः सभी नगरों में आवासीय भवनों की कमी एवं अन्य आवासीय सुविधाओं में जैसे-पृथक शौचालय/स्नान गृह एवं रसोई गृह का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य मलिन बस्तियों एवं दूषित वातावरण में निवास करने के लिए बाध्य हो जाता है।

उपरोक्त इन समस्याओं से बस्ती नगर भी ग्रसित है। यहाँ पर भी आवास की समस्याओं में आवासीय इकाईयों की कमी के साथ-साथ आवास की दशा, अस्वास्थ्यकर वातावरण एवं मूलभूत आवश्यक सुविधाओं के अभाव की समस्या विद्यमान है। नगर में आवासीय विकास मुख्यतः पुरानी बस्ती क्षेत्र तथा इसके आस-पास क्षेत्र में तथा बस्ती-गोरखपुर मार्ग पर हुआ है। नगर का सर्वाधिक सघन एवं पुराना आवासीय क्षेत्र पुरानी बस्ती, पाण्डे बाजार एवं चौक क्षेत्र आता है। पुरानी बस्ती क्षेत्र में खुले स्थानों का पूर्ण अभाव है तथा यहाँ के सम्पर्क मार्ग भी सकरे हैं। इस नगर में आवासीय विकास अव्यवस्थित एवं अनियंत्रित रूप में किये जा रहे हैं। इतना ही नहीं आवासीय क्षेत्रों में अन्य गैर आवासीय विकास होने के कारण एवं मिश्रित भू-उपयोग के कारणों से नियोजन सम्बन्धित समस्यायें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं।

4.1 आवासीय घनत्व :

जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार बस्ती नगर की कुल जनसंख्या का घनत्व 55 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। विभागीय सर्वेक्षण वर्ष 2005-06 के अनुसार नगर की वर्तमान में

कुल 447.58 हेक्टेयर भूमि (8.75 प्रतिशत) आवासीय उपयोग में आती है। नगर की वर्ष 2001 की जनसंख्या 107601 है, का आवासीय घनत्व 240 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर आता है। वर्ष 2021 हेतु प्रस्तावित जनसंख्या 235000 है, का आवासीय घनत्व 225 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है।

4.2 परिवारों का आकार एवं आवासीय इकाइयों की संख्या :

वर्ष 1991 की जनगणनानुसार बस्ती नगर की कुल जनसंख्या 87371 है, जिनमें आवासीय भवनों की संख्या 12592 एवं परिवारों की संख्या 13337 है। इस प्रकार उक्त के आधार पर बस्ती नगर में परिवार का औसत आकार 6.6 व्यक्तियों का आता है। प्रति परिवार के लिए एक आवासीय इकाई की आवश्यकता मानक के आधार पर वर्ष 1991 में 745 आवासीय इकाइयों की कमी रही। वर्ष 1991 में उपलब्ध आवासीय इकाइयों के 10 प्रतिशत भाग को यदि जीर्ण-शीर्ण होने के कारण आवास हेतु अनुपयुक्त माना जाय तो इस आधार पर इनकी संख्या 1259 आती है। इन्हें भी आवासीय इकाइयों के अभाव को सम्मिलित करने पर बस्ती नगर में आवासीय इकाइयों का कुल अभाव 2004 आता है। इसी प्रकार वर्ष 2001 में नगर की कुल जनसंख्या 107601 में आवासीय भवनों की संख्या 13479 एवं परिवारों की संख्या 15823 है। इस दशक में परिवार का औसत आकार 6.8 व्यक्ति रहा है। इस प्रकार प्रति परिवार एक आवासीय इकाई की आवश्यकता के मानक के आधार पर वर्ष 2001 में नगर में 2344 आवासीय भवनों की कमी रही। अगर अधिकृत भवनों की संख्या का 10 प्रतिशत जीर्ण-शीर्ण माना जाय तो आवासीय भवनों की कुल वास्तविक कमी 3692 होगी जैसा कि तालिका संख्या 4.1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या : 4.1

बस्ती नगर में परिवारों एवं आवासीय भवनों का विवरण वर्ष 1991-2001

क्र० सं०	वर्ष	कुल जनसंख्या	परिवारों की संख्या	अधिकृत आवासीय भवनों की संख्या	आवासीय भवनों की कमी	क्रमशः 10 प्रतिशत अनुपयुक्त भवन	आवासीय भवनों की कुल कमी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1991	87371	13337	12592	745	1259	2004
2.	2001	107601	15823	13479	2344	1348	3692

स्रोत : जनगणना प्रकाशन वर्ष 1991 एवं जनगणना वर्ष 2001 के प्राविजनल आँकड़े।

4.3 परिवारों को उपलब्ध सुविधाएँ :

बस्ती नगर में छोटे भवनों की अधिकता के कारण आवास गृह के साथ-साथ प्रत्येक परिवार के लिए अलग-अलग रसोई घर, स्नान गृह तथा शौचालय सुविधाओं का अभाव है। नगर में लगभग 5 प्रतिशत परिवारों को पृथक रसोई घर, 3 प्रतिशत को पृथक स्नान गृह तथा 2 प्रतिशत को पृथक शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

4.4 आवासीय निर्माण संस्थाएँ :

बस्ती नगर में आवास विकास परिषद द्वारा कलेक्ट्रेट के उत्तर दिशा में आवास विकास की कालोनी निर्मित की गयी है। वर्तमान समय में कुल आवासीय इकाइयों की लगभग 80 प्रतिशत आवासीय इकाइयाँ व्यक्तिगत स्तर पर अनियोजित ढंग से निर्मित की गयी हैं।

4.5 आवासीय इकाइयों की भावी आवश्यकता :

बस्ती नगर की भावी जनसंख्या पूर्वानुमान के आधार पर योजनाकाल के वर्ष 2021 में कुल जनसंख्या 235000 होगी, जो पाँच व्यक्ति प्रति परिवार के मानक के आधार पर 47000 आवासीय इकाइयों की आवश्यकता होगी। इसके लिए विभिन्न आय वर्ग के अनुसार आवासीय प्रयोग हेतु कुल लगभग 453.55 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय भू-उपयोग अनुषांगिक प्रयोग हेतु आवश्यकता होगी।

इस प्रकार वर्ष 2021 तक बस्ती नगर की महायोजना के अन्तर्गत कुल लगभग 453.55 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके सापेक्ष में भूमि का प्रस्ताव किया गया है, जिसका विवरण तालिका संख्या 4.2 में प्रदर्शित है।

तालिका संख्या : 4.2

बस्ती नगर में आय वर्ग के अनुसार अनुमानित आवास एवं क्षेत्रफल प्रक्षेपित जनसंख्या 235000, परिवार का आकार 5 व्यक्ति एवं प्रक्षेपित परिवार 47000

क्र० सं०	आय वर्ग	अनुमानित आवासों का प्रतिशत	अनुमानित परिवार/आवास की संख्या	प्रति आवास क्षेत्रफल (वर्ग मी० में) मानक के अनुसार	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1.	दुर्बल आय वर्ग	30	14100	40	56.40
2.	निम्न आय वर्ग	40	18800	80	150.40
3.	मध्यम आय वर्ग	20	9400	150	141.00
4.	उच्च आय वर्ग	10	4700	225	105.75
	योग	100	47000	—	453.55

स्रोत : विभागीय सर्वेक्षण

अध्याय—5

व्यापार एवं वाणिज्य

बस्ती नगर की आर्थिक क्रियाओं/विकास में व्यापार एवं वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। नगर में स्थित व्यापार एवं वाणिज्य से न केवल नगरीय आवश्यकता की पूर्ति होती है, बल्कि इसके आस-पास के विस्तृत क्षेत्रों की जनसंख्या की भी व्यापार एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बस्ती नगर की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिणाम स्वरूप नगर की आर्थिक क्रियाओं में वाणिज्यिक क्रिया-कलापों का उल्लेखनीय स्थान बना हुआ है। वर्ष 1991 की जनगणनानुसार नगर में व्यापार एवं वाणिज्य से सम्बन्धित आर्थिक क्रियाओं में कार्यरत कार्मिकों की कुल संख्या 20870 रही, जो वर्ष 2001 में यह संख्या बढ़कर कुल कार्मिकों की जनसंख्या 24923 का प्रतिशत 23.16 हो गयी। इससे यह परिलक्षित होता है कि इस नगर में व्यापार एवं वाणिज्य में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी है।

5.1 वाणिज्यिक क्षेत्र एवं व्यापारिक दुकानें :

नगर में स्थित व्यापारिक एवं वाणिज्यिक क्रियाओं के विस्तार एवं बढ़ोत्तरी के उपरान्त भी अब तक यहाँ कोई सुव्यवस्थित व्यावसायिक क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है। नगर के मुख्य मार्गों के किनारे पर भौतिक विकास/विस्तार के साथ-साथ व्यावसायिक क्रिया-कलापों का भी विकास एक पट्टिका के रूप में हो रहा है। नगर के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र यथा-पाण्डेय बाजार, पुरानी बस्ती, गाँधी नगर एवं रोडवेज से जिला अस्पताल तक के मार्गों पर स्थित है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय, बस्ती द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नगर में कुल 2322 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/दुकानें पंजीकृत हैं, जिनमें 543 दुकानों में 278 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त नगर में 5 पेट्रोल पम्प, 5 शीत गृह एवं 6 चलचित्र गृह कार्यरत हैं।

5.2 मण्डी समिति :

नगर के पुरानी बस्ती एवं रेलवे स्टेशन के उत्तर-पश्चिम दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर बाईपास के उत्तर में 21.45 एकड़ क्षेत्र में एक मण्डी समिति का व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित है। इसके द्वारा नगर के आस-पास के कृषकों एवं व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों का क्रय-विक्रय का कार्य सम्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त पुरानी बस्ती मार्ग पर दक्षिण दरवाजा में एक फल मण्डी का थोक विक्रय केन्द्र तथा तम्बाकू थोक विक्रय का कार्य सुर्ती हट्टा में किया जाता है।

अध्याय—6

उद्योग

नगर के आर्थिक विकास की गति को ठोस आधार एवं तीव्रता प्रदान करने तथा नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में उद्योगों का स्थान सर्वोच्च है। औद्योगीकरण के विकास/विस्तार के फलस्वरूप नगर में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा मिलता है। उद्योगों के विकास से नगर में व्यावसायिक एवं वाणिज्य, यातायात तथा अन्य सेवाओं से सम्बन्धित क्रियाओं के स्वतः विकास की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, जिससे नगर का आर्थिक आधार सुदृढ़ होता है। इन औद्योगिक विकास से आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है।

बरती नगर एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, कच्चे माल तथा श्रम की सुलभता का यहाँ के औद्योगिक विकास में भरपूर उपयोग नहीं किया जा सका है। नगर के आस-पास के क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार अत्यधिक होने के कारण वर्तमान समय में एक चीनी मिल कार्यरत है।

6.1 औद्योगिक विकास :

नगर में चीनी उद्योग के अतिरिक्त यहाँ अन्य प्रकार की कोई वृहद औद्योगिक इकाईयाँ अभी तक विकसित नहीं हो पायी हैं। नवसृजित मण्डल घोषित हो जाने के कारण इस नगर के बहुमुखी विकास की सम्भावनाएँ बलवती हुई हैं। वर्ष 2002-2003 में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नगर क्षेत्र में लघु उद्योगों की कुल 91 इकाईयाँ कार्यरत हैं जिनमें कुल 228 श्रमिक कार्यरत हैं। नगर में खाद्य एवं पेय पदार्थ, लकड़ी एवं लकड़ी के फर्नीचर, धातु एवं धातु उत्पाद एवं मशीनरी एवं विद्युत, श्रेसर आदि प्रमुख उद्योग हैं। इन उद्योगों में क्रमशः 10, 9, 4 एवं 10 औद्योगिक इकाईयाँ कार्यशील हैं, जिनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या क्रमशः 32, 22, 15 एवं 25 है। नगर में उक्त उद्योगों के अतिरिक्त सर्वाधिक 58 ईकाइयों अन्य (सेवा उद्योग) की बाहुल्यता है जिनमें कुल सर्वाधिक कर्मचारियों की संख्या 134 है।

तालिका संख्या : 6.1

बस्ती नगर में क्रियाशील औद्योगिक इकाईयाँ और इनमें कार्यरत
श्रमिकों का विवरण

क्र० सं०	औद्योगिक श्रेणी	औद्योगिक इकाईयाँ		कार्यरत श्रमिक	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	खाद्य एवं पेय पदार्थ	10	10.99	32	14.04
2.	लकड़ी एवं लकड़ी के फर्नीचर	9	9.89	22	9.65
3.	धातु एवं धातु उत्पाद	4	4.39	15	6.58
4.	मशीनरी एवं विद्युत/थ्रेसर आदि	10	10.99	25	10.96
5.	अन्य सेवाएँ	58	63.74	134	58.77
	योग	91	100.00	228	100.00

6.2 उद्योग की सम्भावनाएँ :

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में गन्ना उत्पाद एवं विक्रय का प्रमुख केन्द्र है। इस क्षेत्र में धान की भूसी एवं गन्ने से प्राप्त अपशिष्ट (खोई) वस्तुओं पर आधारित कागज, दपती एवं प्लाईवुड आदि जैसे उद्योगों की स्थापना की प्रबल सम्भावनाएँ हैं, जिससे इस क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि होगी तथा साथ ही नगर के बहुमुखी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अध्याय—7

कार्यालय

बस्ती जनपद को गोरखपुर मण्डल से पृथक होकर वर्ष 1997 में नवसृजित बस्ती मण्डल का मुख्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप इस नगर में मण्डलीय मुख्यालय के साथ-साथ विभिन्न मण्डलीय प्रशासनिक केन्द्र के कार्यालय भी स्थापित किये जा रहे हैं। शासन द्वारा अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के साथ ही नगरवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के फलस्वरूप राजकीय, अर्द्धराजकीय एवं अन्य कार्यालयों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। नगर में सर्वाधिक कार्यालयों की संख्या विकास भवन में एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय के आस-पास के क्षेत्रों में है जैसे—आयुक्त, कलेक्ट्रेट, जिला कृषि रक्षा, मौसम विभाग, मुख्य विकास, सेवायोजन, अर्थ एवं संख्या, तहसील, रजिस्ट्रार, चकबन्दी एवं मत्स्य आदि के कार्यालय तथा गोरखपुर मार्ग पर भारत दूर संचार केन्द्र, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कोतवाली एवं जिला उद्योग केन्द्र आदि कार्यालय स्थित है।

नगर में स्थित विभिन्न कार्यालयों से सम्बन्धित संकलित आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि नगर में कुल कार्यालयों की संख्या 92 है, जिनमें केन्द्र सरकार के 7, राज्य सरकार के 65 हैं, अर्द्ध राज्य सरकार के 18 तथा स्थानीय कार्यालयों की संख्या 2 है जिनमें कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या 8042 है जो नगर में कार्यशील कुल कार्मिक का 44 प्रतिशत है, जिनका श्रेणीवार विवरण तालिका संख्या 7.1 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 7.1

बस्ती नगर में स्थित विभिन्न कार्यालयों एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

क्र० सं०	कार्यालयों की श्रेणी	कार्यालयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	केन्द्र सरकार/अर्द्धसरकार	7	299	3.72
2.	राज्य सरकार	65	5726	71.20
3.	अर्द्ध राज्य सरकार	18	1643	20.43
4.	स्थानीय निकाय	2	374	4.65
	योग	92	8042	100.00

स्रोत : रोजगार कार्यालय बस्ती।

बस्ती नगर में स्थित कुछ ऐसे सरकारी कार्यालय भी हैं, जो व्यक्तिगत आवासीय भवनों में कार्यरत हैं। इन कार्यालयों के भवनों में शासकीय कार्य करने के उपयुक्त वातावरण के साथ-साथ साज-सज्जा की सुविधाओं का भी पूर्णतया अभाव है तथा इन राजकीय कार्यालयों के कर्मचारियों की आवासीय सुविधा भी नगण्य है।

अध्याय—8

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएँ

सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं का तात्पर्य उन नगरीय सुविधाओं से है, जिनकी सम्पूर्ति सामूहिक स्तर पर होती है। विभिन्न प्रकार की आवश्यक सामुदायिक सुविधाओं की उपलब्धता नगरीय जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक होती है। इन सुविधाओं में प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सुविधाओं जैसे—डाक तार घर, टेलीफोन एक्सचेंज, पुलिस स्टेशन तथा अग्निशमन केन्द्र आदि भी सुविधाजनक एवं सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक है। बस्ती नगर में उपलब्ध विभिन्न सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं के अध्ययन हेतु इस विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया जिसके आधार पर प्राप्त तथ्यों का विवरण निम्नवत् है :-

8.1 शिक्षा :

बस्ती नगर में नर्सरी/प्राथमिक पाठशालाओं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा के साथ ही प्राविधिक शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। नगर में संचालित की जा रही इन शिक्षण संस्थाओं में एक जैसी सुविधाओं का अभाव है। कुछ ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें मानक के आधार पर न तो पर्याप्त कमरे हैं, न तो उनके लिए लिखने-पढ़ने के पर्याप्त पीठिका है और न ही उनके लिए व्यायाम/मनोरंजन हेतु क्रीड़ांगण है। इनमें जो भी कुछ सुविधाएँ हैं वह भी असंतोषजनक एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

नगर में 32 प्राथमिक पाठशाला, 7 जूनियर हाई स्कूल, 10 हायर सेकेण्ड्री/इण्टरमीडिएट कालेज तथा 3 स्नातक/स्नातकोत्तर कालेज तथा 2 तकनीकी संस्थान कार्यरत है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा पंजीकृत 13 मान्टेसरी/नर्सरी स्कूल भी संचालित किये जा रहे हैं।

8.1.1 नर्सरी/प्राथमिक पाठशाला :

इन श्रेणी के पाठशालाओं में सामान्यतः 6 से 11 वर्ष तक के बालक/बालिकाएँ साथ-साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। बस्ती नगर के अन्तर्गत परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 32 है, जिनमें विद्यार्थियों की कुल संख्या 3652 है जिसके आधार पर प्रति विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत संख्या लगभग 114 है। वर्तमान समय में लगभग 3363 व्यक्तियों पर एक प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है जो विभागीय मानक के अनुरूप है किन्तु स्थानीय वितरण, भवनों की दशा एवं उपलब्ध अन्य सुविधाओं की दृष्टि से इन विद्यालयों को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

8.1.2 जूनियर हाई स्कूल :

इस श्रेणी के विद्यालयों में सामान्यतः 12 वर्ष से 16 वर्ष आयु तक के छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। बस्ती नगर में परिषदीय विद्यालयों की कुल संख्या 7 है, जिनमें 5 बालक तथा 2 बालिकाओं के लिए है जिनमें क्रमशः 418 तथा 230 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिसके आधार पर प्रति विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 93 है। वर्तमान में लगभग 15371 व्यक्तियों पर एक विद्यालय है। इस प्रकार नगर में जनसंख्या मानक के आधार पर 15 विद्यालयों का अभाव है। नगर में जो भी शिक्षण संस्थाएँ हैं, उनके पास पर्याप्त भवन एवं खेल-कूद प्रांगण का अभाव है।

8.1.3 इण्टरमीडिएट कालेज (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) :

बस्ती नगर में कुल 10 इण्टरमीडिएट कालेज हैं, जिनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की कुल संख्या 13159 है। इन विद्यालयों में 6 बालक तथा 4 बालिकाओं के हैं। इनमें शिक्षार्थियों की संख्या क्रमशः 7376 एवं 5783 है जिसके आधार पर प्रति विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत संख्या 1316 है। वर्तमान अवधि में लगभग 10760 व्यक्तियों पर एक इण्टरमीडिएट कालेज की सुविधा उपलब्ध है। विभागीय मानक के आधार पर एक अतिरिक्त कालेज की आवश्यकता होगी। इन विद्यालयों में प्रयोगशाला, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय तथा क्रीड़ांगण जैसी सुविधाओं का अभाव है।

8.1.4 स्नातक/स्नातकोत्तर विद्यालय :

बस्ती नगर में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के लिए तीन महाविद्यालय उपलब्ध है, जिनमें दो बालकों एवं एक बालिकाओं का है। इनमें अध्ययनरत कुल छात्र-छात्राओं की संख्या 5168 है, जिनकी संख्या क्रमशः 3968 एवं 1200 है। शेष दो महाविद्यालयों में सहशिक्षा ग्रहण करते हैं। वर्तमान में लगभग 35867 व्यक्तियों पर एक महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। इन विद्यालयों में मानक के अनुरूप भवनों, पुस्तकालय/वाचनालय, प्रयोगशाला एवं क्रीड़ांगन आदि जैसी आधुनिक सुविधाओं का अभाव है।

8.1.5 तकनीकी/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान :

बस्ती नगर में कुल 2 तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है, जिनमें एक पॉलिटेक्निक (प्राविधिक) एवं एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है।

8.2 स्वास्थ्य :

नगरवासियों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बस्ती नगर में एक जिला राजकीय चिकित्सालय, एक राजकीय महिला एवं मातृ-शिशु कल्याण एवं एक टी0बी0 क्लिनिक केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है। इनमें कुल 647 शैयाएँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 4 आयुर्वेदिक/औषधालय, 4 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 3 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र/उपकेन्द्र है। एक जिला पशु चिकित्सालय कार्यरत है। इन चिकित्सालयों द्वारा नगरीय जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के साथ-साथ इस जनपद में स्थित आस-पास के ग्रामों की जनसंख्या की स्वास्थ्य सुविधा सम्बन्धी समस्त आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाती है। वर्तमान समय में लगभग 166 व्यक्ति पर एक शैया की सुविधा उपलब्ध है।

उपरोक्त राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त नगर में व्यक्तिगत स्तर पर नर्सिंग होम, क्लिनिकों तथा डिस्पेन्सरियाँ भी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। इन कार्यरत नर्सिंग होमों एवं क्लिनिकों में आधुनिक साज-सज्जा का अभाव है।

8.3 वाचनालय/पुस्तकालय :

नगरवासियों को देश-विदेश की घटनाक्रमों की जानकारी तथा साहित्यिक अभिरूचि के ज्ञानवर्धन में सामुदायिक स्तर पर वाचनालय एवं पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर में मात्र एक जिला पुस्तकालय/वाचनालय है, जो जनसंख्या की दृष्टि से इनका अभाव है।

8.4 पुलिस/अग्निशमन :

नागरिकों के लिए नगर में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने हेतु पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्तमान समय में नगर में 2 कोतवाली, 8 पुलिस चौकियाँ एवं 1 अग्निशमन केन्द्र है।

8.5 डाक एवं तार घर/दूरभाष केन्द्र :

मानव सभ्यता के तीव्र विकास के साथ-साथ विज्ञान के विभिन्न प्रकार के संचार संसाधनों/उपक्रमों तथा डाक-तार घरों की बाहुल्यता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे नागरिकों के देश-विदेश के समाचार एवं सामाजिक/पारिवारिक जीवन की गतिविधियों की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। वर्तमान समय में नगर में एक डाकघर, दस उप डाकघर एवं एक अतिरिक्त बीमा उप डाकघर स्थित है। इसके अतिरिक्त 1 दूर संचार केन्द्र है, जिनमें कुल संयोजनों की संख्या 6109 है।

8.6 बैंक :

नगर में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 11 है। इसके अतिरिक्त गैर राष्ट्रीयकृत बैंक 6, ग्रामीण बैंक 2, सहकारी बैंक 2 तथा 1 सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक है।

अध्याय—9

उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ

उपयोगिताओं एवं सेवाओं का तात्पर्य नगरीय जीवन के लिए आवश्यक उन सेवाओं से है, जो पेयजल एवं विद्युत शक्ति की आपूर्ति तथा नगर के दूषित जल-मल के निकास से सम्बन्धित क्रियाओं से होती है। इन सुविधाओं के बिना नागरिकों की दिनचर्या अत्यन्त कष्टदायक एवं दयनीय हो जाती है। बस्ती के नगरीय विकास के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ सीवेज प्रणाली न होने के कारण बरसात के दिनों में नगर की जीर्ण-शीर्ण नालियों द्वारा नगर के मुख्य मार्गों एवं संकीर्ण गलियों में दूषित जल फैल जाता है जिससे आवागमन में असुविधा हो जाती है। साथ ही नगर में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का पूर्णतया अभाव है।

9.1 पेय जलापूर्ति :

नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कुल तीन ओवर हेड टैंक स्थित हैं, जिनके द्वारा नगर में पेय जलापूर्ति की जाती है। प्रथम जलकल परिसर में, द्वितीय आवास विकास परिषद में तथा तृतीय कटरा जलकल परिसर में स्थित है जिनकी जलापूर्ति क्षमता क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय का 50000 गैलन तथा तृतीय (कटरा) का 4 लाख गैलन है। वर्तमान समय में नगर में कुल ट्यूबवेलों की संख्या 9 है, जिनमें दो ट्यूबवेल खराब (बन्द) पड़े हुए हैं। नगर में घुमावदार पाइप लाईनों का जाल 28 कि०मी० के दायरे में बिछाया गया है। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर 110 जनता स्तम्भ है, जिसके द्वारा जलापूर्ति की जाती है। नगर में प्रति व्यक्ति पर 21 लीटर जल की उपलब्धता है, जो मानक के अनुसार पर्याप्त नहीं है। जबकि मानक के अनुसार जल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 70 लीटर होना चाहिये। नगर में जलापूर्ति की समयावधि प्रातः 5.00 बजे से दिन में एक बजे तक तथा सायंकाल से 10 बजे रात्रि तक किया जाता है। नगर में वर्तमान समय में कुल जलापूर्ति संयोजनों (कनेक्शनों) की संख्या 3275 है।

9.2 विद्युत :

विद्युत आपूर्ति किसी भी नगर के औद्योगिक विकास एवं आर्थिक प्रगति की आधारशिला होती है। बस्ती नगर में आये दिन आवासीय निर्माण एवं व्यावसायिक/औद्योगिक संस्थानों में विद्युत आपूर्ति की माँग दिनो-दिन बढ़ती जा रही है। नगर में कुल 5 विद्युत वितरण सब स्टेशन है, जिसमें दो 33 के0वी0 तथा तीन 11 के0वी0 के विद्युत वितरण उपकेन्द्र हैं। नगर में विद्युत कनेक्शनों की कुल संख्या 40756 है, जिसमें से 36599 कनेक्शन घरेलू, 3230 कनेक्शन व्यावसायिक एवं 927 कनेक्शन औद्योगिक क्षेत्र में है।

9.3 जलोत्सारण एवं मल-जल प्रवाह :

नगर में दूषित जलोत्सारण की व्यवस्था नगण्य है, जिसके कारण नगर में जो नालियाँ हैं, उनकी दशा संतोषजनक नहीं हैं। ये नालियाँ छिछली एवं जीर्ण-शीर्ण दशा में है, जिसके कारण इनका प्रवाह एक निश्चित दिशा में न होकर मुख्य मार्गों पर अथवा नगर के आन्तरिक भागों के निचले भू-भागों में जमाव हो जाता है, जिसके कारण नगरीय वातावरण दूषित रहता है।

9.4 सालिड वेस्ट डिस्पोजल :

बस्ती नगर में उत्पन्न कूड़ा करकट निस्तारण की सुनियोजित एवं वैज्ञानिक पद्धति का पूर्णतया अभाव है। नगर के आन्तरिक भाग से निकलने वाले कूड़ा - करकट का निस्तारण नगर सीमा के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र जैसे सड़क, गड्ढे एवं नदी के किनारे निचले क्षेत्रों में किया जाता है जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। चूँकि इस गन्दे कचरे से मिथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख कारक है।

अध्याय—10

यातायात एवं परिवहन

किसी नगर के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए एक प्रभावपूर्ण यातायात एवं परिवहन प्रणाली का होना अत्यन्त आवश्यक है। बस्ती नगर में मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (गोरखपुर-बस्ती-फैजाबाद) को छोड़कर अन्य मार्ग संकरे तथा अनियोजित रूप से विकसित हुए हैं जिसके परिणाम स्वरूप यातायात संचलन में अनेक अवरोध/बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। नगर के विभिन्न स्थानों एवं क्रियाओं में सहज एवं सुविधाजनक सम्बद्धता के लिए यह आवश्यक है कि इनके मध्य सुसम्बद्ध आवागमन के मार्गों का विकास/निर्माण किया जाय। स्थानीय निकाय के स्वामित्व में बस्ती नगर में सड़कों की कुल लम्बाई 149 कि०मी० है, जिनमें 65 कि०मी० तक पक्की सड़कें निर्मित हैं। बस्ती नगर में विभिन्न मार्गों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया गया है :-

10.1 मुख्य नगरीय/क्षेत्रीय मार्ग :

इस श्रेणी में उन मार्गों को रखा गया है, जो बस्ती नगर को या तो जनपदीय सीमा से बाहर के नगरों/क्षेत्रों से या जनपदीय सीमा के अन्तर्गत आने वाले अन्य नगरों/कस्बों से जोड़ने का कार्य करते हैं। बस्ती नगरीय क्षेत्र का विकास मूलतः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (गाँधी मार्ग) के दोनों तरफ के क्षेत्रों में हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास के निर्माण हो जाने के उपरान्त नगर के वाह्य समस्त क्षेत्रीय/मुख्य नगरीय मार्गों का आवागमन नवनिर्मित बाईपास मार्ग के माध्यम से होने लगा है। जबकि इस मार्ग का पुराना भाग (गाँधी नगर) मुख्य स्थानीय मार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले मार्गों का विवरण निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है :-

1. फैजाबाद-बस्ती-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28
2. बस्ती-बाँसी प्रान्तीय मार्ग संख्या-5
3. बस्ती-डुमरियागंज प्रान्तीय मार्ग संख्या-26

10.2 स्थानीय मार्ग :

बस्ती नगर में मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 को ही स्थानीय मार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नगर की बढ़ती हुयी जनसंख्या के साथ-साथ नगर के भौतिक विकास/विस्तार को ध्यान में रखते हुए स्थानीय मार्गों का विकास हुआ है। इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले मार्गों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. बस्ती-मेंहदावल मार्ग
2. बस्ती-महसो मार्ग
3. बस्ती-कलवारी मार्ग
4. बस्ती-टांडा मार्ग

10.3 सड़क परिवहन :

बस्ती नगर में चलने वाले वाहनों में धीमी गति वाले वाहनों की बाहुल्यता है। यहाँ नगरीय बस सेवा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नगर में औद्योगिक एवं व्यावसायिक केन्द्र होने के कारण माल ढोने हेतु हथडेला, बैलगाड़ी, इक्का, तांगा तथा टैम्पो/टैक्सी आदि वाहनों की अधिकता है। तीव्र गति से चलने वाले वाहनों में बस, ट्रक, कार, मोटर सायकिल, स्कूटर आदि की भी अधिकता है।

10.4 राजकीय बस सेवा :

बस्ती नगर में राजकीय बस सेवा सुविधा उपलब्ध है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के दक्षिणी मार्ग पर लगभग 1.2 हेक्टेयर भू-क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से विभिन्न दिशाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें जो बस्ती जनपद एवं इस जनपद के बाहर सुदूर स्थित नगरों के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध होती है। राजकीय बस अड्डे के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 पर प्राइवेट बस अड्डा/टैक्सी अड्डा स्थित है, जहाँ से नगर के विभिन्न दिशाओं में तथा इस जनपद के बाहर आवागमन होता है।

10.5 ट्रक सेवा :

बस्ती नगर में कोई सुनियोजित रूप से ट्रक अड्डा की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ ट्रकों का अवसान नगर के मुख्य मार्गों पर व्यावसायिक केन्द्रों के आस-पास किया जाता है जिसके कारण प्रायः नगर के मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रहती है।

10.6 रेल सेवा :

बस्ती नगर पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-लखनऊ वाया गोण्डा रेलवे लाइन पर स्थित एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो बस्ती नगर को प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक एवं व्यावसायिक नगरों से सम्बद्ध करता है।

अध्याय-11

वर्तमान भू-उपयोग

नगर के वर्तमान भू-उपयोग वहाँ के विभिन्न क्रिया-कलापों, भौगोलिक स्वरूप एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों उनके अन्तः सम्बन्धों को प्रदर्शित करती हैं। साथ ही नगर के वर्तमान विस्तार भू-उपयोग सम्बन्धी विसंगतियों की जानकारी तथा भावी भौतिक विकास की दिशा के निर्धारण हेतु वर्तमान भू-उपयोग का अध्ययन करना आवश्यक होता है।

11.1 वर्तमान भू-उपयोग का स्वरूप :

बस्ती महायोजना प्रारूप तैयार किये जाने हेतु सम्पन्न किये गये विभागीय भू-उपयोग सर्वेक्षण के आधार पर कुल 5112.00 हेक्टेयर क्षेत्र आता है, जिसमें सर्वाधिक आवासीय/निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत 447.58 हेक्टेयर आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत तथा सबसे कम 28.96 हेक्टेयर भू-क्षेत्र व्यावसायिक भू-प्रयोग के अन्तर्गत आता है। वर्तमान भू-उपयोग का विस्तृत विवरण निम्नवत् तालिका संख्या 11.1 में दर्शाया गया है :-

तालिका संख्या : 11.1

बस्ती विनियमित क्षेत्र का वर्तमान भू-उपयोग वर्ष 2006

क्र० सं०	भू-उपयोग श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आवासीय/निर्मित	447.58	8.75
2.	व्यावसायिक	28.96	0.57
3.	औद्योगिक	43.40	0.85
4.	राजकीय	97.56	1.91
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएँ/उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ	39.48	0.77
6.	यातायात एवं परिवहन	140.46	2.75

क्र० सं०	भू-उपयोग श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	2	3	4
7.	बाग/खुले स्थल	69.54	1.36
8.	नदी/नाले एवं जलाशय	37.47	0.73
9.	ग्रामीण आबादी	75.51	1.48
10.	श्मशान एवं कब्रिस्तान	2.30	0.04
11.	कृषि/अन्य	4129.74	80.79
	योग	5112.00	100.00

स्रोत : विभागीय सर्वेक्षण

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्तमान भू-उपयोगों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

11.1.1 आवासीय/निर्मित :

बस्ती नगर में आवासीय/निर्मित भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 447.58 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रयुक्त है, जो कुल भू-उपयोग क्षेत्र का 8.75 प्रतिशत है।

11.1.2 व्यावसायिक :

बस्ती नगर का प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र चौक बाजार, गाँधी नगर, पाण्डेय बाजार एवं दक्षिण दरवाजा आदि प्रमुख क्षेत्र हैं, जो मुख्य मार्गों के किनारे खरीद फरोख्त का कार्य किया जाता है। इन कुल व्यावसायिक भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान समय में लगभग 28.96 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त है, जो कुल क्षेत्र का 0.57 प्रतिशत है।

11.1.3 औद्योगिक :

नगर में एक चीनी मिल उद्योग स्थित है। इसके अतिरिक्त बस्ती विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत बस्ती-गोरखपुर मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32.70 हेक्टेयर है। यह औद्योगिक क्षेत्र ग्राम झरकटिया, मझखरिया एवं पचौरा के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार वर्तमान समय में औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 43.40 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त है, जो कुल क्षेत्र का 0.85 प्रतिशत है।

11.1.4 राजकीय :

बस्ती जनपद नवसृजित मण्डल मुख्यालय होने के कारण यहाँ कई प्रशासनिक एवं विकास क्रियाओं से सम्बन्धित केन्द्रीय, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय तथा अन्य

अभिकरणों के कार्यालयों की स्थापना हुई है। इस प्रकार राजकीय भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 97.56 हेक्टेयर भू-क्षेत्र प्रयुक्त है, जो कुल वर्तमान क्षेत्र का 1.91 प्रतिशत है।

11.1.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएँ/उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ :

बस्ती नगर में सामुदायिक सुविधाओं/उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ के अन्तर्गत कुल लगभग 39.48 हेक्टेयर भू-क्षेत्र प्रयुक्त है, जो कुल क्षेत्र का 0.77 प्रतिशत है।

11.1.6 यातायात एवं परिवहन :

यातायात एवं परिवहन के अन्तर्गत मुख्यतः रेलवे क्षेत्र, बस/ट्रक अड्डा एवं मार्ग आते हैं। बस्ती नगर पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-लखनऊ वाया गोण्डा रेलवे लाइन का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। नगर में यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान समय में कुल 140.46 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त है, जो कुल क्षेत्र का 2.75 प्रतिशत है।

11.1.7 बाग/खुले स्थल :

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 69.54 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त है जो कुल क्षेत्र का 1.36 प्रतिशत है।

11.1.8 नदी/नाले एवं जलाशय :

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान समय में कुल 37.47 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त है, जो कुल क्षेत्र का 0.73 प्रतिशत है।

11.1.9 ग्रामीण आबादी :

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान समय में कुल 75.51 हेक्टेयर भूमि प्रयुक्त है, जो कुल क्षेत्र का 1.48 प्रतिशत है।

11.1.10 श्मशान एवं कब्रिस्तान :

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 2.30 हेक्टेयर भूमि वर्तमान समय में है, जो कुल क्षेत्र का 0.04 प्रतिशत है।

11.1.11 कृषि/अन्य :

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कृषि एवं उपरोक्त भू-उपयोगों के अतिरिक्त अन्य भू-उपयोगों में प्रयुक्त भूमि सम्मिलित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 4129.74 हेक्टेयर है, जो कुल क्षेत्र का 80.79 प्रतिशत है।

अध्याय—12

महायोजना प्रस्ताव

12.1 योजना दृष्टिकोण :

किसी भी नगर की विकास की प्रक्रिया मुख्यतः उस नगर के स्थानीय क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक आदि सम्बन्धों पर आधारित होती है, जो नगर की विकास की दशा को निर्धारित करती है। यह नगर नक्सृजित मण्डल मुख्यालय होने के कारण यहाँ अनेक प्रशासनिक स्तर के कार्यालयों में वृद्धि हो रही है। औद्योगिक क्रियाओं की अधिकता के कारण आर्थिक दृष्टि से यह पूर्वान्चल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

नगर की सम्मिलित जनसंख्या को प्रस्तावित योजनावधि के अन्त तक कुल जनसंख्या 235000 हो जाने का अनुमान है, जो महायोजनान्तर्गत प्रस्तावित भावी नगरीय विकास की सीमा के अन्तर्गत निवास करेगी। नगर के आस-पास के क्षेत्रों में गन्ने की अधिक पैदावार होने के कारण यहाँ एक चीनी उद्योग तथा स्थानीय स्तर पर अनेक गुड़ एवं खांडसारी उद्योग धन्धे विकसित हो रहे हैं।

बस्ती नगर का भावी विकास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 जो नगर के मध्य भाग से होकर गुजरता है, जिस पर बस्ती-गोरखपुर मार्ग, बस्ती-फैजाबाद मार्ग, बस्ती-बाँसी प्रान्तीय मार्ग एवं बस्ती-डुमरियागंज मार्ग के दोनों तरफ विकास की गति में तीव्रता आ रही है। इस नगर का मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र गाँधी नगर, चौक, पुरानी बस्ती एवं जिला अस्पताल से दक्षिण दरवाजा होते हुए रेलवे स्टेशन तक फैला हुआ है। वैसे तो इस नगर का एक औद्योगिक क्षेत्र गोरखपुर-बस्ती मार्ग के ग्राम झरकटिया में स्थित है। नगर के उत्तरी भाग पर एक नवीन बाईपास निर्मित हो जाने के कारण इस मार्ग पर एक नवीन मण्डी समिति का व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित है। इसके साथ ही इस मार्ग से सम्बद्ध जैसे-बाँसी एवं डुमरियागंज मार्ग पर तीव्र गति से विकास की सम्भावना है। नगर के दक्षिण एवं पश्चिम भाग में कुआनो नदी स्थित होने के कारण तथा इस क्षेत्र में समतल भूमि का अभाव होने के कारण इस क्षेत्र में विकास की गति धीमी है।

12.2 प्रस्ताव :

बस्ती महायोजना द्वारा नगर के भावी विकास के प्रस्तावों के अन्तर्गत प्रमुख रूप से नगर पालिका क्षेत्र एवं इसके उपान्त में पड़ने वाले कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित कर तैयार की गयी है। योजनावधि वर्ष 2021 के अन्त तक प्रस्तावित भावी नगरीय विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 2615.19 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है।

बस्ती महायोजना में प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र का विस्तृत विवरण तालिका संख्या 12.1 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 12.1

बस्ती महायोजना-2021 का प्रस्तावित भू-उपयोग

क्र० सं०	भू-उपयोग श्रेणी	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	2	3	4
1.0	आवासीय	1223.66	46.79
1.1	निर्मित	240.78	9.21
1.2	आवासीय	982.88	37.58
2.0	व्यावसायिक	163.95	6.27
2.1	सामान्य व्यावसायिक	42.50	1.62
2.2	बाजार स्ट्रीट	22.18	0.85
2.3	मण्डलीय केन्द्र	24.04	0.92
2.4	थोक व्यापार केन्द्र	5.59	0.21
2.5	नगर केन्द्र	33.16	1.27
2.6	मिनरल साइडिंग	25.60	0.98
2.5	वेयर हाऊसिंग	10.88	0.42
3.0	औद्योगिक	135.52	5.18
3.1	लघु उद्योग/सेवा उद्योग	102.08	3.90
3.2	वृहद उद्योग	8.80	0.34
3.3	सूचना प्रौद्योगिकी पार्क	24.64	0.94
4.0	कार्यालय	164.90	6.31
4.1	कार्यालय/मण्डलीय कार्यालय	139.30	5.33

क्र० सं०	भू-उपयोग श्रेणी	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	2	3	4
4.2	कारागार	25.60	0.98
5.0	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं	140.55	5.37
5.1	शिक्षा	26.67	1.02
5.2	चिकित्सालय	6.78	0.26
5.3	पुलिस मुख्यालय	4.48	0.17
5.4	अग्निशमन केन्द्र	3.04	0.12
5.5	डाक तार एवं दूर संचार केन्द्र	0.96	0.04
5.6	सामुदायिक सुविधायें	63.96	2.44
5.7	संस्थागत (इन्स्टीट्यूशनल)	34.66	1.32
6.0	उपयोगितायें एवं सेवाएं	20.14	0.77
6.1	विद्युत केन्द्र	2.40	0.09
6.2	जलकल	1.42	0.06
6.3	सीवेज फार्म/शोधन केन्द्र	4.48	0.17
6.4	डम्पिंग ग्राउण्ड	11.84	0.45
7.0	यातायात एवं परिवहन	326.58	12.49
7.1	वर्तमान मार्ग	119.70	4.58
7.2	प्रस्तावित मार्ग	153.26	5.86
7.3	रेलवे लाइन/परिसर	20.76	0.79
7.4	बस अड्डा	7.40	0.28
7.5	ट्रक अड्डा/ट्रान्सपोर्ट नगर	25.46	0.98
8.0	मनोरंजन	439.89	16.82
8.1	क्रीडांगन	26.36	1.01
8.2	पार्क एवं खुले स्थल	186.13	7.12
8.3	हरित पट्टी/ग्रीन बफर	227.40	8.69
	कुल नगरीय प्रस्ताव	2615.19	100.00
9.0	अन्य	54.03	—
9.1	नदी नाला/जलाशय	11.95	—
9.2	ग्रामीण आबादी	40.25	—
9.3	श्मशान/कब्रिस्तान	1.83	—
	कुल योग	2669.22	—

बस्ती महायोजना में प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

12.2.1 आवासीय :

बस्ती नगरीय जनसंख्या की आवासीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान निर्मित क्षेत्र एवं आवासीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए महायोजना में उपयुक्त स्थलों पर कुल 1223.66 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है, जो कुल नगरीय प्रस्ताव के क्षेत्रफल का 46.79 प्रतिशत है।

12.2.2 व्यावसायिक :

बस्ती नगर की भावी जनसंख्या के लिए विभिन्न स्तर के व्यावसायिक क्रिया कलापों हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव किये गये हैं :-

12.2.2.1 सामान्य व्यावसायिक :

इस प्रयोजन हेतु महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त स्थलों पर सामान्य व्यावसायिक भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 42.50 हेक्टेयर भू-क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल महायोजना क्षेत्र का 1.62 प्रतिशत है।

12.2.2.2 बाजार स्ट्रीट :

महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय निर्मित भू-उपयोग के अन्तर्गत नगर के वर्तमान मार्गों (तालिका सं० 12.2) के किनारे-किनारे बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 22.18 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है। जो कुल महायोजना क्षेत्र का 0.85 प्रतिशत है। बाजार स्ट्रीट हेतु निर्धारित मानक (अपेक्षाएँ) से सम्बन्धित विवरण महायोजना प्रतिवेदन के अनुलग्नक-5 में दिया गया है।

12.2.2.3 मण्डलीय केन्द्र :

बस्ती नगर एवं उसके आस-पास के कस्बों में निवास करने वाली जनसंख्या की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महायोजना क्षेत्र में उपयुक्त स्थलों पर मण्डलीय

केन्द्र के अन्तर्गत कुल 24.04 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल महायोजना क्षेत्र का 0.92 प्रतिशत है।

12.2.2.4 थोक व्यापार केन्द्र :

इस प्रयोजन हेतु महायोजना क्षेत्र में उपयुक्त स्थलों पर केवल 5.59 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जो कुल महायोजना क्षेत्र का 0.21 प्रतिशत है। क्योंकि महायोजना क्षेत्र के सटे उत्तरी सीमा पर एन0एच0-28 बाईपास मार्ग के किनारे वर्तमान समय में थोक व्यापार केन्द्र के रूप में मण्डी परिषद स्थित है।

12.2.2.5 नगर केन्द्र :

बस्ती नगर की भावी जनसंख्या की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त स्थलों पर कुल 33.16 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल महायोजना क्षेत्र का 1.27 प्रतिशत है।

12.2.2.6 मिनरल साइडिंग :

इस प्रयोजन हेतु महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शुगर मिल के निकट प्रस्तावित 45.00 मीटर चौड़े मार्ग के सटे कुल 25.60 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल महायोजना क्षेत्र का 0.98 प्रतिशत है।

12.2.2.7 वेयर हाऊसिंग :

इस प्रयोजन हेतु महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत एन0एच0-28 बाईपास मार्ग के किनारे कुल 10.88 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जो कुल महायोजना क्षेत्र का 0.42 प्रतिशत है।

इस प्रकार महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक क्रिया कलापों हेतु उपयुक्त स्थलों पर कुल 163.95 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल महायोजना क्षेत्र का 6.27 प्रतिशत है।

तालिका संख्या : 12.2

बस्ती महायोजना – 2021 में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट मार्ग

क्र० सं०	मार्ग का नाम	मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)
1.	एन०एच०-28 पुराना मार्ग (कम्पनी बाग चौराहा से रोडवेज तिराहा तक)	33.50
2.	बस्ती-महसो मार्ग (हास्पिटल चौराहा से नगरपालिका की सीमा तक)	21.35
3.	बस्ती-कॉटे मार्ग (हास्पिटल चौराहा से जिगना तिराहा तक)	33.50
4.	नारंग रोड (जिगना तिराहा से सुगर मिल गेट तक)	15.25
5.	कम्पनीबाग चौराहा से महसो मार्ग (जजेज कम्पाउण्ड तिराहा से नगरपालिका सीमा तक)	18.00
6.	जिलाधिकारी आवास मार्ग	24.00
7.	कचहरी मार्ग	33.53
8.	मालवीय रोड (फौव्वारा चौराहा से रोडवेज तिराहा तक)	30.00
9.	दक्षिणी दरवाजा मार्ग (रोडवेज तिराहा से दक्षिण दरवाजा चौराहा तक)	30.00
10.	पुरानी बस्ती रोड (दक्षिण दरवाजा चौराहा से रेलवे स्टेशन के पूर्वी केविन सुगर मिल गेट तक)	30.00
11.	पाण्डेय बाजार मार्ग (दक्षिण दरवाजा चौराहा से करूआ बाबा चौराहा तक)	12.00
12.	बस्ती बाँसी मार्ग (करूआ बाबा चौराहा से गौरा चौराहा तक)	24.00
13.	करूआ बाबा चौराहा से रेलवे स्टेशन मार्ग (करूआ बाबा चौराहा से नारंग रोड तिराहा तक)	30.00
14.	खोराखार दक्षिणी दरवाजा मार्ग (पटेल चौराहा से दक्षिण दरवाजा तिराहा मार्ग तक)	33.50
15.	आई०टी०आई० तिराहा मार्ग (कटरा चौराहा से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चौराहा तक)	33.50
16.	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल मार्ग (रौता चौराहा से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चौराहा तक)	12.00
17.	बस्ती-मूडघाट मार्ग (आई०टी०आई० तिराहा से मूडघाट चौराहा तक)	12.00
18.	रौता चौराहा रंजीत तिराहा मार्ग (रौता चौराहा से रंजीत तिराहा तक)	—
19.	हास्पिटल चौराहा दक्षिणी दरवाजा चौराहा मार्ग (दक्षिण दरवाजा चौराहा से हास्पिटल चौराहा तक)	18.00
20.	हण्डिया चौराहा मार्ग (पाण्डेय बाजार चौराहा से हण्डिया चौराहा तक)	18.30
21.	बस्ती डुमरियागंज मार्ग (पाण्डेय बाजार चौराहा से बाईपास तक)	33.50

टिप्पणी –

उपरोक्त मार्गों की चौड़ाई नगरपालिका परिषद बस्ती, लोक निर्माण विभाग बस्ती, जिला पंचायत बस्ती के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (परिशिष्ट-7) के अनुसार।

12.2.3 औद्योगिक :

यह नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों में से प्रमुख है। यहाँ एक चीनी मिल के अतिरिक्त कुछ अन्य मध्यम एवं लघु औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं। औद्योगिक इकाइयों को यहाँ विकसित एवं आकर्षित करने के उद्देश्य से महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान स्थित क्षेत्र को यथावत् रूप में सम्मिलित करते हुए उपयुक्त स्थलों पर जोन संख्या-2 एवं 4 के अन्तर्गत कुल 135.52 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना क्षेत्र के नगरीय प्रस्ताव के कुल क्षेत्रफल का 5.18 प्रतिशत है। इसके साथ ही महायोजना के नगरीय प्रस्ताव के बाहर विनियमित क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत यू0पी0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 द्वारा अधिघोषित क्रमशः राजस्व ग्राम झरकटिया, मझखरिया एवं पचौरा में 32.695 हेक्टेयर (80.759 एकड़) क्षेत्र में स्थापित "औद्योगिक आस्थान बस्ती" के क्षेत्र को यथावत् रखा गया है।

12.2.3.1 लघु/सेवा उद्योग :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या- 2 एवं 4 के अन्तर्गत क्रमशः 58.17 एवं 43.91 हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात् कुल 102.08 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना क्षेत्र में प्रस्तावित कुल औद्योगिक क्षेत्रफल का 3.90 प्रतिशत है।

12.2.3.2 वृहद उद्योग :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या-4 के अन्तर्गत वर्तमान समय में स्थापित चीनी मिल एवं उससे सम्बद्ध 8.80 हेक्टेयर क्षेत्र को यथावत् रखा गया है, जो महायोजना क्षेत्र में प्रस्तावित कुल औद्योगिक क्षेत्रफल का 0.34 प्रतिशत है।

12.2.3.3 सूचना प्रौद्योगिकी पार्क :

उत्तर प्रदेश शासन की सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना क्षेत्र में जोन संख्या-2 के अन्तर्गत उपयुक्त स्थल पर 24.64 हेक्टेयर क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी पार्क हेतु प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना में प्रस्तावित कुल औद्योगिक क्षेत्रफल का 0.94 प्रतिशत है।

12.2.4 कार्यालय :

नगर में वर्तमान समय में राजकीय कार्यालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 पर स्थित है। ये कार्यालय अधिकांशतः आवासीय भवनों में संचालित किये जा रहे हैं। नवसृजित मण्डल का मुख्यालय घोषित होने के कारण यहाँ अन्य मण्डलस्तरीय कार्यालयों के स्थापित होने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए महायोजना में कुल 164.90 हेक्टेयर भू-क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है, जो महायोजना के नगरीय प्रस्ताव के क्षेत्र का 6.31 प्रतिशत है।

बस्ती नगर में नवसृजित मण्डल मुख्यालय की स्थापना होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के कई प्रशासनिक एवं विकास क्रियाओं से सम्बन्धित केन्द्रीय, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय तथा अन्य अभिकरणों के कार्यालयों की स्थापना होगी। बस्ती महायोजना में इन मण्डलस्तरीय कार्यालयों की स्थापना के दृष्टिगत एन0एच0 28 बाईपास मार्ग के किनारे जोन सं0 04 के अन्तर्गत मण्डलीय कार्यालय भू-उपयोग हेतु 38.21 हेक्टेयर भू-क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसका उपयोग केवल मण्डलस्तरीय कार्यालयों/सरकारी आवासीय परिसर हेतु ही किया जा सकेगा। समिति के सुझावानुसार इस भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता के प्राविधान महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में भू-उपयोग जोन्स के कालम-16 (G-2) में किये गये हैं। इसके साथ ही जोन संख्या 04 के अन्तर्गत जिला करारागार के कुल 25.60 हेक्टेयर क्षेत्र को यथावत प्रस्तावित किया गया है।

12.2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएँ :

नगरवासियों के कल्याण एवं विकास हेतु सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना अति महत्वपूर्ण होता है। महायोजना में भावी आवासीय क्षेत्र का नियोजन करते समय ही वहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए इन सुविधाओं का समुचित एवं सम्यक स्तर पर निर्माण क्रिया सुनिश्चित की जाय। सार्वजनिक सुविधाएँ समाज के लिए शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हुए वहाँ के निवास करने वाले व्यक्तियों के गुणात्मक जीवन शैली में सुधार की क्षमता रखते हैं जिनमें प्रमुख स्थान शिक्षा एवं स्वास्थ्य का होता है। तत्पश्चात् पुलिस, डाक तार एवं दूरसंचार, अग्नि शमन एवं अन्य परोपकारी सामाजिक एवं

सांस्कृतिक संस्थाएँ आदि हैं जो नगर स्तर पर सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। नगर में वर्तमान समय में स्थित शिक्षा, चिकित्सालय, पुलिस मुख्यालय, डाकतार एवं दूरसंचार केन्द्र के अन्तर्गत प्रयुक्त की जा रही भूमि को यथावत रखते हुये सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत उपयुक्त स्थलों पर कुल 140.55 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना के नगरीय क्षेत्र का 5.37 प्रतिशत है। इन भू-उपयोगों का विवरण निम्नवत है।

12.2.5.1 शिक्षा :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या-1 में 10.84, जोन संख्या-2 में 1.05 एवं जोन संख्या-3 में 14.78 हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात् कुल 26.67 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है जो, महायोजना में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 1.02 प्रतिशत है।

12.2.5.2 चिकित्सालय :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु वर्तमान समय में स्थित चिकित्सालयों के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र को यथावत अर्थात् जोन संख्या-03 में 2.94 एवं जोन संख्या-4 में 3.84 हेक्टेयर अर्थात् कुल 6.78 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 0.26 प्रतिशत है।

12.2.5.3 पुलिस मुख्यालय :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या-3 के अन्तर्गत वर्तमान समय में स्थित जिला पुलिस मुख्यालय के 4.48 हेक्टेयर क्षेत्र को यथावत प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 0.17 प्रतिशत है।

12.2.5.4 अग्निशमन केंद्र :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या-3 के अन्तर्गत स्थित 0.23 हेक्टेयर क्षेत्र को यथावत सम्मिलित करते हुए जोन संख्या-2 में 2.81 हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात् कुल 3.04

हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना में सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 0.12 प्रतिशत है।

12.2.5.5 डाक तार एवं दूरसंचार केंद्र :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या-3 के अन्तर्गत वर्तमान समय में स्थित 0.96 हेक्टेयर क्षेत्र को यथावत् ही प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 0.04 प्रतिशत है।

12.2.5.6 सामुदायिक सुविधाएँ :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु वर्ष 2021 तक अनुमानित सामुदायिक सुविधाओं की आवश्यकता की पूर्ति के दृष्टिगत जोन संख्या-1 में 8.32, जोन संख्या-2 में 28.24 एवं जोन संख्या-3 में 27.40 हेक्टेयर अर्थात् कुल 63.96 हेक्टेयर क्षेत्र उपयुक्त स्थलों पर प्रस्तावित किया गया, जो महायोजना में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 2.44 प्रतिशत है।

12.2.5.7 संस्थागत (इन्स्टीट्यूशन) :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या-1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत उपयुक्त स्थलों पर कुल 34.66 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो महायोजना में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 1.33 प्रतिशत है।

12.2.6 उपयोगितायें एवं सेवाएँ :

नगरवासियों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महायोजना के अन्तर्गत उपयुक्त स्थलों पर विद्युत केन्द्र, जलकल, सीवेज फार्म/शोधन केन्द्र एवं डम्पिंग ग्राउण्ड के अन्तर्गत क्रमशः 2.40, 1.42, 4.48 एवं 11.84 हेक्टेयर अर्थात् कुल 20.14 हेक्टेयर क्षेत्र उपयोगितायें एवं सेवायें भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना के नगरीय प्रस्ताव के क्षेत्र का 0.77 प्रतिशत है।

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित भू-उपयोगों का विवरण निम्नवत है।

12.2.6.1 विद्युत केंद्र :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या-3 के अन्तर्गत वर्तमान समय स्थित 1.60 हेक्टेयर एवं जोन संख्या 4 के अन्तर्गत स्थित 0.80 हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात् कुल 2.40 हेक्टेयर क्षेत्र यथावत् प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना में उपयोगिताएं एवं सेवाएं हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 0.09 प्रतिशत है।

12.2.6.2 जलकल :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या-3 के अन्तर्गत वर्तमान समय में स्थित 1.42 हेक्टेयर क्षेत्र को यथावत् प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना में उपयोगिताएं एवं सेवाएं हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 0.06 प्रतिशत है।

12.2.6.3 सीवेज फार्म/शोधन केंद्र :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या-3 के अन्तर्गत उपयुक्त स्थल पर 4.48 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना में उपयोगिताएं एवं सेवाएं हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 0.17 प्रतिशत है।

12.2.6.4 डम्पिंग ग्राउन्ड :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या-1 में 3.84 हेक्टेयर एवं जोन संख्या-4 में 8.00 हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात् कुल 11.84 हेक्टेयर क्षेत्र उपयुक्त स्थल पर भावी आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना में उपयोगिताएं एवं सेवाएं हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 0.45 प्रतिशत है।

12.2.7 यातायात एवं परिवहन :

नगर के भौतिक विकास तथा उसकी आर्थिक, व्यावसायिक और औद्योगिक क्रियाओं पर आन्तरिक तथा वाह्य यातायात एवं परिवहन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नगर की जनसंख्या तथा विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि के साथ-साथ यातायात

संचलन सम्बन्धी समस्या भी दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। बस्ती नगर के वर्तमान अधिकांश मार्ग सकरे है, जो घनी आबादी तथा व्यावसायिक केन्द्रों से गुजरता हैं, जिसके कारण नगर के सुव्यवस्थित यातायात संचलन में अवरोध उत्पन्न होता है। इस नगर के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 होकर गुजरता है। इस मार्ग पर अधिक भार एवं अतिक्रमण होने के कारण प्रायः मार्ग दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। नगर के आन्तरिक भाग वाले मार्गों को यातायात भार से मुक्त रखने एवं सुगम यातायात के संचलन के उद्देश्य से विभिन्न चौड़ाई वाले नये मार्गों का प्रस्ताव किया गया है।

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु वर्तमान मार्गों, रेलवे लाईन/परिसर एवं बस अड्डा आदि के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए कुल 326.58 हेक्टेयर क्षेत्र उपयुक्त स्थलों पर प्रस्तावित किया गया है, जो महायोजना क्षेत्र के नगरीय प्रस्ताव के क्षेत्रफल का 12.49 प्रतिशत है।

12.2.7.1 वर्तमान मार्ग :

बस्ती नगर के प्रमुख वर्तमान मार्गों की चौड़ाई का विवरण तालिका संख्या-12.3 में दिया गया है। महायोजना में इस प्रयोजन हेतु वर्तमान मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर से 75 मीटर तक प्रस्तावित करते हुए कुल 119.70 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 4.58 प्रतिशत है।

12.2.7.2 प्रस्तावित मार्ग :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर एवं अधिकतम 45 मीटर के मध्य रखते हुए कुल 153.26 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 5.86 प्रतिशत है।

12.2.7.3 रेलवे लाईन/परिसर :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु वर्तमान रेलवे लाईन/परिसर के क्षेत्र को जो क्रमशः जोन संख्या- 2 के अन्तर्गत 3.84 एवं जोन संख्या-4 के अन्तर्गत 16.92 हेक्टेयर अर्थात् कुल 20.76 हेक्टेयर है, उसे यथावत् प्रस्तावित किया गया है, जो यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 0.79 प्रतिशत है।

12.2.7.4 बस अड्डा :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु वर्तमान बस अड्डे के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जोन संख्या-3 के 1.64 हेक्टेयर तथा जोन संख्या-01 के 5.76 हेक्टेयर अर्थात्, कुल 7.40 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 0.28 प्रतिशत है।

12.2.7.5 ट्रक अड्डा / ट्रांसपोर्टनगर :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या-1 के अन्तर्गत 15.16 हेक्टेयर एवं जोन संख्या-4 के अन्तर्गत 10.30 हेक्टेयर अर्थात् कुल 25.46 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 0.98 प्रतिशत है।

1.3 उपरिगामी सेतु (फ्लाई ओवर) :

बस्ती नगर के तीन उपयुक्त स्थलों यथा- नारंग रोड पर (चीनी मिल के निकट) रेलवे समपार पर तथा पाण्डेय बाजार मार्ग के पश्चिम समानान्तर प्रस्तावित 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित रेलवे समपार तथा पुराना एन0एच0 28 बस्ती-गोरखपुर मार्ग पर हास्पिटल चौराहे पर उपरिगामी सेतु (फ्लाई ओवर) का प्रस्ताव नगर की आन्तरिक एवं वाह्य यातायात व्यवस्था के द्रुतगामी एवं अबाध गति बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

तालिका संख्या-12.3

बस्ती महायोजना - 2021 वर्तमान प्रमुख मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई का विवरण

क्र०सं०	मार्ग का नाम	मार्ग की वर्तमान चौड़ाई (मी० में)	महायोजना 2021में प्रस्तावित चौड़ाई (मी० में)
1	2	3	4
1.	नारंग रोड मार्ग	15.25	18.00
2.	दक्षिणी दरवाजा चौराहा से पाण्डेय बाजार मार्ग	12.00	18.00
3.	पाण्डेय बाजार चौराहे से गौरा चौराहा तक	18.00	18.00

मार्ग का नाम	चौराहे का नाम	
1	2	
4. पाण्डेय बाजार से हड़िया चौराहा मार्ग	18.30	18.30
5. दक्षिणी दरवाजा चौराहे से पुरानी बस्ती रोड रेलवे स्टेशन तक	30.00	30.00
6. मालवीय रोड रौता क्रासिंग रोडवेज तिराहा तक	30.00	30.00
7. रौता चौराहा से फव्वारा मार्ग तक	30.00	30.00
8. रौता चौराहा से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चौराहा तक	12.00	18.00
9. आई0टी0आई0 तिराहा से मूड़घाट चौराहा	12.00	18.00
10. महसों मार्ग	21.35	31.35

टिप्पणी –

उपरोक्त मार्गों की वर्तमान चौड़ाई नगर पालिका परिषद बस्ती, लोक निर्माण विभाग बस्ती, जिला पंचायत बस्ती के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (परिशिष्ट-7) के अनुसार है।

नगर के आन्तरिक मार्गों/चौराहों के विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण का चरणबद्ध कार्यक्रम (प्रथम चरण)

I. प्रथम चरण में नगर के निम्नलिखित प्रमुख मार्गों एवं चौराहों के विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण की योजना का प्रस्ताव किया गया है।

तालिका संख्या-12.4

नगर के आन्तरिक मार्गों/चौराहों के विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण का चरणबद्ध कार्यक्रम (प्रथम चरण)

क्र०सं०	मार्ग का नाम	चौराहा
1	2	3
1.	पुरानी बस्ती मार्ग	दक्षिणी दरवाजा चौराहा
2.	पाण्डेय बाजार मार्ग	करूआ बाबा चौराहा एवं पाण्डेय बाजार चौराहा
3.	मालवीय रोड	रंजीत तिराहा, रोडवेज तिराहा एवं रौता चौराहा

II. द्वितीय चरण में नगर के निम्नलिखित मार्गों एवं चौराहों के विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण करने की योजना का प्रस्ताव किया गया है।

तालिका संख्या-12.5

नगर के आन्तरिक मार्गों/चौराहों के विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण का चरणबद्ध कार्यक्रम (द्वितीय चरण)

मार्ग का नाम	चौराहे का नाम
1	2
1. नारंग रोड मार्ग	जिगना तिराहा
2. महसों मार्ग	हास्पिटल चौराहा
3. रौता चौराहे से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चौराहा मार्ग	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चौराहा
4. आई0टी0आई0 तिराहा से मूड़घाट चौराहा मार्ग	मूड़घाट चौराहा
5. पाण्डेय बाजार चौराहा से हड़िया चौराहा मार्ग	बरदहिया चौराहा एवं हड़िया चौराहा
6. पाण्डेय बाजार चौराहा से गौरा चौराहा मार्ग	गौरा चौराहा

12.2.8 मनोरंजन :

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत महायोजना क्षेत्र में उपयुक्त स्थलों पर क्रीड़ांगन, पार्क एवं खुले स्थल हेतु क्रमशः 26.36 एवं 171.73 हेक्टेयर क्षेत्र तथा महायोजना के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में क्रमशः प्रस्तावित 75 एवं 45 मी0 चौड़े मार्ग के दोनों तरफ 50-50 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही साथ महायोजना में प्रस्तावित

औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत उनके चारों तरफ प्रस्तावित अन्य भू-उपयोगों को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखने के उद्देश्य से 30 मीटर चौड़े ग्रीन बफर का तथा महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित वर्तमान तालाबों जलाशयों के चतुर्दिक यथासम्भव हरित पट्टी का भी प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार हरित पट्टी/ ग्रीन बफर के अन्तर्गत कुल 227.40 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्तानुसार मनोरंजन भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 439.89 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है, जो कुल महायोजना क्षेत्र का 16.82 प्रतिशत है। जिसका विवरण निम्नवत है।

12.2.8.1 क्रीड़ांगन :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या-1 के अन्तर्गत स्थित वर्तमान 6.52 हेक्टेयर एवं जोन संख्या-2 के अन्तर्गत 19.84 हेक्टेयर क्षेत्र मण्डल मुख्यालय कार्यालय की स्थापना के दृष्टिगत मण्डलीय क्रीड़ांगन के रूप में अर्थात् कुल 26.36 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो मनोरंजन भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्र का 1.01 प्रतिशत है।

12.2.8.2 पार्क एवं खुले स्थल :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु जोन संख्या-1 में 35.93 हेक्टेयर, जोन संख्या-2 में 24.71 हेक्टेयर, जोन संख्या-3 में 79.82 हेक्टेयर एवं जोन संख्या-4 में 45.67 हेक्टेयर अर्थात् कुल 186.13 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो मनोरंजन भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्र का 7.12 प्रतिशत है।

12.2.8.3 हरित पट्टी/ ग्रीन बफर :

महायोजना में इस प्रयोजन हेतु वर्तमान/प्रस्तावित मार्गों के किनारे औद्योगिक एवं आवासीय भू-उपयोग के मध्य तथा वर्तमान तालाबों/जलाशयों के चतुर्दिक यथा सम्भव जोन संख्या-1 में 53.12 हेक्टेयर, जोन संख्या-2 में 64.77 हेक्टेयर, जोन संख्या-3 में 51.71 हेक्टेयर एवं जोन संख्या-4 में 57.80 हेक्टेयर अर्थात् कुल 227.40 हेक्टेयर क्षेत्र उपयुक्त स्थलों पर प्रस्तावित किया गया है, जो मनोरंजन भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्र का 8.69 प्रतिशत है।

12.2.9 अन्य :

महायोजना क्षेत्र में प्रस्तावित उपरोक्त भू-उपयोगों के अतिरिक्त महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित वर्तमान नदी नाला/जलाशय, ग्रामीण आबादी एवं श्मशान/कब्रिस्तान आदि के क्षेत्र में यथावत् रखा/प्रस्तावित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 54.03 हेक्टेयर है। इनका विवरण निम्नवत् है :

12.2.9.1 नदी, नाला/जलाशय:

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत महायोजना क्षेत्र में वर्तमान समय में स्थित नदी, नाला/जलाशय आदि को यथावत् रखा गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 11.95 हेक्टेयर है।

12.2.9.2 ग्रामीण आबादी :

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत महायोजना क्षेत्र में वर्तमान समय में स्थित राजस्व ग्रामों के ग्रामीण आबादी क्षेत्र का यथावत् रखा गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 40.25 हेक्टेयर है।

12.2.9.3 श्मशान/कब्रिस्तान :

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत महायोजना क्षेत्र में वर्तमान समय में स्थित श्मशान/कब्रिस्तान के क्षेत्र को तकनीकी रूप से यथा सम्भव मानचित्र में प्रदर्शित कर यथावत् रखा गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1.83 हेक्टेयर है।

महायोजना के क्रियान्वयन में शासन की विभिन्न नीतियों / प्राविधानों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण

13.1 हाईटेक टाउनशिप एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति :

बस्ती नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्यम श्रेणी के नगरों के अन्तर्गत आता है। अतः यहाँ पर हाईटेक टाउनशिप की सम्भावनाएँ नगण्य हैं। यहाँ मण्डलस्तरीय मुख्यालय के स्थापना की दृष्टि से आगामी वर्षों में यहाँ पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं। यदि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत निजी संस्थाओं/अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप को विकसित करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन्हें नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा महायोजना क्षेत्र में ही एन0एच0 28 बाईपास मार्ग के किनारे प्रस्तावित आवासीय प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग के अन्तर्गत समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों/नीतियों के प्राविधानों के अनुसार इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के प्रस्तावानुसार आवासीय भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

13.2 रेनवाटर हार्वेस्टिंग नीति :

पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है। परन्तु ग्राउण्ड वाटर स्रोत के अनियोजित ढंग से अनावश्यक मात्रा में अति दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। साथ ही शहरों की बढ़ती हुयी आबादी को समुचित पेय जलापूर्ति की व्यवस्था प्रदान करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पेयजल के उपयोग एवं ग्राउण्ड वाटर स्रोतों के संरक्षण मितव्ययिता पूर्ण जल का प्रयोग तथा रिचार्जिंग द्वारा समुचित जल प्रबन्धन में संतुलन स्थापित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जायेगी। इसलिए जल संसाधन की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल और कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाये जाने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1703ए/9-आ-1-29/विविध/98 दिनांक 12.4.2001, शासनादेश संख्या 3771/9-आ-1-17/विविध/2003 दिनांक 19.6.2001, शासनादेश संख्या 3887/9-आ-1-रेन वा0हार्वे0/2002 दिनांक 02.9.2002 एवं शासनादेश संख्या 1760/9-आ-1-04-17/विविध/2003 दिनांक 29.7.2004 द्वारा की गयी व्यवस्था को समायोजित करते हुए शासनादेश संख्या-यू0ओ0 35/आठ-1-2005 दिनांक 25 अप्रैल, 2006 जारी किया गया है। इन शासनादेशों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत बस्ती महायोजनान्तर्गत स्थित प्राकृतिक जलाशयों, नालों एवं झीलों आदि को महायोजना मानचित्र में चिन्हित कर यथावत प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त शासनादेश के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के जलाशयों को भी महायोजना के क्रियान्वयन के समय संरक्षित किया जायेगा। इन जलाशयों के चारों ओर 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका भी विकसित की जायेगी।

इसके अतिरिक्त नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु शासनादेश के अन्तर्गत निहित प्राविधानों यथा-20 एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की विभिन्न योजनाओं के तलपट मानचित्रों में न्यूनतम 5 प्रतिशत भूमि पर ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय तथा 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त भू-उपयोगों के भूखण्डों तथा ग्रुप हाउसिंग में छतों एवं खुले स्थलों से प्राप्त वर्षा जल को शासनादेश संख्या यू0ओ0 35/आठ-1-2005 दिनांक 25 अप्रैल, 2006 में दिये गये प्राविधानों के अधीन एकत्रित करने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

13.3 पर्यटन नीति :

बस्ती नगर के अन्तर्गत वर्तमान में पर्यटन अवस्थापना सुविधाएँ यथा-राजकीय पुस्तकालय, पर्यटक आवास गृह, जल क्रीड़ा केन्द्र, अम्बेडकर पार्क एवं कटेसर पार्क आदि सुविधाएँ विद्यमान हैं।

प्रदेश में शासन द्वारा पर्यटन अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु घोषित उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 1998 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए नगर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण करने का महायोजना में प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित गतिविधियों यथा-मार्गों का विकास/सौन्दर्यीकरण,

पार्को/चौराहों का विकास/सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन उद्योग के विकास हेतु महायोजना में प्राविधान किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त पर्यटकों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत विभिन्न भू-उपयोगों में होटल, मोटल, रेस्टोरेन्ट, रिसॉर्ट, क्लब आदि पर्यटन सुविधाओं की भी अनुमन्यता प्रदान की गयी है।

13.4 फिल्म नीति :

शासन द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 1999 में छविगृहों को उद्योग का दर्जा प्रदान करते हुए फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की सिनेमा प्रदर्शन सुविधाओं के प्राविधान किये गये हैं। इन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर में वर्तमान में स्थित कुल 6 छविगृहों को यथावत रखते हुए सिनेमा घरों/मल्टीप्लेक्स निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों से शासनादेश द्वारा जारी महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स मैट्रिक्स में व्यावसायिक क्रियाए/उपयोग के अन्तर्गत बिन्दु 2.16 पर सिनेमा/मल्टीप्लेक्स हेतु निर्मित क्षेत्र, सामान्य व्यावसायिक केन्द्र/बाजार स्ट्रीट, नगर क्षेत्र/मण्डलीय केन्द्र, थोक व्यापार केन्द्र, लघु एवं सेवा उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ/सामुदायिक सुविधाएँ आदि भू-उपयोग में निर्माण की अनुमन्यता प्रदान की गयी है।

13.5 औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति :

बस्ती नगर के अन्तर्गत वर्तमान में चीनी मिल बस्ती औद्योगिक आस्थान एवं विभिन्न लघु उद्योगों से सम्बन्धित इकाईयाँ विद्यमान है। शासन द्वारा घोषित औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति के अन्तर्गत निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए बस्ती महायोजना प्रारूप-2021 में चीनी मिल एवं बस्ती औद्योगिक आस्थान के आस-पास इस प्रयोजन हेतु सम्बन्धित भू-उपयोग के प्रस्ताव किये गये हैं।

13.6 सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति :

इस नीति के दृष्टिगत महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त स्थल पर 24.64 हेक्टेयर भू-क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी पार्क हेतु प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही महायोजना प्रतिवेदन में जोनिंग रेगुलेशन्स के मैट्रिक्स में पृष्ठ संख्या 92 पर बिन्दु सं0 3.2 के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी / साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क की अनुमन्यता का प्राविधान भी महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न भू-उपयोगों में किया गया है।

13.7 आपदा प्रबन्धन नीति :

शासन द्वारा घोषित आपदा प्रबन्धन नीति के सन्दर्भ में समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए बस्ती नगर को प्राकृतिक आपदाओं को विशेष रूप से बाढ़ से सुरक्षित रखने की दृष्टि से महायोजना में कुआनो नदी के उत्तरी तट के किनारे 45 मीटर चौड़े बन्धा बाईपास का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर को भूकम्प जैसी त्रासदी को दृष्टिगत रखते हुए भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना के निर्माण के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक प्राविधान सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर शासनादेशों यथा संख्या 570/9-आ-1-2001 (आ0ब0) दिनांक 3 फरवरी, 2001, संख्या 772/9-आ-1-2001 भूकम्प रोधी/2001 (आ0ब0) दिनांक 13.2.2001 एवं 3751/9-आ-1-2001 भूकम्प रोधी 2001 (आ0ब0) दिनांक 20.7.2001 के अधीन निहित प्राविधानों यथा-भारतीय मानक संस्थान के कोड नेशनल बिल्डिंग कोड तथा अन्य सुसंगत गाइड लाइन्स इत्यादि को अपनाने के उपरान्त ही विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण की अनुज्ञा नियत प्राधिकारी / नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रदान किये जाने की अपेक्षा है।

बस्ती महायोजना – 2021 का जोन्स में विभाजन

14.0 परिचय :

बस्ती महायोजना – 2021 के परीक्षण के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 7006/आठ-3-महा0यो0-2021/2008 दिनांक 28 जुलाई, 2008 के अनुक्रम में शासन स्तरीय गठित समिति की दिनांक 11.07.2008 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-2 के अनुपालन में समिति के सुझावानुसार बस्ती महायोजना – 2021 को अध्ययन की दृष्टि से (तालिका संख्या 14.1 के अनुसार) निम्नलिखित चार जोन्स में विभक्त किया गया है, जिनका अपेक्षित विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

14.1 जोन संख्या-1

इस जोन की उत्तरी सीमा महायोजना क्षेत्र के नगरीय प्रस्ताव के क्षेत्र के समानान्तर स्थित एन0एच0-28 बाईपास मार्ग के उत्तर में प्रस्तावित डम्पिंग ग्राउण्ड की उत्तरी सीमा के समानान्तर खोराखाल चौराहे तक, दक्षिणी सीमा जोन संख्या-3 की उत्तरी सीमा के समानान्तर स्थित कुँआनो नदी के पुराने पुल से उत्तरी छोर से होते हुए रोडवेज तिराहे के उत्तर में स्थित खोराखाल मार्ग के मिलन बिन्दु (तिराहे) तक पश्चिमी सीमा बस्ती नगरपालिका क्षेत्र एवं कुँआनों नदी के दक्षिणी छोर के समानान्तर तथा पूर्वी सीमा जोन संख्या-2 के पश्चिमी सीमा के समानान्तर फैली हुई है। इस जोन का कुल क्षेत्रफल 761.59 हेक्टेयर है, जो कुल महायोजना क्षेत्र का 28.53 प्रतिशत है। इस जोन के अन्तर्गत महायोजना अवधि में 71229 जनसंख्या के निवास करने का अनुमान किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों का संक्षिप्त विवरण तालिका संख्या 14.2 में दर्शाया गया है।

14.2 जोन संख्या-2

इस जोन की उत्तरी सीमा महायोजना क्षेत्र के नगरीय प्रस्ताव के क्षेत्र के समानान्तर जोन संख्या 3 की पूर्वी सीमा के समानान्तर होते हुए डुमरियागंज मार्ग पर स्थित चैनपुर चौराहे तक दक्षिणी सीमा जोन संख्या-3 एवं 4 की उत्तरी सीमा के समानान्तर रोडवेज तिराहे के उत्तर में स्थित खोराखाल मार्ग के मिलन बिन्दु से होते हुए एन0एच0-28 बाईपास मार्ग पर स्थित गौरा चौराहे तक, पश्चिमी सीमा जोन संख्या-1 की पूर्वी सीमा के समानान्तर तथा पूर्वी सीमा डुमरियागंज मार्ग पर स्थित चैनपुर चौराहे के उत्तर प्रस्तावित हरित पट्टी की पूर्वी सीमा के समानान्तर होते हुए गौरा चौराहे तक फैली हुई है। इस जोन का कुल क्षेत्रफल 631.60 हेक्टेयर है, जो कुल महायोजना क्षेत्र का 23.66 प्रतिशत है। इस जोन के अन्तर्गत महायोजना अवधि में 62043 जनसंख्या के निवास करने का अनुमान है, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों का संक्षिप्त विवरण तालिका संख्या 14.2 में दिया गया है।

तालिका संख्या 14.1

बस्ती महायोजना - 2021 का जोनवार प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों का विवरण

क्र० सं०	भू-उपयोग श्रेणी	जोन संख्या-1		जोन संख्या-2		जोन संख्या-3		जोन संख्या-4		सम्पूर्ण योग (1+2+3+4)	प्रतिशत
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.0	आवासीय	495.00	65.98	276.09	44.65	247.93	37.96	204.64	34.48	1223.66	46.79
1.1	निर्मित	112.52	15.00	-	-	71.46	10.94	56.80	9.57	240.78	9.21
1.2	आवासीय	382.48	50.98	276.09	44.65	176.47	27.02	147.84	24.91	982.88	37.58
2.0	व्यावसायिक	32.72	4.36	39.45	6.38	35.18	5.39	56.60	9.54	163.95	6.27
2.1	सामान्य व्यावसायिक केन्द्र	13.26	1.77	10.00	1.62	6.98	1.07	12.26	2.07	42.50	1.62
2.2	बाजार स्ट्रीट	9.22	1.23	-	-	9.26	1.42	3.70	0.62	22.18	0.85
2.3	मण्डलीय केन्द्र	-	-	20.38	3.30	3.66	0.56	-	-	24.04	0.92
2.4	थोक व्यापार केन्द्र	-	-	0.83	0.13	4.76	0.73	-	-	5.59	0.21
2.5	नगर केन्द्र	10.24	1.36	8.24	1.33	10.52	1.61	4.16	0.70	33.16	1.27
2.6	मिनरल साइडिंग	-	-	-	-	-	-	25.60	4.32	25.60	0.98
2.7	वेयर हाऊसिंग	-	-	-	-	-	-	10.88	1.83	10.88	0.42
3.0	औद्योगिक	-	-	82.81	13.39	-	-	52.71	8.88	135.52	5.18
3.1	लघु/सेवा उद्योग	-	-	58.17	9.41	-	-	43.91	7.40	102.08	3.90
3.2	वृहद उद्योग	-	-	-	-	-	-	8.80	1.48	8.80	0.34

क्र० सं०	भू-उपयोग श्रेणी	जोन संख्या-1		जोन संख्या-2		जोन संख्या-3		जोन संख्या-4		सम्पूर्ण योग (1+2+3+4)	प्रतिशत
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3	सूचना प्रौद्योगिकी पार्क	—	—	24.64	4.03	—	—	—	—	24.64	0.94
4.0	कार्यालय	22.72	3.03	—	—	103.97	15.92	38.21	6.44	164.90	6.31
4.1	कार्यालय/मण्डलीय कार्यालय	22.72	3.03	—	—	78.37	12.00	38.21	6.44	139.30	5.33
4.2	कारागार	—	—	—	—	25.60	3.92	—	—	25.60	0.98
5.0	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएँ	39.64	5.28	32.10	5.25	57.57	8.81	11.24	1.89	140.55	5.37
5.1	शिक्षा	10.84	1.44	1.05	0.17	14.78	2.26	—	—	26.67	1.02
5.2	चिकित्सालय	—	—	—	—	2.94	0.45	3.84	0.65	6.78	0.26
5.3	पुलिस मुख्यालय	—	—	—	—	4.48	0.69	—	—	4.48	0.17
5.4	अग्निशमन केन्द्र	—	—	2.81	0.46	0.23	0.03	—	—	3.04	0.12
5.5	डाकतार एवं दूरसंचार केन्द्र	—	—	—	—	0.96	0.15	—	—	0.96	0.04
5.6	सामुदायिक सुविधाएँ	8.32	1.11	28.24	4.62	27.40	4.19	—	—	63.96	2.44
5.7	संस्थागत (इन्स्टीट्यूशनल)	20.48	2.73	—	—	6.78	1.04	7.40	1.24	34.66	1.33
6.0	उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ	3.84	0.51	—	—	7.50	1.15	8.80	1.48	20.14	0.77
6.1	विद्युत केन्द्र	—	—	—	—	1.60	0.24	0.80	0.13	2.40	0.09

क्र० सं०	भू-उपयोग श्रेणी	जोन संख्या-1		जोन संख्या-2		जोन संख्या-3		जोन संख्या-4		सम्पूर्ण योग (1+2+3+4)	प्रतिशत
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2	जलकल	—	—	—	—	1.42	0.22	—	—	1.42	0.06
6.3	सीवेज फार्म/शोधन केन्द्र	—	—	—	—	4.48	0.69	—	—	4.48	0.17
6.4	डम्पिंग ग्राउण्ड	3.84	0.51	—	—	—	—	8.00	1.35	11.84	0.45
7.0	यातायात एवं परिवहन	60.71	8.10	78.55	12.70	69.46	10.63	117.86	19.86	326.58	12.49
7.1	वर्तमान मार्ग	18.81	2.51	34.77	5.62	26.70	4.09	39.42	6.64	119.70	4.58
7.2	प्रस्तावित मार्ग	20.98	2.80	39.94	6.46	41.12	6.29	51.22	8.63	153.26	5.86
7.3	रेलवे लाईन/परिसर	—	—	3.84	0.62	—	—	16.92	2.85	20.76	0.79
7.4	बस अड्डा	5.76	0.77	—	—	1.64	0.25	—	—	7.40	0.28
7.5	ट्रक अड्डा/ट्रांसपोर्ट नगर	15.16	2.02	—	—	—	—	10.30	1.74	25.46	0.98
8.0	मनोरंजन	95.57	12.74	109.32	17.68	131.53	20.14	103.47	17.43	439.89	16.82
8.1	क्रीडांगन	6.52	0.87	19.84	3.21	—	—	—	—	26.36	1.01
8.2	पार्क एवं खुले स्थल	35.93	4.79	24.71	3.99	79.82	12.22	45.67	7.69	186.13	7.12
8.3	हरित पट्टी/ग्रीन बफ़र	53.12	7.08	64.77	10.48	51.71	7.92	57.80	9.74	227.40	8.69
	कुल नगरीय प्रस्ताव	750.20	100.00	618.32	100.00	653.14	100.00	593.53	100.00	2615.19	100.00

क्र० सं०	भू-उपयोग श्रेणी	जोन संख्या-1		जोन संख्या-2		जोन संख्या-3		जोन संख्या-4		सम्पूर्ण योग (1+2+3+4)	प्रतिशत
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.0	अन्य	11.39	—	13.28	—	17.26	—	12.10	—	54.03	—
9.1	नदी, नाला/जलाशय	3.01	—	4.84	—	3.14	—	0.96	—	11.95	—
9.2	ग्रामीण आबादी	8.38	—	8.44	—	13.05	—	10.38	—	40.25	—
9.3	श्मशान/कब्रिस्तान	—	—	—	—	1.07	—	0.76	—	1.83	—
	कुल योग	761.59	—	631.60	—	670.40	—	605.63	—	2669.22	—

14.3 जोन संख्या-3

इस जोन की उत्तरी सीमा जोन संख्या-1 के समानान्तर महायोजना क्षेत्र के पश्चिमी सीमा पर स्थित कुँआनो नदी के पुल के दक्षिणी छोर के दक्षिण स्थित चौराहे के मध्य से होते हुए दक्षिण दरवाजा चौराहे तक, दक्षिणी सीमा कुँआनो नदी के पूरब में प्रस्तावित सीवेज फार्म/शोधन केन्द्र के दक्षिण में स्थित विनियमित क्षेत्र एवं महायोजना के दक्षिणी सीमा के समानान्तर होते हुए महसों मार्ग पर इटैलीपाण्डे राजस्व ग्राम में स्थित चौराहे तक, पश्चिमी सीमा महायोजना क्षेत्र की पश्चिमी सीमा तक तथा पूर्वी सीमा जोन संख्या-4 की पश्चिमी सीमा के समानान्तर दक्षिणी दरवाजा चौराहे से महसों मार्ग पर महायोजना क्षेत्र की दक्षिणी सीमा तक फैली हुई है। इस जोन का कुल क्षेत्रफल 670.40 हेक्टेयर है, जो कुल महायोजना क्षेत्र का 25.12 प्रतिशत है। इस जोन के अन्तर्गत महायोजना अवधि में 55684 जनसंख्या के निवास करने का अनुमान किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों का संक्षिप्त विवरण तालिका संख्या 14.2 में दिया गया है।

14.4 जोन संख्या-4

इस जोन की उत्तरी सीमा जोन संख्या-2 की दक्षिणी सीमा के समानान्तर दक्षिणी दरवाजा चौराहे से गौरा चौराहा, दक्षिणी सीमा महायोजना क्षेत्र के दक्षिणी सीमा के समानान्तर इटैलीपाण्डे राजस्व ग्राम में स्थित चौराहे से होते हुए बरवा राजस्व ग्राम की पूर्वी सीमा तक, पश्चिमी सीमा जोन संख्या-3 की पूर्वी सीमा के समानान्तर दक्षिणी दरवाजा चौराहे से होते हुए महसों मार्ग पर महायोजना के दक्षिणी सीमा तक तथा पूर्वी सीमा महायोजना क्षेत्र की पूर्वी सीमा के समानान्तर गौरा चौराहे से होते हुए विनियमित क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत स्थित महायोजना क्षेत्र की दक्षिणी सीमा तक फैली हुई है। इस जोन का कुल क्षेत्रफल 605.63 हेक्टेयर है, जो कुल महायोजना क्षेत्र का 22.69 प्रतिशत है। इस जोन के अन्तर्गत महायोजना अवधि में 46044 जनसंख्या के निवास करने का अनुमान किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों का संक्षिप्त विवरण तालिका संख्या 14.2 में दिया गया है।

तालिका संख्या-14.2

जोनवार प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों में निवास हेतु अनुमानित जनसंख्या का संक्षिप्त विवरण

क्र०सं०	जोन का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	महायोजना क्षेत्र का प्रतिशत	निवास हेतु अनुमानित जनसंख्या
1	2	3	4	5
1.	जोन संख्या-1	761.59	28.53	71229
2.	जोन संख्या-2	631.60	23.66	62043
3.	जोन संख्या-3	670.40	25.12	55684
4.	जोन संख्या-4	605.63	22.69	46044
कुल योग		2669.22	100.00	235000

इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि जिन जोनों में कतिपय सुविधाओं/उपयोगों का प्रस्ताव नहीं किया गया है, उनकी उपलब्धता समीपवर्ती जोन्स से सुनिश्चित की जायेगी।

जोन संख्या 1, 2 व 4 के अन्तर्गत कतिपय सुविधाओं/सेवाओं के असंतुलित वितरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनसंख्या के आधार मानक के अनुसार उक्त कतिपय/सुविधाएँ/सेवाएँ जोन संख्या 3 के अन्तर्गत पूर्व से ही स्थित/प्रस्तावित है जिनका उपयोग जोन संख्या 1, 2 व 4 की जनसंख्या भी करेगी। इसके साथ ही महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के मैट्रिक्स के अन्तर्गत उक्त जोनों में प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों में भी सुविधाओं/सेवाओं की अनुमन्यता के प्राविधान किये गये हैं।

बस्ती महायोजना-2021 जोनिंग रेगुलेशन्स

1. परिचय

1.1. जोनिंग के उद्देश्य :-

महायोजना में सामान्यतः प्रमुख भू-उपयोगों यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि आदि को ही दर्शाया जाता है। प्रमुख भू-उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुषांगिक क्रियाएं (Activities) जिन्हें महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना सम्भव नहीं है, की अनुज्ञा जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई महायोजनाओं में भी विविध अनुषांगिक (Ancillary/Incidental) क्रियाओं/उपयोगों का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन-स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

1.2. बस्ती महायोजना-2021 जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं :-

नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। प्रस्तुत जोनिंग रेगुलेशन्स में प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता को समय के परिप्रेक्ष्य में अनुक्रियाशील (Responsive) बनाने तथा अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के उद्देश्य से समुचित प्राविधान किए गए हैं। जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं (Salient features) निम्न प्रकार हैं :-

- (1) परम्परागत जोनिंग रेगुलेशन्स में व्याप्त जटिलताओं को समाप्त कर सरल बनाया गया है। इस हेतु प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता को ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के माध्यम से सर्वग्राही एवं User-friendly बनाया गया है।
- (2) जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रभाव शुल्क लिए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसके फलस्वरूप विनियमित क्षेत्र को अवस्थापना विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।

- (3) जोनिंग रेगुलेशन्स में "फ्लोटिंग" भू-उपयोग कान्सेप्ट अपनाया गया है, जिसके अनुसार ऐसी क्रियाएं जो महायोजना में परिकल्पित नहीं हैं, को भविष्य में गुण-अवगुण के आधार पर सम्बन्धित भू-उपयोग जोन में अनुमन्य किया जा सकेगा।
- (4) प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य किए जाने वाले उपयोगों के परीक्षण एवं विकास नियंत्रक प्राधिकारिणी द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गई है।

1.3. विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ :-

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की निम्न अनुज्ञा श्रेणियाँ होंगी :-

(क) अनुमन्य उपयोग -

वह क्रियाएं/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोगों के अनुषांगिक होंगे तथा सामान्यतः अनुमन्य होंगे।

(ख) सशर्त अनुमन्य उपयोग -

वह क्रियाएं/उपयोग जो कार्यपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोगों में अनिवार्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होंगे। अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध भाग-3 में दिए गए हैं।

(ग) सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग -

वह क्रियाएं/उपयोग जो आवेदन किए जाने पर निर्माण के प्रकार के सन्दर्भ में अवस्थापनाओं की संरचना तथा आस-पास के क्षेत्र पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव आदि अर्थात् गुण-दोष को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति-से अनुमन्य होंगे। विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएं भाग-4 में दी गई हैं।

(घ) निषिद्ध उपयोग -

वह क्रियाएं/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य नहीं होंगे। निषिद्ध क्रियाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध के अतिरिक्त ऐसी सभी क्रियाएं तथा विकास/निर्माण कार्य जो प्रमुख उपयोग के अनुषांगिक नहीं हैं अथवा उपरोक्त (क), (ख) अथवा (ग) श्रेणी के अनुमन्य क्रियाओं की सूची में शामिल नहीं है, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1.4. फ्लोटिंग उपयोग :-

महायोजना लागू होने के उपरान्त प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में कतिपय क्रियाएं/उपयोग नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेश में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किए जाते हैं, जो समय की मांग के अनुसार व्यावहारिक होते हैं, परन्तु महायोजना अथवा जोनिंग रेगुलेशन्स में परिकल्पित नहीं हैं। इस प्रकार के उपयोगों में बस/ट्रक/रेल/हवाई टर्मिनल, थोक मार्केट, काम्पलेक्स, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं यथा विद्युत सब-स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लान्ट्स, इत्यादि शामिल हो सकते हैं। ऐसी क्रियाओं को अनुमन्य किए जाने हेतु कई बार अधिनियम के अन्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाया जाना अपरिहार्य हो जाता है, जो अन्यथा प्रत्येक मामले में औचित्यपूर्ण न हो। अतः आवश्यकतानुसार ऐसी क्रियाओं/उपयोग की अनुमन्यता हेतु "फ्लोटिंग उपयोग" (Floating use) कान्सेप्ट अपनाया गया है।

"फ्लोटिंग उपयोग"/क्रियाओं की जानकारी विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी और उस उपयोग की प्रकृति तथा उसके कार्यपूर्ति मापदण्ड (Performance Standard) से ही तय हो सकेगा कि उसे किस भू-उपयोग जोन में अनुमन्य किया जाए। "फ्लोटिंग उपयोग" कान्सेप्ट अपनाएं जाने के फलस्वरूप जोनिंग प्रणाली में Flexibility रहेगी। इसका यह भी लाभ होगा कि किसी एक भू-उपयोग जोन में नॉन-कान्फार्मिंग उपयोगों का केन्द्रीयकरण नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त "फ्लोटिंग" उपयोग के फलस्वरूप किसी भू-उपयोग जोन की प्रधान प्रकृति (Dominant Character) पर पड़ने वाले कुप्रभाव अथवा होने वाले ह्रास पर अंकुश लगाने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में अवस्थापनाओं पर अनावश्यक दबाव को नियन्त्रित

रखने हेतु यह प्राविधान किया गया है कि फ्लोटिंग उपयोग यदि उस जोन में सामान्यतः अनुमन्य नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण-अवगुण के आधार पर अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

1.5. विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज जोन :-

जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सूचीबद्ध विभिन्न भू-उपयोग जोन्स के अतिरिक्त नगर विशेष की स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज जोन निर्धारित किये गये हैं। इनके अन्तर्गत ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारक एवं वास्तुकलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण भवन शामिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से संरक्षित किये जाने वाले क्षेत्र तथा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हैं जिनके स्वरूप को बचाया जाना आवश्यक है।

1.6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग :-

ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु नगरीय क्षेत्रों की महायोजनाओं में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग क्षेत्र के अन्तर्गत एक एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के प्राकृतिक जलाशय, तालाब व झील आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग यथावत अथवा उसके अनुषांगिक रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो। महायोजना में उनके संरक्षण हेतु तालाबों, जलाशयों एवं झीलों के चतुर्दिक 50 मीटर चौड़ी हरित पट्टी के समुचित प्राविधान किये गये हैं।

1.7. प्रभाव शुल्क (Impact Fee) :-

नियंत्रक प्राधिकारिणी, विनियमित क्षेत्र, बस्ती अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होंगे। ऐसे

आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन ही विचार किया जायेगा। यदि निम्न भू-उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा प्रभावी शुल्क (Impact Fee) देय होगा, जिसका 90 प्रतिशत अंश विनियमित क्षेत्र के अवस्थापना विकास फण्ड में जमा किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम-1958 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा, जबकि जोनिंग रेगुलेशन के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा।

प्रभाव शुल्क महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश सं0-3712/9-आ-3-2000-26 एल0यू0सी0/91 दिनांक 21.8.2001 एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्था को आधार मानकर वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि "सामान्यतः अनुमन्य" एवं "सशर्त अनुमन्य क्रियाओं" हेतु उक्त शासनादेश में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन नियंत्रक प्राधिकारिणी की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर नियंत्रक प्राधिकारिणी की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-6 में दी गई है।

प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नहीं होगा :-

1. निर्मित क्षेत्र में 'सामान्यतः अनुमन्य' एवं 'सशर्त अनुमन्य' अथवा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु।

2. आवासीय/अर्धनिर्मित भू-उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्धशासकीय अभिकरणों तथा चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं/क्रियाओं हेतु।
3. विभिन्न प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में अस्थायी रूप से अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं/उपयोगों हेतु।
4. राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों यथा-पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति आदि के अधीन जिन क्रियाओं/उपयोगों को शासकीय आदेशों के अनुसार कतिपय भू-उपयोगों जोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा यथा-आवासीय क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स, तीन स्टार तक के होटल तथा पाँच के0वी0ए0 क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयाँ/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क।

1.8. अनुज्ञा की प्रक्रिया :-

- 1.8.1 प्रमुख भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुमन्य/सशर्त अनुमन्य/विशेष अनुमति से अनुमन्य हों) अनुमन्य किये जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन-पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।
- 1.8.2 विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामलों में नियंत्रक प्राधिकारिणी द्वारा स्वयं निर्णय लिया जायेगा।

1.8.3 जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

1.9 अन्य अपेक्षाएँ :-

1.9.1 महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास/निर्माण, उस क्रिया या विशिष्ट उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। जैसे - सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल, उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाएँ ही अनुमन्य होंगी।

1.9.2 महायोजना में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित स्थल जैसे-पार्क, क्रीड़ा-स्थल तथा सड़क आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।

1.9.3 प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सभी भू-उपयोग श्रेणियों (अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य, विशेष अनुमति से अनुमन्य) में उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

1.10 परिभाषाएं :-

1.10.1 इस रेगुलेशन्स हेतु "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उ०प्र० (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम-1958 के अन्तर्गत घोषित विनियमित क्षेत्र नियंत्रक प्राधिकारिणी से है।

1.10.2 'निर्मित क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जो महायोजना में निर्मित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।

2. भू-उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ

2.1 आवासीय :-

- 2.1.1 एकल आवास : वह परिसर, जिसमें स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ (भूखण्डीय आवास) हों।
- 2.1.2 समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग) : वह परिसर जिसमें दो या इससे अधिक मंजिल का भवन होगा एवं प्रत्येक (ग्रुप हाऊसिंग) तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह-स्वामित्व होगा।
- 2.1.3 अनुषांगिक कर्मचारी आवास : वह परिसर जिसमें किसी प्रमुख उपयोग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु उसी उपयोग में आवासीय इकाईयों का प्राविधान एकल अथवा समूह आवास के रूप में किया गया हो।
- 2.1.4 चौकीदार/संतरी आवास : वह परिसर, जिसमें उस उपयोग की सुरक्षा एवं रख-रखाव से सम्बद्ध व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।

2.2 व्यावसायिक :-

- 2.2.1 फुटकर दुकानें : वह परिसर जहाँ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को की जाती हो।
- 2.2.2 शो-रूम : वह परिसर जहाँ वस्तुओं की बिक्री एवं उनका संग्रह, उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था के साथ की जाती है।
- 2.2.3 आटा चक्की परिसर : वह परिसर जहाँ गेहूँ, मसालों इत्यादि सूखे भोजन पदार्थों को पीस कर दैनिक प्रयोग हेतु तैयार किया जाता हो।
- 2.2.4 थोक मण्डी/व्यापार : वह परिसर जहाँ माल और वस्तुएं थोक व्यापारियों को बेची और सुपुर्द की जाती है। परिसर में भण्डारण व गोदाम और माल चढ़ाने एवं उतारने की सुविधाएं भी शामिल हैं।
- 2.2.5 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) : वह परिसर जहाँ आवश्यक तापमान आदि बनाए रखने के लिए यांत्रिक और विद्युत साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में नाशवान वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

- 2.2.6 **होटल** : वह परिसर, जिसका उपयोग ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित अदायगी करने पर किया जाता है।
- 2.2.7 **मोटल** : वह परिसर जो मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हो और जहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए ठहरने सहित खान-पान का प्रबन्ध तथा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
- 2.2.8 **कैन्टीन** : वह परिसर जिसे संस्था के कर्मचारियों के लिए कुकिंग सुविधाओं सहित खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो, इसमें बैठने का स्थान हो सकता है।
- 2.2.9 **भोजनालय, जलपान गृह/रेस्टोरेन्ट** : वह परिसर जिसे कुकिंग सुविधाओं सहित व्यावसायिक आधार पर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान आवृत्त या खुला अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है।
- 2.2.10 **सिनेमा** : वह परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए आवृत्त स्थान सहित चलचित्र के प्रदर्शन सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.2.11 **मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्च्य)** : वह परिसर जिसमें फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम तकनीकी सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं तथा अनुषांगिक व्यावसायिक क्रियाओं की व्यवस्था एक काम्प्लेक्स में हो।
- 2.2.12 **पी0सी0ओ0/सेल्यूलर मोबाइल सर्विस** : वह परिसर जहाँ से स्थानीय, अन्तर्राज्यीय, देश-विदेश, इत्यादि में दूरभाष अथवा सेल्यूलर पर शुल्क अदा करके बातचीत किए जाने की व्यवस्था हो।
- 2.2.13 **पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन** : उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर जिसमें आटो मोबाइल्स की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है।
- 2.2.14 **गैस गोदाम** : वह परिसर जहाँ कुकिंग गैस या गैस सिलिन्डरों का भण्डारण किया जाता हो।

- 2.2.15 **गैस अधिष्ठान** : वह परिसर जहाँ रसोई गैस की केवल बुकिंग की जाती हो।
- 2.2.16 **जंक यार्ड/कबाड़खाना** : वह परिसर जहाँ निष्प्रयोज्य माल, वस्तुओं और सामग्री की बिक्री और खरीद सहित आवृत्त अथवा अर्द्ध आवृत्त अथवा खुला भण्डारण किया जाता हो।
- 2.2.17 **भण्डारण गोदाम, वेयर हाऊसिंग** : वह परिसर जिसे सम्बन्धित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता हो, ऐसे परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन जैसी भी स्थिति हो, द्वारा माल चढ़ाने और उतारने की सुविधाएं शामिल हैं।

2.3. औद्योगिक :-

- 2.3.1 **खनन सम्बन्धी उद्योग** : वह परिसर जिसमें पत्थर एवं अन्य भूमिगत सामग्रियों को खोद कर निकालने एवं प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता हो।
- 2.3.2 **साफ्टवेयर/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क** : वह परिसर जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग होने वाले कम्प्यूटर साफ्टवेयर इस क्षेत्र के अद्यतन प्रौद्योगिकी के अन्य साफ्टवेयर इत्यादि का निर्माण किया जाता हो।
- 2.3.3 **तेल डिपो** : वह परिसर जहाँ सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पेट्रोलियम उत्पादन का भण्डारण किया जाता हो।

2.4. कार्यालय :-

- 2.4.1 **राजकीय कार्यालय** : वह परिसर जिसका उपयोग केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
- 2.4.2 **स्थानीय निकाय कार्यालय** : वह परिसर जिसका उपयोग स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
- 2.4.3 **अर्द्ध राजकीय कार्यालय** : वह परिसर जिसका उपयोग किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अभिकरण, निकाय, परिषद आदि के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
- 2.4.4 **निजी कार्यालय** : वह परिसर जिसमें किसी एक या छोटे ग्रुप द्वारा व्यावसायिक कार्यों हेतु कन्सल्टेन्सी/सर्विसिंग प्रदान की जाती हो, जैसे- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट,

अधिवक्ता, चिकित्सक, वास्तुविद, डिजाइनर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, टूर एवं ट्रेवेल एजेण्ट इत्यादि।

2.4.5 **बैंक** : वह परिसर जिसमें बैंकों के कार्य और प्रचालन को पूरा करने के लिए व्यवस्था हो।

2.4.6 **वाणिज्यिक/व्यावसायिक कार्यालय** : वह परिसर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाता हो।

2.4.7 **श्रमिक कल्याण केन्द्र** : वह परिसर जहाँ श्रमिकों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

2.4.8 **अनुसंधान एवं विकास केन्द्र/शोध केन्द्र** : वह परिसर जहाँ सामान्य जनता एवं श्रेणी विशेष के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

2.4.9 **मौसम अनुसंधान केन्द्र** : वह परिसर जहाँ मौसम और उससे सम्बन्धित आँकड़ों के अध्ययन अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

2.4.10 **माईक्रोवेव तथा वायरलेस केन्द्र** : वह परिसर जिसका प्रयोग संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जिसमें टावर भी सम्मिलित हैं।

2.5. **सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं/सेवाएं :-**

2.5.1 **अतिथि गृह/निरीक्षण गृह** : वह परिसर जहाँ सरकारी अर्द्धसरकारी उपक्रम, कम्पनी के स्टाफ तथा अन्य व्यक्तियों को लघु अवधि के लिए ठहराया जाता है।

2.5.2 **धर्मशाला** : वह परिसर जिसमें लाभ रहित आधार पर लघु अवधि के अस्थायी आवास की व्यवस्था होती है।

2.5.3 **बोर्डिंग/लॉजिंग हाऊस** : वह परिसर जिसके कमरे आवासीय सुविधा हेतु दीर्घावधि हेतु किराये पर दिये जाते हैं।

2.5.4 **अनाथालय** : वह परिसर जहाँ अनाथ बच्चों के रहने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें शैक्षिक सुविधाओं की भी व्यवस्था हो सकती है।

2.5.5 **रैन बसेरा** : वह परिसर, जिसमें बिना शुल्क या नाम मात्र के शुल्क से रात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है।

2.5.6 **सुधारालय** : वह परिसर, जहाँ अपराधियों को रखने और उनका सुधार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

- 2.5.7 **हैण्डिकैप्ड चिल्ड्रेन हाऊस** : वह परिसर जहाँ अपाहिज तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के सुधार तथा चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसका प्रबन्ध व्यावसायिक अथवा गैर-व्यावसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
- 2.5.8 **शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र (Care Centre)** : वह परिसर जहाँ दिन के समय शिशुओं के लिए नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो। केन्द्र का प्रबन्ध व्यावसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है।
- 2.5.9 **वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र (Old Age Home Centre)** : वह परिसर जहाँ पर सामान्यतः वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों के लिए लघु अथवा दीर्घकालिक रहने की व्यावसायिक अथवा गैर-व्यावसायिक व्यवस्था हो। इसमें वृद्धों के मनोरंजन, सामान्य स्वास्थ्य, खान-पान इत्यादि की भी व्यवस्था हो सकती है, जिसका प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
- 2.5.10 **उच्च माध्यमिक/इण्टर कॉलेज** : वह परिसर जहाँ 10वीं/12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.11 **महाविद्यालय** : वह परिसर जहाँ किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.12 **पॉलीटेक्निक** : वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर तक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं संस्थान शामिल होंगे।
- 2.5.13 **मेडिकल/डेण्टल कॉलेज** : वह परिसर जहाँ मानव विज्ञान के अन्तर्गत रोगों के उपचार हेतु शिक्षण, डेण्टल, ऑपरेशन इत्यादि तथा उपचार एवं शोध कार्य किया जाता हो।
- 2.5.14 **उच्च तकनीकी संस्थान** : वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर तक की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।

- 2.5.15 **कूटीर उद्योग प्रशिक्षण** : वह परिसर जहाँ घरेलू लघु सेवा उद्योग जैसे—सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, कम्प्यूटर, टूर एवं ट्रेवेल्स इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता हो।
- 2.5.16 **प्रबन्धन संस्थान** : वह परिसर जहाँ प्रबन्धन क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.17 **सामान्य शैक्षिक संस्थान** : वह परिसर जहाँ गैर—तकनीकी शिक्षा दी जाती हो।
- 2.5.18 **डाकघर** : वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक प्रेषण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.19 **डाक एवं तार घर** : वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक एवं दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.20 **टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र** : वह परिसर जहाँ सम्बन्धित क्षेत्र के लिए टेलीफोन पद्धति के केन्द्रीय प्रचलन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.21 **रेडियो व टेलीविजन केन्द्र** : वह परिसर जहाँ सम्बन्धित माध्यम द्वारा समाचार व अन्य कार्यक्रम रिकार्ड करने तथा प्रसारित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.22 **कारागार** : वह परिसर जहाँ विधि के अन्तर्गत अपराधियों को नजरबन्द करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.23 **पुलिस स्टेशन** : वह परिसर जहाँ स्थानीय पुलिस कार्यालय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.24 **नर्सिंग होम** : वह परिसर जहाँ 30 शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबन्धन व्यावसायिक आधार पर किया जाता हो।
- 2.5.25 **अस्पताल** : वह परिसर जहाँ अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के चिकित्सा के लिए सामान्य या विशेषीकृत प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.26 **क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक** : वह परिसर जहाँ बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किसी डॉक्टर/डॉक्टरों के समूह द्वारा की जाती हो।

- 2.5.27 **स्वास्थ्य केन्द्र / परिवार कल्याण केन्द्र / हेल्थ सेन्टर** : वह परिसर जहाँ 30 शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध गैर-व्यावसायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र शामिल है।
- 2.5.28 **डिस्पेन्सरी** : वह परिसर जहाँ चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और दवाईयों की व्यवस्था हो और जिसका प्रबन्ध सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता हो।
- 2.5.29 **नैदानिक (पैथोलॉजिकल) प्रयोगशाला** : वह परिसर जहाँ बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जाँच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.30 **सभा भवन, सामुदायिक भवन** : वह परिसर जहाँ सभा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए व्यवस्था हो।
- 2.5.31 **योग, मनन, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केन्द्र / सत्संग भवन** : वह परिसर जहाँ स्वयं सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.32 **धार्मिक भवन** : वह परिसर जिसका उपयोग उपासना तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता हो।
- 2.5.33 **सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान / भवन** : वह परिसर जहाँ मुख्य रूप से गैर-व्यावसायिक आधार पर जनता या स्वैच्छिक रूप से किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.34 **सांस्कृतिक केन्द्र** : वह परिसर जहाँ किसी संस्था, राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक सेवाओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.35 **बारातघर / बैंक्वेट हाल** : वह परिसर जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता है।

- 2.5.36 **ऑडिटोरियम** : वह परिसर जहाँ संगीत सभा, नाटक, संगीत प्रस्तुतीकरण, समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।
- 2.5.37 **खुली नाट्यशाला** : वह परिसर जहाँ खुले में दर्शकों के बैठने एवं प्रदर्शन के लिए मंच की सुविधाओं आदि की व्यवस्था हो।
- 2.5.38 **थियेटर/नाट्यशाला** : वह परिसर जहाँ दर्शकों के बैठने एवं प्रदर्शन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.39 **म्यूजियम/अजायबघर** : वह परिसर जहाँ पुरावशेषों, प्राकृतिक इतिहास कला आदि के उदाहरण देने के लिए वस्तुओं का संग्रह एवं प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.40 **आर्ट गैलरी/प्रदर्शनी केन्द्र** : वह परिसर जहाँ चित्रकारी, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, भित्ति चित्रों, हस्त शिल्प या किसी विशेष वर्ग के उत्पादों की प्रदर्शनी और सजावट के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.41 **संगीत/नृत्य नाट्य प्रशिक्षण/कला केन्द्र** : वह परिसर जहाँ संगीत, नृत्य तथा नाट्य कला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो।
- 2.5.42 **पुस्तकालय/लाइब्रेरी** : वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए पढ़ने और सन्दर्भ के लिए पुस्तकों के संग्रहण की व्यवस्था हो।
- 2.5.43 **वाचनालय** : वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।
- 2.5.44 **सूचना केन्द्र** : वह परिसर जहाँ राज्य तथा देश की विभिन्न गतिविधियों की सूचनाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.45 **अग्नि शमन केन्द्र** : वह परिसर जहाँ उससे सम्बद्ध क्षेत्र के लिए आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.46 **समाज कल्याण केन्द्र** : वह परिसर जहाँ समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा वह सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता हो।

- 2.5.47 **विद्युत शवदाह गृह** : वह परिसर जहाँ शवों को विद्युत दाहक द्वारा जलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.48 **श्मशान** : वह परिसर जहाँ शवों को जलाकर अन्तिम धार्मिक कृत्य को पूरा करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.49 **कब्रिस्तान** : वह परिसर जहाँ शवों को दफनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.50 **मेला स्थल** : वह परिसर जहाँ सहभागियों के समूह के लिए प्रदर्शनी और सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.5.51 **धोबी घाट** : वह परिसर जहाँ जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने और सुखाने हेतु किया जाता हो।
- 2.6 **सार्वजनिक उपयोगिताएँ** :
- 2.6.1 **डम्पिंग ग्राउण्ड** : वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा (सॉलिड वेस्ट) इकट्ठा करके अन्तिम उपचार होने तक जमा किया जाता हो।
- 2.6.2 **सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट** : वह परिसर जहाँ ठोस एवं तरल अवशिष्टों को तकनीकी रासायनिक क्रिया द्वारा हानि रहित बनाया जाता हो।
- 2.6.3 **सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन/प्रतिष्ठान** : वह परिसर जहाँ सार्वजनिक उपयोग के लिए जल भण्डारण तथा उसकी आपूर्ति हेतु ओवर हेड/भूमिगत टैंक, पम्प हाउस आदि सीवरेज से सम्बन्धित ऑक्सीकरण तालाब, सेप्टिक टैंक, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन आदि हो। इसमें सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय व कूड़ादान भी शामिल है।
- 2.6.4 **कम्पोस्ट प्लान** : वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस कूड़े एवं अवशिष्ट पदार्थों को मैकेनिकल क्रिया द्वारा उपचार के उपरान्त उर्वरक में परिवर्तित किया जाता हो।
- 2.6.5 **विद्युत केन्द्र/सब स्टेशन** : वह परिसर जहाँ बिजली के वितरण के लिए विद्युत संस्थापन आदि लगे हों।

- 2.7 यातायात एवं परिवहन :**
- 2.7.1 पार्किंग स्थल :** वह परिसर जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
- 2.7.2 बस स्टैण्ड :** वह परिसर जिसका उपयोग जनसुविधा एवं सेवा के लिए लघु अवधि हेतु बसें खड़ी करने के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी अथवा किसी संस्था द्वारा किया जाता हो।
- 2.7.3 मोटर गैराज/सर्विस गैराज तथा वर्कशाप :** वह परिसर जिसमें आटोमोबाइल्स की सर्विसिंग और मरम्मत की जाती हो।
- 2.7.4 टैक्सी/टैम्पो/रिक्शा स्टैण्ड :** वह परिसर जिसका उपयोग व्यावसायिक गैर-व्यावसायिक आधार पर चलने वाली मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
- 2.7.5 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र :** वह परिसर जहाँ आटोमोबाइल्स ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.7.6 ट्रान्सपोर्ट नगर :** वह परिसर जिसका उपयोग ट्रकों के लिए लघु अथवा दीर्घावधि हेतु खड़ी करने के लिए किया जाता हो। इसमें ट्रक एजेन्सी के कार्यालय, गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग, ढाबे, स्पेयर पार्ट्स शाप तथा गोदाम, पेट्रोल पम्प आदि भी हो सकते हैं।
- 2.7.7 धर्मकाँटा :** वह परिसर जहाँ भरे हुए अथवा खाली ट्रकों का वजन किया जाता हो।
- 2.7.8 बस डिपो :** वह परिसर जिसका उपयोग बसों की पार्किंग, रख-रखाव और मरम्मत के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी या इसी प्रकार की किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता हो, इसमें वर्कशाप भी हो सकता है।
- 2.8 पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टी एवं क्रीड़ा स्थल :**
- 2.8.1 पार्क :** वह परिसर जिसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए लान, खुला स्थान, हरियाली आदि समानार्थी व्यवस्थाएँ हों। इसमें भू-दृश्य, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, फेन्सिंग आदि सम्बन्धित आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है।

- 2.8.2 **क्लब** : सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित वह परिसर जिसका उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों के समूह द्वारा किया जाता हो।
- 2.8.3 **क्रीड़ा स्थल/खेल का मैदान** : आउट डोर खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला वह परिसर जिसमें पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय आदि की व्यवस्था हो।
- 2.8.4 **मनोरंजन पार्क (Amusement Park)** : वह परिसर जहाँ मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के पार्क तथा मनोरंजन से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं के लिए पार्क या मैदान हो।
- 2.8.5 **स्टेडियम** : वह परिसर जिसमें खिलाड़ियों के लिए सम्बन्धित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने के स्थान के लिए मण्डप भवन और स्टेडियम की व्यवस्था हो।
- 2.8.6 **ट्रैफिक पार्क** : पार्क के रूप में वह परिसर जहाँ यातायात और संकेतन के सम्बन्ध में बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
- 2.8.7 **स्वीमिंग पूल (तरण ताल)** : वह परिसर जिसमें तैरने, दर्शकों के बैठने तथा अनुषांगिक सुविधाओं जैसे ड्रेसिंग रूम, शौचालय आदि की व्यवस्था हो।
- 2.8.8 **पिकनिक स्थल/शिविर स्थल** : पर्यटक और मनोरंजनात्मक केन्द्र के अन्दर स्थित परिसर जिसका उपयोग मनोरंजनात्मक या अवकाश के उद्देश्य के लिए थोड़ी अवधि तक ठहरने के लिए किया जाता हो।
- 2.8.9 **फ्लाइंग क्लब** : वह परिसर जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे वायुयानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन-राइडिंग के लिए किया जाता हो।
- 2.8.10 **शूटिंग रेन्ज** : वह परिसर जो विभिन्न प्रकार की पिस्टल्स/बन्दूकों को चलाने, निशाना साधने इत्यादि के प्रशिक्षण/प्रेक्टिस के प्रयोग में लाया जाता हो।
- 2.9 **कृषि** :
- 2.9.1 **नर्सरी/पौधशाला** : वह परिसर जहाँ छोटे पौधों को उगाने और बिक्री के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

- 2.9.2 **दुग्धशाला/डेयरी फार्म** : वह परिसर जहाँ डेयरी उत्पाद बनाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पशुओं के शेड्स के लिए अस्थाई ढाँचा हो सकता है।
- 2.9.3 **कुक्कुटशाला (पोल्ट्री फार्म)** : वह परिसर जहाँ मुर्गी, बत्तख आदि पक्षियों के अंडे, मांस आदि उत्पादों के व्यवसाय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पक्षियों के शेड्स हो सकते हैं।
- 2.9.4 **फार्म हाउस** : वह परिसर जहाँ फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर आवासीय भवन हो।
- 2.9.5 **उद्यान** : वह परिसर जिसमें फूलों/फलों के प्रयोजनार्थ पेड़ पौधे लगाने हेतु उपयोग किया जाता हो।
- 2.9.6 **दुग्ध संग्रह केन्द्र** : वह परिसर जहाँ सम्बद्ध क्षेत्र से किसी डेयरी हेतु दूध का संग्रहण किया जाता हो।
- 2.9.7 **कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग** : वह परिसर जहाँ कृषि में प्रयोग होने वाले मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, हार्वेस्टर इत्यादि की सर्विसिंग की जाती हो।
- 2.10 **अन्य परिसर** :
- 2.10.1 **वन** : वह परिसर जिसमें प्राकृतिक अथवा मनुष्यों द्वारा लगाये गये पेड़-पौधे हों, इसमें नगर वन भी शामिल होंगे।
- 2.10.2 **स्मारक** : दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं सहित वह परिसर जहाँ भूतकाल सम्बन्धित संरचनाएँ या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुआ हो।
- 2.10.3 **चिड़ियाघर/जल जीवशाला** : वह परिसर जिसका उपयोग सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिए जानवरों, जीव-जन्तुओं और पक्षियों के समूह सहित उद्यान/पार्क/जल जीवशाला के रूप में किया जाता हो।
- 2.10.4 **पक्षी शरण स्थल** : सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पक्षियों के परिरक्षण और पालन-पोषण के लिए विस्तृत पार्क या वन के रूप में परिसर।

3. प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 के अन्तर्गत प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु कोड संख्या अंकित की गई है। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसार निर्धारित अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार हैं :-

कोड अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

सं०

1. भूतल पर चौकीदार / संतरी आवास।
2. भूतल छोड़कर ऊपरी तलों पर आवास।
3. योजना के कुल क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत तक।
4. योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 0.4 हेक्टेयर अथवा कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो।
5. भूतल को छोड़कर अनुवर्ती तलों के तल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा भू-विन्यास मानचित्र का 10 प्रतिशत केवल सम्बन्धित कर्मचारियों हेतु।
6. न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर।
7. न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर।
8. न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर।
9. न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैय्याओं तक।
10. न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 50 शैय्याओं तक।
11. केवल महायोजना में चिन्हित थोक वाणिज्यिक केन्द्र / स्थलों के अन्तर्गत।
12. केवल दुर्बल / अल्प आय वर्ग की योजनाओं में (अनुलग्नक-2) के अनुसार।
13. ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण।
14. केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर।
15. 5 हार्स पावर तक (अनुलग्नक-2 के अनुसार)

16. राईट-ऑफ-वे के बाहर।
 17. न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हार्स पावर तक।
 18. ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत।
 19. अनुमन्य एफ0ए0आर0 का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्ग मीटर दोनों में जो भी कम हो।
 20. केवल अनुषांगिक उपयोग हेतु।
 21. केवल खुले रूप में एवं अस्थायी।
 22. केवल संक्रामक रोगों से सम्बन्धित।
 23. न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर, केवल तीन स्टार तक।
 24. न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर।
 25. 10 हार्स पावर तक (अनुलग्नक-3 के अनुसार)।
- निर्मित क्षेत्रों में व्यावसायिक क्रियाओं/उपयोगों की अनुमति आस-पास के विद्यमान प्रधान भू-उपयोग के दृष्टिगत प्रदान की जायेगी।

4. विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएँ

प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न परिस्थितियों तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी जायेगी :-

1. विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामलों में गुण-अवगुण के आधार पर निम्न व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायेंगी :-
 - क. प्रमुख भू-उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा-जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
 - ख. प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल-बगल के भू-खण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो।
 - ग. प्रस्तावित क्रिया के कारण प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुँआ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।
 - घ. प्रस्तावित क्रिया यथा सम्भव मुख्य भू-उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर, मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।
 - ड. प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन का अधिकतम एफ0ए0आर0 एवं ऊँचाई प्रमुख भू-उपयोग के प्राविधानों के अन्तर्गत है।

विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर स्वयं निर्णय लिया जायेगा।

2. किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में विशेष अनुमति से किसी क्रिया को अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/सेट बैक इत्यादि में दर्शायी गई भूमि भविष्य में मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग इत्यादि हेतु आवश्यकता पड़ने पर आवेदक द्वारा नियंत्रक प्राधिकारिणी को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।
3. जोनिंग रेगुलेशन्स में दर्शायी गयी क्रियाओं के अतिरिक्त प्रमुख भू-उपयोग के अनुषांगिक अन्य क्रियाएँ जिनका उल्लेख नहीं है, भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण-अवगुण के आधार पर अनुमन्य की जा सकेगी।

टिप्पणी :

1. विशेष अनुमति से किसी उपयोग/क्रिया की अनुमन्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी बाध्य नहीं होंगे तथा आवेदक अधिकार के रूप में इसकी माँग नहीं कर सकेगा।

क्रियाएं / उपयोग (Activities & Uses)	RB-1	R	RB	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7	M-1	M-2	M-3	G-1	G-2	C/F	F-2	BT	TT/TN	P-1	P-2	AG	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																							
2.16 सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8						
2.17 अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, मेला स्थल, समा स्थल	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8						
2.18 सैल्युजर, मोबाइल सर्किट																							
2.19 पैदल/डीजल फिलिंग स्टेशन			7	7							7			8		7	8						
2.20 गैस गोचर/ज्वलनशील वायुवाहन एवं आपात वास्तुओं के भण्डारण																							
2.21 भण्डारण गोदाम वेयर हाउस संग्रहण केन्द्र, जलक्याई, कबाड़खाना						13	13				13												
3 औद्योगिक																							
3.1 सेवा / कुटीर उद्योग	15	12																					
3.2 सूचना प्रौद्योगिकी / सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	17	17		17		17	17	17						17									
3.3 लघु उद्योग																							
3.4 प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज																							
3.5 वृहद उद्योग, युगर मिल, गडस सेलर, पब्लिक मिल																							
3.6 संकटपूर्ण/खतरनाक/भयपूर्ण कारक उद्योग																							
3.7 खनन ईट/ब्लू का भट्टा, क्वेयर																							
3.8 तेलखिपे/एलपीजी/सीफिलिंग प्लांट																							
3.9 पावरस्टेशन प्लांट / दुग्ध संग्रहण केन्द्र																							
3.10 विद्युत उत्पादन संयंत्र																							
4 कार्यालय																							
4.1 राजकीय अर्द्ध-राजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय इत्यादि	6										20	20				20	20	20	20				
4.2 निजी कार्यालय, एजेंट कार्यालय इत्यादि	19																						
4.3 बैंक	6																						
4.4 वाणिज्यिक/व्यापारिक कार्यालय	6																						
4.5 श्रमिक कल्याण केन्द्र																							
4.6 पीपीएफसी/पुलिस लाइन्स																							
4.7 गैरम अनुसंधान केन्द्र																							
5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं																							
5.1 अतिथि गृह/निरीक्षण गृह			6																				
5.2 धर्मशाला, रैन-बस, लॉजिंग/बोडिंग हाउस	6	6	6	8																			
5.3 छात्रवास	6	6	6																				
5.4 अनाथालय, सुधारालय																							
5.5 कारागार																							

क्रियाएं / उपयोग (Activities & Uses)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	RB-1	R	RB	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7	M-1	M-2	M-3	G-1	G-2	C/F	F-2	BT	T/TIN	P-1	P-2	AG	
5.6 हेल्थकेड विज्ञान हाउस	6	6	6																				
5.7 शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केंद्र																	19						
5.8 बुद्धावस्था देखभाल केंद्र																							
5.9 प्राथमिक शैक्षिक संस्थान																							
5.10 उच्च माध्यमिक / इण्टर / महाविद्यालय																							
5.11 विश्वविद्यालय																							
5.12 पॉलिटेक्निक / इंजीनियरिंग / मेडिकल / इण्टेल कालेज																							
5.13 प्रबंध संस्थान / विशिष्ट शैक्षिक संस्थान																							
5.14 डाकघर, तारघर																							
5.15 पुलिस स्टेशन / चौकी / अग्निशमन केंद्र																							
5.16 पुस्तकालय / वाचनालय																							
5.17 स्वास्थ्य केंद्र, परिवार कल्याण केंद्र, डिस्पेंसरी																							
5.18 अस्पताल	9	6																					
5.19 नर्सिंग होम	10	9	10								10	10		10									22
5.20 नैदानिक प्रयोगशाला																							
5.21 हेल्थ क्लब / जिमनाजियम																							
5.22 विद्युत शवदाह गृह / भ्रूणान / काकिस्तान																							
5.23 संगीत / नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केंद्र, कला केंद्र																							
5.24 सिलार्ड, बुनाई, कलाई, भूटिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि	6	6	6																				
5.25 ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर		19																					
5.26 योग मनन आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केंद्र / सत्संग भवन		7																					
5.27 धार्मिक भवन	6	7																					
5.28 सामुदायिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र	6	6	6																				
5.29 बालतार, बैकसेट हॉल																							
5.30 कान्फेस / भीटिंग हॉल	6																						
5.31 अजायबघर																							
5.32 आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केंद्र	21																						
5.33 टेलीफोन, रेडियो व टेलीविजन कार्यालय / केंद्र																							
5.34 अनुसंधान एवं विकास केंद्र, शोध केंद्र																							
5.35 समाज कल्याण केंद्र																							
5.36 पशुचिकित्सालय																							

क्रियाएं / उपयोग (Activities & Uses)		RB-1	R	RB	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7	M-1	M-2	M-3	G-1	G-2	C/F	F-2	BT	T/T/N	P-1	P-2	AG
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6 उपयोगिताएं एवं सेवाएं																							
6.1	सीक्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, कूड़ा डंपिंग ग्राउण्ड इत्यादि											14	14										
6.2	ट्यूब-वेल, ओवर हेड रिजर्वायर, विद्युत केंद्र/ सब-स्टेशन																						
6.3	वाटर वर्क्स																						
6.4	माइक्रोवेव केंद्र																						
6.5	कम्प्यूटर प्लांट																						
6.6	पशुपधशाला																						
6.7	सेल्युलर / मोबाइलटॉवर																						14
7 यातायात एवं परिवहन																							
7.1	पार्किंग स्थल																						
7.2	टैक्सी, रिक्शा, टैम्पो आदि के स्टैंड																						
7.3	ट्रान्सपोर्टनगर, बस डिपो																						
7.4	बस स्टैंड		7	7			7	7	7	7	7	7											
7.5	बस टर्मिनल						24	24	24	24	24												
7.6	मोटर गैराज सर्विस गैराज तथा वर्कशॉप																						
7.7	मोटर संचालन प्रशिक्षण केंद्र																						
7.8	लॉडिंग-अनलोडिंग सम्बंधी सुविधाएं		7																				
7.9	रेलवे गोदाम, रेलवे यार्ड/साइडिंग/टर्मिनल																						
7.10	धर्मकाटा		7																				
7.11	एयर पोर्ट											7											
8 पार्क, क्रीड़ा/खुले स्थल																							
8.1	पार्क क्रीडास्थल /खेल का मैदान																						
8.2	बहुउपदेशीय खुले स्थल		7	7																			
8.3	गोल्फ/रसकोर्स																						
8.4	स्टेडियम/खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र																						
8.5	कारणों पार्क, पिकनिक स्थल, शिबिर स्थल																						
8.6	ट्रैफिक पार्क																						
8.7	मनोरंजन पार्क		6																			21	
8.8	क्लब, रिविंगेन पूल		6	6																		21	

क्रियाएँ / उपयोग (Activities & Uses)	RB-1	R	RB	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7	M-1	M-2	M-3	G-1	G-2	CF	F-2	BT	TT/TN	P-1	P-2	AG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
8.9 विडियार, जाल-जीवशाला, नय जीव/पक्षीरक्षण स्थल																							
8.10 फ्लाइंग क्लब/हैलीपैड																							
8.11 शूटिंग रेंज																							
8.12 वाटर सपोर्ट्स / नौका विहार																							
9 कृषि																							
9.1 बागवानी, पौधशाला, पत्र, उद्यान, सैटिनिकल गार्डन																							
9.2 फार्म हाउस																							
9.3 वसगाह, दुग्धशाला (डेयरी फार्म) कौटिल कालोनी																							
9.4 घोसी घाट																							
9.5 सुअर/मत्स्य/कुक्कुट/समुमकबी पालन, पशु संरक्षण केंद्र																							
9.6 कृषि उपकरणों की मरम्मत/सविसिग कर्शॉप																							
10 प्लोटींग उपयोग																							
10.1 सर्वजनिक सुविधाएँ एवं उपयोगिताएँ																							
10.2 शोक व्यक्त्याविक																							
10.3 यातायात एवं परिवहन																							
10.4 सेवा / कुटीर उद्योग																							
10.5 विशेष उद्योग (संकटपूर्णा/खतरनाक/प्रदूषण कारक)																							

टिप्पणी -

- कारागार (G-3), शिक्षा (S.C.D.C. एवं T), चिकित्सा (H), पुलिस मुख्यालय (P.S.), अग्निशामन केंद्र (F), डाक तार एवं दूरसंचार केंद्र (P.T.), विद्युत केंद्र (U-1), जलकल (U-2), सीवेज फार्म/शोधन केंद्र (U-3), डम्पिंग ग्राउण्ड (U-4) एवं स्मशान एवं कब्रिस्तान भू-उपयोग के अन्तर्गत कयेवल तत्सम्बन्धी आनुषंगिक (समरूप), क्रिया-कलाप ही अनुमत्य होंगे।
- हरित पट्टी/ग्रीन बफर (P-3), भू-उपयोग शुद्ध रूप से खुला क्षेत्र (Open Space) रहेगा तथा इसमें किसी भी प्रकार के स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण अनुमत्य नहीं होंगे।
- क्रियाएँ/उपयोग के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 8.10 फ्लाइंग क्लब/हैलीपैड की अनुमति शासकीय पत्र संख्या-5235/8-3-2008, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल ऐसे भू-उपयोगों में दी जायेगी, जहाँ केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों में निर्धारित अपेक्षाएँ पूर्ण होती हैं। (परिशिष्ट-6)

6. भू-उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क (Impact Fee) का निर्धारण

प्रभाव शुल्क में छूट		संकेत											
गैर व्यावसायिक एवं रेस्टोरिबल क्रियाएं/उपयोग	1	प्रभाव शुल्क लागू नहीं											
सेवा एवं कुटीर उद्योग	2	प्रभाव शुल्क देय नहीं											
सम्बंधित उद्योग के प्रयोजनार्थ समूह आवास	3	प्रभाव शुल्क देय											
भू-उपयोग जोन्स													
क्रियाएं/उपयोग श्रेणी (निम्न से उच्च क्रम में)	निर्मित क्षेत्र	विकासशील/अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च क्रम में)											
		कृषि, हरित पट्टी, पार्क, क्रीडास्थल	1	2	3								
1 कृषि, पार्क, क्रीडा स्थल		सर्वजनिक सुविधाएं	2	यातायात एवं परिवहन	3	औद्योगिक	4	आवासीय	5	कार्यालय	6	व्यावसायिक	7
2 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं		यातायात एवं परिवहन	3	औद्योगिक	4	आवासीय	5	कार्यालय	6	व्यावसायिक	7		
3 यातायात एवं परिवहन		सर्वजनिक सुविधाएं	2	औद्योगिक	4	आवासीय	5	कार्यालय	6	व्यावसायिक	7		
4 औद्योगिक		यातायात एवं परिवहन	3	औद्योगिक	4	आवासीय	5	कार्यालय	6	व्यावसायिक	7		
5 आवासीय		सर्वजनिक सुविधाएं	2	औद्योगिक	4	आवासीय	5	कार्यालय	6	व्यावसायिक	7		
6 कार्यालय		यातायात एवं परिवहन	3	औद्योगिक	4	आवासीय	5	कार्यालय	6	व्यावसायिक	7		
7 व्यावसायिक		सर्वजनिक सुविधाएं	2	औद्योगिक	4	आवासीय	5	कार्यालय	6	व्यावसायिक	7		

टिप्पणी :-

- विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु निर्धारित 'प्रभाव शुल्क गुणांक' की वैल्यू उन प्रकोष्ठों में दी गयी है जहाँ प्रभाव शुल्क देय है।
- सामान्यतया अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु 50 प्रतिशत देय होगा तथा प्रभाव शुल्क का आंकलन सम्बंधित भू-उपयोग जोन हेतु निर्धारित प्रभाव शुल्क गुणांक की वैल्यू के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार किया जायेगा :
 2.1 सामान्यतया अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु :- भूखण्ड का क्षेत्रफल * सर्किल रेट * 'प्रभाव शुल्क गुणांक' * 0.25
 2.2 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु :- भूखण्ड का क्षेत्रफल * सर्किल रेट * 'प्रभाव शुल्क गुणांक' * 0.50
- प्रभाव शुल्क का आंकलन विनियमित क्षेत्र / आवास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, विनियमित क्षेत्र/आवास परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा। किसी विद्यमान भू-उपयोग हेतु सर्किल रेट उपलब्ध/निर्धारित न होने की दशा में उसका निर्धारण शासन द्वारा जारी संगत नीति के अधीन किया जायेगा।

प्रभाव शुल्क के आगणन हेतु उदाहरण

उदाहरण-1	उदाहरण-2
आवासीय क्षेत्र में प्राथमिक शैक्षणिक संस्थान की अनुज्ञा हेतु : भूखण्ड का क्षेत्रफल = 350 वर्गमीटर विनियमित क्षेत्र की वर्तमान आवासीय दर = ₹ 2000 प्रति वर्गमीटर देय प्रभाव शुल्क = भूखण्ड का क्षेत्रफल * सर्किल रेट * 'प्रभाव शुल्क गुणांक' * 0.25 अर्थात् 350 * 2000 * 0.25 * 0.25 = ₹ 43,750	कृषि भू-उपयोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पम्प की अनुज्ञा हेतु : भूखण्ड का क्षेत्रफल = 500 वर्गमीटर कृषि भूमि का सर्किल रेट = ₹ 200 प्रति वर्गमीटर देय प्रभाव शुल्क = 500 * 200 * 1.50 * 0.50 = ₹ 75000

दैनिक उपयोग की दुकानों की सूची

1. जनरल प्राविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएँ यथा—दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीड़ी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर/क्लिनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटोस्टेट, फैंक्स आदि
10. किताबें/मैगजीन/अखबार आदि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी0सी0ओ0
13. रेडीमेड गारमेण्ट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग
18. घड़ी मरम्मत
19. कढ़ाई—बुनाई एवं पेन्टिंग
20. केबल टी0वी0 संचालन, वीडियो पार्लर
21. प्लम्बर शाप
22. विद्युत उपकरण
23. हार्डवेयर
24. टायर पंचर की दुकानें
25. कपड़े इस्तरी करना
26. समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें

निर्मित/अर्द्ध निर्मित/आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची

1. लाण्डी, ड्राई क्लीनिंग
2. टी0वी0, रेडियो आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
4. मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर, साइकिल आदि की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइण्डिंग
6. सोना तथा चाँदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते का फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन, चश्मे की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग





व्यावसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषण मुक्त लघु उद्योगों की सूची
(10 हार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरघा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चाँदी/तार एवं जरी का कार्य
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद्य यंत्र तैयार करना
13. खेल का सामान
14. बाँस एवं बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र
18. स्टील एवं लकड़ी के साज-सज्जा के सामान
19. घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना
20. रेडियो, टी0वी0 बनाना
21. पेन, घड़ी, चश्में की मरम्मत

22. सर्जिकल पट्टियाँ
23. सूत कटाई व बुनाई
24. रस्सियाँ बनाना
25. दरियाँ बनाना
26. कूलर तैयार करना
27. साइकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग
28. वाहनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत
29. इलेक्ट्रानिक्स उपकरण तैयार करना
30. खिलौने बनाना
31. मोमबत्ती बनाना
32. आरा मशीन के अतिरिक्त बढ़ई का कार्य
33. तेल निकालने का कार्य (शोधन को छोड़कर)
34. आइसक्रीम बनाना
35. मिनरल वाटर
36. जाबिंग एवं मशीनिंग
37. लोहे के संदूक तथा सूटकेस
38. पेपर पिन तथा यू-क्लिप
39. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना
40. चश्मे के फ्रेम
41. समरूप प्रदूषण रहित उद्योग


प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं / उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के उपयोग की विधि

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities)/ उपयोगों की अनुमन्यता जोनिंग रेगुलेशन्स के माध्यम से निर्धारित की जाती है। यदि आवेदक द्वारा किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत क्रिया विशेष की निर्माण अनुज्ञा से सम्बन्धित मानचित्र नियत प्राधिकारी कार्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर ही यह तय किया जा सकेगा कि प्रश्नगत निर्माण उस भू-उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं। महायोजना के प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित विवरण जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 में मैट्रिक्स (Matrix) के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें क्षैतिज रेखा (X-axis) पर कालम-2 से 23 में महायोजना के प्रमुख भू-उपयोग जोन्स दर्शाये गये हैं, जबकि इन जोन्स के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियाएँ/उपयोग ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-axis) पर दर्शाये गये हैं। किसी प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी क्रिया/उपयोग की अनुमन्यता ज्ञात करने के लिए क्षैतिज (Y-axis) पर दर्शाये गये भू-उपयोग जोन्स के कालम में दिये गये संकेत के आधार पर अनुमन्यता ज्ञात की जा सकती है। ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) जो विभिन्न रंगों (Colour) एवं संकेतों से दर्शाया गया है, में निम्न चार संकेतों का प्रयोग किया गया है :-


1.		अनुमन्य उपयोग : जो सामान्यतः अनुमन्य है।
2.		सशर्त अनुमन्य उपयोग : जो जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-3 में कोड संख्या-1 से 25 तक निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य है।
3.		विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग : जो जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-4 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य है। "सक्षम प्राधिकारी" की परिभाषा जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-1 में क्रमांक 1.10 पर दी गयी है।
4.		निषिद्ध उपयोग : जो अनुमन्य नहीं है।

उपर्युक्त चारों संकेतों के आधार पर महायोजना के प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित उदाहरण निम्न प्रकार है :-

उदाहरण - 1. कोई व्यक्ति यह ज्ञात करना चाहता है कि "धार्मिक भवन" व्यावसायिक भू-उपयोग जोन में सामान्य व्यावसायिक केन्द्र के अन्तर्गत अनुमन्य है अथवा नहीं?


जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-axis पर क्रियाएँ/उपयोग के नीचे क्रमांक-5.27 पर "धार्मिक भवन" के सम्मुख X-axis पर व्यावसायिक भू-उपयोग जोन के कालम (5) में संकेत  (अनुमन्य) दिया गया है, जिसका अर्थ है कि व्यावसायिक भू-उपयोग जोन में फुटकर दुकानों के अन्तर्गत धार्मिक भवन अनुमन्य है।

उदाहरण - 2. आवासीय के मध्यम/न्यून घनत्व क्षेत्र में "भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन" अनुमन्य है अथवा नहीं?


जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण के (Matrix) अन्तर्गत Y-axis पर क्रियाएँ/उपयोग के नीचे क्रमांक 2.15 पर "भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन" के सम्मुख X-axis पर आवासीय में मध्यम/न्यून घनत्व क्षेत्र के कालम (3) में संकेत  (सशर्त अनुमन्य) दिया गया है। अर्थात् जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-3 में निर्दिष्ट कोड संख्या-6 के अनुसार आवासीय मध्यम/न्यून घनत्व निर्मित क्षेत्र में "भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन" 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अनुमन्य है।

उदाहरण - 3. कृषिगत भू-उपयोग जोन में "रिसॉर्ट" अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-axis पर क्रियाएँ/उपयोग के नीचे क्रमांक 2.12

पर "रिसॉर्ट" के सम्मुख X-axis पर कृषिगत क्षेत्र के कालम 23 में संकेत  (विशेष अनुमति से अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात् कृषिगत भू-उपयोग जोन में "रिसॉर्ट" सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से अनुमन्य है।

उदाहरण – 4. कृषिगत क्षेत्र में "बारातघर" अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-axis पर क्रियाएँ/उपयोग के नीचे क्रमांक 5.29 पर "बारातघर" के सम्मुख X-axis पर कृषिगत क्षेत्र के कालम 23 में संकेत  (निषिद्ध) दिया गया है, अर्थात् कृषिगत क्षेत्र में "बारातघर" अनुमन्य नहीं है।

टिप्पणी : विभिन्न क्रियाओं/उपयोग परिसरों की परिभाषाएँ जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-2 में दी गयी है।

बाजार स्ट्रीट हेतु मानक (अपेक्षाएँ)

- 1.0 महायोजना में दर्शाये गये बाजार स्ट्रीट हेतु निम्न प्राविधान/ उपविधियाँ लागू होंगी :-
 - 1.1 मार्गों के साथ स्थित सामुदायिक सुविधायें जैसे - शिक्षा/स्वास्थ्य सुविधायें, धार्मिक स्थल, पार्क, राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालयों को व्यावसायिक उपयोग के अन्तर्गत नहीं माना जायेगा।
 - 1.2 जो मार्ग आंशिक रूप से आवास एवं विकास परिषद या किसी अन्य अभिकरण द्वारा विकसित हैं तथा संलग्न भूखण्ड आवासीय उपयोग हेतु आवंटित है, का भू-उपयोग व्यावसायिक नहीं माना जायेगा।
 - 1.3 बाजार स्ट्रीट का मार्गाधिकार क्षेत्र न्यूनतम 12 मी० अथवा महायोजना में प्रस्तावित चौड़ाई जो भी अधिक हो, माना जायेगा।
 - 1.4 विभिन्न मार्गाधिकारों पर स्थित भूखण्डों पर व्यावसायिक उपयोग की गहराई 'राइट-आफ-वे' के किनारे मार्गाधिकार के बराबर अथवा भू-स्वामी के स्वामित्व में भूमि की गहराई की सीमा (जो भी कम हो) तक मानी जायेगी। परन्तु किसी मार्ग पर अनुमन्य व्यावसायिक उपयोग की अधिकतम गहराई के पश्चात् यदि 10 मीटर तक भूमि अवशेष बचती है, तो भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई में व्यावसायिक उपयोग अनुमन्य होगा। परन्तु व्यावसायिक उपयोग की गहराई यदि 10 मीटर से अधिक हो, तो उसे महायोजना में निर्धारित उपयोग में ही लाया जायेगा।

1.5 बाजार मार्गों पर व्यावसायिक निर्माण/विकास निम्नानुसार अनुमन्य होगा :-

मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर)	सामने न्यूनतम खुला स्थल (मीटर)	मार्गाधिकार के पश्चात् अनुमन्य व्यावसायिक उपयोग की अधिकतम गहराई (मीटर)
18	4.5	18
24	6	24
30	6	30
36	7.5	36

1.6 अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत एवं तल क्षेत्रानुपात 1.2 अनुमन्य होगा।

1.7 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में बिल्डिंग इन्वेल्प लाईन तक एक बेसमेंट अनुमन्य होगा।

1.8 भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर होगी।

1.9 फ्रन्ट सेट बैक में 3.0 मीटर चौड़े आर्केड का निर्माण केवल भूतल पर अनुमन्य होगा।

1.10 व्यावसायिक उपयोग भूतल एवं प्रथम तल पर ही अनुमन्य होगा, जबकि अनुवर्ती तलों पर आवासीय उपयोग रहेगा।

संघीय प्रशासन विभागको कार्यालयको सूची

- | | |
|----------|----------|
| १-संघीय | ३५-संघीय |
| २-संघीय | ३६-संघीय |
| ३-संघीय | ३७-संघीय |
| ४-संघीय | ३८-संघीय |
| ५-संघीय | ३९-संघीय |
| ६-संघीय | ४०-संघीय |
| ७-संघीय | ४१-संघीय |
| ८-संघीय | ४२-संघीय |
| ९-संघीय | ४३-संघीय |
| १०-संघीय | ४४-संघीय |
| ११-संघीय | ४५-संघीय |
| १२-संघीय | ४६-संघीय |
| १३-संघीय | ४७-संघीय |
| १४-संघीय | ४८-संघीय |
| १५-संघीय | ४९-संघीय |
| १६-संघीय | ५०-संघीय |
| १७-संघीय | ५१-संघीय |
| १८-संघीय | ५२-संघीय |
| १९-संघीय | ५३-संघीय |
| २०-संघीय | ५४-संघीय |
| २१-संघीय | ५५-संघीय |
| २२-संघीय | ५६-संघीय |
| २३-संघीय | ५७-संघीय |
| २४-संघीय | ५८-संघीय |
| २५-संघीय | ५९-संघीय |
| २६-संघीय | ६०-संघीय |
| २७-संघीय | ६१-संघीय |
| २८-संघीय | ६२-संघीय |
| २९-संघीय | ६३-संघीय |
| ३०-संघीय | ६४-संघीय |
| ३१-संघीय | ६५-संघीय |
| ३२-संघीय | ६६-संघीय |
| ३३-संघीय | ६७-संघीय |
| ३४-संघीय | ६८-संघीय |

संघीय प्रशासन विभाग
काठमाडौं

परिशिष्ट-2

उत्तर प्रदेश सरकार
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-3120/ 9-आ-3-2002-55 एन0के0वी0 / 82
लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या -1 सन् 1904) की धारा- 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 34 सन् 1958) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सारकारी अधिसूचना संख्या-6020/ 37-3-82-55 एन0के0वी0-82, दिनांक 14 अक्टूबर, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में विनियमित क्षेत्र बस्ती में खण्ड (ख) में क्रमांक-68 पर आए हुए ग्राम के परचारा, निम्नलिखित ग्राम बंदा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"69-लैबुडवा"

आज्ञा से,

जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या-3120/ 9-आ-3-2002-55 एन0के0वी0 / 82, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त विज्ञप्ति को असाधारण गजट की विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड "ख" में प्रकाशित करायें तथा अधिसूचना की 25 मुद्रित प्रतियाँ शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 को तथा निम्नलिखित अधिकारियों को भी 5-5 प्रतियाँ भिजवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।

संख्या-3120 / 9-आ-3-2002-55एन0के0वी0 / 82. तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
- 3- अधिसासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बस्ती।
- 4- अध्यक्ष, नगर पालिका वार्ड, बस्ती।
- 5- अध्यक्ष, जिला परिषद, बस्ती।
- 6- अध्यक्ष, जिला पंचायत, बस्ती।
- 7- सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गोरखपुर।
- 8- अधिसासी अभियन्ता, जल निगम, उत्तर प्रदेश, बस्ती।
- 9- महाप्रबन्धक, उद्योग केन्द्र, बस्ती।
- 10- जिला उद्योग अधिकारी, बस्ती।
- 11- नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र-गरती।
- 12- सम्भागीय पर्यटन अधिकारी, गोरखपुर।
- 13- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, फैजाबाद (प्रभारी जनपद बस्ती)।

आज्ञा से,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।

परिशिष्ट-3

उत्तर प्रदेश सरकार
आवास अन्तर्भाग-3
संख्या 602016/37-3-02-55एनकेवि/02
तखाना: दिनांक: 14 अक्टूबर, 1983

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियम अधिनियम, 1958 उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 34 सन् 1958 की धारा 4 के अधीन मन्त्रालय का प्रमाणित करने, राज्य-
पाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से

सरकारी अधिसूचना संख्या 6020/37-3-02-
55एनकेवि/02 दिनांक 14 अक्टूबर, 1983 के अधीन इस स. सं. घोषित
विनियमित क्षेत्र यस्ती के लिए विनियमित निर्माण प्राधिकारी नियुक्ति करते हैं
जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अभ्यर्णित क्षेत्रों का सम्भालन करेगा:-

निर्भर प्राधिकारी

- | | |
|--|---------|
| 1- जिला मजिस्ट्रेट, यस्ती | अध्यक्ष |
| 2- आवास महानगर के नामांकित अध्यापक अभियन्ता प्रस्तावित बोर्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यस्ती | सदस्य |
| 3- सार्वजनिक विधानसभा, सम्भालीय विधानसभा क्षेत्र, नगर एवं ग्राम निर्माण विभाग, गोरखपुर | सदस्य |
| 4- अध्यापक, नगरपालिका बोर्ड, यस्ती | सदस्य |
| 5- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का नामांकित अध्यापक अभियन्ता से अनुमति पत्र का न हो | सदस्य |
| 6- अध्यापक, विकास परिषद, यस्ती | सदस्य |
| 7- जिला उद्योग अधिकारी, यस्ती | सदस्य |
| 8- सम्भालीय मजिस्ट्रेट अधिकारी, गोरखपुर | सदस्य |

अन्तर्गत
रवीन्द्र चन्द्र साहू
सचिव

परिशिष्ट-4

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-3

संख्या- 4087/9-आ-3-98-55 स्न0के0सी0/82

संज्ञक : दिनांक: 14 जनवरी, 1999

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904/3070 अधिनियम संख्या-1 सन् 1904/ की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश [निर्माण कार्य विनियमन] अधिनियम 1958/ 3070 अधिनियम संख्या-34 सन् 1958/ की धारा-4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय सरकार की अधिसूचना संख्या-6020/61/37-3-82-55 स्न0के0सी0-82, दिनांक 14 अक्टूबर 1983 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना के शीर्षक नियंत्रक प्राधिकारी हस्तों के अधीन आये हुए प्रविष्टि संख्या-1ख] के क्रमिक-3, 6, 7 एवं 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेगीं अर्थात् :-

- | | |
|---|-----------|
| 3- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, उत्तर प्रदेश, बस्ती | - नदस्य ✓ |
| 6- अध्यक्ष, जिला रियायत, बस्ती अथवा उसका नामांकी जो उपर दृष्ट्य अधिकारी के न्यून पद का न हो | - नदस्य ✓ |
| 7- महा प्रबन्धक, उद्योग केन्द्र, बस्ती | - नदस्य ✓ |
| 8- क्षेत्रीय प्रबन्धन अधिकारी, कैलाबादा, गुमनाम जनपद, बस्ती | - नदस्य ✓ |

आज्ञा है,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव ।

संख्या-4087/9-आ-3-98-55 एन0के0वी0/82, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त अधीक्षक, राजकीय महुपालय, रेशाबाग, लखनऊ को हम अभ्युक्ति के माथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त विकल्प को असाधारण गजट की विधागी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड "ख" में प्रकाशित करागें तथा अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियाँ शासन के आवास अनुभाग -3 को तथा निम्नलिखित अधिकारियों को भी 5-5 प्रतियाँ भिजवाने का कष्ट करें।

आता से,

राज कुमार सिंह
अनु सचिव

संख्या-4087/9-आ-3-98-55 एन0के0वी0/82, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवायक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
3. अधिशासी अभियन्ता, ग्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती।
4. सहयुक्त नियोजक, सार्वजनिक नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गोरखपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, गोरखपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, उत्तर प्रदेश, बस्ती।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका बोर्ड, बस्ती।
8. अध्यक्ष, जिला परिषद, बस्ती।
9. अध्यक्ष, जिला मंचायत, बस्ती।
10. महाप्रबन्धक, उद्योग केन्द्र, बस्ती।
11. जिला उद्योग अधिकारी, बस्ती।
12. सार्वजनिक सर्वजन अधिकारी, गोरखपुर।
13. क्षेत्रीय सर्वजन अधिकारी, फैजाबाद प्रमारी जनसद बस्ती।

आता से,

राज कुमार सिंह
अनु सचिव

बस्ती विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्र को लोकार्जों के अन्तर्गत स्थित जलाशयों (तालाबों/पोखरा/झील, नदी/नाल आदि) का विवरण:

क्र.सं.	नगरीय क्षेत्र का नाम	जलाशय का नाम	गाटा सं.	क्षेत्रफल हे० म०		
1	2	3	4	5		
1.	गाँव जोड़िया, नगरपालिका, बस्ती	तालाब	216	0.279		
2.	पिकौरा खरस, नगरपालिका, बस्ती	पोखरा	162	0.332		
3.	पिकौरा विष्णु कुलाम, नगरपालिका, बस्ती	पोखरा	252	0.258		
4.	बेलगा डाड, नगरपालिका, बस्ती	पोखरा	607	0.894		
5.	नरहरिया, नगरपालिका, बस्ती	पोखरा	265 मि.	0.559		
		"	763 मि.	0.150		
		तालाब	193 मि.	1.275		
		"	763 मि.	1.632		
		"	192	0.089		
		गहड़ी	37 मि.	0.093		
		"	124	0.043		
		"	430/2	0.024		
		"	831/2 मि.	0.173		
		"	908	0.093		
		"	918/2	0.051		
		"	924/895	0.025		
		6.	बस्ती खास, नगरपालिका, बस्ती	तालाब	587	0.061
		"	"	672/3	0.006	
		"	"	718	0.077	
"	"	719/1	0.022			
"	"	1396	0.013			
"	"	1488	0.049			
"	"	1642	0.098			
"	"	1712	0.058			
"	"	1713	0.372			
"	"	1715	0.375			
"	"	1745	0.632			
"	"	1749	0.058			
"	"	1806	0.047			
"	"	1807	0.004			
"	"	2300	0.437			
"	"	2456	0.203			
"	"	2459	0.012			
"	"	2599	0.139			
"	"	2613	0.182			
"	"	2999	0.052			
"	"	3177	0.112			
"	"	3240	8.044			
"	"	3363	0.176			
"	"	3377	0.115			

1	2	3	4	5
		तालाब	3447 3525	0.120 0.098
7.	सिधिलू स्टेशन, नगरपालिका, बस्ती	गड्डी	4 101/2	0.024 0.560
8.	बभनगोवा, नगरपालिका, बस्ती	गड्डी	13 मि. 66 मि.	0.052 0.086
9.	महरी खांवा नगर पालिका, बस्ती	तलिया	173 मि.	0.560
		"	55	0.064
		"	161	0.126
10.	उहमद पूर्ब बैरहपा, नगरपालिका, बस्ती	पोखरा	279	0.005
		"	278	0.216
		"	379	0.021
		"	378 मि.	0.024
		गड्डी	142 मि.	0.021
		"	340/1 मि.	0.021
		"	627/1 मि.	0.005
11.	तुरकीहया, नगरपालिका, बस्ती	तालाब	297	0.474
		गड्डी	338 306	0.270 0.172
		तलिया	1/576	0.123
		"	1/577	0.073

बस्ती विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित जलाशयों (तालाबों/पोखरा/झील, नदी/नाल आदि) का विवरण

क्र.सं०	राजस्व ग्राम का नाम	जलाशय का नाम	गाटा सं०	क्षेत्रफल हे० में
1.	चैनपुर	गड़ही	26	0-268
	"	"	29 मि.	0-035
	"	"	73 मि.	0-573
2.	महुडार	"	95	0-017
	"	"	68/1	0-003
	"	"	60/2	0-038
	"	"	110 मि०	0-601
	"	"	173/3	0-232
	"	"	248/2	0-033
3.	बघाधार	"	37 ख	0-792
	"	"	222	0-069
4.	पिपरी	पोखरा	34	0-269
5.	स्थौली	पोखरा	152	0-281
6.	देहपार	-	-	-
7.	गौरवा	-	-	-
8.	बतिया	-	-	-
9.	दामोदपुर	पोखरा	70	0-218
10.	डबवापुर	-	-	-
11.	खोराखार	-	-	-
12.	नउडाडानी	-	-	-
13.	खारीघाट	पोखरा	435 घ	1-265
14.	संतपुर गढ़वा खार	-	-	-
15.	हरिदया बुध्ग	-	-	-
16.	डडोहा	-	-	-
17.	मरवा नगर	गड़हा	50	0-123
	"	"	66	0-049
	"	"	601	0-057
	"	"	672	0-036
	"	"	758	0-093
	"	"	1062	0-073
	"	तुलिया	33	0-024
	"	"	670	0-038
	"	"	859	0-063
	"	"	884	0-101
	"	"	973	0-200

I	2	3	4	5
18.	बरगदवा	-	-	-
19.	दरौदिया कुर्	-	-	-
20.	बडार	-	-	-
21.	ऊँदी भीटी	-	-	-
22.	मुड़घाट	-	-	-
23.	बडावन	-	-	-
24.	बदली	-	-	-
25.	देउरी	-	-	-
26.	हवेली खास	-	-	-
27.	नाथव	-	-	-
28.	मेघ	-	-	-
29.	संसा स्युर	-	-	-
30.	अहमद	-	-	-
31.	जोरहवा	-	-	-
32.	मुबास राणापुर	-	-	-
33.	लौकहवा	तालाब	143	0.690
	"	गडही	70	0.280
	"	"	71	0.290
	"	"	98 मि०	0.149
34.	बेलगडही	गडही	18	0.68०
	"	"	21	0.३2०
	"	"	22	0.470
	"	"	35	0.530
	"	तालाब	104/ 2 स	0.660
35.	बानडीह उर्फ मिश्रोलिया	गडही	85	0.360
	"	"	93	0.210
	"	तालाब	36	0.263
	"	गडही	107	0.570
	"	"	109	0.850
	"	"	113	0.210
36.	मुन्डेखा	तालाब	54/ 1 स	0.114
	"	गडही	86	0.320
	"	"	83	0.320
	"	"	90	0.440
	"	"	95 स	0.240
	"	"	66	0.240
	"	"	67	0.400
	"	"	69	0.980
	"	"	115	0.360
	"	"	116	0.120
	"	"	122	0.210

1	2	3	4	5
37.	डारो डोहा	तालाब	78	0.120
	"	"	238	0.400
	"	"	242	0.064
	"	"	248	0.720
	"	"	493 ग	2.650
	"	"	535/201 ग	1.510
	"	गहरी	111 स	0.480
	"	"	124	0.480
	"	"	252	0.720
	"	"	257	0.440
	"	"	301 स	0.480
	"	"	303	0.440
	"	"	368	0.008
	"	"	474	0.120
38.	सुमेल्मा	पोखरा	75	0.142
39.	पननी सियरोवात	पोखरा	33 स	0.028
	"	"	38 स	0.008
	"	"	39	0.064
	"	"	75/2	0.024
	"	"	75/1	0.025
40.	परासी	"	129	0.355
	"	"	111/4	0.260
	"	"	9	0.041
	"	"	46	0.032
	"	"	51	0.093
41.	बामडीह शुक्ल	तात	50	0.306
	"	"	59	0.061
	"	"	91 मि.	0.158
	"	तमिलिया	65	0.048
	"	"	78	0.118
	"	"	94	0.040
	"	"	128 मि.	0.090
	"	"	138	0.053
	"	"	141	0.090
42.	बामडीह पाण्डेय	पोखरा	44	0.036
	"	"	57	0.053
	"	"	64	0.032
43.	मनहनडीह	तात	30 स	0.064
	"	"	32	0.004
	"	"	132 मि.	0.194
	"	"	187 स	0.147

1	2	3	4	5
44.	इटली पाण्डेय	-	-	-
45.	नमडाह त्रियारी	-	-	-
46.	लवनापुर	-	-	-
47.	तोनबरवा	-	-	-
48.	घरसोइडा	तालाब	44 स	0.139
	"	"	85 मि.	0.069
	"	"	165	0.165
	"	"	172	0.109
	"	"	182	0.028
	"	"	184	0.081
	"	"	186	0.069
	"	"	188	0.085
	"	"	197	0.024
	"	"	214	0.049
	"	"	230	0.053
	"	"	226	0.122
	"	"	237	0.428
49.	गिदही बुर्ग	ताब	36 मि.	0.032
	"	"	40	0.044
	"	"	49	0.044
	"	"	51	0.064
	"	"	53	0.140
50.	गिदही बुर्द	पोखरा	35 मि.	0.548
	"	गहदी	114	0.133
51.	बेरिया उर्फ बेरिहवा	-	-	-
52.	परसा तक्रिया	गहदी	15	0.072
	"	"	42	0.119
	"	"	62	0.049
53.	जिगिता	तालाब	69	0.313
	"	"	82 स	0.095
	"	"	109/1	0.164
	"	"	137	0.106
	"	"	138 स	0.034
	"	"	185	0.509
	"	"	198	0.174
	"	"	201	0.032
	"	"	208	0.073
	"	"	287	0.105
	"	"	304 स	0.042

1	2	3	4	5
54.	पिपरा रामीकुन	पोखरा	31 मि.	0.636
	"	ताल	42	0.053
	"	"	261 मि.	0.075
	"	तिलया	49	0.105
	"	"	110	0.036
	"	"	132	0.194
55.	कस्मुर	गडहा	74/1	0.038
	"	"	74/2	0.031
	"	"	12	0.231
56.	झरकीटिया	-	-	-
57.	पषीरा	-	-	-
58.	बरहुषा	-	-	-
59.	जिमिनी	गडही	49	0.103
60.	बाझपोखर	-	-	-
61.	मख्खीरिया	-	-	-
62.	मंझीरिया भुक्त	ताल	1 मि.	10.026
	"	"	98	0.072
63.	बरवा	-	-	-
64.	लखौरा	-	-	-
65.	बेरियाखुर्द	-	-	-
66.	बन्दीरिया खुर्ग	-	-	-
67.	मख्खीरिया	तालाब	40 मि.	0.104
	"	"	45	0.008
	"	"	49	0.053
	"	"	511 मि.	0.006
	"	गडही	53	0.079
	"	"	76	0.042
	"	"	30	0.014
	"	"	48	0.041
68.	विहोलिया	गडही	7	0.023
	"	ताल	9	0.055
	"	"	17	0.061
	"	पोखरा	87 मि.	0.146
69.	तेहुषा	-	-	-

स्रोत :- नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, बस्ती के कार्यालय पत्रांक-696/नि0910-09, दिनांक 04-04-09 एवं पत्रांक-723/नि0910-2009, दिनांक 23 मई, 2009 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं के अनुसार ।

पत्र संख्या: 5235/8-3-2008

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. नियन्त्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 12 अक्टूबर, 2008

विषय: नगरों की महायोजनाओं के अन्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 2898/9-आ-3-72वि./94, दिनांक 3.6.2001 तथा शासनादेश संख्या: 379/9-आ-3-72वि./94, दिनांक 25 जनवरी, 2002 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 के अन्तर्गत शासन द्वारा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स तैयार कर इस आशय से समस्त विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों को प्रेषित किया गया है कि प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में विद्यार्थीपरान्त आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकार कर लें। उक्त आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार कृषि एवं ग्रामीण आवादी भू-उपयोगों में फ्लाईंग क्लब/हैलीपैड का निर्माण सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से अनुमन्य किया गया है, जबकि शेष भू-उपयोगों में निषिद्ध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फ्लाईंग क्लब/हैलीपैड केन्द्र-सरकार का विषय है तथा इनके निर्माण की अनुमन्यता व निषिद्धि के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में फ्लाईंग क्लब/हैलीपैड के सम्बन्ध में किए गए प्राविधान को त्रसून द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त के दृष्टिगत महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में इस आशय का संशोधन कर लिया

जाए कि फ्लाइंग क्लब/हैलीपेड की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल ऐसे भू-उपयोगों में दी जाएगी, जहाँ केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों में निर्धारित अपेक्षाएं पूर्ण होती हों।

3. कृपया तदनुसार महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में संशोधन की कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव

पत्र संख्या:5235(1)/8-3-2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाषी निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

पत्रांक: 1549/वा.नि./विविध/का.आ./08-09, दिनांक 16 अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. चीफ को-आर्डिनेटर प्लानर, एन.सी.आर. सेल, गाजियाबाद।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ
3. समस्त सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।

(एन.आर. वर्मा)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

859
19-2-2014

कार्यालय अपर उपजिलामजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बस्ती।
पत्रांक- 7604 वि०क्षे० बस्ती/2014 दिनांक-19-2-2014

सेवा में,

सहयुक्त नियोजक
गोरखपुर।

विषय:- विनियमित क्षेत्र बस्ती के अर्न्तगत वर्तमान मार्गों की चौड़ाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं०-753/बस्ती, महायोजना 2021 दिनांक-21.01.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विनियमित क्षेत्र बस्ती की तैयार महायोजना 2021 में मार्गों की चौड़ाई अंकित किये जाये विषयक पत्र प्राप्त है। मार्गों की चौड़ाई के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड प्रथम लोक निर्माण विभाग बस्ती, जिला पंचायत बस्ती व नगर पालिका परिषद बस्ती से सूची प्राप्त है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।


अतः संलग्नक सहित सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि।

(सतीश चन्द्र)

अपर उपजिलामजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र बस्ती।

श्री. एम. सिंह,
अ० ए० ए० (क०) (2)


19/2/14

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खंड-1, लो0नि0वि0, बस्ती।

पत्रांक 482 / सी.

दिनांक 17/2/14

सेवा में,


अपर उप जिला मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, बस्ती।

विषय- विनियमित क्षेत्र, बस्ती के अन्तर्गत वर्तमान मार्गों की मार्गाधिकार चौड़ाई के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्र संख्या 7552(1)/वि0क्ष0वस्ती/2014 दिनांक 29.1.2014.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा प्रस्तुत 21 मार्गों की सूची संलग्नक के अनुसार लो0नि0वि0 के अन्तर्गत पड़ने वाले मार्गों का मार्गाधिकार भरकर जिनका क्रम संख्या 1,2,3,4,14,15,20 एवं 21 है, जिनकी सूचना संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खंड-1, लो0नि0वि0, बस्ती।

विनियमित क्षेत्र बस्ती के अन्तर्गत स्थित वांछित वर्तमान मार्गों की चौड़ाई का विवरण

क्र० सं०	मार्ग का नाम	मार्ग की चौड़ाई मार्गाधिकार सहित (मीटर में)
✓ 1-	एन०एच०-28 पुराना मार्ग (कम्पनी बाग चौराहा से रोडवेज तिराहा तक)	33.50 मी०
✓ 2-	बस्ती-महसो मार्ग(हास्पिटल चौराहा से नगरपालिका की सीमा तक)	21.35 मी०
✓ 3-	बस्ती-काँटे मार्ग(हास्पिटल चौराहा से जिगना तिराहा तक)	33.50 मी०
✓ 4-	नारंग-रोड(जिगना तिराहा से सुगर मिल गेट तक)	15.25 मी०
5-	कम्पनीबाग चौराहा से महसो मार्ग(जजेज-कम्पाउण्ड तिराहा से नगर पालिका सीमा तक)	—
6-	जिलाधिकारी आवास मार्ग	—
7-	कचहरी मार्ग	—
8-	मालवीय रोड(फौव्वारा-चौराहा से रोड वेज तिराहा तक)	—
9-	दक्षिणी दरवाजा मार्ग(रोडवेज तिराहा से दक्षिण दरवाजा चौराहा तक)	—
10-	पुरानी बस्ती रोड(दक्षिण दरवाजा चौराहा से रेलवे स्टेशन के पूर्वी केविन सुगर मिल गेट तक)	—
11-	पाण्डेय बाजार मार्ग(दक्षिण दरवाजा चौराहा से करुआ बाबा चौराहा तक)	—
12-	बस्ती-बॉसी मार्ग(करुआ बाबा चौराहा से गौरा चौराहा तक)	—
13-	करुआ बाबा चौराहा से रेलवे स्टेशन मार्ग(करुआ बाबा चौराहा से नारंग रोड तिराहा तक)	—
✓ 14-	खोराखार दक्षिणी दरवाजा मार्ग(पटेल चौराहा से दक्षिण दरवाजा तिराहा मार्ग तक)	33.50 मी०
✓ 15-	आई.टी.आई. तिराहा मार्ग(कटरा चौराहा से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चौराहा तक)	33.50 मी०
16-	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल मार्ग(रौता चौराहा से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चौराहा तक)	—
17-	बस्ती-मूडघाट मार्ग(आई.टी.आई.तिराहा से मूडघाट चौराहा तक)	—
18-	रौता चौराहा-रंजीत तिराहा मार्ग(रौता चौराहा से रंजीत तिराहा तक)	—
19-	हास्पिटल चौराहा-दक्षिणी दरवाजा चौराहा मार्ग(दक्षिण दरवाजा चौराहा से हास्पिटल चौराहा तक)	—
✓ 20-	हण्डिया चौराहा मार्ग(पाण्डेय बाजार चौराहा से हण्डिया चौराहा तक)	18.30 मी०
✓ 21-	बस्ती-डुमरियागंज मार्ग(पाण्डेय बाजार चौराहा से बाईपास तक)	33.50 मी०

17/2/14
 जिलाधिकारी
 विभाग कार्यालय-1, पो. न. 1.
 बस्ती

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बस्ती।

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट/
नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र,
बस्ती।

पत्रांक 673/अ.क./जि0पं0ब0/2013-14 दिनांक- 3/2/2014

विषय:- विनियमित क्षेत्र, बस्ती सीमान्तर्गत रिथित वॉछित वर्तमान मार्गों की चौड़ाई
उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7552/वि0क्षे0बस्ती/2014 दिनांक
29.01.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जिला पंचायत-बस्ती से
सम्बन्धित विनियमित क्षेत्र बस्ती सीमान्तर्गत वॉछित वर्तमान मार्गों की चौड़ाई उपलब्ध
कराये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया है; संलग्न सूची के अनुसार जिला
पंचायत-बस्ती के स्वामित्व वाले मार्गों का स्थानीय निरीक्षण अवर अभियन्ता द्वारा
कराया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार मार्गों की चौड़ाई निम्नवत् है।

क्र०सं०	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई	मार्ग की चौड़ाई मार्गाधिकार सहित (मीटर में)	अभ्युक्ति
1/12	बस्ती-बॉसी मार्ग (करुआ बाबा चौराहा से गौरा चौराहा तक)	2.85 कि०मी०	26.30 मीटर	बस्ती पुरानी चुंगी से गौरा तिराहा तक
2/21	बस्ती डुमरियागज मार्ग (पाण्डेय बाजार चौराहा से बाईपास तक)	0.40 कि०मी०	13.50 मीटर	बस्ती पुरानी चुंगी से बाईपास तक

कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,


अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत-बस्ती।

पु०सं० / / जि०पं०ब०/2013-14 दिनांक:-

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी महोदय, बस्ती की सेवा में समदर सूचनार्थ।

2014

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत-बस्ती।

विनियमित क्षेत्र बस्ती के अन्तर्गत स्थित वांछित वर्तमान मार्गों की चौड़ाई का विवरण

क्र० सं०	मार्ग का नाम	मार्ग की चौड़ाई मार्गाधिकार सहित (मीटर में)
1-	एन०एच०-28 पुराना मार्ग (कम्पनी बाग चौराहा से रोडवेज तिराहा तक)	P.W.D. सिमरग
2	बरती-महसो मार्ग(हास्पिटल चौराहा से नगरपालिका की सीमा तक)	40 फीट
3	बरती-कॉटे मार्ग(हास्पिटल चौराहा से जिगना तिराहा तक)	P.W.D.
4-	नारंग-रोड(जिगना तिराहा से सुगर मिल गेट तक)	60 फीट
5-	कम्पनीबाग चौराहा से महसो मार्ग(जजेज कम्पाउण्ड तिराहा से नगर पालिका सीमा तक)	60 फीट
6	जिलाशिक्षात्री आवास मार्ग	80 फीट
7	कचहरी मार्ग	110 फीट
8-	मालवीय रोड(फौवारा चौराहा से रोड वेज तिराहा तक)	100 फीट
9-	दक्षिणी दरवाजा मार्ग(रोडवेज तिराहा से दक्षिण दरवाजा चौराहा तक)	100 फीट
10-	पुरानी बस्ती रोड(दक्षिण दरवाजा चौराहा से रेलवे स्टेशन के पूर्वी केविन सुगर मिल गेट तक)	100 फीट
11	पाण्डेय बाजार मार्ग(दक्षिण दरवाजा चौराहा से करुआ बाबा चौराहा तक)	30 फीट
12-	बरती-बॉसी मार्ग(करुआ बाबा चौराहा से गौरा चौराहा तक)	80 फीट
13-	करुआ बाबा चौराहा से रेलवे स्टेशन मार्ग(करुआ बाबा चौराहा से नारंग रोड तिराहा तक)	100 फीट
14-	बाजार दक्षिणी दरवाजा मार्ग(गेट नौराहा से दक्षिण दरवाजा तिराहा मार्ग तक)	P.W.D.
15-	आई.टी.आई. तिराहा मार्ग(कटरा चौराहा से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चौराहा तक)	P.W.D.
16-	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल मार्ग(रौता चौराहा से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चौराहा तक)	30 फीट
17-	बरती-मूडघाट मार्ग(आई.टी.आई.तिराहा से मूडघाट चौराहा तक)	40 फीट
18-	रौता चौराहा-रंजीत तिराहा मार्ग(रौता चौराहा से रंजीत तिराहा तक)	—
19-	हास्पिटल चौराहा-दक्षिणी दरवाजा चौराहा मार्ग(दक्षिण दरवाजा चौराहा से हास्पिटल चौराहा तक)	60 फीट
20-	हण्डिया चौराहा मार्ग(पाण्डेय बाजार चौराहा से हण्डिया चौराहा तक)	P.W.D.
21-	बरती-डुमरियागंज मार्ग(पाण्डेय बाजार चौराहा से बाईपास तक)	P.W.D.

नोट:- संलग्नित मार्गों की चौड़ाई अनुमति प्राप्त है।

अधिकारी
नगर पालिका हरिद बस्ती
7/11/14

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, बस्ती की अध्यक्षता में दिनांक 04-07-2008 को सम्मन हुई नियंत्रक प्राधिकारी की बैठक में निम्न गये निर्णयों की कार्यवृत्ति।

- 1- बैठक की तिथि:- 04-07-2008 ।
 2- बैठक का समय :- अपराह्न 2=00 बजे ।
 3- बैठक का स्थान:- कलेक्ट्रेट सभागार, बस्ती ।

711
02-08-08

§ बैठक में उपस्थिति §

- | | |
|-------------------------|---|
| 1- श्रीमती रीशान जैकब | जिलाधिकारी/अध्यक्ष |
| 2- श्रीपी०के०उपाध्याय | अपर जिलाधिकारी, बस्ती § अनुयुक्त सदस्य § |
| 3- श्रीबी०के०विद्यार्थी | सहयुक्त नियोजक, गोरखापुर § सदस्य § |
| 4- श्री बनवारी लाल | अध्यापिका श्री अभिन्नता, प्रान्तीय हाण्ड लोड निर्माण विभाग, बस्ती § सदस्य § |
| 5- श्री भागीरथी | महा प्रबन्धक, उद्योग, बस्ती § सदस्य § |
| 6- श्री धनश्याम राय | अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बस्ती § सदस्य § |

श्री रामेश्वर
02/08/08

बैठक का एजेन्डा :-

- 1- पिछली कार्यवाही की पुष्टि ।
 2- धारा 15 § 2 § के अन्तर्गत नियंत्रक प्राधिकारी के समझ विचाराधीन पत्रावली पर सुनवाई एवं निर्णय ।
 3- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार ।

1- पिछली कार्यवाही की पुष्टि:- सर्वसम्मति से पिछली कार्यवाही की पुष्टि की गयी ।

2- नियंत्रक प्राधिकारी के समझ धारा 15 § 2 § के अन्तर्गत विचाराधीन पत्रावलियों को सूची के अनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें संबंधित पक्षों/अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया, जिसका सारांश निम्नवत् है:-

क्र०सं० § अपीलसंख्या § नाम पक्षकार § निर्णय का सारांश

1	§	2	§	3	§	4
1-	9/37/93/2000	राज कुमारी	सर्वसम्मति से अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।			

1	2	3	4
2-	22/03	हृदय नरायन बनाम अक्रान्तिशा:	सर्वसम्मति से अगली बैठक में प्रस्तुत करनेका निर्णय लिया गया।
3-	25/03	श्रीरी जबी बनाम सरकार।	सर्वसम्मति से अपील को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
4-	27/04	सोनू प्रसाद बनाम नियत प्राधिकारी।	सर्वसम्मति से अपील को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
5-	34/04	बुद्धिराम बनाम परशुरामअदि	सर्वसम्मति से अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
6-	14/06	बेचुलालगुप्ता बनाम श्याम लाल	सर्वसम्मति से सुलहनामें के आधार पर अपील की कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
7-	20/06	शीतला प्रसाद बनाम नियत प्राधि	सर्वसम्मति से संशोधित मानचित्र सहित नियत प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के साथ अपीलीय पत्रावली की कार्यवाही को समाप्त किया गया।
8-	22/06	ओम प्रकाश बनाम अजय कुमार	सर्वसम्मति से पक्षकारों को स्वयं न्यायालय के निर्देशानुसार मौके पर कार्यवाही का निर्णय लेते हुए अपील निरस्त किया गया।
9-	27/06	राम अधार बनाम हरिशचन्द्र	सर्वसम्मति से अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
10-	28/06	राधियाम बनाम फकरुद्दीन	सर्वसम्मति से भवनमानचित्रसंख्या 476/05-06, स्वीकृति दिनांक 06-3-06 निरस्त करते हुए पुनः मानचित्र स्वीकृत कराने का निर्णय लिया गया।
11-	30/06	इन्दुदेवी बनाम अब्दुलरशीद	सर्वसम्मति से अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 21-9-07 को स्वीकृत करते हुए संबंधित पत्रावली के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
12-	31/06	नीलमात्रिपाठी बनाम नियत प्राधिकारी।	सर्वसम्मति से पक्षकारों के अनुरोध पर दिनांक 24-7-08 को उपस्थित होकर अपने-अपने पक्षोंको रवाने का निर्णयलेते हुए अपील की कार्यवाही समाप्त की गयी।

---3/---

13-	27/2008	बंशीधरदूबे बनाम नियत प्राधिकारी	सर्वसम्मति से अपील कला प्रसाद समिति निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
14-		वली मोहम्मद बनाम नियत प्राधिकारी	सर्वसम्मति से अपील स्वीकार करते हुए नियत प्राधिकारी को पुनः मुनवाइ कर निर्णय हेतु वापस करने का निर्णय लिया गया।
15-	28/08	रामचन्द्र बनाम नियत प्राधिकारी	सर्वसम्मति से दिनांक 24-7-2008 को निम्न प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर निर्माण को कम्पाउन्ड कराकर स्वीकृत कराने का निर्णय लिया गया। नियत तिथि तक कार्यवाही न करने पर निर्माण को ध्वस्त कराने हेतु नियमों के अन्तर्गत अधीक्षित कार्यवाही का निर्णय लिया गया।
16-		पवन कुमार बनाम नियत प्राधिकारी	सर्वसम्मति से अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
17-		राकेशाजादि बनाम	सर्वसम्मति से अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
18-		कुशावतीदेवी नजबुन्निशा बनाम नियत प्राधिकारी।	सर्वसम्मति से अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
19-		गिरधारीलाल बनाम नियत प्राधिकारी	सर्वसम्मति से अपील निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
20-		राममूरत बनाम विन्धवाचली।	सर्वसम्मति से अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
21-21/08		श्विनकान बनाम विन्धवासिनी।	सर्वसम्मति से अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
22- 24		हृदयनरायन बनाम सूर्यलाल	सर्वसम्मति से अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
23- 26/08		रोझाचन्द्र बनाम राधेश्याम	सर्वसम्मति से ग्रहयता पर विचारोपरान्त अपील निरस्त करते हुए विपक्षी को निर्दिष्ट किया गया कि वह नियत प्राधिकारी के समक्ष पंजीकृत अभिलेखा प्रस्तुत करें।

24- -----
3- जिलाधिकारी/अध्याक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार:-

सहयुक्त नियोजक, गोरखापुर ने बस्ती महायोजना हेतु अभिकरण अधीक्षित
करने का मामला नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष रखा।

४४

सहयुक्त नियोजक ने शासनादेश संख्या 4467/37-3-291 नि०का०ध०/72 दिनांक 25-11-72 के अन्तर्गत निहित प्राविधानुसार बस्ती महायोजना तैयार कराने हेतु अभिकरण इंस्पेक्सी धोषित करने का प्रस्ताव रखा ।

सर्वसम्पत्ति से विचारोपरान्त नगर एवं ग्राम नियोजनविभाग, 3090 को अभिकरण इंस्पेक्सी धोषित करने का निर्णय लिया गया । निर्णय की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा आगामी बैठक दिनांक 23-8-2008 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया ।

दिनांक 04-7-2008

Roshan
रशान जैकब
जिलाधिकारी/अध्या,
नियंत्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, बस्ती ।

सत्यापित

ay
विवरण प्राधिकारी
निर्दिष्ट क्षेत्र-बस्ती

दिनांक 12 09 08

संख्या: 7006/आठ-3- महा.यो.-2021/2008

प्रेषक,
श्री ए.के. सिंह,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,
नियंत्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र बस्ती,
जनपद-बस्ती।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
दिनांक 15/9/08
पृष्ठ संख्या 4024

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 28 जुलाई, 2008

विषय: बस्ती महायोजना-2021 (प्रारूप) का परीक्षण।

गहोदय,

आपकी ओर से शासन में प्रस्तुत की गई उक्त महायोजना का परीक्षण शासनादेश संख्या: 55/8-3-2008-115 विविध/2007 दिनांक 05.01.2008 के अन्तर्गत गठित समिति के द्वारा अपनी बैठक दिनांक 11.07.2008 में किया गया।

इस संबंध में समिति की बैठक की कार्यवृत्त आपको इस आशय से प्रेषित है कि कृपया समिति द्वारा दिये गये सुझावों को समावेशित करते हुए संशोधित महायोजना समिति के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत करें।

संलग्नक: कार्यवृत्त।

भवदीय,

(ए.के. सिंह)
विशेष सचिव

15/9/08
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

संख्या एवं दिनांक तदैव :
प्रतिलिपि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. को सूचनार्थ प्रेषित।

(ए.के. सिंह)
विशेष सचिव

व.नि.
15/9/08

1096/अनियमित
16/09/08

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
उ.प्र. शासन

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
16/9/08

बस्ती महायोजना-2021 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 11.07.2008 की कार्यवृत्त :-

उपरिस्थिति संलग्न विवरण के अनुसार :-

➤ बस्ती महायोजना का प्रस्तुतीकरण सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग बस्ती द्वारा किया गया तथा निम्न जानकारी दी गई :-

1. बस्ती नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में से एक है इसे हाल ही में मंडल मुख्यालय का दर्जा दिया गया गया है। यह नगर दिल्ली-हाबड़ा ब्राड गेज रेल पथ द्वारा देश के पूर्वोत्तर एवं उत्तरी भाग से जुड़ा है। इसके साथ ही रेल तथा सड़क मार्ग के द्वारा प्रदेश के अन्य कई प्रमुख नगरों एवं स्थलों से भी जुड़ा है। इस क्षेत्र में मुख्यतः गन्ने की खेती के कारण चीनी मिले अधिक है।
2. नगर में संतुलित एवं सुनियोजित आवासीय सुविधाओं का अभाव है, जन संख्या की तुलना में आवासीय भवनों की उपलब्धता कम है ऐसी स्थिति में जन संख्या सघनता की समस्या जटिल है।
3. यद्यपि बस्ती नगर के आस-पास के क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, कच्चे माल तथा श्रम की सुलभता है परन्तु औद्योगिक विकास में उसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।
4. नगर में अधिकतर भवनों का पिछला एवं उपरी भाग आवास के रूप में उपयोग हो रहा है जबकि अग्र भाग के नीचे के भाग को व्यवसायिक किया कलापों के रूप में किया जा रहा है।
5. नगर में न तो कोई ट्रान्सपोर्ट नगर है और ना ही कोई ट्रक अड्डा। इसके अतिरिक्त बरसाती पानी की निकासी की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में बरसात में नगर के कई क्षेत्रों में पानी का भराव होता है तथा प्रदूषण कुप्रभावित होता है।
6. उक्त समस्याओं के निराकरण एवं नगर की भावी जन संख्या की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना-2021 तैयार की गई है।


उक्त जानकारी देने के उपरान्त महायोजना-2021 (प्रारूप) का पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन किया गया जिसकी हार्डकापी समिति के सभी सदस्यों का उपलब्ध कराई गई है।

उक्त पर विचारोपरान्त समिति के द्वारा निम्न सुझाव दिये गए :-


1. बस्ती को मंडल मुख्यालय का दर्जा हाल ही में दिया गया है। अतः निकट भविष्य में मंडल स्तरीय तमाम एक्टिविटीज का इस क्षेत्र में आना स्वाभाविक है। अतः उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए महायोजना में वांछित प्राविधान इस हेतु वांछित प्राविधान किया जाना चाहिए।
2. महायोजना को जोन्स में बांट जाए तथा जोनवार सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन कर प्राविधान किया जाय।


3. महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित तालाबों तथा जलाशयों की सूची राजस्व विभाग से प्राप्त कर उसका समावेशन महायोजना-2021(प्रारूप) में किया जाना चाहिए।
4. संदर्भित क्षेत्र कृषि प्रधान है। अतः मानचित्र पर वर्तमान एवं प्रस्तावित मंडियों को अलग-अलग दर्शाया जाए।
5. ट्रेफिक सरकूलेशन प्लान अलग से प्रस्तुत किया जाए।
6. इंटिग्रेटेड टाउनशिप हेतु महायोजना में अलग से कोई क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाना उपयुक्त होगा।
7. शासनादेश संख्या: 2509/आठ-3-06/2006 दिनांक 02.06.2006 में प्राविधानित शासन की नीतियों के अनुसार यथावश्यक प्राविधान किये जायें तथा समिति को अवगत कराया जाय।


उक्त प्रस्तावित संशोधनों के साथ महायोजना समिति के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किए जाने का परामर्श दिया गया।


(पी.सी.मेहरोत्रा)
सलाहकार,
आवास बन्दु.


(जी.एस.भोयल)
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास
प्राधिकरण


(एन.आर.वर्मा)
मुख्य नगर एवं ग्राम
नियोजक उ.प्र.


(जे.पी.भार्गव)
अवकाश प्राप्त
मुख्य नगर एवं ग्राम
नियोजक, उ. प्र.


(ए.के.सिंह)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

प्राप्ति विमांक-54434-2611:

आवास बन्धु

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष: 2622941, 2627021, फैक्स: 2612098
ई-मेल : abandhu @sancharnet.in

संख्या: 9982/आ.ब.-4/ब.-महा.-कार्यवृत्त/08-09 लखनऊ, दिनांक : 13 नवम्बर, 2009

कार्यालय सेवा में,
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
नियंत्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, बस्ती,
जिला-बस्ती।
प्राप्ति दिनांक 17-11-09
संख्या-1545

विषय: दिनांक 10.11.2009 को अपराह्न 4.00 बजे आवास बन्धु समागर में आयोजित बस्ती महायोजना-2021 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु गठित समिति की बैठक की कार्यवृत्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में बस्ती महायोजना-2021 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 10.11.2009 की कार्यवृत्त इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सत्यवीर सिंह दलाल)
अपर निदेशक, नियोजन

35/दि.नि.
18/11/09

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.।
3. श्री जे.पी. भार्गव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, (सेवानिवृत्त)।

जा.नि./08(T)

16/11/09
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
उ.प्र., लखनऊ

18/11/09

(सत्यवीर सिंह दलाल)
अपर निदेशक, नियोजन

बस्ती विनियमित क्षेत्र की महायोजना-2021 के परीक्षण हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यालय स्थाप संख्या: 2523/8-3-09 दिनांक 27 जुलाई, 2009 द्वारा गठित समिति की दिनांक 10.11.2009 को अपरान्ह 4.00 बजे आवास बन्धु समागर में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :- सैलमन सूची के अनुसार।

बस्ती विनियमित क्षेत्र की महायोजना-2021 (प्रारूप) का प्रस्तुतीकरण सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गोरखपुर खण्ड द्वारा दिनांक 11.07.2008 को समिति के सम्मुख किया गया था। उक्त बैठक में 07 बिन्दुओं पर समिति द्वारा दिये गये सुझावों के समायोजन का विवरण समिति की आज की बैठक में प्रस्तुत किया गया। सहयुक्त नियोजक द्वारा प्रस्तुत विवरण पर विचारोपरान्त समिति द्वारा निम्न सुझाव दिये गये :-

1. सामुदायिक सुविधाएं/सेवाएं उपयोग— महायोजना के विभिन्न जोन्स में जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित सुविधाओं/सेवाओं का वितरण तालिका में दर्शाया जाए। यदि किसी जोन में वितरण असंतुलित है तो उसके औचित्य का उल्लेख भी प्रतिवेदन में किया जाए।
2. व्यवसायिक उपयोग— महायोजना में 30 मी. चौड़े मार्ग पर एक नगर केन्द्र (सी-5) तथा एक मण्डलीय केन्द्र (सी-3) एक दूसरे से संलग्न कर प्रस्तावित किये गये हैं को नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं पाया गया। समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि मण्डलीय केन्द्र को यथासम्भव रिंग रोड से संलग्न प्रस्तावित किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।
3. कार्यालय उपयोग— समिति द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 11.07.2008 में दिये गये सुझाव के क्रम में महायोजना में बस्ती को मण्डल मुख्यालय बनाए जाने के फलस्वरूप कार्यालय उपयोग हेतु पर्याप्त भूमि रिंग रोड के साथ प्रस्तावित की गयी है। इस सम्बन्ध में मण्डलीय कार्यालयों को यदि प्रस्तावित स्थल पर स्थापित किया जाता है, तो इस दशा में उस क्षेत्र में जोनिंग रेगुलेशन्स जो कि सामान्य कार्यालय उपयोग से भिन्न होंगे, को भी महायोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. यातायात— यातायात के सम्बन्ध में समस्याग्रस्त मार्गों एवं कांसिंग्स के सुधार हेतु प्रस्ताव या वैकल्पिक व्यवस्था का उल्लेख प्रतिवेदन में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यमान मार्गों के विस्तार तथा नये प्रस्तावित मार्गों के विकास की प्राथमिकता भी महायोजना प्रतिवेदन में निर्धारित की जानी चाहिए।

5. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु आरक्षित क्षेत्र— समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि किसी स्थल/क्षेत्र विशेष को इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु महायोजना में आरक्षित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। महायोजना प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया जाना पर्याप्त है कि शासन की नीति के अन्तर्गत इस प्रकार की टाउनशिप के विकास हेतु महायोजना में पर्याप्त आवासीय क्षेत्र का प्राविधान किया गया है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि महायोजना में उपरोक्त सुझावों को समायोजित करते हुए नियंत्रक प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

अन्त में सभी को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

‘अनुमोदित’



(अष्टमुजा प्रसाद तिवारी)

संयुक्त सचिव

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

369
22-7-10

नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बस्ती की बैठक दिनांक 16.06.2010 समय 11:00बजे पूर्वान्ह को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहुत बैठक की कार्यवृत्ति

बैठक का दिनांक 16.06.2010 समय 11:00बजे पूर्वान्ह
बैठक का स्थान कलेक्ट्रेट सभागार बस्ती।

बैठक में उपस्थिति

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1- | श्री पंकज कुमार | जिलाधिकारी/अध्यक्ष |
| 2- | श्री विकास कुमार विद्यार्थी | सदस्य(सहयुक्त नियोजक) |
| 3- | श्री मोलहू राम | सदस्य (अधिशायी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि बस्ती) |
| 4- | | सदस्य (महाप्रबन्धक उद्योग केंद्र बस्ती) |
| 5- | श्री बृजमोहन गौड | सदस्य (अधिशायी अभियन्ताजल निगम बस्ती) |
| 6- | श्री हरिनारायण | सदस्य (अधिशायी अभियन्ता आवास विकास गोरखपुर) |
| 7- | श्री एन0एल0खरे | सदस्य (अपर मुख्यअधिकारी जिला पंचायत बस्ती) |

विशेष आमंत्रित

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1- | डा0नरोत्तमलाल | अधिशायी अधिकारी नगर पालिका परिषद बस्ती |
| 2- | श्री अभिमन्यु कुमार तिवारी | नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बस्ती। |

क्रमांक	विवरण	नियंत्रक प्राधिकारी का निर्णय
1	पिछली कार्यवाही पुष्टि	सर्वसम्मत से पिछली कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2	सहयुक्त नियोजक गोरखपुर द्वारा तैयार महायोजना प्रारूप 2021 के अनुमोदन पर विचार	सर्वसम्मत से सहयुक्त नियोजक गोरखपुर द्वारा तैयार महायोजना प्रारूप 2021 को केवल जनसामान्य की आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अनुमोदित किया गया। सहयुक्त नियोजक नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करें।
3	नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष धारा 15(2) के अन्तर्गत विचाराधीन पत्रावलियों की सुनवाई एवं निस्तारण	1-बाबूराम चौधरी बनाम नियत प्राधिकारी एप अन्य। सर्वसम्मति से अपील निरस्त करने का निर्णय लिया गया। 2-नरेन्द्र सिंह बनाम नियत प्राधिकारी एवं अन्य। सर्वसम्मति से अपील निरस्त करने का निर्णय लिया गया। 3-नगरपालिका परिषद बनाम मन्जुलता सिंह एवं अन्य। सर्वसम्मति से तहसीलदार सदर एवं अधिशायी अधिकारी नगरपालिका परिषद बस्ती से संयुक्त जाच आख्या प्राप्त कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। 4-सर्वसम्मति से शेष अन्य पत्रावलियों को अगली बैठक में अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
दिनांक 16.06.2010

(पंकज कुमार)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
बस्ती।

3 10
22-7-10
आवश्यक

कार्यालय नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, बस्ती बस्ती
संख्या 10/80/विनियमित-2010 दिनांक 21 जुलाई, 2010
सेवा में,

सहस्रकृत नियोजक,
गोरखापुर ।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 347 दिनांक 20-7-10 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। बस्ती दैनिक जागरण में पृष्ठ 9 पर दैनिक क्विस्टुस्तान के स्थान पर निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क 8090, लखनऊ द्वारा कौटिल्य भारत दैनिक समाचार के पृष्ठ 4 पर दिनांक 21-7-10 को बस्ती महायोजना प्रारूप -2021 पर जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु विज्ञापित प्रकाशित है। श्री राम लखन एवं श्री आलोक सामान्त द्वारा प्रारूप को कार्यालय में लगा दिया गया है। यह कार्य महत्वपूर्ण है और इसके लिए के सिद्ध आपके विभाग के किसी शिक्षक कर्मचारी की तैनाती प्रदर्शन की तिथि से प्रदर्शन की समाप्ति तक होना आवश्यक है, जिसे इससे संबंधित जानकारी जनसामान्य को हो सके।

अस्तु अनुरोध है कि किसी कर्मचारी की तैनाती तत्काल करने का कष्ट करें।

अंश

भवदीय,
नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, बस्ती

प्रतिलिपि:-

जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ सादर
दृष्टि।

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, बस्ती ।

नंदी की हालत बेहतर

लखनऊ : इलाहाबाद में बम धमाके में घायल संस्थागत चिकित्सक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' की हालत में संतोषजनक सुधार है। 16 जुलाई को हुई आंत की सर्जरी के बाद आधा बुखार भी अब कम हुआ है। सोमवार को डाक्टरों ने चेकअप किया और उनकी हालत पहले से बेहतर बताई। अब उनको लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता पहले से कम हो गई है। वह विशेषज्ञों की देखरेख में है। मंत्री के गगर संजय सिंह की अभी भी न्यूरो सर्जरी के आईसीयू में रखा गया है। उनको अभी भी बुखार है, इसकी जांच की गई। उनकी हालत स्थिर है लेकिन अभी भी उनको वेंटीलेटर पर रखा गया है।

पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने का निर्देश

लखनऊ, जाब्यू : मुख्य सचिव अनुल कुमार गुप्ता ने चिकित्सालयों में पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए नर्सों व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भर जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में केटीन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने ब्रह्म वैक का संचालन ठीक से करने तथा चिकित्सालयों के निर्माणधीन भवनों का निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

सपा ने शुरु की अपनी ताकत की जमीनी पड़ताल

लखनऊ, जागरण ब्यूरो : 2012 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत की जमीनी पड़ताल शुरू कर दी है। पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी ने दो-दो नेताओं को सोमवार को जिला व महानगरों में भेज दिया है। पर्यवेक्षक एक हफ्ते तक वहां न केवल संगठन की समीक्षा करेंगे, बल्कि विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां के टिकट दावेदारों की क्षमता का भी आकलन करेंगे। सपा प्रमुख मुलायम सिंह का प्रयास उन कमियों को जल्द से जल्द दूर करने का है जिसकी वजह से आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को वोट का नुकसान हो सकता है। मुसलमानों के बीच सपा की साख वापस कायम हो सके, इसके लिए मुलायम ने भाई तक मांगने का कदम उठाया है। इसी के साथ उनकी तैयारी पार्टी को पूरी तरह चाक चौबंद करने की भी है। इस काम के लिए उन्होंने पार्टी के प्रमुख नेताओं पर ही भरोसा जताया है। हर जिले में दूसरे क्षेत्रों के दो नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है जो जिला-महानगर इकाई के साथ वहां के सभी प्रेडल संगठनों के कार्यकलापों की भी पड़ताल करेंगे। वे यह देखेंगे कि जिले में पार्टी संगठन की क्या स्थिति है? जनसमस्याओं को लेकर उसने कब-कब, कौन-कौन से आंदोलन किये? उनका क्या परिणाम रहा? आंदोलनों में कितने लोग जुटे? पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों ने खुद कितनी बार गिरफ्तारियां दी? हो नहीं ये पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं से अलग-अलग मिलकर पदाधिकारियों द्वारा दी गयी जानकारी को भी तस्वीक करेंगे। संगठन में जो भी कमी होगी, उसको दूर करने का सुझाव भी मांगेंगे। यही नहीं ये इस बात का भी पता लगायेंगे कि पार्टी में कितना आयसी सामंजस्य है।

बदरिश ने ली तीन महिलाओं समेत सात की जान

लखनऊ : सोमवार को मुसलखार वारिश ने मध्य व पूर्वी उत्तर प्रदेश में जमकर कहर बरसाया। इससे जहां किसानों को थोड़ी राहत मिली वहीं शहरों में जगह-जगह जल भय होने से जहां लोगों को कार्पनी परेशानी झेलनी पड़ी वहीं भारी वर्षा के कारण ही तीन महिलाओं सहित सात लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा। लखनऊ में भी दो बच्चे तेज बारिश ने ठूफनाये गले से बच गये।

बसपा सांसदों की बैठक आज

लखनऊ, जाब्यू : बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को पार्टी के सभी सांसदों को लखनऊ बुलाया है। 26 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। प्रमुख मुद्दों पर संसद में क्या रुख अपनाया जाएगा और कौन से मुद्दे पार्टी के स्तर उठाने होंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी, देवरिया

सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना

लिनक 13, जुलाई 2010

सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना

विद्यार्थियों को सूचना है कि राष्ट्रीय मंत्र संयोजन द्वारा जारी किए गए दि. 14.10.1983 एवं दि. 30.11.2002 द्वारा अधिसूचित बस्ती विनियमित क्षेत्र हेतु वर्षीय महायोजना 2021 (प्राथम्य) तैयार किया गया है, जिसकी दिनांक 16.06.2010 को निरन्तर प्राथिकारी संस्था विनियमित क्षेत्र बस्ती द्वारा आर्षि/सुसूत्र प्राप्त करने हेतु अनुमोदित किया गया है। जय सामान्य को बस्ती महायोजना 2021 (प्राथम्य) से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु महायोजना प्राथम्य की प्रारंभिक का आयोजन प्रकाशन की दिनांक से 30 दिनों तक निम्न प्राथिकारी, विनियमित क्षेत्र बस्ती (कलेक्ट्रेट परिसर) के कार्यालय में किया गया है। यह प्रदर्शनी जन सामान्य के अवलोकनार्थ प्राथम्य के कार्य दिवस में प्रा. 10 बजे से सां. 5 बजे तक खुली रहेगी। महायोजना 2021 (प्राथम्य) के सम्बन्ध में लिखित आर्षि/सुसूत्र प्राप्त अवधि में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, निरन्तर प्राथिकारी, विनियमित क्षेत्र, बस्ती अनपद बस्ती को सम्बोधित करते हुए कार्यालय निरन्तर प्राथिकारी/अध्यक्ष उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, बस्ती को प्रेषित किये जा सकते हैं। उपर्युक्त अवधि के पर्यन्त प्राप्त आर्षि/सुसूत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अभिमान्य कुमार तिवारी)
निरन्तर प्राथिकारी/अध्यक्ष उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बस्ती, जंगम बस्ती

UP-52577 विनियमित क्षेत्र परिसर www.upppn.org.in पर उपलब्ध है।

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देवरिया

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत विकास खण्डों के ग्राम पंचायतों में सम्पन्न कार्यों एवं जांच कार्ड धारकों को त्रै गयी मजदूरी के भुगतान एवं क्रियाचन्दन के विभिन्न चरणों के सार्वजनिक रूप से सौशल कोडिटे का कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के क्रम में निर्धारित किया गया है।

नरेगा के अन्तर्गत सौशल आडिट का कार्यक्रम-माह-जुलाई 2010

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	सौशल आडिट की तिथि	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	2	3	4	5
1	जिलाधिकारी	27.07.2010	फरवावाकुल (टडवा)	रायपुर ऊपरखना
2	मुख्य विकास अधिकारी	27.07.2010	मजुरी खुर्द	सलेथपुर
		28.07.2010	बेसवगिहा	देवरिया सदर
3	जिला विकास अधिकारी	26.07.2010	चुड़ीकुण्ड खुर्द	प्यारदेवा
		27.07.2010	कनबहा	बराहज
4	परियोजना निदेशक	28.07.2010	टीकमपुर	भाटभारराजी
		29.07.2010	तरकुतवा	तरकुतवा
5	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	26.07.2010	हरपुर	गौरीबाजार
6	अपर जिलाधिकारी (सिद्धा.)	27.07.2010	मरहवा	मजुसी
7	उप जिलाधिकारी सदर	28.07.2010	मुम्बेरा उर्फ देवरवा	देसही देवरिया
8	उप जिलाधिकारी रुमपुर	26.07.2010	नगवा	रुमपुर
9	उप जिलाधिकारी बराहज	27.07.2010	मटौली	भागलपुर
10	उप जिलाधिकारी सलेथपुर	26.07.2010	चतुकी	तार
11	उप जिलाधिकारी भाटभारराजी	27.07.2010	कोटा	बनकुटा

उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों की उपस्थिति में उक्त ग्राम सभा की खली बैठक में ग्रामवासियों द्वारा सौशल आडिट की जायेगी तथा इसके साथ ही सम्बन्धित ग्राम में कराये गये नरेगा कार्यों का स्थलीय सत्यापन भी किया जायेगा। आडिट के समय प्रिन्ट पीडिया, इलेक्ट्रानिक पीडिया को सूचित करने एवं कार्यवृत्त की वीडियोग्राफी का कार्य कराने तथा कार्य के आयोजन का समस्त कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा सभी सम्बन्धित अधिकारी/कार्यकारी की उपस्थिति सौशल आडिट के समय अनिवार्य है।

जिलाधिकारी, देवरिया

पत्रांक 708/नरेगा-डेव/2010-09 दिनांक 19 जुलाई, 2010

एक कर्मचारी नेतृत्व का अनुमान सहज ही होता है। उसे रोकना चाहिये।

भारत ने फ्रांस को हाकी में हराया

पेरिस, 20 जुलाई। भारतीय हाकी टीम को अपनी रक्षा पंक्ति का समारोह की संस्मरण है क्यों कि फ्रांस जैसी टीम का एक खिलाड़ी नहीं, दो नहीं, तीन गोल लगातार मार सकता है तो आश्चर्य क्यों होता? बहरहाल टेस्ट मैच में भारत ने ४-२ से फ्रांस को हरा दिया जिसमें फ्रांस की ओर से फ्रेडरिक सोयेज ने हैट्रिक जमाई।

भारत की ओर से तुषार खांडेकर एक, संदीप सिंह २ तथा राजपाल सिंह ने एक गोल किए।

माह का जना ताका पूरा हा जाए महामाया आर्थिक मदद

बस्ती, 20 जुलाई। मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के संकेत सूची के सत्यापन हेतु ग्राम पंचायतों की खुली बैठकें आयोजित की जायें। प्रत्येक दश में सत्यापन का कार्य अगस्त माह के अंत तक पूरा कर लिया जाय। उक्त आशय के निर्देश जिलाधिकारी श्री पंकज कुमार ने ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों के आयोजन हेतु अधिकारियों को नामित कर रोस्टर जारी करते हुये दिया। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि घोषित रोस्टर के अनुसार ग्राम

सूची के सत्यापन के लिये उप संबंधित कर्मचारी, बन्दोबस्त अधिकारी कर्मचारी, अधिकांश उप जिलाधिकारी, अधिकांश अभियन्ता सरपु नहर खण्ड तीन, सरपु नहर खण्ड चार, सरपु नहर खण्ड पांच, सरपु नहर खण्ड छ, जिला मनोरंजन



अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला क्रीडा अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। सुरक्षा विकास खण्ड के लिये उप निदेशक उष्यन, जिला खादी ग्रामीण अधिकारी,

प्रभाषीम पनाधिकारी, अपर उप जिलाधिकारी, महा प्रत्यक्ष जिला उद्योग केन्द्र, सहायक प्रबन्धक अनुमण्डल, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी तथा जिला पूर्ण अधिकारी को नामित किया गया है। विकास खण्ड सांड भूट के लिये सरपु नहर खण्ड सात, सरपु नहर खण्ड एक व दो, सरपु नहर खण्ड एक हरेण के अधिकांश अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड के सेना अभियांसी अभियन्ता, लोक विभाग विभाग के प्रान्तीय खण्ड के अधिकांश अभियन्ता के अधिकांश नलकूप, पलनिगम, गुण निर्वहन खण्ड के अधिकांश अभियन्ता गण को

बोल भाई बोल

- ★ फिर लापरवाही, फिर मिडी देन, ६३ मरे। क्या हुआ तेरा बादा- ममता जी।
- ★ बस्ती में नौ स्वास्थ्य केन्द्रों में एण्टी स्लेक वेगन नहीं व्यवस्था करिये जनाब। खूदा करे किसी को सांप न काटे
- ★ बेइरुम और किचन तक पहुंचा नाली का पानी। अखबार में फोटो का छापत ही। जिम्मेदार से कहतो ना?
- ★ चिदाचरम ने आहत किया, पर नवसलियों से संवाद करना होगा। स्वामी अग्निवेश जब तक आप खरीखे लोग रहेंगे यही कहेंगे।
- ★ भारत ने हाकी में फ्रांस को हराया। अस्सी खबर है।

चन्द

संख्या 1013 दिनांक 13 जुलाई 2010

कार्यालय नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र बस्ती, (कलेक्ट्रेट परिसर) जनपद-बस्ती।

महायोजना प्रदर्शनी सम्बन्धी विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासकीय पत्र संख्या-6020/37-3-82-55 एन.के.पी./82 दिनांक 14.10.1983 एवं शासकीय पत्र संख्या 3120/8-अ-3-2002-55 एन.के.पी./82, दिनांक 30.11.2002 द्वारा अधिसूचित बस्ती विनियमित क्षेत्र हेतु बस्ती महायोजना 2021 (प्राक्ष) तैयार किया गया है, जिसकी दिनांक 15.06.2010 को नियंत्रक प्राधिकारी तथा, विनियमित क्षेत्र बस्ती द्वारा आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु अनुमोदित किया गया है।

जन सामान्य को बस्ती महायोजना 2021 (प्राक्ष) से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु महायोजना प्राक्ष की प्रदर्शनी का आयोजन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र बस्ती (कलेक्ट्रेट परिसर) के कार्यालय में किया गया है। यह प्रदर्शनी जन सामान्य के अवलोकनार्थ प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुली रहेगी। महायोजना 2021 (प्राक्ष) के सम्बन्ध में लिखित आपत्ति/सुझाव उक्त अवधि में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, बस्ती जनपद बस्ती को सम्बोधित करते हुए कार्यालय नियत प्राधिकारी/अपर उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, बस्ती को प्रेषित किये जा सकते हैं।

उपरोक्त अवधि के पर्याप्त प्राण आपत्तियों/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अभिमन्यु कुमार तिवारी)

नियत प्राधिकारी/अपर उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र, बस्ती

उप० 52677/दि०.16.07.2010

सं०एच०सं०दि०/www.upgov.nic.in

जनपद-बस्ती

अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला प्रशिक्षण अधिकारी तथा जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है; यह अधिकारी विभिन्न विधियों में इस विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में सूची का सत्यापन करेंगे। इसी प्रकार बहादुरपुर विकास खण्ड के लिये जिला सेवायोजन अधिकारी, सहायक निदेशक बचन, प्राविधिक अधिकारी भूमि संरक्षण, जिला आवकारी अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक सह विद्यालय निरीक्षक, जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नामित किये गये हैं। इन्हें २०, २२, २४, २६, २८ व ३० जुलाई तथा ०२ अगस्त व ०४ अगस्त की तिथियों में ग्राम समायोजन कर उसकी बैठकें कराने की जिम्मेदारी दी गयी है।

बनकटी विकास खण्ड में मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना की

न्योति जैसे दी मोती बसे न्यो बस गये तो प्र मेरे हृदय के दे

नयन के सपने चहकते सुरभि बन मन में महकते हृदय-नभ में तुम सजीले चांद जैसे हो चमकते।

न्यो प्रतिक्षा प्री खुशियां धिरक न्यो रमे रमणीः तुम हृदय के री

प्रीय में जलधार जैसे सरस एक फुहार जैसे हो प्रवाहित आंसुओं में प्राण प्रिय! तुम प्यार जैसे


सिहरन बसी ग न्यो रागिनी सं बस गये तुम रि प्राण! मन नवन स्व

(डॉ० दशरथ)


बस्ती महायोजना-2021 (प्रारूप) पर प्राप्त आपत्तियों / सुझावों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु गठित समिति का निर्णय / संस्तुति

बस्ती महायोजना 2021 (प्रारूप) पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव के सम्बन्ध में सारांश एवं विभागीय अभिमत

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
1.	श्री राधेश्याम मु० मुरली जोत नि० कोतवाली बस्ती तहसील व जिला बस्ती।	जनपद बस्ती में महायोजना 2020-21 में का० जिला उद्योग केंद्र, बस्ती के पश्चिम सटे सड़क जो एस.के.पी. इण्टर कालेज के सामने जामियां शायिंग कॉम्प्लेक्स एवं होटल प्रकाश के सामने निकलती है (दक्षिण दरवाजा स्टेशन रोड) तथा भुरली जोत मुहल्ले से होते हुए श्री गंगाराम हरिजन के मकान के सामने से होकर बस्ती-गोरखपुर मार्ग को जोड़ती है। इन सभी मार्गों/सड़कों का प्रस्ताव महायोजना के मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है। अस्तु आपत्ति दर्ज करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित सड़कों के मानचित्र में प्रदर्शित करने की कृपा करें।	प्रश्नगत मार्ग को तकनीकी कारणों से महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सका है। वह जिस भी भू-उपयोग के अन्तर्गत स्थित है उसकी स्थिति यथावत् बनी रहेगी तथा उस पर महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव के परिश्रेय में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी का परीक्षण किया गया। चूंकि महायोजना के मानचित्र पर न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्गों से कम चौड़ी मार्गों को दर्शाया जाना तकनीकी कारणों से सम्भव नहीं है। अतएव आपत्ति/सुझाव औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे समिति द्वारा निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
2.	श्री गोरी शंकर पाण्डेय ग्राम-मड़वा नगर	बस्ती महायोजना 2021 में मड़वा नगर को कृषि क्षेत्र दिखाया गया है, जबकि उक्त स्थिति में मड़वा नगर में 90 प्रतिशत नक्शा पास होकर मकान बन चुका है। अतः	महायोजना के प्रभावी होने से पूर्व तक नियमानुसार स्वीकृत भवन यथावत् रहेंगे तथा शेष भाग को कृषिगत क्षेत्र ही दर्शाया जाना उचित होगा, क्योंकि उक्त ग्राम मड़वा	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव के परिश्रेय में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की




क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
3.	श्री चन्द्रपाल चौधरी, समासद नगर पालिका परिषद्, बस्ती, मुहल्ला जयपुरवा, पो0-गांधीनगर, बस्ती (उ0प्र0)	अनुरोध है कि मड़वा नगर में भी आवासीय क्षेत्र घोषित किया जाय, जिससे बने हुए मकान रेगुलराइज होंगे। बस्ती महायोजना 2021 की प्रदर्शनी में प्रस्तावित मुहल्ले की सड़कों (रोडवेज के पीछे) के काफी चौड़ा 18 मीटर दिखाया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वहाँ के मकान लगभग सैकड़ों वर्ष से बनते रहे हैं एवं वर्तमान समय में सड़क की चौड़ाई लगभग 8 मीटर है। यदि इस को 24 मीटर कर दिया जाता है तो मुहल्ले के काफी मकान गिर जाएंगे।	नगर का अधिकांश भाग महायोजना क्षेत्र के नगरीय प्रस्ताव से बाहर स्थित है। प्रश्नगत मार्गों की विकसित/निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान चौड़ाई यथावत् रहेगी। अतः महायोजना स्वीकृत होने से पूर्व नियमानुसार स्वीकृत बने भवन यथावत् रहेंगे। प्रश्नगत सड़कों की चौड़ाई भावी यातायात भार के दृष्टिगत ही महायोजना मानचित्र में प्रस्तावित है। इससे नगर के	टिप्पणी का परीक्षण किया। चूँकि महायोजना के प्रभावी होने से पूर्व तक नियमानुसार स्वीकृत/निर्मित भवन यथावत् रहेंगे और मड़वा नगर का अधिकांश भाग महायोजना क्षेत्र के नगरीय-प्रस्तावों के बाहर स्थित है। अतएव उक्त प्रारंभों को कृषिगत क्षेत्र के अन्तर्गत दर्शाया गया है जो औचित्यपूर्ण है। अतः आपत्ति/सुझाव को समिति द्वारा निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव के समन्वय में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी का परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से महायोजना मानचित्र में निर्मित/विकसित क्षेत्रों के अन्तर्गत जो मार्ग दर्शाये गये हैं उनकी चौड़ाई सरकारी




2

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
4.	श्री राम लखन गोड़, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा जिला-बस्ती।	अतः रोडवेज के पीछे मो0- जयपुरवा एवं अन्य सड़कों की चौड़ाई पुराना ही रखा जाये। बस्ती महायोजना 2021 के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों जो चौड़ी होनी है वह न्याय संगत नहीं है, क्योंकि जो सड़क सरयू नहर परियोजना गांव गाँड़िया मार्ग जो लगभग 16 फीट चौड़ी है उसे 25 मीटर (75 फीट) एवं दक्षिण दरवाजा अस्पताल मार्ग जो 25 फीट है, प्रस्ताव में 100 फीट चौड़ा होना। वहाँ पर ऐसा मत किया जाय क्योंकि ऐसा होने पर काफी मकान गिर जायेंगे, पुराने सड़क की ही लम्बाई रखी जाय।	वर्तमान भवन प्रभावित नहीं होंगे। फिर भी इन मार्गों की वर्तमान चौड़ाई को ही यथावत् रखने के समन्वय में नियंत्रक प्राधिकारी अपने स्तर से भी निर्णय लेने में सक्षम हैं। विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-3 के अनुसार।	अभिलेखानुसार ही प्रस्तावित किये जाने तथा विकासशील/खुले क्षेत्रों में प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई को यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव के समन्वय में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी का परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना मानचित्र में निर्मित/विकसित क्षेत्रों के अन्तर्गत जो मार्ग दर्शाये गये हैं। उनकी चौड़ाई विभागीय अभिलेखानुसार ही प्रस्तावित किये जाने तथा विकासशील/खुले क्षेत्रों में प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई को यथावत् रखने की संस्तुति की जाती है।




142³

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
5.	श्रीमती सुखपाती, प्रधान, ग्राम पंचायत, डिडौहा विकास खण्ड-बस्ती सदर, जिला-बस्ती।	बस्ती महायोजना का जो प्रारूप बनाकर जोन तैयार किया गया है वह 14-15 वर्ष पहले के सर्वे के आधार पर है, सर्वे के बाद हजारों भौतिक परिवर्तन स्थल पर हो चुके हैं तथा सर्वे के समय तमाम बातों को प्रारूप में नहीं दर्शाया गया है, मसलन ग्राम-डिडौहा, विकास क्षेत्र, बस्ती सदर एन.एच.-28 के पूरब एवं द्विजेश मार्ग के उत्तर सटे भू संख्या-355, 356, 357 वो उसके पूर्व नाउडाड़ सीवान तक मकान बने हैं। भूखण्ड संख्या-284 के पूरब भू-खण्ड संख्या-344 के परिचम के बीच भूखण्ड संख्या 319, 327, 528 आदि नम्बरों में 44 मकानों का एक पुरवा बसा हुआ। एन.एच. 28 के इर्द-गिर्द काफी मकान बन चुके हैं। इसी प्रकार खोराखार विकास क्षेत्र, बस्ती सदर एन.एच.-28 के पूरब व द्विजेश मार्ग के उत्तर तथा दक्षिण तरफ कई मकाने एवं दुकाने बन चुकी हैं। भूखण्ड संख्या 149 में एक पंजीकृत विद्यालय बना	किसी नगर के सतत विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। वर्तमान भू-प्रयोग मानचित्र वर्ष 2006 में तैयार करके महायोजना प्रस्ताव का मानचित्र तैयार किया गया है। इस अवधि के मध्य एवं इससे पूर्व नियमानुसार स्वीकृत कराकर बने भवन महायोजना लागू होने से पूर्व तक यथावत् बने रहेंगे। भले ही तकनीकी कारणों से उन्हें महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सका है। अतः पुनः वांछित सर्वे कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव के परिशिष्ट में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी का परीक्षणोपरान्त सर्वसम्मति से यह संस्तुति की गयी कि महायोजना के आन्तरिक/वाह्य क्षेत्रों में मार्गों के किनारे जो नियमानुसार निर्माण हुए हैं वे यथावत् बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सका है। अतएव इस प्रारूप को निरस्त करके पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।




4

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
6.	श्री जितेंद्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी विधायक (बसपा) 152 बस्ती सदर। संलग्नक : सुखपाती प्रधान का छायाप्रति आवेदन संलग्न है।	है तथा एन.एच.-28 के परिचम में मकाने एवं कब्रिस्तान है। इसी प्रकार नाउडाड़रानी व हर्दिया वुजुर्ग में भी द्विजेश मार्ग के उत्तर, दक्षिण दोनों तरफ मकान बने हुए हैं तथा पूरे विनियमित क्षेत्र में सर्वे के बाद हजारों भौतिक परिवर्तन हो चुके हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रस्तुत प्रारूप को निरस्त करके नये सिरे से सर्वे करवाकर बस्ती महायोजना का प्रारूप तैयार करवाने की कृपा करें। ग्राम प्रधान डिडौहा के संलग्न शिकायती पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें अवगत कराना है कि 14-15 वर्ष पूर्व सर्वे के आधार पर बस्ती महायोजना का प्रारूप बनाकर जाने तैयार किया गया है। किन्तु वर्तमान में सर्वे के पश्चात पूरे वि०क्षे० में हजारों भौतिक परिवर्तन हो चुके हैं अतएव अपेक्षा की जाती है कि प्रस्ताव प्रारूप नये सिरे से सर्वे करवाकर बस्ती महायोजना का प्रारूप तैयार कराया जाय।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव के परिशिष्ट में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी का परीक्षणोपरान्त सर्वसम्मति से यह संस्तुति की गई कि महायोजना के आन्तरिक/वाह्य क्षेत्रों के मार्गों के किनारे जो नियमानुसार निर्माण हुए हैं वे यथावत् बने रहेंगे, भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से महायोजना




143⁵

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
7.	श्री दयाराम चौधरी पुत्र मुनिराम चौधरी, ग्राम-डिड़ोहा, वि०क्षे० बस्ती।	एन.एच. 28 के पूर्व व खोराखार वाल्टरगंज रोड के दक्षिण ग्राम डिड़ोहा व खोराखार वि०क्षे० बस्ती को 13-14 वर्ष पूर्व सर्वे के आधार पर बस्ती महायोजना का प्रारूप तैयार करवाकर ट्रान्सपोर्ट नगर का जोन बनाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार ग्राम नाऊडाड़ रानी वि०क्षे० बस्ती में प्रार्थी के भूखण्ड संख्या-35 व इसके इर्दगिर्द सामुदायिक विकास क्षेत्र का जोन बनाया गया है जबकि इसके पश्चिम नियत प्राधिकारी द्वारा दो आवासों व दक्षिण में भी आवास का मानचित्र स्वीकृत है। अतः प्रार्थना है कि पूर्व में कराये गये सर्वे को निरस्त करके नये सिरे से सर्वे कराकर सारी बातों को ख्याल रखते हुए बस्ती महायोजना का प्रारूप तैयार करवाने की कृपा करें।	महायोजना प्रारूप में प्रश्नगत प्रस्ताव महायोजना क्षेत्र के भावी विकास एवं स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत ही उपयुक्त स्थलों पर किये गये हैं। अतः उन्हें अन्यत्र प्रस्तावित किया जाना तकनीकी एवं व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। अतएव पुनः सर्वे कराकर नया प्रस्ताव तैयार कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।	प्रारूप को निरस्त करके पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है। अतएव आपत्ति निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी के अवलोकनोपरान्त सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना प्रारूप में ट्रान्सपोर्टनगर का प्रस्ताव महायोजना क्षेत्र के भावी विकास एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थल पर किया गया है। अतएव आपत्ति/सुझाव बलहीन होने के कारण इसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। अतः इसे अन्यत्र प्रस्तावित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव आपत्ति निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।



6

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
8.	श्री सीताराम वर्मा पुत्र श्री रामदीन वर्मा, ग्राम-डिड़ोहा, पो०-पुरानी बस्ती, जिला-बस्ती।	बस्ती महायोजना को जो प्रारूप बनाकर जोन तैयार किया गया है वह 14-15 वर्ष पहले के सर्वे के आधार पर है। सर्वे के बाद हजारों भौतिक परिवर्तन स्थल पर हो चुके हैं तथा सर्वे के समय तमाम बातों को प्रारूप में नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी का ग्राम-डिड़ोहा के भूखण्ड संख्या-346 में दुकान बनी है। जिसका मानचित्र नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है और शेष रकबे में ग्राम के बागीचा है और भूखण्ड संख्या-441 आबादी के सटा है। आवासीय प्रयोजन की भूमि है यह कत्तई ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए उचित भूमि नहीं है। इसी प्रकार ग्राम-खोराखार विनियमित क्षेत्र बस्ती खोराखार वाल्टरगंज रोड के उत्तर तरफ प्रार्थी का भूखण्ड संख्या-185 आवासीय एवं कृषि प्रयोजन की भूमि है, जिसे ग्रीन पार्क हेतु प्रस्ताव किया गया है। जो उचित नहीं है। अतः प्रार्थना है कि पहले के सर्वे को निरस्त कर पुनः सर्वे कराकर बस्ती महायोजना प्रारूप तैयार कराया जाय।	विभागीय अभिगत आपत्ति संख्या-7 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी के अवलोकनोपरान्त सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना प्रारूप में ट्रान्सपोर्टनगर का प्रस्ताव महायोजना क्षेत्र के भावी विकास एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थल पर किया गया है। अतएव आपत्ति/सुझाव बलहीन होने के कारण इसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। अतः इसे अन्यत्र प्रस्तावित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव आपत्ति निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।



144⁷


क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
9.	श्री वंशराज चौधरी पुत्र जसई, ग्राम डिडोहा, पो0-पुरानी बस्ती, जिला-बस्ती।	— तदैव —	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-7 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी के अवलोकनोपरान्त सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना प्रारूप में ट्रांसपोर्टनगर का प्रस्ताव महायोजना क्षेत्र के भावी विकास एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थल पर किया गया है। अतएव आपत्ति/सुझाव बलहीन होने के कारण इसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। अतः इसे अन्यत्र प्रस्तावित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव आपत्ति निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
10.	श्री राम शर्मा एवं अन्य प्रार्थीगण, ग्राम डिडोहा, पो0-खोराखार बस्ती,	बस्ती महायोजना को जो प्रारूप बनाकर जोन तैयार किया गया है वह 14-15 वर्ष पहले के सर्वे के आधार पर है। सर्वे के	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-7 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के

[Handwritten Signature]

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
11.	श्री शिव पूजन पुत्र बलदेव, ग्राम डिडोहा, विकास क्षेत्र-बस्ती।	वाद हजारों भौतिक परिवर्तन स्थल पर हो गये हैं तथा सर्वे के समय तमाम बातों को प्रारूप में नहीं दर्शाया गया है। मसलन खोराखार मार्ग के उत्तर एन.एच.-28 के पूरव ग्रीन पार्क दक्षिण तरफ खोराखार डिडोहा अन्य ग्राम में ट्रांसपोर्ट एवं एन.एच. 28 से पश्चिम कृषि क्षेत्र आदि के लिए जोन बनाया गया है ऐसे में ग्राम खोराखार डिडोहा बस्ती एवं हरदिया बुजुर्ग आदि के गांव के निवासियों का बहुत नुकसान हो रहा है। एन.एच.-28 के पश्चिम उसी क्षेत्र में बनाया जा रहा है। उसको कृषि एवं आवासीय दोनों बनाया जाय क्योंकि आवासीय तेज से बढ़ रही है। इसलिए हम समस्त ग्रामवासी 14-15 वर्ष पहले सर्वे को आधार बनाकर बस्ती महायोजना के जोन बनाने का विरोधस्वरूप हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दे रहे हैं। इन ग्रामों का पुनः सर्वे कराकर जोन बनाया जाय।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-7 के अनुसार।	परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी के अवलोकनोपरान्त सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना प्रारूप में ट्रांसपोर्टनगर का प्रस्ताव महायोजना क्षेत्र के भावी विकास एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थल पर किया गया है। अतएव आपत्ति/सुझाव बलहीन होने के कारण इसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। अतः इसे अन्यत्र प्रस्तावित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव आपत्ति निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
11.	श्री शिव पूजन पुत्र बलदेव, ग्राम डिडोहा, विकास क्षेत्र-बस्ती।	बस्ती महायोजना को जो प्रारूप बनाकर जोन तैयार किया गया है वह 14-15 वर्ष	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-7 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के


[Handwritten Signature]

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
12.	श्री वंशराज पुत्र रमेशर काशतकार, ग्राम- डडवा निवासी, ग्राम-डिडौहा, विकास क्षेत्र-वस्ती।	पहले के सर्वे के आधार पर है। जो बाद में हजारों भौतिक परिवर्तन स्थल पर हो चुके हैं। प्रार्थी का भूखण्ड संख्या-160, 184 ग्राम-खोराखार विकास क्षेत्र, वस्ती आवादी के करीब व वस्ती वाल्टरगंज रोड के उत्तर है। जो आवासीय व कृषि प्रयोजन की भूमि है। जिससे ग्रीन पार्क से प्रस्ताव किया गया है। जो उचित नहीं है। इसी प्रकार ग्राम-डिडौहा विकास क्षेत्र, वस्ती में 360 में मकान बना है तथा इसी के पीछे व बगल में पूरव भू-संख्या-359 है जो व्यावसायिक व आवासीय प्रयोजन की भूमि है। जो वस्ती वाल्टरगंज रोड से सटे उत्तर तरह है। इससे इसे इसी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रार्थना है कि वस्ती महायोजना का प्रस्ताव निरस्त करके नये सिरे से सर्वे करवाकर प्रारूप तैयार कराया जाय। वस्ती महायोजना का प्रारूप बनाकर प्रस्ताव नियत प्राधिकारी के कार्यालय में नक्शा टांगा गया है। इस प्रस्ताव की जानकारी	आपत्ति/सुझाव महायोजना से सम्बन्धित नहीं है।	परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी के अवलोकनोपरान्त सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना प्रारूप में ट्रांसपोर्टनगर का प्रस्ताव महायोजना क्षेत्र के भावी विकास एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थल पर किया गया है। अतएव आपत्ति/सुझाव बलहीन होने के कारण इसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। अतः इसे अन्यत्र प्रस्तावित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव आपत्ति निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग



10

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
13.	श्री परशुराम दास उर्फ घनश्याम दास पुत्र स्यो वृजभूषण लाल, मो0-पिकौरा वक्स, तप्पा-हयेली, परगना-वस्ती पूरव, तहसील व जिला-वस्ती।	वि0क्षे0 के प्रभावित पक्षों को नहीं हो पा रही है। अतः आप से विनम्र प्रार्थना है कि वि0क्षे0 के राजस्व ग्रामों के प्रधानों को हर ग्राम में क्या-क्या प्रस्ताव है कि विस्तृत सूचना प्रचार-प्रसार हेतु देने का निर्देश देने की कृपा करें, जिससे लोग उस पर अपनी आपत्ति दे सकें। मानचित्र को देखने से जो गलतियां उजागर हुई हैं, उनका विवरण निम्नवत् है - 1. यह कि किया गया सर्वे अपूर्ण है क्योंकि यथा-स्थान पर चीजों को नहीं दर्शाया गया है। 2. यह कि मौजा-मूडघाट का लगभग 80 प्रतिशत रकबा आवादी में परिवर्तित हो चुका है। यदि कोई रकबा आवादी	विभाग द्वारा किया गया सर्वे पूर्ण है और तकनीकी कारणों से जिन वर्तमान स्थलों को मानचित्र में यथावत् नहीं दर्शाया जा सका है, वे महायोजना के प्रभावी होने पर यथावत् बने रहेंगे। भले ही उनका उपयोग मानचित्र में अन्यथा हो। यह विन्दु महायोजना प्रारूप से सम्बन्धित नहीं है।	की टिप्पणी का परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि वस्ती महायोजना प्रारूप की जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराने के विभिन्न विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रदर्शनी आयोजित की गयी है। अतएव आपत्ति तथ्यहीन एवं महायोजना प्रारूप से सम्बन्धित होने के कारण आपत्ति निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि विन्दु संख्या-2, 3 महायोजना से सम्बन्धित नहीं है तथा विन्दु संख्या-1 एवं 4 तथ्यहीन होने के कारण आपत्ति/सुझाव निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।



11
146

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>के दीच में छूटा हुआ है वह भी नागरिकों में आबादी के विकास के लिए छोड़ रखा है।</p> <p>3. यह कि ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत रकबा जो कुंआनों नदी का किनारा है जिसमें कभी-कभी एक फसल रबी की हो जाती है।</p> <p>4. यह कि मौजा उपरोक्त जो कृषिक क्षेत्र दर्शाया गया है जो बिल्कुल गलत है। यह गांव हर्गिज कृषिक क्षेत्र में नहीं आता है।</p> <p>5. यह कि सर्वे में की गयी कमियों को दूर करने के पश्चात् ही इस योजना का क्रियान्वयन किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अतः आपत्ति हाजा दाखिल कर उम्मीदवार हूँ कि उपरोक्त आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाये।</p>	<p>यह बिन्दु महायोजना से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-2 के अनुसार।</p> <p>— तदैव —</p>	

[Handwritten Signature]

12

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
14.	श्री संतराम व पंचराम पुत्रगण रामराज तथा श्रीमती मोहरा पत्नी-रामराज, निवासी ग्राम-नाउडाइरानी, तप्पा-हवेली, परगना-बरती पूरव, तहसील व जिला-बरती।	<p>1. यह कि मौके का जो नक्शा बनाकर पार्क व खुला स्थान दिखाया गया है, वह सरासर गलत है। मौके पर मौजूद आवासीय जमीन को भी पार्क खुला स्थान दिखा दिया गया है, जो मौके के निरीक्षण से जाहिर होगा।</p> <p>2. नाउडाइरानी में सड़क के उत्तर आवासीय दिखाया गया है। उसी रूप में सड़क के दक्षिण भी नाउडाइरानी आवासीय दिखाया जाना परम आवश्यक व जरूरी है।</p> <p>3. यह कि नक्शा मुताबिक मौका न बनाकर मनमानी तरीके से गलत बनाया गया है। इसको दुरुस्त व संशोधित करते हुए सड़क के दक्षिण भी आवासीय जमीन है, उसे भी आवासीय किया जाना जरूरी है।</p> <p>अतः बजरिये आपत्ति श्रीमान् जी से निवेदन है कि मौके के अनुसार नक्शा संशोधित करके सड़क के दक्षिण की आवासीय जमीन को भी नाउडाइरानी</p>	<p>महायोजना प्रभावी होने से पूर्व नियमानुसार स्वीकृतोपरान्त बने भवन यथावत् रहेंगे। भले ही तकनीकी कारणों से उन्हें मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सका है।</p> <p>उक्त प्रस्ताव वर्तमान एवं भावी विकास के दृष्टिगत ही किया गया है तथा प्रश्नगत क्षेत्र को स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत है। पार्क एवं खुला क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>सम्बन्धित बिन्दु पर विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-7 के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मानचित्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपत्ति के बिन्दु संख्या-1,2 एवं 3 तथ्यहीन हैं तथा प्रश्नगत प्रारूप महायोजना को दृष्टिगत रखते हुए किये गये हैं। अतएव आपत्ति/सुझाव निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>

[Handwritten Signature]

13
147

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
15.	श्रीमती प्रेमसुधा चौधरी, पत्नी राम नारायण चौधरी निवासी ग्राम-नाउडाइशानी, तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरब, मकान नं०-434	<p>आवासीय दिखाया जावे। मौजूदा नक्शा गलत होने के कारण निरस्त किया जावे।</p> <p>निवेदन है कि आपके कार्यालय में भूमि प्रयोग के सम्वन्ध में लगाये गये मानचित्र में निम्न कमियां पायी जा रही हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> हम प्रार्थिनी प्रेम सुधा पत्नी राम नारायण चौधरी ने नाउडाइशानी तप्पा हवेली परगना-बस्ती पूरब में रकबा नं० 12/136 में 2 विस्वा जमीन लेकर अपना मिकान निर्मित किया है। जो कि आपके कार्यालय द्वारा नक्शा भी पास है तथा मकान नं०-434 हमारे नाम से एलॉट भी कर दिया गया है। जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। उक्त का उल्लेख आपके नक्शे में कही भी नहीं है। यह कि सेंट बॅसिल महर्षि विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय जल निगम कार्यालय, पी.एन.वी. बैंक जैसे 	<p>महायोजना प्रारूप में भू-उपयोग वृहद् स्तर पर प्रस्तावित किये जाते हैं न कि भूखण्ड/गाटा संख्या के स्तर पर। अतएव उक्त तकनीकी कारणों से सभी गू-खण्ड को मानचित्र में दर्शाया जाना संभव नहीं है।</p> <p>इन छोटे-छोटे प्रतिष्ठानों/स्थलों को तकनीकी कारणों से महायोजना मानचित्र में दर्शाया जाना संभव नहीं है।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी का परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना प्रारूप के मानचित्र में भू-उपयोग वृहद् स्तर पर प्रस्तावित एवं प्रदर्शित किये जाते हैं न कि गाटा संख्या स्तर पर। इनके अतिरिक्त तकनीकी कारणों से प्रश्नगत स्थल महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाए जा सके हैं। वे यथावत् बने ही रहेंगे। इस प्रकार आपत्ति/सुझाव के सभी बिन्दु तकनीकी दृष्टि से औचित्य न होने के कारण उन्हें निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>

14

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
16.	श्री राम अवध चौधरी पुत्र श्री राम जियावन, निवासी ग्राम-नाउडाइशानी, तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरब	<p>महत्वपूर्ण संस्थानों का भी आपके नक्शों में कही भी उल्लेख नहीं है।</p> <ol style="list-style-type: none"> तमाम पिच मार्ग, चक मार्ग, नाली, जल जमाव क्षेत्र (लॉ-लैण्ड) का भी मानचित्र में उल्लेख नहीं पाया गया। मानचित्र को देखने से ज्ञात होता है कि यह बहुत पहले का मानचित्र है जिसमें हजारों-हजारों निर्मित मकान को भी नहीं दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में पुनः जाँच करके नया मानचित्र बनाया जाय, जिसमें उपरोक्त तथ्यों का भी उल्लेख किया जाय। इसके पश्चात ही आपत्तियां ली जाय। <ol style="list-style-type: none"> यह कि सेंट बॅसिल, महर्षि विद्यालय प्राथमिक विद्यालय, जल निगम कार्यालय, पी.एन.वी. बैंक जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का भी आपके नक्शों में कही भी उल्लेख नहीं है। 	<p>अतः वर्तमान प्रतिष्ठान/स्थलों का भू-उपयोग यथावत् रहेगा। भले ही उनका उपयोग अन्यथा दर्शाया गया है।</p> <p>— तदैव —</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-15 बिन्दु संख्या-2 के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी के परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया</p>


15
148

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
17.	श्रीमती मानती देवी पत्नी श्री शिव पूजन (स्वर्गीय), निवासी ग्राम-नाउडाइरानी, तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरव, तहसील व जिला-बस्ती।	<p>2. तमाम पिच मार्ग, चक मार्ग, नाली जल जमाव क्षेत्र (लो लैण्ड) का भी मानचित्र में उल्लेख नहीं पाया गया।</p> <p>3. मानचित्र को देखने से ज्ञात होता है कि यह बहुत पहले का मानचित्र है जिसमें हजारों-हजारों निर्मित मकान को भी नहीं दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में पुनः जाँच करके नया मानचित्र बनाया जाये जिसमें उपरोक्त तथ्यों का भी उल्लेख किया जाय। इसके पश्चात् ही आपत्तियां ली जायं।</p> <p>1. यह कि सेंट वेंसिल महर्षि विद्यालय प्राथमिक विद्यालय, जल निगम कार्यालय, पी.एन.वी. बैंक जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का भी आपके नक्शे में कहीं भी उल्लेख नहीं है।</p> <p>2. तमाम पिच मार्ग चक मार्ग वाली का लमाव क्षेत्र (लो लैण्ड) का भी मानचित्र में उल्लेख नहीं पाया गया।</p>	<p>आपत्ति संख्या-15 के विन्दु संख्या-3 के अनुसार।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-16 के विन्दु संख्या-1 के अनुसार।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-16 के विन्दु संख्या-2 के अनुसार।</p>	<p>गया कि महायोजना प्रारूप के मानचित्र में भू-उपयोग वृहद् स्तर पर प्रस्तावित एवं प्रदर्शित किये जाते हैं न कि गाटा संख्या स्तर पर। इसके अतिरिक्त तकनीकी कारणों से प्रश्नगत स्थल जो महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाए जा सके हैं। अतः वे यथावत् बने रहेंगे। इस प्रकार आपत्ति/सुझाव के सभी विन्दु तकनीकी दृष्टि से औचित्य न होने के कारण उन्हें निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव के परिश्रेय में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी के परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना प्रारूप के मानचित्र में भू-उपयोग वृहद् स्तर</p>



16

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
18.	श्री चन्द्र केशव पाण्डेय, नन्द निकेतन, ग्राम-वरगदवा डोरिका मार्ग, बस्ती। रत्नाकर धुसिया भारत गैस सर्विस एवं वसन्त चौधरी, संस्थापक श्रीकृष्ण चेरिटेबुल अस्पताल, डोरिका मार्ग, वरगदवा, बस्ती।	<p>3. मानचित्र को देखने से ज्ञात होता है कि यह बहुत पहले का मानचित्र है जिसमें हजारों-हजारों निर्मित मकान को भी नहीं दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में पुनः जाँच करके नया मानचित्र बनाया जाय जिसमें उपरोक्त तथ्यों का भी उल्लेख किया जाये। इसके पश्चात् ही आपत्तियां ली जायं।</p> <p>ग्राम वरगदवा बासी रोड से मिले हुए डोरिका रोड को मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है, वहाँ पर बने आवासीय भवन, भारत गैस गोदाम व श्रीकृष्ण चेरिटेबुल अस्पताल को प्रदर्शित नहीं किया गया है। जो अत्यन्त आपत्तिजनक है। इसके स्थान पर कृषि प्रदर्शित किया गया है। जबकि श्रीकृष्ण चेरिटेबुल की एन.ओ.सी. भी सहयुक्त नियोजक, गोरखपुर द्वारा दी गयी है। उसी प्रकार ग्राम की नई पुरानी आवादी एवं मार्ग प्रस्तावित महायोजना में प्रदर्शित नहीं किया गया है।</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 एवं 15 के विन्दु संख्या-2 के अनुसार।</p>	<p>पर प्रस्तावित एवं प्रदर्शित किये जाते हैं न कि गाटा संख्या स्तर पर। इसके अतिरिक्त तकनीकी कारणों से प्रश्नगत स्थल जो महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाए जा सके हैं। अतः वे यथावत् बने रहेंगे। इस प्रकार आपत्ति/सुझाव के सभी विन्दु तकनीकी दृष्टि से औचित्य न होने के कारण उन्हें निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव के परिश्रेय में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी के परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना प्रारूप के मानचित्र में भू-उपयोग वृहद् स्तर पर प्रस्तावित एवं प्रदर्शित किये जाते हैं न कि गाटा संख्या स्तर पर। इसके अतिरिक्त तकनीकी कारणों</p>



149¹⁷

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
19.	श्रीमती राम दुलारी पत्नी डॉ० रवि प्रकाश दिवाकर, ग्राम-सूसीपार, पो०-महसो, जिला-बस्ती।	प्रार्थिनी के संज्ञान में आया है कि यह क्षेत्र बस्ती महायोजना हेतु पूर्व में किये सर्वे के आधार पर ग्रीन पार्क हेतु प्रस्तावित किया गया है जो कि उचित नहीं है। क्योंकि वगल में अल्पसंख्यकों का लगभग 15 घर का पुरवा आवाद है और मेरा विद्यालय चल रहा है तथा वगल में आम का बगीचा भी स्थित है। इससे भूखण्ड संख्या-149 एवं इसके अगल-वगल का क्षेत्र आवास एवं विद्यालय हेतु प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 एवं 15 के विन्दु संख्या-2 के अनुसार।	से प्रश्नगत स्थल जो महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाए जा सके हैं अतः वे यथावत् वन रहेंगे। इस प्रकार आपत्ति/सुझाव के सभी विन्दु तकनीकी दृष्टि से औचित्य न होने के कारण उन्हें निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी के परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना प्रारूप के मानचित्र में भू-उपयोग वृहद् स्तर पर प्रस्तावित एवं प्रदर्शित किये जाते हैं न कि गाटा संख्या स्तर पर। इसके अतिरिक्त तकनीकी कारणों से प्रश्नगत स्थल जो महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाए जा सके हैं अतः वे यथावत् वन रहेंगे। इस प्रकार

[Handwritten Signature]


18

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
20.	श्री कृष्ण चन्द्र पुत्र श्री शारदा प्रसाद, निवासी ग्राम-डिडौहा, वि०क्ष०-बस्ती।	निवेदन है कि बहुत पहले सर्वे के आधार पर बस्ती महायोजना का प्रारूप तैयार करवा कर नक्शा जोन के हिसाब से बनाया जा रहा है जबकि प्रार्थी को इसकी कोई सूचना/जानकारी नहीं है। एन.एच.-28 के पूर्व ग्राम-डिडौहा में भूखण्ड संख्या-425 आवादी के करीब है। आवासीय प्रयोजन की भूमि है। भूखण्ड संख्या-228 में आवास वने हैं। इसी प्रकार ग्राम-खोरखार में भूखण्ड संख्या- 57 में प्रार्थी का मकान बना है जिसे ट्रान्स्पोर्ट नगर हेतु प्रस्तावित किया गया है। यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थी आवासहीन हो जायेगा। अतः प्रार्थना है कि पुराने सर्वे के आधार पर तैयार प्रस्ताव निरस्त करके पुनः सर्वे करवा कर प्रस्ताव तैयार कराने का निर्देश देने की कृपा करें।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-13 के विन्दु संख्या (1) के अनुसार।	आपत्ति/सुझाव के सभी विन्दु तकनीकी दृष्टि से औचित्य न होने के कारण उन्हें निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं मानचित्र के अवलोकनोपरान्त यह पाया गया कि महायोजना में प्रस्तावित ट्रान्स्पोर्टनगर भावी एवं स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत उपयुक्त स्थल पर प्रस्तावित किया गया है। अतएव आपत्ति औचित्य न होने के कारण इसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।

[Handwritten Signature]


19

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
21.	श्री राम शब्द पुत्र श्री भागीरथी, निवासी ग्राम - डिडौहा, वि०क्ष० - वस्ती।	निवेदन है कि बहुत पहले सर्वे के आधार पर ग्राम-खोराखार वि.क्षे. वस्ती में एन.एच. -28 के पूर्व वस्ती महायोजना हेतु प्रारूप तैयार करवा कर प्रस्ताव जोन बना कर किया जा रहा है। जो नक्शा नियत प्राधिकारी के कार्यालय में टंगा गया है वह अपूर्ण व ग्रामक है किस राजस्व ग्राम में कहीं क्या प्रस्ताव है, स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी ग्राम-खोराखार वि.क्षे के भूखण्ड संख्या-179 का मालिक है जिसमें मकान व दुकान बनी है, किन्तु नक्शों में दर्शाया नहीं गया है। पूछने पर बताया जा रहा है कि ग्रीन पार्क हेतु प्रस्ताव है जो उचित नहीं है। इससे प्रस्ताव निरस्त करके पुनः सर्वे करवा कर नई महायोजना का प्रारूप तैयार करवाया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना है कि ग्राम-खोराखार वि.क्षे वस्ती के भूखण्ड संख्या-179 के इर्द-गिर्द आवासीय जोन बनाकर प्रस्ताव तैयार कराया जावे।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-13 के विन्दु संख्या (1) के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं मानचित्र के अवलोकनोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव सम्पूर्ण विनियमित क्षेत्र के भावी एवं स्थलीय आवश्यकता के दृष्टिगत किये गये हैं, न कि किसी राजस्व ग्राम विशेष को दृष्टिगत रखते हुए। अतएव पुनः सर्वे कराने की वांछना औचित्यपूर्ण न होने के कारण आपत्ति/सुझाव को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।



20

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
22.	श्री बुद्धिसागर, श्री विन्द सागर, श्री विद्या सागर एवं श्री देवसागर पुत्रगण श्री जगदेव प्रसाद, साकिन रानी पोखरा पुरानी वस्ती, जिला-वस्ती।	शहर के वर्तमान प्रस्तावित महायोजना में अग्नि शमन केंद्र स्थल के बावत प्रार्थीगण की आपत्ति निम्नलिखित है :- 1. यह कि महायोजना में प्रस्तावित अग्नि शमनकेंद्र स्थल की तहतीत जमीन में काफी पुराने समय से बहुत से लोगों के मकानात आदि कायम है और वह खाली जमीन नहीं है। 2. यह कि प्रस्तावित महायोजना में अग्नि शमन केंद्र स्थल का पूर्व में कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया अथवा उपरोक्त स्थिति की सही जानकारी स्पष्ट हो जाती। 3. यह कि प्रस्तावित महायोजना में अग्नि शमन केंद्र स्थल उक्त भूमि में स्थापित किया जाना पूर्णरूपेण गलत है। इसलिए निरस्त होने योग्य है। 4. यह कि प्रस्तावित महायोजना में अग्नि शमन केंद्र स्थल को निरस्त करके कहीं अन्यत्र स्थापित किया जाना आवश्यक है।	प्रस्तावित प्रश्नगत स्थल के अन्तर्गत वर्तमान समय में नियमानुसार स्वीकृतोपरान्त बनें भवन यथावत् रहेंगे तथा शेष भाग को अग्निशमन केंद्र स्थल के रूप में ही प्रस्तावित रखना उचित होगा। — तदैव — — तदैव — — तदैव —	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र पर प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल के स्थिति को अवलोकनोपरान्त सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि अग्निशमन केंद्र प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार हुए निर्माणों को यथावत् रखा जाय तथा शेष भाग को अग्निशमन केंद्र के साथ में ही प्रस्तावित किया जाना भावी नियोजन को दृष्टि से उचित है। अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण होने के कारण निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।




21
151

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
23.	श्री राजा ऐश्वर्यराज सिंह पुत्र स्व0 राजा लक्ष्मेश्वर सिंह एवं श्रीमती आसिमा सिंह पत्नी स्व0 राजा लक्ष्मेश्वर सिंह, राजमवन बस्ती खास, तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरब थाना- पुरानी बस्ती, जिला-बस्ती।	बस्ती महायोजना 2021 प्रारूप में दर्शित फैजाबाद-गोरखपुर रोड पर बस्ती बस स्टैंड से दक्षिण दरवाजा को चलने वाले सड़क पर तिराहे से आगे स्थित आराजी संख्या-952, 953, 954 को अवैध रूप से पी-2 यानी पार्क के रूप में प्रदर्शित होने के सम्वन्ध में अवगत कराना है कि:- 1. यह कि महायोजना के प्रारूप में प्रदर्शित उक्त स्थान पर पार्क पी-2 को निरस्त करके उसके व्यावसायिक निर्माण हेतु सुरक्षित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि बस्ती महायोजना-2021 प्रारूप में आराजी संख्या-952, 953, व 954 जो व्यावसायिक महत्व की भूमि हैं तथा वहाँ पर व्यावसायिक निर्माण पहले से निर्मित है को व्यावसायिक निर्माण हेतु सुरक्षित किया जावे तथा पार्क पी-2 के रूप में सुरक्षित करने के सम्वन्धित इन्द्राज को निरस्त किया जावे।	प्रस्तावित प्रश्नगत स्थल के अन्तर्गत वर्तमान समय में नियमानुसार स्वीकृत भवन यथावत् बने रहेंगे तथा शेष भाग को यथावत् प्रस्तावित रखना ही उचित होगा। क्योंकि उक्त प्रस्ताव भावी नगरीय विकास एवं स्थानीय भौतिक स्वरूप के दृष्टिगत ही किया गया है।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सम्वन्धित मार्ग के दोनों तरफ बड़े व्यावसायिक भवनों को दृष्टिगत रखते हुए बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किये जाने की संस्तुति की जाती है, तथा शेष भाग को यथावत पार्क ही रखा जाना औचित्यपूर्ण रहेगा।



क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
24.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल अग्रवाल, लखनौरा, बस्ती। मोबाइल नं० - 9415163183, 9336786690	निवेदन है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के स्वर्गीय पिता श्री श्याम लाल अग्रवाल के नाम आराजी संख्या-308, 310/324, 309, 310, 313 आदि ग्राम लखनौरा में स्थित है। उक्त क्षेत्र को प्रस्तावित महायोजना-2021 में आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जबकि रेलवे स्टेशन बस्ती के समीप होने के कारण उक्त क्षेत्र को सामान्य व्यावसायिक होना चाहिए। अतः अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र लखनौरा ग्राम सम्पूर्ण (नगर पालिका अन्दर एवं नगर पालिका बाहर) को सामान्य व्यावसायिक घोषित/प्रस्तावित करने की कृपा करें।	प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित भू-उपयोग भावी नगरीय विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत ही किया गया है। अतः उसे यथावत् रखा जाना ही उचित होगा।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग भावी स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थलों पर किया गया है जो औचित्यपूर्ण है। अतएव आपत्ति तथ्यहीन होने के कारण निरस्त करने की संस्तुति की गयी है।
25.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल, सुर्ती हट्टा, पुरानी बस्ती, जनपद-बस्ती। व्यूरो प्रमुख व्यापार मंडल एवं संरक्षक-व्यापार मण्डल-बस्ती। मोबाइल नं० - 9415163183	रेलवे स्टेशन बस्ती चौराहे का सुन्दरीकरण महायोजना-2021 में शामिल करने के सम्वन्ध में निवेदन है कि बस्ती रेलवे स्टेशन के सामने स्थित चौराहे का सुन्दरीकरण महायोजना-2021 में शामिल नहीं है। अतः अनुरोध है कि यातायात के	सम्वन्धित आपत्ति महायोजना प्रारूप से सम्वन्धित न होकर नगर पालिका से सम्वन्धित है। अतः इस पर विभागीय अभिमत की आवश्यकता नहीं है। मार्गों के सुन्दरीकरण का दायित्व नगर पालिका	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा



क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
26.	श्री रवि प्रकाश चौधरी एवं अन्य 119 प्रार्थीगण साकिनान मौजा डिंडोहा।	<p>दबाव को देखते हुए जनहित में उक्त चौराहे का सुन्दरीकरण को शीर्ष प्राथमिकता के क्रम में उक्त महायोजना में शामिल करने की कृपा करे।</p> <p>1. प्राथ्मी का कथन है कि महायोजना-2021 वर्तमान समय में बिना भौतिक सर्वेक्षण कराये स्थल के विपरीत प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>2. यह कि यस्ती महायोजना हेतु भौतिक सर्वेक्षण जहाँ तक पता चला है सन् 1994 ई. एवं 2002 में किया गया है और प्रस्तावित 2010 में किया जा रहा है। इस अन्तराल में जहाँ महायोजना प्रारूप में हरित पट्टी व ड्रीडिंगन प्रस्तावित होना दिखाया गया है वहाँ आवासीय मकानात का निर्माण हो चुका है, जिससे भी महायोजना का मकसद समाप्त हो जायेगा।</p>	<p>परिषद्/स्थानीय निकाय का है।</p> <p>विभागीय अमिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।</p> <p>—तदैव—</p>	<p>सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति महायोजना प्रारूप से सम्बन्धित न होने के कारण इसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्तिकर्ता द्वारा उठाये गये विन्दुओं में से 1, 2, 3, 4, 5, 8 जो तथ्यहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं तथा विन्दु संख्या-6 के अन्तर्गत नियमानुसार हुए निर्माणों को यथावत् रखने की संस्तुति की जाती है। इसके अतिरिक्त विन्दु संख्या-7 में उल्लिखित मार्गों की चौड़ाई के सम्बन्ध में सरकारी अभिलेखों में दर्ज चौड़ाई को ही यथावत् रखने की संस्तुति की जाती है।</p>

24

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>3. यह कि दक्षिन दरवाजा से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क के दोनों तरफ आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान मौके पर बने हैं जिसको प्रस्तावित प्रारूप में नहीं दिखाया गया है।</p> <p>4. यह कि बडेवन चौराहा से गोरखपुर जाने वाली मुख्य मार्ग एन.एच. 28 की चौड़ाई प्रस्तावित महायोजना में अंकित नहीं किया गया है।</p> <p>5. यह कि एन.एच. 28 के दोनों तरफ 75 मीटर की चौड़ाई में रोड वाइडिंग (अर /डब्ल्यू) गनमानी तरीके से महायोजना प्रारूप में प्रस्तावित किया गया है। जो उ.प्र. (निर्माण विनियमन) निर्देश 1960 की निर्देश 10क की मंशा के विरुद्ध है।</p> <p>6. यह कि महायोजना प्रारूप में ग्राम - खोरखार में एन.एच. 28 वा दक्षिन (पी. -1) ड्रीडिंगन के लिए सुरक्षित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उसमें अधिकांश भाग में मकान का निर्माण हो</p>	<p>—तदैव—</p> <p>उक्त मार्ग की चौड़ाई महायोजना मानचित्र में 75 मीटर दर्शायी गयी है।</p> <p>एन0एच0 28 के दोनों तरफ रोड वाइडिंग (आर0/डब्ल्यू0) नियमानुसार ही प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल के अन्तर्गत नियमानुसार बने वैध निर्माण यथावत बने रहेंगे तथा अवशेष भाग को यथावत ही प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।</p>	


25
153

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>चुका है।</p> <p>यह कि दखिन दरवाजा से मंगल बाजार करुआ बाबा चौराहे से पाण्डेय बाजार चौराहा तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई प्रस्तावित प्रारूप में 30 मीटर चौड़ा दिखाया गया है। परन्तु गीके पर मात्र 7 मीटर चौड़ा है। जबकि स्थल 12 मीटर चौड़ा होना दर्शाया गया है और उसके दोनों तरफ सटे आवासीय/व्यावसायिक पुराने भवन बने हुए हैं।</p> <p>यह कि प्रस्तावित बस्ती महायोजना प्रारूप-2021 स्थल के विरुद्ध होने की वजह से निरस्त होने योग्य है।</p> <p>यह कि हम प्रार्थीगण का सुझाव है कि बस्ती महायोजना प्रारूप निरस्त करके पुनः भौतिक सर्वेक्षण कराया जाना तदनुसार बस्ती महायोजना प्रारूप प्रस्तावित किया जावे, जिसमें सड़क एवं एन.एच. 28 के दोनों तरफ हरित पट्टी हेतु कोई भूमि किसी भी चौड़ाई में सुरक्षित न किया जावे।</p>	<p>उक्त मार्ग की चौड़ाई शासन स्तरीय समिति के निदेशानुसार भावी यातायात भार के दृष्टिगत ही प्रस्तावित की गई है।</p> <p>महायोजना प्रारूप भौतिक सर्वेक्षण के आधार पर विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुये ही तैयार किया गया है। अतएव आपत्ति बिन्दु निरस्त होने योग्य है।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या 5 के अनुसार।</p>	



26

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>क्योंकि यह मूल्यवान जमीन है तथा ग्राम-खोराखार चौराहा पर द्विजेश मार्ग के उत्तर व मुख्य मार्ग के पश्चिम जो क्रीड़ा स्थल हेतु भूमि सुरक्षित किया गया है और जो भीके पर खाली नहीं है उसे वहाँ से निरस्त करके जहाँ जमीन एक दम से खाली हो यदि आवश्यक हो तो क्रीड़ांगन के लिए सुरक्षित किया जावे तथा एन.एच. 28 की चौड़ाई जो अधिग्रहण के मद में आती है उसे ही बदस्तूर रखा गया रोड वाइडिंग की कोई व्यवस्था न होने के कारण उसे समाप्त किया जावे क्योंकि सम्बन्धित विभाग से बिना अनापत्ति लिए निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दिया जा सकता है।</p> <p>अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रस्तावित बस्ती महायोजना प्रारूप-2021 निरस्त करके पुनः भौतिक सर्वेक्षण कराकर आपत्ति हाजा में दिये गये सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार करके</p>		



27
154

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
27.	श्री राजेश तिवारी पुत्र स्व० अरुणेश तिवारी, नारंग रोड, वस्ती।	<p>वस्ती महायोजना प्रारूप-2021 प्रस्तावित करने की कृपा की जावे।</p> <p>1. वस्ती महायोजना 2021 में जो नारंग रोड की चौड़ाई 12 मीटर Exist और Prop. 30 मीटर दर्शायी गयी है वह गलत है। जबकि सजरा नक्शा में सड़क की चौड़ाई 100 यानी 30 मीटर Exist है जो कि मौके पर भी मौजूद है।</p> <p>2. नारंग रोड रेलवे क्रॉसिंग से जिगना चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ मकान वने हैं जो कि मानचित्र में प्रदर्शित नहीं हैं तथा रेलवे क्रॉसिंग से 400 मीटर की दूरी पर जिगना की तरफ एक गांव घर सोहिया स्थित है जो नहीं दर्शाया गया है तथा घरसोहिया गांव के मुख्य मार्ग नारंग रोड पर एफ.सी.आई. के बड़े बड़े पांच गोदाम है जिसमें हजारों ट्रक अनाज का भण्डारण होता है</p>	<p>शासन स्तरीय समिति के सुझावानुसार उसे वर्तमान चौड़ाई के अनुसार ही 30 मीटर प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-15(2) के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति के बिन्दु संख्या-1 एवं 2 तथ्यहीन होने के कारण उन्हें निरस्त करने की संस्तुति की जाती है तथा प्रश्नगत भाग की चौड़ाई सरकारी अभिलेखों में दर्ज चौड़ाई के अनुसार ही रखे जाने की संस्तुति की जाती है।</p>

28

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
28.	श्री रामचंद्र पुत्र श्री शारदा प्रसाद, ग्राम-डिडौहा, पो0-पुरानी वस्ती, जिला-वस्ती।	<p>जो कि मानचित्र में प्रदर्शित नहीं है। इससे प्रदर्शित होता जो महायोजना-2021 का मानचित्र प्रदर्शनी लगाई गयी है उसका सर्वे नहीं किया गया है।</p> <p>3. दक्षिण दरवाजा से मंगल बाजार होते हुए करुआ बाया चौराहा तक की सड़क मानचित्र में 12 मीटर Exist तथा Prop. 30 मीटर दर्शाया गया है। जबकि मौके पर सड़क 8 मीटर Exist है इससे यह प्रतीत होता है कि शहर का सर्वे नहीं किया गया है।</p> <p>निवेदन है कि बहुत पहले सर्वे के आधार पर एन.एच. 28 के पूरव ग्राम-खोराखार व डिडौहा वि० से० वस्ती में प्रार्थी की भूमि खोराखार में पूरव संख्या 57 है जो व्यावसायिक उपयोग की भूमि है। जिसके पूरव व पश्चिम आवास वों दुकानें बनी हैं। उसमें प्रार्थी लकड़ी/पट्टरा/बल्ली का वाचन्द्रीवाल बनाकर व्यवसाय करता है।</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-3 के अनुसार।</p> <p>प्रस्तावित प्रश्नगत स्थल के अन्तर्गत वर्तमान समय में नियमानुसार स्वीकृतोपरान्त निर्मित भवन यथावत् बने रहेंगे। मले ही तकनीकी कारणों से उन्हें महायोजना मानचित्र में दर्शाया गया है और शेष भाग को उक्त प्रयोजन हेतु ही रखा जाना उचित है।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रस्तावित ट्रांसपोर्टनगर महायोजना क्षेत्र की भावी एवं स्थानीय आवश्यकता का दृष्टिगत</p>


29
155

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
29.	श्री रंगी लाल पुत्र श्री रामानन्द, ग्राम-डिडौहा, वि० क्षेत्र -वस्ती।	<p>इसी प्रकार आवादी से सटे गांव के उत्तर प्रार्थी का मकान बना हुआ है। जिसमें आम व पेड़ लगे हैं। वस्ती महायोजना में यह क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर हेतु प्रस्तावित है जो उचित नहीं है। स्थल पर तमाम निर्माण पहले से हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना है कि वस्ती महायोजना का वर्तमान प्रस्ताव निरस्त करके नया सर्वे करवाकर वस्ती महायोजना का प्रस्ताव बनवाया जाय जिससे प्रार्थी की उचित भूमि बच सके।</p> <p>निवेदन है कि बहुत पहले सर्वे के आधार पर वस्ती महायोजना का प्रारूप तैयार करवाया गया है जिसमें ग्राम-डिडौहा वि.क्षे. के भूखण्ड संख्या-284 व 270 का प्रार्थी भूमिधर है जो ग्राम की आवादी से सटे हैं को आवासीय प्रयोजन की भूमि है। इसे प्रारूप में नहीं दर्शाया गया है।</p> <p>अतः प्रार्थना है कि वर्तमान प्रारूप निरस्त करके नये सिरे से सर्वे करके प्रारूप तैयार कराने का निर्देश देने की</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-7 के अनुसार।	<p>रखते हुए किया गया है, जो औचित्यपूर्ण है। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महायोजना मानचित्र में भू-उपयोग वृहद् स्तर पर दर्शाए जाते हैं, न कि गाटा संख्या स्तर पर। अतएव आपत्ति तथ्यहीन होने के</p>




30

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
30.	श्री त्रिलोकी नाथ पुत्र श्री राम लखन, ग्राम-डिडौहा, वि० क्षेत्र - वस्ती, जिला-वस्ती।	<p>कृपा करें।</p> <p>निवेदन है कि बहुत पहले सर्वे के आधार पर वस्ती महायोजना का प्रारूप तैयार करवाकर जॉन बनाये गये हैं। सर्वे के बाद स्थल पर पूरे क्षेत्र में हजारों भौतिक परिवर्तन हो चुके हैं। प्रार्थी ने ग्राम-खोराखार वि.क्षे. वस्ती के भूखण्ड संख्या-176 में बहुत पक्के भवन मानचित्र स्वीकृत करवाकर निर्माण किया हुआ है। किन्तु प्रारूप में उसे नहीं दर्शाया गया है। इसी प्रकार ग्राम-डिडौहा विवाहित क्षेत्र वस्ती के भूखण्ड संख्या-351 में भवन हेतु बुनियाद बहुत पहले भरी हुई है। इसे भी प्रारूप में नहीं दिखाया गया है। इससे वस्ती महायोजना की गंशा निरर्थक हो जायेगी।</p> <p>अतः प्रार्थना है कि वर्तमान प्रस्ताव निरस्त करके नये सिरे से सर्वे करावाकर वर्तमान निर्माण आदि को दर्शाते हुए वस्ती महायोजना का प्रारूप तैयार कराने का निर्देश देने की कृपा करें।</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-15 के विन्दु संख्या (2) के अनुसार।	<p>कारण इसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महायोजना मानचित्र में भू-उपयोग वृहद् स्तर पर दर्शाए जाते हैं, न कि गाटा संख्या स्तर पर। अतएव आपत्ति तथ्यहीन होने के कारण इसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>




31
156

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
31.	श्री रामगढी चौधरी एवं महेंद्र कुमार व सजीवन, ग्राम पंचायत-खीरीघाट।	<p>निवेदन है कि विनियमित क्षेत्रों की जमीन अधिग्रहण के सम्बन्ध में हम प्रार्थीगण को मानचित्र को देखने पर निम्न कभियां पायी गई हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यह कि मानचित्र में पिच मार्गों जो वर्षों से चल रहे हैं दर्शाया नहीं गया है। 2. यह कि निचली सतह की जमीनों को भी नहीं दर्शाया गया है। 3. यह कि सेंट बेसिल स्कूल स्थिति खीरीघाट तथा महर्षि विद्यालय स्थिति मड़वानगर जो कि बड़े स्कूल हैं नहीं दर्शाया गया है। बल्कि उसे भी प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में समाहित किया गया है। 4. हर्दिया मार्ग के किनारे नाउडाड़रानी वा खीरीघाट में तमाम मकान वर्षों पहले से विनियमित क्षेत्र नक्शा पास कराने के पश्चात् बने हैं परन्तु मानचित्र में न दर्शाते हुए अधिग्रहीत 	<p>तकनीकी कारणों से जिन पिच मार्गों आदि को मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सका है वे यथावत् बने रहेंगे। भले ही मानचित्र में उनका उपयोग अन्यथा दर्शाया गया है।</p> <p>— तदैव —</p> <p>— तदैव —</p> <p>— तदैव —</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिन्दु संख्या-2 से 5 में उल्लिखित जिन मार्गों/स्थलों को तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया गया है, वे सभी यथावत् ही बने रहेंगे। अतएव आपत्ति तथ्यहीन होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>




32

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
32.	श्री रत्नेश कुमार शुक्ल पुत्र श्री रामदेव शुक्ल, ग्राम-घरसोहिया (नारंग रोड) पो0-पुरानी बस्ती, जिला-बस्ती।	<p>क्षेत्र में लिया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. यह कि तमाम बाग हैं तथा प्राथमिक विद्यालय खीरीघाट आदि नहीं दर्शाया गया है। <p>ऐसी स्थिति में श्रीमान् जी से निवेदन है कि पुनः सर्वेक्षण कराने के पश्चात् दूसरा नवीन मानचित्र लगाने की कृपा करें, जिसमें आवादी, स्कूल, लो लैण्ड, बाग वगैरह दर्शाया हो। उसके पश्चात् ही आपत्ति लेने की कार्यवाही किया जाय।</p>	<p>दोनों राजस्व ग्राम मानचित्र में अलग-अलग ही दर्शाये गये हैं।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति में उल्लिखित जिन स्थलों को नहीं दर्शाया जा सका है वे यथावत् ही बने रहेंगे। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>




33
157

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
33.	श्री पवन कुमार पुत्र श्री रामदास प्रजापति, ग्राम-घरसोहिया (नारंग रोड) पो0-पुरानी बस्ती, जिला-बस्ती।	साइडिंग आपके मानचित्र में प्रस्तुत किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि शहर का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी निवेदन करते हैं कि ग्राम-लखनौरा, घरसोहिया का पुनः सर्वेक्षण करवाकर नौके की स्थिति को मानचित्र में प्रदर्शित किया जाय। बस्ती महायोजना-2021 में ग्राम-लखनौरा, घरसोहिया मुख्य मार्ग नारंग रोड पर स्थित है। जबकि आपके महायोजना नक्शे में घरसोहिया ग्राम पिपरा रामकिशुन में दर्शाया गया है। जबकि ग्राम-घरसोहिया मुख्य मार्ग नारंग रोड पर स्थित है। ग्राम-घरसोहिया बहुत पुरानी आवादी है। इसका सर्वे 15 वर्ष पहले किया गया है। इधर 15 वर्ष के भीतर तमाम भौतिक परिवर्तन हो गया है जिसका सर्वेक्षण करके नक्शे में प्रदर्शित करना चाहिए था। जो नहीं किया गया है।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-32 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिश्रेय में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति में उल्लिखित जिन स्थलों को नहीं दर्शाया जा सका है वे यथावत् ही बने रहेंगे। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती




34

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
34.	श्री पशुपति नाथ मिश्र पुत्र स्व0 मुक्तेश्वर नाथ मिश्र, नारंग रोड, पुरानी बस्ती, जिला-बस्ती।	ग्राम सभा घरसोहिया के अन्दर मन्दिर, मरिजद, स्कूल, कब्रिस्तान, पी.सी.एफ. गोदाम आदि चीजें नक्शे में प्रदर्शित नहीं किया गया है। अतः आप से प्रार्थना है कि पुनः सर्वेक्षण कराया जाये जो आम जनता के हित में सर्वोपरि हो। बस्ती महायोजना-2021 में ग्राम-लखनौरा यह घरसोहिया मुख्य मार्ग नारंग रोड पर स्थित है। जबकि आपके महायोजना के नक्शे में घरसोहिया ग्राम को गलत तरीके से दर्शाया गया है। जबकि ग्राम-घरसोहिया मुख्य मुख्य मार्ग नारंग रोड पर स्थित। ग्राम-घरसोहिया बहुत ही पुरानी आवादी है। जिसमें मंदिर, मस्जिद, मजार, विद्यालय व पी.सी.एफ. गोदाम स्थित है। इसको मानचित्र में कहीं नहीं दर्शाया गया है। आपके मानचित्र में डम्पिंग ग्राउन्ड एवं भिनरल साइडिंग प्रस्तुत किया गया है। जबकि पहले से ही यह क्षेत्र डेवलपमेंट एरिया घोषित है। ग्राम-घरसोहिया के एक	— तदैव —	है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिश्रेय में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति में उल्लिखित जिन स्थलों को नहीं दर्शाया जा सका है वे यथावत् ही बने रहेंगे। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।




35
158


क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
9	2	3	4	5
35.	श्री राम मणि शुक्ल पुत्र श्री दया शंकर शुक्ल एवं श्रीमती अर्चना शुक्ल पत्नी श्री राम मणि शुक्ल स/0 खोराखार, तप्पा-हवेली, वस्ती पूरव। मोबाइल नं०-9820725063, 8874536261	<p>एवं दो किलोमीटर परिधि में शहर के मुख्य औद्योगिक शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, विद्युत केंद्रीय एवं राज्यस्तरीय एफ.सी.आई. या पी.सी.एफ. गोदाम आदि एवं घनी आवादी हैं। इन सब के होने के बाद भी आपके मानचित्र में बिना सर्वेक्षण के ही मानचित्र को पास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीगण निवेदन करते हैं कि ग्राम-घरसांहिया का पुनः सर्वेक्षण करवाकर मौके के स्थिति को विकसित क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाये।</p> <p>वस्ती महायोजना प्रारूप-2021 के विरुद्ध निम्न आपत्ति इस प्रकार है :-</p> <p>1. वस्ती महायोजना प्रारूप 2021 वर्तमान समय में बिना भौतिक सर्वेक्षण कराये स्थल के विपरीत योजना तैयार किया गया है जो निरस्त करके बाद सर्वेक्षण प्रारूप तैयार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के सम्मेलन उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के श्रवलोक्तोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति में उल्लिखित बिन्दु संख्या- 2 से 9 तक औचित्यपूर्ण



क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
9	2	3	4	5
		<p>2. वस्ती महायोजना हेतु भौतिक सर्वेक्षण आज से करीब 15-20 साल पूर्व कराये जाने की बात पता चल रही है। उस सर्वेक्षण के अन्तर्गत पर प्रारूप-2021 को तैयार किया जा रहा है। इस अन्तराल में जहाँ महायोजना प्रारूप में हरित पट्टी व/वा क्रीडांगन प्रस्तावित होना दर्शाया जा रहा है वह आवासीय मकानों का निर्माण हो चुका है। जिससे यदि क्रीडांगन का स्थल परिवर्तन नहीं किया गया तो महायोजना का मकसद समाप्त हो जायेगा।</p> <p>3. दक्षिण दरवाजा से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क के दोनों तरफ आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान मौके पर बने हुए हैं जिसको भी प्रस्तावित प्रारूप में नहीं दिखाया गया है।</p> <p>4. यह कि बड़ेवन चौराहा से गोरखपुर जाने वाली मुख्य मार्ग एन.एच. 28 की चौड़ाई प्रस्तावित महायोजना में अंकित नहीं है। जिससे भी</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-7 के अनुसार।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-13/(1) के अनुसार।</p> <p>उत्तम मार्ग की चौड़ाई महायोजना मानचित्र में 75 मीटर दर्शायी गई है।</p>	<p>नहीं है। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है तथा सुझाव संख्या 1 एवं 2 भी नियोजन की दृष्टि से औचित्यपूर्ण न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।</p>




क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>महायोजना प्रारूप अधूरा एवं ग्रामक है।</p> <p>5. यह कि एन.एच. 28 के दोनों तरफ 75 मीटर की चौड़ाई में रोडवार्ड वाइडिंग 'आर' 2002 मनमानी तरीके से महायोजना ही प्रारूप में प्रस्तावित किया गया है जो उ.प्र. निर्माण विनियमन निर्देश 1960 की निर्देश 10क की मंशा के विरुद्ध है।</p> <p>6. यह कि महायोजना प्रारूप में ग्राम-खोरखार में एन.एच. 28 वो दक्षिण पी.(1) क्रीडांगन के लिए सुरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। उसके अधिकांश भाग में मकान काफी पहले से बने हुए हैं।</p> <p>7. यह कि दक्षिण दरवाजा से मंगल बाजार, करूआ बाबा चौराहा से पाण्डेय बाजार चौराहा तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई भी प्रस्तावित प्रारूप में 30मीटर चौड़ाई दिखाई गयी है। परन्तु मोके पर मात्र लगभग</p>	<p>नियमानुसार भावी आवश्यकता एवं यातायात भार के दृष्टिगत ही प्रस्तावित किया गया है। जो निर्देश 1960 की सम्बन्धित धारा के अनुरूप है।</p> <p>प्रश्नगत भू-उपयोग शासन स्तरीय समिति के सुझावानुसार उपयुक्त स्थल पर प्रस्तावित किया गया है। अतः नियमानुसार बने वर्तमान निर्माण यथावत् रहेंगे।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-3 के अनुसार।</p>	




38

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>7 मीटर ही चौड़ा है। किन्तु प्रारूप में स्थल पर 12मीटर चौड़ा होना दर्शाया गया है। जिसमें दोनों तरफ सटे हुए आवासीय/व्यावसायिक पुराने भवन बने हुए हैं।</p> <p>8. यह कि प्रस्तावित वस्ती महायोजना प्रारूप-2021 में रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन से जिंगना चौराहे तक बने निर्माण को भी नहीं दिखाया गया है।</p> <p>9. यह कि प्रस्तावित वस्ती महायोजना प्रारूप 2021 स्थल के विरुद्ध होने की वजह से निरस्त होने योग्य है।</p> <p>— सुझाव —</p> <p>वस्ती महायोजना तैयार प्रारूप को निरस्त करके स्थल निरीक्षण एवं सर्वे कराकर के प्रारूप तैयार कराया जाये।</p> <p>वस्ती महायोजना प्रारूप को निरस्त करके पुनः भौतिक सर्वेक्षण करवाकर तदनुसार वस्ती महायोजना का प्रारूप प्रस्तावित किया जसवे जिसमें सड़क एन.एच. 28 के दोनों तरफ की हरित</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।</p> <p>— तदैव —</p> <p>— तदैव —</p>	




39
160

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>पट्टी हेतु कोई भूमि किसी भी चौड़ाई से सुरक्षित न किया जावे। क्योंकि एन.एच. 28 के किनारे की भूमि काफी भूख्यवान वो व्यावसायिक भूमि है तथा गाम-खोराखार चौराहे पर द्विदेश मार्ग के उत्तर या मुख्य मार्ग के पूरव में जो क्रीडांगन मुख्य मार्ग से थोड़ा हटकर शांति जगह में होना चाहिए। इसलिए प्रस्तावित क्रीडांगन स्थल को वहां से निरस्त करके जहाँ जमीन एकदम से खाली हो, यदि आवश्यक हो तो वहाँ क्रीडांगन सुरक्षित किया जाये तथा एन.एच.28 की चौड़ाई जो अधिग्रहण के हद में आती है उसे ही बदस्तूर रखा जावे क्योंकि रोड वाइडिंग की व्यवस्था न होने के कारण हरित पट्टी समाप्त किया जावे। क्योंकि सम्बन्धित विभाग से दिना अनापत्ति लिए निर्माण कार्य की अनुमति नहीं</p>		




40

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
36.	श्रीमती फूलमती चौधरी पत्नी श्री त्रिलोकी प्रसाद चौधरी, मौजा-खारीघाट (मिश्रौलिया) तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती।	<p>दिया जा सकता है। अतः श्रीमान् जी से निम्न निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में बस्ती महायोजना प्रारूप-2021 वर्तमान प्रारूप को निरस्त करके पुनः भौतिक सत्यापन वो सर्वेक्षण कराकर आपत्ति में दिये गये सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर बस्ती महायोजना प्रारूप-2021 को प्रस्तावित करने की कृपा की जाये।</p> <p>निवेदन है कि आपके कार्यालय में भूमि प्रयोग के सम्बन्ध में लगाए गये मानचित्र में निम्न कमियां पायी जा रही हैं :-</p> <p>1. हम प्रार्थिनी फूलमती चौधरी पत्नी श्री त्रिलोकी प्रसाद चौधरी ने खारीघाट (मिश्रौलिया) तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरव के रकबा नं०-93मीटर, 02 विस्वा 05 धुरपोक्ता जमीन लेकर अपना मकान निर्मित</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-15 के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिशिष्ट में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति/सुझावों के विन्दु संख्या-1-9 तक उल्लिखित जिन स्थलों को महायोजना मानचित्र में तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा</p>




41
161

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>किया है। जो कि आपके कार्यालय द्वारा नक्शा भी पास है तथा मकान के सामने 14 फीट का रोड है जिस पर पिच रोड लगा हुआ है। उक्त का उल्लेख आपके नक्शे में कहीं भी नहीं है।</p> <p>2. यह कि सेंट बेसिल महर्षि विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, जल निगम कार्यालय, पी.एन.वी. बैंक जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का भी आपके नक्शे में कहीं भी उल्लेख नहीं है।</p> <p>3. तमाम पिच मार्ग, चक मार्ग, नाली जल जमाव क्षेत्र (लो लैण्ड) का भी मानचित्र में उल्लेख नहीं पाया गया।</p> <p>4. मानचित्र को देखने से ज्ञात होता है कि यह बहुत पहले का मानचित्र है जिसमें हजारों-हजारों निर्मित मकान को भी नहीं दर्शाया गया है।</p> <p>ऐसी स्थिति में पुनः जाँच करके नया मानचित्र बनाया जाय जिसमें उपरोक्त तथ्यों का भी उल्लेख किया जाये। इसके पश्चात</p>	<p>— तदैव —</p> <p>— तदैव —</p> <p>— तदैव —</p>	<p>सका है वे यथावत् बने रहेंगे। अतएव इसे पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है, और आपत्ति तथ्यहीन होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>



42

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
37.	श्री नारायण मिश्र ग्राम प्रधान चननी सियारोवास बस्ती/अध्यक्ष उ०प्र० ग्राम प्रधान संघ, बस्ती आवास ग्राम चननी सियारोवास, पो०-लबनापार, जिला-बस्ती। मोबाइल नं०-9984240817	<p>ही आपत्तियां ली जायें।</p> <p>महायोजना प्रारूप-2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि महायोजना को बिना मौका देखे सत्यता से परे टेबुल पर रखकर बिना सर्वे किये तैयार किया गया है। इस विनियमित क्षेत्र में नगर पालिका परिषद, बस्ती के साथ-साथ तहसील बस्ती के 69 गांव सम्मिलित हैं, ज्यादातर राजस्व गांव को मानचित्र के पटल से गायब कर दिया गया है। जबकि राजस्व आवादी को चिन्हित ही नहीं किया गया है।</p> <p>जैसे मेंहदावल बाई पास चौराहा से उत्तर नई प्रस्तावित सड़क बरवा मंझरिया शुक्ल, घरसोहिया, पिपरा राम किशुन, गिदही खुर्द, इटैली पाण्डेय के गांव के मध्य से प्रदर्शित है। जामडीह शुक्ल लवनापार के आवादी के गांव मानचित्र के पटल से गायब कर ग्रीन बेल्ट दिखा दिया गया है। चननी सियारोवास की आवादी के बीच से 45मीटर सड़क दर्शायी गयी है</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-7 के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिष्कृत में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपशान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्तिकर्ता के सजरा मानचित्र पर सम्पूर्ण आवादी क्षेत्र को दर्शाते हुए प्राप्त कर उसे महायोजना मानचित्रण में दर्शाए जाने की संस्तुति की जाती है तथा शेष तथ्य औचित्यपूर्ण नहीं होने के कारण उन्हें निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>



43
162

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>तथा शेष गांव को चिन्हित नहीं किया गया है। परासी गांव को मानचित्र से गायब कर पूरी आबादी को ग्रीन बेल्ट दिखा दिया गया है। 15-16 वर्ष पहले किये गये सर्वे को आज महायोजना स्वीकृत रूप दिया जा रहा है। जो सत्यता से परे है। तमाम आबादी हो चुके हैं, उसे नक्शे से गायब कर दिया गया है। इस महायोजना के स्वीकृत हो जाने से शासन को अनियोजित विकास को नियंत्रण करने में काफी कठिनाई का सामना पड़ सकता है। महायोजना प्रारूप में इतनी (45मीटर) चौड़ी नई सड़क घनी आबादी को साफ करते हुए इन गांवों की जनता के साथ अन्याय है।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि इस महायोजना प्रारूप का कमेटी गठित कर स्थल का नये सिरे से सर्वे कराया जाय व वास्तविक आबादी को मानचित्र में चिन्हित किया जाय, आबादी के मध्य से नई सड़क ने प्रस्तावित किया जाये, छूटे हुए गांव जहां आबादी चिन्हित नहीं, चिन्हित किये जायें। इस पर गौर किया जाना</p>		

आवश्यक है

44

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
38.	श्री राधेश्याम गुप्ता व उमा शंकर गुप्ता पुत्रगण श्री सीताराम साहू, मुहल्ला-सुर्तीहट्टा, पुरानी बस्ती, जनपद-बस्ती।	<p>1. यह कि महायोजना के अन्तर्गत तैयार किया गया मानचित्र बिल्कुल गलत सिद्धान्तों के विपरीत और निरस्त किये जाने योग्य है।</p> <p>2. यह कि मानचित्र और स्थल की स्थिति देखने से स्पष्ट होगा कि मौके का कोई निरीक्षण किये गैर कार्यालय पर बैठकर ही मनमाने ढंग से मानचित्र तैयार कर लिया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।</p> <p>3. यह कि बस्ती रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन से दक्षिण नारंग रोड जाती है, जिसकी चौड़ाई मौके पर 30मीटर है। परन्तु गलत तौर पर चौड़ाई 12मीटर दिखाकर 30फिट की सड़क प्रस्तावित की गयी है, जो गलत है।</p> <p>4. यह कि नारंग रोड के पूरव लगभग 200मीटर की गहराई में पूरव तरफ लोगों के मकानात लगभग 200मीटर गहराई में बने हुए हैं। यही हालत नारंग रोड के उत्तरी छोर से जिगिना</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-7 के अनुसार।</p> <p>आपत्ति निराधार एवं ग्रामक है।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-27 के विन्दु -1 अनुसार।</p> <p>तकनीकी कारणों से वर्तमान में नियमानुसार स्वीकृतोपरान्त हुए जिन निर्माणों को महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सका है वे यथावत् बने रहेंगे। भले ही महायोजना मानचित्र में उनका उपयोग</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि आपत्तिकर्ता द्वारा उठाये गये विन्दु हैं उनका कारण तथ्यों की सही जानकारी न होना है। अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>


163⁴⁵

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारंश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>चौराहे तक है। परन्तु कोई भी मकानात मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किये गये हैं। कम से कम 200 मीटर की गहराई सड़क के पूर्वी किनारे से पूरव तक आबादी व मकानात होने के कारण छोड़ा जाना जरूरी है और आबादी दर्शाया जाना जरूरी है।</p> <p>5. यह कि मौजा घरसोहिया में सड़क के पश्चिम तरफ 100 साल पुराना एफ.सी.आई. का गोदाम है। जिसे भी नहीं दर्शाया गया है।</p> <p>6. यह कि आराजी नं० 304 मौजा-लखनौरा, तप्पा-हवेली के प्रार्थीगण व घनश्याम के वारिसान मुताविक वाहमी बंटवारा काविज दाखिल है और नम्वर के पश्चिमी किनारे पर उत्तर से दक्षिण तक मकानात चहारदीवारी वो वोरिंग का मकान मौजूद है। जिसे भी नहीं दर्शाया गया है।</p>	<p>अन्यथा दर्शाया गया है।</p> <p>— तदैव —</p> <p>— तदैव —</p>	




46

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारंश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>7. यह कि पुनः सर्वे कराते हुए मौकं पर स्थित हर चीजों को दर्शाते हुए महायोजना का मानचित्र तैयार कराया जाना और गलत रूप से दर्शाये गये प्रयोजनों के लिए सुरक्षित की गयी भूमि को खत्म किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।</p> <p>अतः आपत्ति दाखिल कर उम्मीदवार हूँ कि उपरोक्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए सर्वे कराकर महायोजना का मानचित्र तैयार कराया जावे।</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।</p>	
39.	समस्त हवेली खास निवासी गण द्वारा श्री वृजेश कुमार शुक्ल ग्राम हवेली खास, वस्ती। मोबाइल नं०-9415137667	<p>कूपया महायोजना मानचित्र का अवलोकन करें जिसमें बड़ेवन चौराहा (एन.एच. 28) जो कि शहर का प्रमुख प्रवेश स्थल है। उक्त चौराहे के उत्तर पश्चिम हवेली खास ग्राम स्थित है जो कि जनपद का प्राचीनतम ग्राम है। उक्त ग्राम के एन.एच. तथा वांसी रोड से सम्पर्क मार्गों से जुड़ा है। उक्त मार्ग के किनारे नालियां, बिजली, टेलीफोन, केविल इत्यादि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-31 के विन्दु -1 अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि आपत्ति महायोजना मानचित्र का विना परीक्षण किये गये प्रस्तुत की गयी है, जो औचित्यपूर्ण</p>




47
164

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
40.	श्री दयाराम, मरत राम, जगदीश प्रसाद ग्राम-संतपुर उर्फ गदहा खोर, तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती।	तथा सैकड़ों नवीन/प्राचीन भवन निर्मित हैं। परन्तु महायोजना मानचित्र में उनका उल्लेख भी नहीं है। प्रतीत होता है कि मानचित्र बिना कमी भी किसी भी सर्वे किये बिना ही बना दिया गया है। अतः अनुरोध है कि इस प्रकार की दुष्टियों तथा तहसील द्वारा जारी भू-मूल्यांकन सूची को ध्यान में रखकर पुनः समुचित सर्वे कराकर महायोजना को स्वीकृति प्रदान करें। बस्ती महायोजना प्रारूप 2021 में दखिन दरवाजा से द्विजेश मार्ग से होकर हरदिया को प्रदर्शित सड़क के किनारे अक्षर सी. /एफ. सन्तपुर से प्रदर्शित भू-भाग के बावत निम्न आपत्तियाँ हैं :- 1. यह कि 2021 के प्रारूप में प्राथीगण के मकान आदि वाले भू-भाग को सी./एफ. यानी सार्वजनिक / सामुदायिक सुविधाएं हेतु आरक्षित दिखाया गया है जो मौके के खिलाफ	सम्बन्धित प्रस्ताव भावी आवश्यकता एवं स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत ही उपयुक्त स्थल पर किया गया है, जो औचित्य पूर्ण है।	नहीं है। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि प्रश्नगत प्रस्ताव महायोजना क्षेत्र की भावी एवं स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत उपयुक्त स्थल पर किये गये हैं। अतएव



48

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
41.	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राम नेयास ग्राम खोराखार, विनियमित क्षेत्र- बस्ती, जनपद-बस्ती।	है। 2. यह कि उक्त प्रारूप में सी./एफ. सन्तपुर में प्रदर्शित भू-भाग को मुतायिक मौका आवासीय उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रारूप 2021 में द्विजेश मार्ग के पश्चिम प्रदर्शित सी./एफ. संतपुर को निरस्त करके उसे आवासीय उपयोग हेतु सुरक्षित किया जावे। बहुत पहले सर्वे के आधार पर बस्ती महायोजना का प्रारूप तैयार करवा कर जोन बनाकर प्रस्ताव का नक्शा नियत प्राधिकारी कार्यालय कक्ष में टांगा गया है जिसमें एन.एच. 28 के दोनों तरफ हरित पट्टी का भी प्रस्ताव है जिसके स्वीकृत हो जाने पर प्रार्थी भवन विहीन हो जायेगा। इससे एन.एच. 28 के दोनों तरफ हरित पट्टी का प्रस्ताव निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना है कि बस्ती महायोजना	— तदैव —	आपत्ति/सुझाव औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। सम्बन्धित प्रस्ताव प्राकृतिक पर्यावरण को मुक्त रखने हेतु एवं भावी स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत ही प्रस्तावित मार्ग के दोनों तरफ किया गया है जो औचित्यपूर्ण है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एन.एच.-28 के दोनों तरफ जो हरित पट्टी का प्रस्ताव किया गया है, तथा महायोजना क्षेत्र के नैसर्गिक पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य एवं नगर में विकास



49
165


क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
42.	श्री त्रिभुवन प्रसाद व परमात्मा प्रसाद।	<p>में हरित पट्टी (एन.एच. 28 के दोनों तरफ) का प्रस्ताव निरस्त करके नये सिरे से सर्वे करवाकर वस्ती महायोजना का प्रस्ताव तैयार कराने का निर्देश देने की कृपा करें।</p> <p>निवेदन है कि हम प्रार्थी गाटा संख्या-190, 194, 195, 232, 239, 240 स्थित मौजा खीरीघाट तप्पा हवेली परगना-बस्ती पूरब तहसील एवं जिला-बस्ती में संक्रमणीय भूमिधर व कब्जा है। उक्त आराजियत गांव की पुरानी आवादी से सटे हुए है तथा आवासीय प्रयोजन की भूमि है। प्रार्थी गण के परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक है। जिससे उक्त आराजियत में भविष्य में मकान बनाने की आवश्यकता है। इस कारण उक्त क्षेत्रों को आवासीय प्रयोजन के लिए सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है तथा महायोजना का जो प्रारूप तैयार किया गया है उसको उक्त आराजियत के सम्वन्ध में निरस्त किया जाना आवश्यक है।</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-7 के अनुसार।	<p>हेतु शासन द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुरूप है। अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति तथ्यहीन एवं भ्रामक है। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>

50

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
43.	श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी श्री सुखसागर सिंह, साकिन संतपुर उर्फ गदहाखोर तप्पा-हवेली परगना-बस्ती पूरब तहसील व जिला-बस्ती।	<p>अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त आराजियत के सम्वन्ध में दुबारा सर्वे करवाकर महायोजना का प्रारूप निरस्त कर उक्त आराजियत को आवास हेतु सुरक्षित किये जाने का आदेश देने की कृपा की जाय।</p> <p>विनियमित क्षेत्र के बस्ती के अन्तर्गत प्रस्तावित महायोजना पर निम्न आपत्तियाँ के सम्वन्ध में :-</p> <ol style="list-style-type: none"> यह प्रस्तावित महायोजना के प्रारूप में उक्त सड़क की चौड़ाई 18 मी दिखाई गई है जो गलत है। यह कि प्रार्थी के मकान के सामने 18मीटर चौड़ी सड़क महायोजना अस्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप भविष्य में प्रार्थी को अपना निर्माण गिरा कर या गिर जाने पर पुनः बनाते समय 18मीटर चौड़ाई का पश्चिमी भाग जहाँ पड़े गांव वहाँ तक छोड़ना पड़ेगा और तब उसी 	<p>क्षेत्र के विकास एवं भारी यातायात भार को दृष्टिगत रखते हुये भी इस मार्ग की चौड़ाई 18 मी० प्रस्तावित की गई है।</p> <p>-तदैव-</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि आपत्ति के विन्दु संख्या-1 से 9 तक तथ्यहीन एवं भ्रामक हैं। अतएव आपत्ति/सुझाव औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>


51
166

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>दूरी पर अन्तर्गत प्रार्थी का सहन व लैटिन का पिट ध्वस्त करना होगा व बिना किसी क्षतिपूर्ति के प्रार्थी के मकान सहन व उक्त भाग सड़क का हिस्सा हो जायेगा व जमीन प्रार्थी से छिन जायेगा जो अनुच्छेद 31 भारतीय संविधान का स्पष्ट उल्लंघन होगा।</p> <p>3. यह कि महायोजना जो बनाकर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के कार्यालय में लागू को देखने के लिए प्रदर्शित की गयी है किस आधार पर तैयार की गयी है। यह स्पष्ट नहीं है।</p> <p>4. यह कि बस्ती नगरपालिका व 68 अन्य गांवों जिसमें संतपुर उर्फ गदहाखोर भी शामिल है, में दिनांक 14.10.83 को उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियम अधिनियम के प्राविधान</p>	<p>बस्ती महायोजना प्रारूप 2021 को भारत सरकार के शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय द्वारा अगस्त 1996 में तैयार की गई यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइड लाइन्स के मानकों एवं समय-समय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अधीन तैयार की गई है। अतः आपत्ति निरस्त होने योग्य है।</p> <p>आपत्ति बिन्दु निराधार एवं भ्रामक होने के कारण निरस्त होने योग्य है।</p>	




52

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>लागू न किये गये हैं और उसी समय महायोजना को भी स्वीकृत किया जाना था। परन्तु अब 27 वर्ष बाद महायोजना लागू करने से वे लोग जो बाहर से आकर जमीन खरीद कर मकान/दुकान बनाये हैं या बना रहे हैं, के प्रतिकूल व्यवस्था महायोजना में दी जाने से उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियम अधिनियम 1958 के बनाने का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा।</p> <p>5. यह कि प्रस्तावित महायोजना स्थल पर विद्यमान तथ्यों के विपरीत है।</p> <p>6. यह कि प्रस्तावित महायोजना में सड़कों की जो चौड़ाई प्रदर्शित है वह गलत है।</p> <p>7. यह कि प्रस्तावित महायोजना से प्रार्थी के आधिपत्य ऊपर मकान व जमीन पर भविष्य में हस्तक्षेप व आचरण आने की आशंका है।</p> <p>8. यह कि प्रस्तावित महायोजना ग्राम संतपुर के निवासियों व सड़क के</p>	<p>आपत्ति बिन्दु निराधार एवं भ्रामक होने के कारण निरस्त होने योग्य है।</p> <p>आपत्ति बिन्दु निराधार एवं भ्रामक होने के कारण निरस्त होने योग्य है।</p> <p>आपत्ति बिन्दु निराधार एवं भ्रामक होने के कारण निरस्त होने योग्य है।</p> <p>आपत्ति बिन्दु निराधार एवं भ्रामक होने के कारण निरस्त होने योग्य है।</p>	




53
167

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
44.	1. श्री महेंद्र प्रताप 2. श्री सुहेंद्र प्रताप 3. श्रीमती कमला देवी, खीरीघाट, मिश्रीलिया, तप्पा, हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती।	<p>बगल के निवासियों के हित के प्रतिकूल है।</p> <p>9. यह कि प्रस्तावित महायोजना हेतु जो सर्वे किया गया है वह काल्पनिक है और मौके के विपरीत है।</p> <p>अतः आपत्ति दाखिल कर प्रार्थना है कि प्रस्तावित महायोजना निरस्त की जावे व पुनः स्थल का सर्वे करके सड़क की चौड़ाई सही सही दर्ज किया जाये।</p> <p>निवेदन है कि हम प्रार्थी गाटा संख्या-222 स्थित मौजा खीरीघाट तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरव तहसील एवं जिला बस्ती के संक्रमणीय भूमिधर व कच्चा है। उक्त आराजी गांव की पुरानी आवादी से सटे हुए है तथा आवासीय प्रयोजन की भूमि है। प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक है जिससे उक्त आराजी में भविष्य में मकान बनाने की आवश्यकता है। इस कारण उक्त आराजी को आवासीय प्रयोजन के लिए सुरक्षित रखा</p>	<p>आपत्ति विन्दु निराधार एवं भ्रामक होने के कारण निरस्त होने योग्य है।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-7 के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि आपत्ति आवेदक द्वारा अज्ञानतावश प्रस्तुत की गयी है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव आपत्ति/सुझाव के तथ्यहीन होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>




54

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
45.	श्री सतीश चन्द्र सोनकर, जिलाध्यक्ष (अनुसूचित मांची) निवास पचपेडिया (द्विजेश मार्ग) पोस्ट-पुरानी बस्ती। फोन नं०- 05542-285353	<p>जाना आवश्यक है तथा महायोजना जो प्रारूप तैयार किया गया है उसको उक्त आराजी के समन्ध में निरस्त किया जाना आवश्यक है।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त आराजी के समन्ध में दुवारा सर्वे कराकर महायोजना का प्रारूप निरस्त कर उक्त आराजी के आवास हेतु सुरक्षित किये जाने का आदेश देने की कृपा की जाये।</p> <p>निवेदन है कि प्रार्थी को मौखिक रूप से सूचना प्राप्त हुई कि नियत प्राधिकारी कार्यालय मास्टर प्लान लागू करने हेतु मानचित्र की प्रदर्शनी लगी हुई है, प्रदर्शनी में भाग लिया। परन्तु महायोजना बनाने हेतु इसका सर्वे सन् 1997 में हुआ है कि नहीं। सर्वे के अनुसार शहर की कोई भी सड़क मानक के अनुसार नहीं है। जो सैकड़ों वर्षों पुरानी है। उसका मानक मौके पर 8 मीटर है। तो प्रस्तावित में 30मीटर दिखाया गया है। जहाँ पर पार्क</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-3.5 एवं 7 के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्तिकर्ता द्वारा मानचित्र का अवलोकन किये बिना ही तथ्यहीन आपत्ति की गयी है। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>




55
168

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
46.	श्री यशवंत सिंह, जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी-बस्ती निवास ग्राम व पो-बड़ोखरभानपुर, जनपद-बस्ती। मोबाइल नं०-9838998588	घोषित है। वहाँ पर मकान बन चुके हैं। इस तरह तेरह (13) वर्ष से हजारों मकान व सड़कों में फेर बदल हो गया है। मानचित्र से पता चलता है कि घर बैठे महायोजना का प्लान बनाया गया है। अतः आप से अनुरोध है कि पुनः सर्वे कराकर सही मानक रूप से मास्टर प्लान महायोजना लागू किया जाये। विनियमित क्षेत्र में आने वाले गांवों को कृषि क्षेत्र के जगह पर आवासीय भूमि ज्यादा से ज्यादा दिखाई जाये। ऐसा करने पर प्रार्थी आपका सदा आभारी रहेगा। निवेदन है कि हम प्रार्थी को सूचना प्रसारण के अनुसार यह अवगत हुआ है कि बस्ती में मास्टर प्लान (महायोजना) बनाया जा रहा है। जो मानक के अनुरूप है। क्योंकि सर्वे के 13 वर्ष पूर्व मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। सर्वे के अनुसार पुरानी सड़कों की लम्बाई व चौड़ाई गलत दिखाया गया है। और अनेक मकान बन चुका है।	भौतिक सर्वेक्षण के आधार पर ही सड़कों की वर्तमान चौड़ाई दर्शायी गई है तथा भावी विकास एवं यातायात भार को दृष्टिगत रखते हुए ही सड़कों की चौड़ाई महायोजना मानचित्र में प्रस्तावित की गई है।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिश्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना के अन्तर्गत




56

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
47.	श्री बदरुद्दीन पुत्र श्री निजामुद्दीन, मुहल्ला-जयपुरवा पारस्ट-गांधीनगर, जिला-बस्ती।	अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि पुनः सर्वे कराकर मास्टर प्लान बनाया जाये। निवेदन है कि हम प्रार्थी बदरुद्दीन पुत्र श्री निजामुद्दीन, ग्राम-जयपुरवा, बस्ती का निवासी हैं। हम प्रार्थी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया जिसमें महायोजना बनाने हेतु (मास्टर प्लान) का मानचित्र देखा जिसमें सड़कों का सही तरीके से मानक नहीं रखा गया है जो 100 साल पुरानी सड़कें हैं। उनकी सही चौड़ाई नहीं दिखायी गयी है। बहुत से जगहों पर टाउन प्लानर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गोरखपुर की आख्या के पश्चात मानचित्र स्वीकृत हुए हैं। जिस पर मकान का निर्माण भी हो चुका है। उस जगह को पार्क और सामुदायिक केंद्र व विद्यालय	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-3,7 एवं 46 के अनुसार।	निर्मित/विकसित क्षेत्र में वर्तमान मार्गों की चौड़ाई को सरकारी अभिलेखों में दर्ज चौड़ाई के अनुसार रखे जाने की संस्तुति की जाती है तथा पुनः सर्वे कराने का अनुरोध औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिश्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना के वर्तमान मुख्य मार्गों के किनारे-किनारे दोनों तरफ जो व्यावसायिक निर्माण हो गये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्गों के दोनों तरफ मानक के अनुसार बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित करने एवं वर्तमान मार्गों की निर्मित/विकसित क्षेत्रों में चौड़ाई को




57
169

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>आदि बनाये जा रहे हैं और विनियमित क्षेत्र में 68 गांवों में खाली जमीन को खेती के रूप में दिखाया गया है। जिसमें अनेकों मकान व दुकान विद्यालय आदि बन चुके हैं। जो पार्क व सामुदायिक क्षेत्र आदि का प्रस्तावित किया गया है उस पर मकान आदि का निर्माण हो चुका है। मास्टर प्लान का सर्वे 1997 में किया गया था जिसकी अवधि 13 साल से अधिक हो रही है। 13 वर्षों में हजारों भवन मानचित्र स्वीकृत होकर व अन्य सड़कें नई बनाकर भवन मानचित्र बन चुके हैं।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मास्टर प्लान बनाने हेतु पुनः सर्वे कराकर सड़कों व खाली स्थानों का सही तरीके से दर्शाया जाय ताकि भविष्य में मानचित्र बनाने हेतु स्वीकृत होने में किसी प्रकार का बाधा न पड़े। अन्यथा इस भवन मानचित्र में संशोधन न किया गया तो मानचित्र स्वीकृत होने में बड़ी दिक्कतें पड़ेंगी। मौके पर झगड़ा-फरसंद भी हो सकता है।</p>		सरकारी अभिलेखों में दर्ज चौड़ाई के अनुरूप रखने की संस्तुति की जाती है।




58

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
48.	श्री विवेक कुमार गिरोत्रा पुत्र स्व. राम प्रकाश गिरोत्रा, निवासी-पुरानी बस्ती, जिला-बस्ती। मोबाइल नं०-9336786691	<p>प्रार्थी विवेक कुमार गिरोत्रा पुत्र श्री राम प्रकाश गिरोत्रा, मुहल्ला-स्टेशन रोड, निकट सुन्दर टाकीज, बस्ती, जिला-बस्ती का निवासी है। हम प्रार्थी का बहुत पुराना मकान यानि 100र्ष पूर्व का बना हुआ है। प्रार्थी को सूचना प्रसारण द्वारा पता चला है कि बस्ती शहर में मास्टर प्लान महायोजना लागू हो रहा है। जो बिना सर्वे के मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। कई जगहों पर नगर नियोजन एवं ग्राम नियोजन विभाग, गोरेखपुर (टाउन प्लानर) द्वारा अनुमति लेकर भवन मानचित्र स्वीकृत हुए हैं। जिस पर मकान भी बन गये हैं। उसी जगह पर पार्क आदि भी दिखाया गया है। जैसे कि प्रार्थी के घर के पीछे तालाब (गड्डी) बना हुआ है। तालाब को शो न करके पार्क का रूप दिया गया है। मेरे घर के सामने की सड़क के सामने की सड़क लगभग 100साल पुरानी बनी हुई है जो लगभग 12मीटर चौड़ी है। जिस पर</p>	<p>तकनीकी कारणों से महायोजना मानचित्र में जिन वर्तमान जलाशयों मार्गों वृक्ष निर्माण आदि को नहीं दर्शाया जा सका है वे जिस भी भू-उपयोग के अन्तर्गत स्थित हैं उनकी स्थिति यथावत् रहेगी तथा उस पर महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिशिष्ट में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि आपत्ति तथ्यहीन है जिसे पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है। अतएव आपत्ति निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>




59
170

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
49.	श्री अर्जुन गिरोत्रा पुत्र आंशू गिरोत्रा, निवासी-पुरानी बस्ती, जिला-बस्ती। मोबाइल नं०-9415037209	<p>आपके कार्यालय द्वारा अनेकों भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर भवन का निर्माण भी हो चुका है। प्रस्तावित मास्टर प्लान में इस सड़क की चौड़ाई लगभग 30मीटर कर दी गयी है।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि बस्ती शहर का पुनः सर्वे करा कर उचित जगहों का उल्लेख महायोजना का विस्तार किया जाये। प्रार्थी आपका सदा आभारी रहेगा।</p> <p>दिनांक 15.08.2010 को प्रचार जरिए सूचित हुआ है कि बस्ती में मास्टर प्लान महायोजना लगाया जा रहा है। प्रार्थी ने महायोजना के भवन मानचित्र के निरीक्षण करके यह आपत्ति दाखिल कर रहा है कि प्रार्थी की भूमि को आवासीय दिखाया गया है। जो व्यावसायिक है। प्रार्थी ने महायोजना के नक्शों में सही मानक के रूप में सड़क की चौड़ाई दिखायी नहीं गयी है और कोई आराजी नं० आदि नहीं दिखाये गये हैं।</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-40 के विन्दु 1 के अनुसार। उल्लेखनी है कि महायोजना आराजी संख्या के आधार पर नहीं बनायी जाती है। अतः पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति महायोजना मानचित्र का भलीभाँति अवलोकन किये बिना ही प्रस्तुत की गयी है। जो औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव उसे निरस्त करने</p>




60

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
50.	श्री बसन्त चौधरी चेयरटेबुल हास्पिटल, बरगदवा, बस्ती।	<p>मौखिक रूप से पता चला है कि सन् 1997 में यह सर्वे किया गया है। जिसका 13 साल हो चुका है। 13 साल में अनेकों आवादी व मकानात बन चुके हैं। इसलिए महायोजना को पुनः सर्वे कराकर सही तरीके से सही जगहों का उल्लेख किया जाये।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि मास्टर प्लान को पुनः सर्वे कराते हुए प्रार्थी के जगह को व्यावसायिक रूप में किया जाय।</p> <p>प्रार्थी बसन्त चौधरी (श्री कृष्ण चेरिटेबुल हास्पिटल) बरगदवा, बस्ती का भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण हो रहा है। इस भवन मानचित्र पर टाउन प्लान, गोरखपुर की अनापत्ति भी प्राप्त हुई है। प्रार्थी को मास्टर प्लान बनाने हेतु यह सूचना प्राप्त हुआ है कि बिना सर्वे के मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। क्योंकि किसी प्रकार का मानक नहीं है। श्रीकृष्ण</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 और 7 के अनुसार।</p>	<p>की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना में प्रस्ताव वृहद् स्तर पर दर्शाये गये हैं न कि छोटे-छोटे स्थलों के स्तर पर और</p>




171⁶¹

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
51.	श्रीमती सुजाता गिरोत्रा पत्नी श्री विवेक कुमार गिरोत्रा, निवासी-रेलवे स्टेशन पुरानी बस्ती, जिला-बस्ती। मोबाइल नं०-9415038003	चेरिटेयुल हास्पिटल नियत प्राधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकृत है। जो मास्टर प्लान के मानचित्र में खेती का भूमि दिखाया गया है और अनेक सड़कों व गांवों में 90 प्रतिशत से ज्यादा निर्माण हो चुके हैं। कार्यालय पहुँचने के बाद यह पता चला कि सन् 1997 में सर्वे हुआ था जो सिर्फ शहर घनी आवादी का हुआ है। अतः श्रीमान् जी को अवगत कराना है कि पुनः सर्वे कराकर व मकानात आदि दर्शाते हुए महायोजना का विस्तार किया जाये। आपके प्रदर्शनी द्वारा मानचित्र में अनेकों त्रुटि दिखायी गयी है जो भविष्य में घातक बन सकती है। प्रार्थिनी ने स्टेशन रोड पर मोहल्ला-बस्ती खास निकट सुयश होटल के पास एक जमीन खरीदी है जो व्यावसायिक के रूप में है और उसके अगल-वागल सभी व्यावसायिक जमीनें हैं व मकानात बने हुए हैं। जैसे हीरां होण्डा एजेंसी, होटल,	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-40 के बिन्दु 4 एवं आपत्ति संख्या-7 के अनुसार।	जिन वर्तमान स्थलों को महायोजना मानचित्र में तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा सका है। वे यथावत् बने रहेंगे। इसलिए पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है तथा आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिदृश्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर



62

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		सुयश पैलेस, होटल बालाजी, रामप्रकाश होटल आदि का निर्माण हुआ है। प्रार्थिनी को मौखिक रूप से यह पता चला कि बस्ती शहर में मास्टर प्लान (महायोजना) की प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रार्थिनी ने प्रदर्शनी में भाग लेकर मानचित्र का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थिनी की जमीन को आवासीय दिखाया गया है। जबकि मुख्य मार्ग पे जमीन पड़ती है। जो व्यावसायिक के रूप में है। प्रार्थिनी को दिनांक 15.08.2010 को सूचना के पश्चात् यह आपत्ति लिखकर दे रही हूँ कि मास्टर प्लान के नक्शे में आवासीय की जगह पर व्यावसायिक प्रदर्शित किया जाये और सड़कों का सही मानक रूप से लम्बाई व चौड़ाई नहीं दिखायी गयी है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मास्टर प्लान का पुनः सर्वे कराकर मास्टर प्लान महायोजना बनाया जाय। और प्रार्थिनी को पुनः सूचित किया जाय।		किया गया कि महायोजना के वर्तमान मुख्य मार्गों के दोनों किनारों पर जो व्यावसायिक निर्माण हो गये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्गों के दोनों ओर मानक के अनुसार बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित करने एवं वर्तमान मार्गों की निर्मित/विकसित क्षेत्र में चौड़ाई को सरकारी अभिलेखों में दर्ज चौड़ाई के अनुरूप रखने की संस्तुति की जाती है तथा पुनः सर्वे कराने की याचना औचित्यपूर्ण न होने के कारण निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।



172⁶³

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
52.	श्री विवेक कुमार गिरोत्रा पुत्र स्व० श्री राम प्रकाश गिरोत्रा, लालजी राम प्रकाश होटल स्टेशन रोड, वस्ती, जिला-वस्ती। मोबाइल नं०-9336786691	प्रार्थी विवेक कुमार गिरोत्रा पुत्र स्व० श्री राम प्रकाश गिरोत्रा, मुहल्ला-वस्ती खास स्टेशन रोड पुरानी वस्ती ने अपनी एक जमीन खरीदकर व्यावसायिक भवन मानचित्र नियत प्राधिकारी द्वारा (विनियमित क्षेत्र) कार्यालय वस्ती से स्वीकृत हुआ है। उस भवन मानचित्र पर श्री श्रीमान् टाउन प्लानर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गोरखपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र के पश्चात् व्यावसायिक के रूप में वालाजी प्रकाश होटल बना हुआ है जिसका भवन मानचित्र सन् 2008-09 में स्वीकृत है और मौके पर निर्माण भी कर लिया गया है। प्रार्थी को प्रचार प्रसारण द्वारा मास्टर प्लान (महायोजना) के मानचित्र में स्वीकृत भवन निर्माण स्थल सामुदायिक स्थल दिखाया गया है जबकि उस जगह के व्यावसायिक वाला जी प्रकाश होटल बन गया है और भेन सड़कों पर अन्य व्यावसायिक भकानात बने हुए हैं। अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि	— तदैव —	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिशिष्ट में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना के वर्तमान मुख्य मार्गों के दोनों किनारों पर जो व्यावसायिक निर्माण हो गये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्गों के दोनों ओर मानक के अनुसार बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित करने एवं वर्तमान मार्गों की निर्मित/विकसित क्षेत्र में चौड़ाई को सरकारी अभिलेखों में दर्ज चौड़ाई के अनुरूप रखने की संस्तुति की जाती है तथा पुनः सर्वे कराने की वांछना औचित्यपूर्ण न होने के कारण निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।

64

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
53.	श्री सुभाष चन्द्र, चन्द्रमान, राजदेव, चन्द्र देव एवं रजत पटेल तप्पा-पड़िया परगना-वस्ती पूरब तहसील-रुघौली।	मास्टर प्लान में सामुदायिक स्थल को व्यावसायिक भवन दिखाया जाय अथवा सही मानक रूप में व्यावसायिक स्थल किम्प जाय। प्रार्थी आपका सदा आभारी रहेगा। नियेदन है कि आपके कार्यालय में महायोजना प्रारूप के सम्बन्ध में लगाये गये मानचित्र में निम्न कमियां पायी जा रही हैं :- 1. यह कि सेंट वेसिल महर्षि विद्यालय प्रा०वि० जल निगम कार्यालय, पी०एन०बी० बैंक ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, का उल्लेख नहीं किया गया है। 2. तमाम पिच मार्ग चक मार्ग नाली जल जमाव क्षेत्रों में लां लैण्ड का भी मानचित्र में उल्लेख नहीं किया गया है। 3. मानचित्र को देखने से ज्ञात होता है कि यह बहुत पहले का मानचित्र है	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-15 के विन्दु संख्या-2 के अनुसार। — तदैव — विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिशिष्ट में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति के विन्दु संख्या-2-3 तथा पुनः सर्वे कराकर मानचित्र बनाये जाने का अनुरोध औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव आपत्ति/सुझाव को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।

65
173


क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
54.	श्री राघवेश्याम पुत्र श्री गणेश निवासी-संतपुर उर्फ गदहाखोर पोस्ट-पुरानी बस्ती, जिला-बस्ती। प्रकाश भवन संतपुर उर्फ गदहाखोर, बस्ती।	<p>जिसमें हजारों-हजारों निर्मित मकान का भी उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पुनः जाँच करके नया मानचित्र जिसमें उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख हो बनाया जाये। नया मानचित्र बनाने के पश्चात् ही आपत्तियां ली जायं।</p> <p>1. बस्ती महायोजना 2021 में सम्पूर्ण विनियमित क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है।</p> <p>2. बस्ती नगर परिषद के विस्तार होने पर नगर परिषद, बस्ती की सीमा से 10 किमी० के अन्तर्गत उत्तर में पड़िया व महुवारी दक्षिण सोनूपार महसों पश्चिम गोविन्द नगर गोटा बाजार गणेशपुर आदि पूरव में ओड़वारा सम्मिलित किया जाय।</p> <p>3. प्रस्तावित मानचित्र में पूर्व में निर्मित सड़कों तथा आवादी को भी नहीं प्रदर्शित किया गया है।</p>	<p>महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत केवल नगरीयकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को ही दर्शाया जाता है।</p> <p>आपत्ति विन्दु महायोजना प्रारूप से सम्बन्धित न होकर नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार से सम्बन्धित है जो निरस्त होने योग्य है।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-14 के विन्दु (2) के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति के विन्दु संख्या-2 महायोजना प्रारूप से सम्बन्धित नहीं है तथा विन्दु संख्या-1,3 एवं 4 औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव आपत्ति/सुझाव को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>

[Handwritten Signature]

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
55.	प्रार्थिनी श्रीमती राधा गुप्ता पत्नी श्री राम भवन, मु० पाण्डेय बाजार, मेहदावल रोड नगर पालिका परिषद, बस्ती, जिला- बस्ती।	<p>4. द्विजेश मार्ग की चौड़ाई परियोजना में अधिक दिखाया गया है। जबकि सड़क पर बने अधिकांश मकान विनियमित क्षेत्र लागू होने के पूर्व के बने हुए हैं।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि महायोजना 2021 हेतु नगर सीमा के 10 किमी के अन्तर्गत पुनः सर्वेक्षण कराकर पूर्ण में निर्मित सड़कों एवं आवासीय भू-भागों के अतिरिक्त अन्य रिक्त स्थानों पर ही सामुदायिक सुविधाएं व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं अन्य नागरिक एवं नगरीय सुविधाएं प्रदान की जायं।</p> <p>निवेदन है कि प्रार्थिनी मुहल्ला-पाण्डेय बाजार मेहदावल रोड तप्पा-पड़िया, परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती की निवासी हैं। प्रार्थिनी ने मौजा बस्ती खास तप्पा हयेली परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती के गाटा संख्या 2786 / 0.008, 2787 / 0.072 रकवा</p>	<p>सम्बन्धित मार्ग की चौड़ाई क्षेत्र के भावी विकास तथा यातायात गार को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित की गई है। महायोजना प्रभावी होने के पूर्व नियमानुसार निर्मित पैघ मकान यथावत बने रहेंगे।</p> <p>महायोजना प्रारूप में भावी आवश्यकता के दृष्टिगत ही उपयुक्त स्थलों पर विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत प्रस्ताव किये गये हैं।</p> <p>अतः अब अतिरिक्त प्रस्ताव देने एवं सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।</p> <p>सम्बन्धित प्रस्ताव महायोजना एवं भावी विकास एवं स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत ही किया गया है। अतः उसे यथावत् ही रखा जाना उचित होगा।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महायोजना में प्रश्नगत प्रस्ताव</p>


[Handwritten Signature]

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>0.080 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या 2862/3542/0.254 में से 0-5.2 घुर पोखता का रजिस्टर्ड बैनामा आवासीय कार्य हेतु लिया था। प्रार्थिनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण अभी तक निर्माण नहीं करवा सकी।</p> <p>श्रीमान् जी के कार्यालय में बस्ती महायोजना के अन्तर्गत प्रार्थिनी के उपरोक्त गाटों को सम्मिलित करते हुए सामुदायिक केंद्र एवं पार्क बनाने की प्रस्तावित की गयी है। जिससे प्रार्थिनी को सख्त हक तल्फी एवं अपूर्तिनीय क्षति है।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी के गाटा संख्या 2786/0.008, 2787/0.072 एवं 2862/3542/0.254 में से 0.52 घुर रकबे के आंशिक या सम्पूर्ण रकबे में प्रस्तावित सामुदायिक केंद्र एवं पार्क से मुक्त रखते हुए हमारा उपरोक्त रकबा सुरक्षित करने की कृपा करें।</p>		को सामुदायिक सुविधाएं एवं पार्क भावी एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थलों पर दिया गया है, जो औचित्यपूर्ण है। अतः आपत्ति/सुझाव को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।




68

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
56.	श्री अनुरुध प्रसाद, प्रधान एवं अन्य 42 प्रार्थी गण ग्राम पंचायत घरसोहिया, वि०ख० बस्ती सदर।	<p>बस्ती महायोजना 2021 में ग्राम लखनौरा, घरसोहिया मुख्य मार्ग नारंग रोड पर स्थित है। जबकि आप महायोजना नक्शे में घरसोहिया ग्राम पिपरा राम किशुन में दर्शाया गया है। ग्राम घरसोहिया बहुत पुरानी आबादी है। इसका सर्वे 15 वर्ष पहले किया गया है। इधर 15 वर्ष के भीतर तमाम भौतिक परिवर्तन हो गया है। जिसका सर्वेक्षण करके प्रदर्शित करना चाहिए था। जो नहीं किया गया है। ग्राम सभा घरसोहिया के अन्दर मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पी.सी.एफ. गोदाम आदि चीजें नक्शे में प्रदर्शित नहीं किया गया है।</p> <p>अतः आप से प्रार्थना है कि पुनः सर्वेक्षण कराय जाये जो आम जनता के हित में सर्वोपरि हो।</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-32 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिश्रेष्ठ में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना मानचित्र में जिन्हें नियमानुसार निर्मित स्थलों को तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा सका है, वे यथावत् बने रहेंगे। जिसके लिए पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है। अतः आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
57.	श्री रामचन्द्र एवं सभस्त कुल 38 प्रार्थी गण ग्राम-खोरादार।	हम प्रार्थीगण का ग्राम मास्टर प्लान के तहत चयनित किया गया है। परन्तु हम प्रार्थीगण के ग्राम के सभी आराजियात के चारों तरफ आबादी व सड़क स्थित है।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-2 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिश्रेष्ठ में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना




69
175

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
58.	श्री रत्नाकर धुसिया रत्नाकर गैस एजेंसी (भारत गैस) बस्ती। फोन नं.- 288633, 282308 (निवास)	इसको नजर अन्दाज करके प्रार्थीगण के ग्राम के आराजियात को कृषि के श्रेणी में घोषित किया गया है। ग्राम-खोराखार के सभी आराजियत को आवासीय घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि ग्राम खोराखार के सभी आराजियात को आवासीय या व्यावसायिक की श्रेणी में रखने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें। हम प्रार्थी का गैस गोदाम डोरिका मार्ग बरगदवा में स्थित है जिसके सामने 30 फिट का रास्ता मौजूद है जिसको मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा गैस गोदाम से 200 मीटर की दूरी पर बरगदवा ग्राम स्थित है। जिसको भी मानचित्र में नहीं दर्शित किया गया है। सर्वेक्षण से आज तक बहुत से भौतिक परिवर्तन हो चुके हैं जिसको माचनित्र में प्रदर्शित करना आवश्यक है।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-15 के विन्दु (2) के अनुसार।	मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति तथ्यहीन है अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिष्कृत में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति महायोजना मानचित्र का विना निरीक्षण किये गलत तथ्यों के आधार पर की गई है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव




70

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
59.	श्री दयाराम चौधरी, जगदीश पुत्र श्री बालक, ग्राम-डिडौहा वि०के० बस्ती।	विनम्र निवेदन है कि बहुत पहले सर्वे के आधार पर बस्ती महायोजना का प्रारूप तैयार करवाकर नियत प्राधिकारी के कार्यालय कक्ष में नक्शा टांगा गया है। सर्वे के बाद स्थल पर हजारों भौतिक परिवर्तन हो चुके हैं जिसे प्रस्ताव के प्रारूप में दर्शाया ही नहीं गया है। तमाम बाहें स्थल के विपरीत दिशा में दर्शाया गया है। ग्राम-डिडौहा विनियमित क्षेत्र बस्ती में एन. एच. 28 के दोनों तरफ 50 मीटर भूमि भारत सरकार ने अधिग्रहीत करके प्लाजा के निर्माण हेतु लिया है, जिसमें आधे ग्रामीणों का मकान उजड़ जा रहा है। इसके पूर्व बाईपास निर्माण हेतु 45 मीटर भूमि 1991 में अधिग्रहीत हो चुकी थी। अब एन.एच. 28 के पश्चिम तरफ की भूमि कृषि जोन हेतु प्रस्तावित है। उजड़े कारखानों के खेत कृषि जोन में पड़ेंगे जहाँ मकानों का मानचित्र अस्वीकृत नहीं होगा। प्रस्ताव में	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार। इसके साथ ही अवगत कराना है कि एन.एच. 28 बाईपास मार्ग के दोनों तरफ प्रस्तावित हरित पट्टी के अन्तर्गत केवल निर्माण कार्य (स्थायी एवं अस्थायी) नहीं किये जा सकते हैं और कृषि कार्य यथावत् होता रहेगा। अतः आपत्ति निराधार एवं निरस्त होने योग्य है।	उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिष्कृत में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना मानचित्र में नियमानुसार निर्मित निर्माणों/स्थलों को तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा सका है। वे यथावत् बने रहेंगे। दोनों तरफ जो हरित पट्टी प्रस्तावित की गयी है वह शासन द्वारा निर्मित की गयी गाईड लाइन्स के अनुरूप है। अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।




71
176

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
60.	श्रीमती कलावती, ग्राम प्रधान एवं 41 अन्यगण गाम-देईपार वि०क्षे० बस्ती सदर, जिला-बस्ती।	<p>इस 50 मीटर भूमि जो दोनों तरफ लिया गया है, दिखाया ही नहीं गया है तथा केवल एन.एच. 28 के दोनों तरफ हरित पट्टी का प्रस्ताव दर्शाया गया है। यदि वर्तमान प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो उजड़े लोग कहीं जायेंगे इसकी व्यवस्था नहीं बनाई गयी है।</p> <p>अतः प्रार्थना है कि बस्ती महायोजना का प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त करके पुनः सर्वे कराकर प्रस्ताव तैयार करवाने का निर्देश देने की कृपा करें।</p> <p>निवेदन है कि प्रार्थीगण को पता चला है कि नियत प्राधिकारी के फ्लॉ में बस्ती महायोजना का प्रारूप पहले सर्वे के आधार पर तैयार करवाकर टंगा गया है। जिसमें कोई यात स्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं गया है और वहाँ पर लोग स्पष्ट बात नहीं बता पाते हैं। इससे विक्षे. के हर राजस्व ग्राम में किस-किस भूखण्ड का किस लिए सुरक्षित करके प्रस्ताव तैयार किया गया</p>	<p>महायोजना प्रारूप के प्रस्ताव वृहद् स्तर पर तैयार किये जाते हैं न कि भूखण्ड / गाटा संख्या के स्तर पर। अतः वांछित सूचना तकनीकी कारणों से उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। आपत्ति औचित्यपूर्ण एवं व्यवहारिक न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति मानचित्र के बिना मलीमॉति अवलोकन किये तथ्यों के अभाव में की गई है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव उसे निरस्त करने</p>



72

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
61.	श्री संतोष कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० वृजभूषण लाल सा० मौजा-पिकौरा बक्स, तप्पा हवेली, परगना-बस्ती पूरब तहसील व जिला-बस्ती।	<p>है! उसकी सूचना हर ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से हम लोगों की दी जावे। जिससे समुचित आपत्ति प्रस्तुत कर सकें।</p> <p>अतः प्रार्थना है कि वर्तमान प्रस्ताव निरस्त करके ग्राम प्रधान रूधौली विक्षे. बस्ती को ग्राम देईपार व दामोदरपुर में किस-किस भूखण्ड में किस तरह प्रस्ताव है कि सूचना दिया जावे। जिससे वे खुली बैठक करके सबको सही तथ्य से अवगत करा दें तथा नये सिरे से सर्वे करवाने का भी निर्देश देने की कृपा करें।</p> <p>विकास प्राधिकरण अन्तर्गत तैयार किये गये मास्टर प्लान में की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध आपत्ति वाचत ग्राम वडावन उर्फ डमरूआ :-</p> <p>1. यह कि किया गया सर्वे अपूर्ण है क्योंकि यथा स्थान आवादी और अन्य चीजों को नहीं दर्शाया गया</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-13 विन्दु (1) के अनुसार।</p>	<p>की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति के विन्दु संख्या-1 से 4 तक औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव</p>



73

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>है।</p> <p>2. यह कि मौजा बड़ावन उर्फ डमरूआ का लगभग 60 प्रतिशत रकबा आबादी में परिवर्तित हो चुका है यदि कोई रकबा आबादी के बीच में छूटा हुआ है वह भी नागरिकों ने आबादी के विकास के लिए छोड़ रखा है।</p> <p>3. यह कि मौजा उपरोक्त को कृषि क्षेत्र दर्शाया गया है जो बिल्कुल गलत है। यह गांव अरगिज कृषिक क्षेत्र में नहीं आता है।</p> <p>4. यह कि सर्वे में की गयी कमियां को दूर करने के पश्चात् ही इस योजना का क्रियान्वयन किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अतः आपत्ति हाजा दाखिल कर उम्मीदवार हूँ कि उपरोक्त आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।</p>	<p>— तदैव —</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-2 के अनुसार।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।</p>	<p>आपत्ति निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>

[Handwritten Signature]

74

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
62.	श्री राम चन्द्र पुत्र श्री विन्देश्वरी गाम-डिडौहा, तप्पा-हवेली पोस्ट-पुरानी बस्ती, परगना-बरसी पूरव, तहसील एवं जिला-बरसी।	<p>मौजा डिडौहा का आराजी नम्बर 296 के कुल भाग में प्रार्थी का मकान बना है तथा कुछ पेड़ लगे हैं। शेष जो थोड़ा रकबा बच रहा है उसमें परिवार की संख्या को देखते हुए मकान बनाने की आवश्यकता है तथा मौजा नाउडाइरानीका गाटा नं0-20 में प्रार्थी की नींव पड़ी हुई तथा कामर्शियल महत्व की जमीन है जिसे भी महायोजना से पृथक रखा जाना उचित एवं न्याय संगत है।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए उक्त नम्बरान को महायोजना के नक्शे में दर्शाये जाने तथा महायोजना से पृथक करने की कृपा की जाय।</p>	<p>महायोजना प्रारूप के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र को भावी नगरीय आवश्यकताओं एवं विकास की संभावनाओं के दृष्टिगत ही सम्मिलित किया गया है। अतः उसे महायोजना क्षेत्र से पृथक किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>
63.	श्री राम बुझारत चौधरी पुत्र स्वर्गीय युद्ध प्रसाद चौधरी, ग्राम-डिडौहा, पोस्ट-पुरानी बस्ती तप्पा हवेली, परगना-बरसी, पूरव तहसील एवं	<p>आराजी संख्या-192 स्थित मौजा खोराखार में प्रार्थी ने सागौन की बाग लगाया है। पेड़ काफी बड़े हो गये हैं। मौजा-डिडौहा</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना</p>

[Handwritten Signature]

75
178

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
	जिला- वस्ती।	<p>के आराजी नम्बर-283 में बाग लगी है। पड़ों में फल आते हैं व आराजी नम्बर-284 में मकानात बने हुए हैं। इसी प्रकार आराजी नम्बर 282 आयादी से सटा हुआ है। उसमें परिवार की संख्या को देखते हुए भविष्य में मकान बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तथा आराजी संख्या 3 स्थित मौजा नाउडाइरानी पचपेड़िया से वाल्टरगंज जाने वाली सड़क के किनारे स्थित है तथा कामर्शियल महत्व की भूमि है। ऊपर लिखी गयी बातों को ध्यान में रखते हुए उक्त नम्बरान के सम्वन्ध में महायोजना के लिए दुबारा सर्वे कराकर सही स्थिति स्पष्ट किया जाना तथा समस्त नम्बरान को महायोजना से पृथक रखा जाना आवश्यक है।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त नम्बरान के बावत दुबारा सर्वे कराकर सही और मौके की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उक्त नम्बरान के सम्वन्ध में महायोजना से पृथक करने की कृपा की जाय।</p>		मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति अज्ञानतावश की गयी है, जो तथ्यहीन है। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।



76

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
64.	श्री ओम प्रकाश पुत्र जगदेव साठ खोराखार तथा हवेली, परगना-वस्ती पूरव तहसील व जिला - वस्ती।	हम प्रार्थी को मकान बने नक्शा में प्रदर्शित नहीं किया गया है। हम प्रार्थी का वैनामा शुदा नम्बर 175 एम./0.1-0 तथा उसमें स्थित हम प्रार्थी के मकान को मारटर प्लान के अन्तर्गत से अलग करने की कृपा करें।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-62 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
65.	श्री पारस नाथ व श्री परशुराम पुत्र श्री राम मिलन साकिन-डिडौहा तथा हवेली, परगना-वस्ती पूरव तहसील व जिला-वस्ती।	<ol style="list-style-type: none"> यह कि हम आपत्तिकर्ता गण का आराजी नं०-272 मौजा डिडौहा तथा हवेली परगना वस्ती पूरव तहसील व जिला-वस्ती में स्थित है जो हम आपत्ति कर्ता गण के नाम दर्ज है। यह कि आराजी नं० 272 के जूज रकवे में हम प्रार्थी गण ने टावर लगाने के लिए दिया है तथा हम प्रार्थी गण के आराजी नं०-272 में आइडिया विभाग द्वारा टावर लगाया 	आपत्ति महायोजना से सम्वन्धित नहीं है। — तदैव —	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति/सुझाव के विन्दु संख्या-1 से 4 तथ्यहीन है। अतएव आपत्ति को निरस्त करने एवं प्रश्नगत आराजी के अन्तर्गत लगे आईडिया विभाग के टावर की जांच विनियमित



179⁷⁷

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
	तहसील व जिला-बस्ती।	<p>गया है। उक्त टावर हमारे जमीन में स्थित होने के कारण हम प्रार्थी आइडिया विभाग द्वारा रु० 3000/- प्रतिमाह किराया प्राप्त करते हैं जो हम प्रार्थीगण के आय का स्रोत है।</p> <p>3. यह कि यदि उपरोक्त नम्बर में बस अड्डा बन जायेगा तो हम प्रार्थीगण की अपूर्तनीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण की आय का स्रोत समाप्त हो जायेगा तथा उक्त जमीन सड़क के किनारे होने के कारण काफी उपयोगी तथा कामर्शियल लैण्ड है।</p> <p>4. यह कि न्यायहित में आराजी नं०-272 में बस अड्डा बनाने से तत्काल रोका जाना उचित एवं न्यासंगत है। अतः प्रार्थना है कि आराजी नं.-272 में से बस अड्डा बनाने से रोका जाये।</p>	<p>प्रश्नगत प्रस्ताव भावी आवश्यकता एवं यातायात व्यवस्था सुचारुरूप से संचलन हेतु स्थानीय महत्व के दृष्टिगत ही उपयुक्त स्थल पर किया गया है। अतः उसे यथावत् ही रखना उचित है।</p> <p>विभागीय अभिमत विन्दु संख्या-(3) के अनुसार।</p>	<p>क्षेत्र के अवर अनियन्ता के माध्यम से कराये जाने की संस्तुति की जाती है।</p>
66.	श्री राम निलन पुत्र बुद्ध सा० डिंडोहा तप्पा हवेली, परगना-बस्ती पूरव,	<p>1. यह कि आराजी नम्बर-274 में ट्यूववेल लगा है तथा दो हैण्ड</p>	<p>आपत्ति विन्दु महायोजना से सम्बन्धित नहीं है।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के</p>

[Handwritten Signature]

78

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>पाइप भी लगा है तथा इसमें हम प्रार्थी द्वारा नस्य किया गया 20 पेड़ आम के मौजूद हैं, जिनकी उम्र लगभग 20 साल है। ये पेड़ फलदार वृक्ष हैं। इन पेड़ों के फल-फूल तथा लकड़ियों का इस्तेमाल हम प्रार्थीगण करते हैं।</p> <p>2. यह कि आराजी नम्बर-354 व 355 सड़क के किनारे स्थित है तथा आवासीय कामर्शियल लैण्ड है जो काफी कीमती जमीन है। आराजी नम्बर 354 व 355 में 10 पेड़ आम के हैं जो फलदार वृक्ष हैं। इन पेड़ों की उमर लगभग 40 साल होगी।</p> <p>3. यह कि हम आपत्तिकर्ता की जीविका मात्र कृषि पर आधारित है तथा हम आपत्तिकर्ता उपरोक्त नम्बरानों में कृषि कार्य भी करते हैं तथा इन्हीं सम्बरानों में कृषि कार्य करके हम प्रार्थी अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं।</p>	<p>— तदैव —</p> <p>— तदैव —</p>	<p>परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपशान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि आपत्ति में विन्दु संख्या-1, 2 एवं 3 महायोजना से सम्बन्धित नहीं है तथा विन्दु संख्या-4 भी औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव आपत्ति/सुझाव को निररत करने की संस्तुति की जाती है।</p>

[Handwritten Signature]

79
180

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		4. यह कि यदि उपरोक्त नम्बरान में बस अड्डा बन जायेगा तो हम प्रार्थी की अपूर्तिनीय क्षति होगी तथा हम प्रार्थी अपने हक व हकूक से नहरून हो जायेंगे। इसलिए न्यायहित में हम प्रार्थी के उपरोक्त नम्बरान में से बस अड्डा बनाने से रोका जाना उचित एवं न्यासंगत है। अतः आपत्ति दाखिल करके उम्मीदवार हूँ कि आराजी नम्बर 109, 274, 354, 355 में से बस अड्डा बनाने से रोका जाय।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-65 के विन्दु (3) के अनुसार।	
67.	श्री राम मिलन, पारस नाथ एवं परशुराम पुत्र बुद्ध मौजा डिडौहा।	1. यह कि उपरोक्त नम्बरान (197, 196, 187, 100, 171, 190, 198, 153, एवं 156) में हम प्रार्थीगण कृषि कार्य करके अपने जीविका चलाते हैं तथा उपरोक्त नम्बरानों से हम प्रार्थीगण का भरण-पोषण होता है। हम प्रार्थीगण छोटे किसान हैं। यदि हम प्रार्थीगण को उपरोक्त नम्बरान आवासीय	कृषि कार्य यथावत् चलता रहेगा।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि आपत्ति के विन्दु संख्या- 1 एवं 2 औचित्यपूर्ण नहीं

80

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		मकान बनाने में चला जायेगा तो हम प्रार्थीगण के पास कोई जमीन नहीं रह जायेगा और हम प्रार्थीगण अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पायेंगे। 2. यह कि न्यायहित में उपरोक्त नम्बरान में आवासीय मकान बनाने से रोका जाना उचित एवं न्यासंगत है। अन्यथा हम प्रार्थीगण की अपूर्तिनीय क्षति होगी। अतः आपत्ति दाखिल करके उम्मीदवार हूँ कि आरा नं० 196, 197, 187, 100, 171, 190, 198, 153, 156 से आवासीय मकान बनाने की योजना को रोका जाये।	सम्बन्धित प्रस्ताव भावी एवं स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत ही उपयुक्त स्थल पर किया गया है जिसे यथावत् रखना ही औचित्यपूर्ण है।	है। अतएव आपत्ति/सुझाव को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
68.	श्री राम सुरेश पुत्र राम जी, ग्राम-खोराखार तप्या हवेली परगना-वस्ती पूरव तहसील व जिला-वस्ती।	निवेदन है कि हम प्रार्थी आराजी संख्या 175 मि०/०-1-0 स्थित ग्राम-खोराखार तप्या हवेली परगना वस्ती पूरव तहसील, जिला-वस्ती के मालिक कागिज दाखिल हैं जिसमें प्रार्थी का मकान बना है तथा	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-13 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति

81
181

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
69.	श्री बलिराज पुत्र तमेश्वर निवासी-डिंडोहा तप्पा हवेली परगना-बस्ती पूरब तहसील व जिला-बस्ती।	<p>प्रार्थी परिवार के साथ उसी में रहता है और उसी में दुकानदारी करके परिवार का भरण-पोषण करता है। प्रार्थी के उक्त मकान को महायोजना के नक्शे में नहीं दिखाया गया। उसे दुबारा सर्वे कराकर प्रार्थी के मकान को महायोजना से पृथक रखा जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी के उक्त आराजी नम्बर में स्थित मकान को महायोजना से पृथक करने की कृपा की जाय।</p> <p>निवेदन है कि हम प्रार्थी आराजी नम्बर 290 स्थित ग्राम-डिंडोहा तप्पा हवेली, परगना बस्ती पूरब तहसील एवं जिला-बस्ती के संक्रमणीय भूमिधर हैं उक्त आराजी गांव की आबादी से सटे हुई है तथा आवासीय हैं, जिसमें मविध्य में मकान बनवाने की योजना है। ऐसी सूरत में उक्त आराजी को महायोजना से पृथक रखा जाना आवश्यक है।</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-62 के अनुसार।	<p>द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि आपत्ति औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि आपत्ति औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>

[Handwritten Signature]

82

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
70.	श्री राम अचल पुत्र मुनिराम ग्राम-डिंडोहा, पोस्ट-पुरानी बस्ती वि०के० बस्ती।	<p>अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त आराजी को महायोजना से पृथक रखे जाने की कृपा की जाय।</p> <p>निवेदन है कि ग्राम-डिंडोहा विनियमित क्षेत्र बस्ती में प्रार्थी की भूमि ट्रान्स्पोर्ट नगर हेतु प्रारूप तैयार किया गया है। प्रार्थी छोटा कारखाना है और बगल के गांव में ग्राम-खोराखार में भी एन.एच. 28 के पूरव भी ट्रान्स्पोर्ट हेतु रखा गया है। जबकि खोराखार में भू-खण्ड संख्या-57 में मकान बने हैं। इस कारण प्रार्थी के ग्राम डिंडोहा के आवादी के पश्चिम आवासीय प्रयोजन हेतु प्रारूप तैयार किया जाना जरूरी है।</p> <p>अतः प्रार्थना है कि ग्राम-डिंडोहा के आवादी के पश्चिम व स्कूल के दक्षिण आवासीय प्रयोजन हेतु प्रारूप तैयार करवाने का निर्देश देने की कृपा करें।</p>	महायोजना प्रारूप में भावी आवश्यकता एवं स्थानीय विकास के संभावनाओं के दृष्टिगत मानक के अनुरूप उपयुक्त स्थलों पर आवासीय प्रयोजन हेतु प्रस्ताव पहले से ही किये जा चुके हैं। इसलिए अब अतिरिक्त आवासीय प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रश्नगत क्षेत्र/भूखण्ड का आवासीय प्रयोजन हेतु दर्शाया जाना औचित्य पूर्ण नहीं होगा।	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण करा लिया गया और जो निर्माण हो गये हैं उन्हें यथावत् रखते हुए शेष भाग को ट्रान्स्पोर्टनगर के रूप में ही प्रस्तावित करने की संस्तुति की जाती है।</p>
71.	श्री राम चन्द्र पुत्र भगवान दास, ग्राम-खोराखार वि०के०-बस्ती।	<p>निवेदन है कि ग्राम-खोराखार वि०के० बस्ती में एन.एच. 28 के पूरव ग्रीन पार्क हेतु</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-70 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के

[Handwritten Signature]

83
182

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
72.	श्री पंचराम पुत्र राम प्रसाद ग्राम-डिंडोहा, पोस्ट-पुरानी वस्ती वि०क्षे० वस्ती, जिला-वस्ती।	प्रस्ताव प्रारूप में दर्शावागमया है और पश्चिम कृषि हेतु छोड़ दिया गया है। प्रार्थी की भूमि पश्चिम तरफ आवासीय प्रयोजन की है। तथा पूरब वाली भी आवादी के करीब हैं जो आवासीय प्रयोजन हेतु उपयुक्त है। किन्तु इसे ग्रीन पार्क हेतु किया गया है। उक्त सभी प्रस्ताव बहुत पहले सर्वे के आधार पर किया गया है जबकि सर्वे के बाद स्थल पर तमाम परिवर्तन हो चुके हैं। इससे प्रस्तुत प्रारूप निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि वर्तमान प्रस्ताव निरस्त करके प्रार्थी का भूखण्ड संख्या 158, 125, 128 आवासीय प्रयोजन हेतु प्रारूप बनाने का निर्देश देने की कृपा करें। निवेदन है कि ग्राम-डिंडोहा विनियमित क्षेत्र, वस्ती में एन.एच. 28 के पूरब ट्रान्स्पोर्ट नगर का प्रारूप में दिखाया गया है और खोराखार में एन.एच. के पूरब ग्रीन पार्क दर्शाया गया है। प्रार्थी की भूमि दोनों ग्राम	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-70 के अनुसार।	परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि एन.एच. 28 के पूरब में प्रस्तावित प्रश्नगत पार्क की स्थानीय निरीक्षण कराये जाने एवं प्रश्नगत स्थल के अन्तर्गत हुए वर्तमान निर्माणों को छोड़ते हुए शेष भाग को ही पार्क के रूप में प्रस्तावित करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति

84

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
73.	श्रीमती विन्दावती देवी पत्नी कर्म चन्द्र चौधरी, ग्राम-नाउडाइरानी तप्पा-हवेली, परगना-वस्ती पूरब।	में आवारी प्रयोजन की है तथा आवादी से सटी हुई है जो आवासीय प्रयोजन हेतु उपयुक्त है। किन्तु इसे ग्रीन पार्क व ट्रान्स्पोर्ट नगर हेतु किया गया है। उक्त सभी प्रस्ताव बहुत पहले सर्वे के आधार पर हैं। जबकि सर्वे के बाद स्थल पर तमाम भौतिक परिवर्तन हो चुके हैं। इससे प्रस्तुत प्रारूप को निरस्त किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना है कि वर्तमान प्रस्ताव निरस्त करके प्रार्थी का भूखण्ड संख्या-161 ग्राम-खोराखार व डिंडोहा का भूखण्ड संख्या-434, 358 को आवासीय प्रयोजन हेतु प्रारूप बनाने का निर्देश देने की कृपा करें। आपके कार्यालय में भूमि का प्रयोग के सम्यन्ध में लगाये गये मानचित्र में निम्न कमियां पायी जा रही हैं - 1. हम प्रार्थिनी विन्दावती देवी पत्नी कर्मचन्द्र चौधरी ने नाउडाइरानी तप्पा	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-14 के बिन्दु (2) के अनुसार।	द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि प्रश्नगत ट्रान्स्पोर्टनगर एवं पार्क का स्थलीय निरीक्षण एवं वर्तमान समय में हुए निर्माणों को छोड़ते हुए शेष भाग को उक्त प्रस्तावों के अन्तर्गत प्रस्तावित करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति

85
183


क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>हवेली, पगना वस्ती पूरव में रकबा नं० 12/136 में 02 बिस्वा जमीन लेकर अपना मकान निर्मित किया है जो कि आपके कार्यालय द्वारा नक्शा भी पास है तथा मकान के सामने से 14 फिट का रोड है जिस पर खड़न्जा लगा हुआ है। उक्त का उल्लेख आपके नक्शों में कही नहीं है।</p> <p>2. यह कि सेंट वेसिल, महर्षि विद्यालय प्राथमिक विद्यालय, जल निगम कार्यालय, पी.एन.वी. बैंक जैसे महत्वपूर्ण सस्थानों का भी आपके नक्शों में कहीं उल्लेख नहीं है।</p> <p>3. तमाम पिच मार्ग, चक मार्ग, नाली जल जमाव क्षेत्र (लो लैण्ड) का भी मानचित्र में उल्लेख नहीं पाया गया है।</p> <p>4. मानचित्र को देखने से ज्ञात होता है कि यह बहुत पहले का मानचित्र है</p>	<p>— तदैव —</p> <p>— तदैव —</p> <p>— तदैव —</p>	<p>द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति के विन्दु संख्या-1 से 4 तक औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव आपत्ति को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>

[Handwritten Signature]

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>जिसमें हजारों निर्मित मकान को भी नहीं दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में पुनः जाँच करके नया मानचित्र बनाया जाय, जिसमें उपरोक्त तथ्यों का भी उल्लेख किया जाय। इसके पश्चात् ही आपत्तियाँ ली जायं।</p>		
74.	श्री विजय प्रकाश एवं अन्य 13 आपत्तिकर्ता निवासी-रानी पोखरा नई बाजार, पो०-पुरानी वस्ती, जिला-बस्ती।	<p>निवेदन है कि हम लोगों को पता चला है कि हम लोगों की जमीन पर अनिश्चयन केंद्र बनवाने के लिए हम लोगों की भूमि का प्रस्ताव किया जा रहा है। यदि ऐसा किया जायेगा तो हम लोग बेध हो जायेंगे। क्योंकि हम कई वर्षों से अपने मकानों में रह रहे हैं। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि जाँच करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-22 के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के सम्मेलन उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आपत्ति औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>
75.	श्री सदाशिव प्रसाद पुत्र स्व० वैकुण्ठ प्रसाद एवं अन्य 04 आपत्तिकर्ता ग्राम-निवासी कटरा तप्पा हवेली परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती।, मो०नं० 8052033758	<p>निवेदन है कि वस्ती महायोजना प्रारूप 2021 में दिये गये मानचित्र अनुसार ग्राम-कटरा एन.एच. 28 के पश्चिम तरफ स्थित आराजी नम्बरान में तमाम मकान बने हैं तथा बीच-बीच में खाली है। ऐसे</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-65 के विन्दु (3) के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के सम्मेलन उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति</p>


[Handwritten Signature]

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
76.	श्री राजेश कुमार गुप्ता एवं अन्य 06 आपत्तिकर्ता बाटा गली मोहल्ला-पिकौरा बक्स, गांधी नगर, बस्ती। मो0नं0-9415193114	क्षेत्र को कृषि क्षेत्र महायोजना प्रारूप में 2021 में कर दिया गया। जब उक्त क्षेत्र आवासीय क्षेत्र है। तथा इसी प्रकार ग्राम-मूडघाट तथा ग्राम-बड़ावन उर्फ डमरूआ ग्राम के 60 प्रतिशत भूमि में भवन निर्माण हो चुके हैं। लेकिन इन ग्रामों को भी कृषि घोषित किया गया जो मौका अनुसार आवासीय भूमि है। अतः प्रार्थना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के पश्चिम ग्राम-कटरा के जुज भाग एवं ग्राम-बड़ावन उर्फ डमरूआ व ग्राम-मूडघाट की भूमियों को कृषि के स्थान पर आवासीय भूमि वस्ती महायोजना के अन्तर्गत किया जावे। प्रार्थीगणों ने वस्ती महापरियोजना के नक्शे को देखा तो उसमें निम्नलिखित त्रुटियां पायी - 1. बाटा गली की तरफ के रास्ते का सर्वे अपूर्ण है। क्योंकि यथास्थान हर जीव को नहीं दर्शाया गया है।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-13 के विन्दु (1) के अनुसार। विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-3 के	द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत राजस्व ग्राम महायोजना क्षेत्र के नगरीय प्रस्ताव के बाहर है। अतएव उन्हें यथावत भू-उपयोग के अन्तर्गत ही दर्शाया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है अतएव आपत्ति निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिश्रेय में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति




88

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
77.	श्री गोपाल मोदी एवं 12 अन्य आपत्तिकर्ता धर्मशाला रोड पिकौरा बक्स, गांधी नगर, बस्ती। मो0नं0-9984775000	2. बाटा गली को अत्यधिक चौड़ा दर्शाया गया है जबकि यह साधारण रास्ता है कहीं भी इतना चौड़ा नहीं है। 3. बाटा गली को व्यावसायिक दर्शाया गया है जबकि यह इलाका आवासीय है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त गली का पुनरीक्षण कराकर उक्त गली को आवासीय घोषित कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थीगण धर्मशाला रोड, पिकौरा बक्स, गांधी नगर, बस्ती के निवासी हैं। वस्ती के महापरियोजना 2021 के नक्शे में निम्न त्रुटियां है :- 1. मानचित्र में पाठक जी की कोठी से धर्मशाला जाने वाला रास्ता काफी	अनुसार। महायोजना प्रारूप में निर्मित क्षेत्र के अर्न्तगत प्रमुख मार्गों/गलियों के दोनों तरफ नियमानुसार अनुमन्य गहराई तक बाजार स्ट्रीट का प्रस्ताव भावी आवश्यकता के दृष्टिगत किया गया है जो तकनीकी दृष्टि से उचित है। अतः पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है। नगर के भावी विकास तथा यातायात भार को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग की	द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महायोजना क्षेत्र के आन्तरिक/वाह्य क्षेत्र में जो नियमानुसार निर्माण हुए हैं वे यथावत ही रहेंगे भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सका है। इसके अतिरिक्त महायोजना क्षेत्र के निर्मित/विकसित क्षेत्र में वर्तमान मार्गों की चौड़ाई सरकारी अभिलेखों में दर्ज चौड़ाई के अनुरूप ही रखा जाना औचित्यपूर्ण होगा। आपत्ति के शेष बिन्दु तथ्यहीन होने के कारण उन्हें निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिश्रेय में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया




89
185

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
78.	श्री प्रहलाद मोदी एवं 12 अन्य आपत्तिकर्ता मुख्य मार्ग गांधी नगर, वस्ती। मो0नं0-9235508863	<p>चौड़ा दर्शाया गया है जबकि यह साधारण एवं पतला रास्ता है।</p> <p>2. इस क्षेत्र को व्यावसायिक दर्शाया गया है जबकि यह पूर्ण रूप से आवासीय क्षेत्र है।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त रास्ते वस्तुस्थिति व क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए उक्त नक्शों की त्रुटि ठीक कराकर इस क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र घोषित करते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।</p> <p>प्रार्थीगण मुख्य मार्ग गांधीनगर, वस्ती के निवासी हैं। प्रार्थीगण का मकान प्रष्ठान मुख्य मार्ग पर स्थित है। प्रार्थीगण ने वस्ती महापरियोजना 2021 के नक्शों को देखा तो पाया कि नक्शों में मुख्य मार्ग, गांधी नगर, वस्ती को काफी चौड़ा दर्शाया गया है। जबकि इस मार्ग का निरीक्षण करवाया जाय तो यह कहीं भी 15 से 20</p>	<p>चौड़ाई शासन स्तरीय समिति के निर्देशानुसार ही प्रस्तावित की गई है।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-76 के विन्दु (3) के अनुसार।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-77 के विन्दु (1) के अनुसार।</p>	<p>गया कि महायोजना क्षेत्र के निर्मित/विकसित क्षेत्र में वर्तमान मार्गों की चौड़ाई सरकारी अभिलेखों में दर्ज चौड़ाई के अनुरूप ही रखा जाना औचित्यपूर्ण होगा। आपत्ति के शेष विन्दु तथ्यहीन होने के कारण उन्हें निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महायोजना क्षेत्र के निर्मित/विकसित क्षेत्र में वर्तमान मार्गों</p>



90

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
79.	श्री मिठाई लाल पुत्र श्री राम, ग्राम-डिडौहा तप्पा हवेली परगना-वस्ती पूरव तहसील व जिला-वस्ती।	<p>मीटर से ज्यादा चौड़ा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौके के नाम एवं वस्तु स्थिति किये बिना ही नक्शा बना दिया गया।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त मार्ग का निरीक्षण करवा कर यथास्थिति उक्त नक्शों को ठीक करवा कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।</p> <p>निवेदन है कि हम प्रार्थी आराजी नम्बरी 288 स्थित मौजा डिडौहा के तप्पा हवेली, परगना वस्ती पूरव तहसील एवं जिला-वस्ती के संक्रमणीय भूमिधर कब्जा है जिसमें हम प्रार्थी का निजी नलकूप लगा हुआ है तथा शेष रकबे में बाग लगा हुआ है। उक्त नम्बरान की बाग व टयूबवेल को महायोजना के नक्शों में दर्शाया नहीं गया है। दुबारा सर्वे के द्वारा उक्त नम्बर के बाग एवं नलकूप को नक्शों में दर्शाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है तथा</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 एवं आपत्ति संख्या-62 के अनुसार।</p>	<p>की चौड़ाई सरकारी अभिलेखों में दर्ज चौड़ाई के अनुरूप ही रखा जाना औचित्यपूर्ण होगा। आपत्ति के शेष विन्दु तथ्यहीन होने के कारण उन्हें निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना के भू-उपयोग प्रस्ताव वृहद् स्तर पर दिये जाते हैं न कि प्लाट स्तर पर दिये जाते हैं। अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>




91
186

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
80.	श्रीमती संगीता सिंह पत्नी श्री उदय नारायण सिंह एवं 12 अन्य आपत्तिकर्ता।	<p>उक्त परिस्थिति में उक्त नम्बर को महायोजना से पृथक रखा जाना उचित एवं न्यायसंगत है।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि आ0नं0 288 स्थित मौजा डिडौहा को महायोजना से पृथक रखा जाना आवश्यक एवं न्यासंगत है।</p> <p>निवेदन है कि प्रार्थीगण को मौखिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई कि नियत प्राधिकारी कार्यालय मास्टर प्लान को लागू करने हेतु मानचित्र की प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रदर्शनी में भाग लिया। परन्तु महायोजना बनाने हेतु इस का सर्वे सन् 1997 में हुआ है कि नहीं। सर्वे के अनुसार शहर की कोई भी सड़क मानक के अनुसार नहीं है। जो सैकड़ों वर्षों पुरानी सड़क है। उसका मानक मीके पर 8 मीटर है तो प्रस्तावित मानचित्र में 30 मीटर व 18 मीटर दिखाया गया है। जहाँ पर पार्क घोषित है। जबकि</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-3 एवं 4 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि आपत्ति औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएव उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।




92

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
81.	श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी श्री जगदीश लाल श्रीवास्तव, साकिन खीरीघाट नानक नगर, बस्ती।	<p>सड़क की चौड़ाई मात्र 30 फीट है वहाँ पर मकान बन चुके हैं। इस तरह तेरह (13) वर्ष में हजारों मकानात व सड़कों में फेर बदल हो गया है। मानचित्र से यहाँ पता चल रहा है कि घर बैठे महायोजना का प्लान बनाया गया है। सर्वे हुआ ही नहीं है।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि पुनः सर्वे कराकर सही-सही मानक रूप से मास्टर प्लान (महायोजना लागू किया जाये) और शहरों में सही तरीके से सड़कों की दूरी दर्शायी जाये और विनियमित क्षेत्र में आने वाले गांवों को कृषि क्षेत्र के जगह पर आवासीय भूमि ज्यादा से ज्यादा दिखायी जाये। ऐसा करने पर प्रार्थीगण आपका सदा आभारी रहेगा।</p> <p>हम प्रार्थिनी आराजी नम्बर 134 स्थित मौजा-खीरीघाट नानक नगर विकसित क्षेत्र बस्ती की संक्रमणीय भूमिधर हैं। जिसमें</p>	प्रश्नगत प्रस्ताव स्थानीय भावी आवश्यकता के दृष्टिगत एवं विकास की संभावनाओं को देखते हुए उपयुक्त स्थल पर किया	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना




93
187

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
82.	श्री वंशराज पुत्र रमेश्वर गाम-डिंडोहा, पोस्ट-पुरानी बस्ती वि०क्षे० बस्ती।	<p>हम प्रार्थिनी की पुराना मकान चार कमरा किचन, नैट्रिन, बरामदा, शेष अगवारा पिछवारा की जमीन है। जिसमें हम प्रार्थिनी सपरिवार गुजर-बसर कर रही हैं। हम प्रार्थिनी के पास रहने के लिए कोई भूमि व मकान नहीं है। हम प्रार्थिनी अपनी जमीन किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग करती हैं न अन्य प्रयोजन हेतु देने को तैयार हैं।</p> <p>अतः आपत्ति दाखिल कर उम्मीदवार हैं कि हम प्रार्थिनी की जमीन व मकान विनियमित क्षेत्र बस्ती द्वारा प्रस्तावित वाणिज्य क्षेत्र से अलग करने की कृपा करें।</p> <p>विनम्र निवेदन है कि ग्राम नाउडाइरानी विनियमित क्षेत्र, बस्ती का भूखण्ड संख्या 35 प्रार्थी की भूमिधरी नम्बर है जो व्यावसायिक व आवासीय प्रयोजन की भूमि है तथा भूमि कम होने से उसमें कृषि</p>	<p>गया है। जो औचित्यपूर्ण एवं आपत्ति निरस्त होने योग्य है।</p> <p>महायोजना प्रारूप में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाएं भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान समय में नियमानुसार स्वीकृतोपरान्त बने भवन यथावत रहेंगे तथा शेष भाग को उक्त प्रयोजनार्थ ही रखा जाना उचित होगा।</p>	<p>मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना मानचित्र में भू-उपयोग प्रस्ताव बृहद् स्तर पर दिये जाते हैं, न कि प्लाट स्तर पर। अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति</p>




94

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
83.	श्री उमाशंकर चौधरी पुत्र श्री राम विलास, ग्राम-डिंडोहा तप्पा हवेली बस्ती।	<p>करते हैं। इस भूखण्ड के पश्चिम के भूखण्ड में दो लोगों का आवस वना है, जो नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है तथा उसके उत्तर के भूखण्ड में आरा मशीन लगी है। भूखण्ड संख्या 35 के दक्षिण खीरीघाट का भूखण्ड है जिसमें आवास स्वीकृत है। बहुत पहले सर्वे के आधार पर प्रार्थी का भूखण्ड सामुदायिक केंद्र हेतु प्रस्तावित है जो स्वीकृत हो गया तो प्रार्थी भूमिहीन हो जायेगा। इससे प्रस्तुत प्रारूप निरस्तकिया जाना आवश्यक है।</p> <p>अतः प्रार्थना है कि वर्तमान प्रस्ताव निरस्त करके पुनः सर्वे करवा कर प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया जावे।</p> <p>सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी उमा शंकर पुत्र श्री राम विलास ग्राम-डिंडोहा तप्पा हवेली की निवासी हैं। हम प्रार्थी के ग्राम-खोराखार में गाटा संख्या-57 में 1/4 भाग वैनामा सन 1980 में लिया था। उसी गाटे में हम प्रार्थी मकान बनाकर उसी में</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-62 के अनुसार।</p>	<p>द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा</p>




95
188

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
84.	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट ट्रेड टैक्स, बस्ती।	अपने जानवर के साथ रहते आ रहे हैं। उक्त गाटा में आठ कमरे का मकान जानवरों के रहने के लिए छाजन व चार पेड़ सागीन, 8 पेड़ यूकलिप्टस, 4 पेड़ अमरुद, 2 नींबू, 1 आम व एक अनार का पेड़ है। यही प्रार्थी के जीविकोपार्जन का एक आधार है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी के जीविकोपार्जन के उक्त गाटे की (57) की आवश्यकता को देखते हुए उसे प्रस्तावित परियोजना से अलग करने की कृपा करें। बस्ती महायोजना प्रारूप 2021 का प्रस्ताव भौतिक सर्वेक्षण होने के करीब 12-13 साल के बाद किया जा रहा है। इस दरम्यान बहुत से निर्माण नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, बस्ती से भवन मानचित्र स्वीकृत होने के बाद हो चुके हैं। जहां पर प्रस्ताव में मनोरंजन एवं अन्य मद में भूमि को सुरक्षित रखने के लिए दर्शित किया	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।	सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत् बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिश्रेय में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण



96

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
85.	श्री आनन्द राव राठौर पुत्र स्वो श्रीराम मणि राठौर संतपुर द्विजेश मार्ग, बस्ती।	गया है। रोडवेज से दक्खिन दरवाजा जाने वाली सड़क से एक मार्ग जिस द्विजेश मार्ग कहा जाता है। जो आगे चलकर मुख्य मार्ग एन.एच. में जाकर मिलता है, के मध्य एक राजरव ग्राम-खीरीघाट है जो नगर पालिका परिषद्, बस्ती से सटा होने के कारण काफी विकसित हो चुका है और सड़क के दोनों तरफ आवासीय भवन बने हुए हैं परन्तु प्रस्तावित प्रारूप में सड़क के उत्तर ग्राम खीरीघाट में जमीन अन्य मद में सुरक्षित किया गया है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि प्रस्तावित महायोजना प्रारूप 2021 को निरस्त करके पुनः भौतिक सर्वेक्षण कराने के पश्चात् मौके पर स्थिति मकानात आदि यथा स्थान दिखाते हुए महायोजना प्रारूप 2021 प्रस्तावित करने की कृपा की जावे। बस्ती विनियमित क्षेत्र का भौतिक सर्वेक्षण जैसा कि पता करने पर ज्ञात हुआ कि सन् 1997 ई० में सम्बन्धित विभाग द्वारा	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।	यथावत् बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिश्रेय में नगर एवं ग्राम नियोजन




97
189

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>किया गया है कि जिसके पर प्रारूप प्रस्तावित किया गया है जो स्थल के विपरीत है और ऐसे स्थानों पर पार्क क्रीडांगन अस्पताल, रोडवेज आदि हेतु जमीन सुरक्षित किया गया है। वहां पर मकानात बने हुए हैं। संतपुर उर्फ गदहाखोर तिराहा काफी विकसित है, का भी पुराने मकानात बने हुए हैं। जिसमें महायोजना प्रारूप में नहीं दिखाया है तथा यह मड़वानगर जिसका विकास हो रहा है उसकी भी स्थिति को प्रारूप में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है। महायोजना का तात्पर्य है कि महायोजना प्रस्तावित करते समय उसमें शामिल ग्रामों के भूखण्डों की स्थिति एवं रास्ते की स्थिति जहां पर जैसी हो उसे उस रूप में दिखाया जाय, इसलिए श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वर्तमान प्रस्तावित वस्ती महायोजना प्रारूप 2021 निरस्त करते हुए पुनः भौतिक सर्वेक्षण कराने के उपरान्त वस्ती महायोजना प्रारूप प्रस्तावित करने की कृपा की जावे।</p>		<p>विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत् बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>



98

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
86.	श्री हरिनारायण पाण्डेय एडवोकेट, सिविल बार एसोसिएशन, वस्ती।	<ol style="list-style-type: none"> निवेदन है कि ग्राम इटैली पाण्डेय के आराजी नम्बर रकबा 0.77 का वैनामा आवास बनाने हेतु खरीदा और वैनामों की तिथि से उक्त भूमि का भूमिधर है। प्रार्थी के भूखण्ड के उत्तर एक रास्ता (पटी सड़क) मौजूद है जो जिला चिकित्सालय, वस्ती के बगल से सोनू पार तक जाने वाली सड़क के जिला चिकित्सालय की चहारदीवारी से सटी हुई पूरब तरफ चली आती है और ग्राम-इटैली पाण्डेय के आराजी नं०-1 के भाग व आराजी नम्बर-2 आराजी नम्बर-9, 11 आदि के उत्तर से पूरब तरफ चली जाती है। यह कि उक्त रास्ता के दक्षिण ग्राम-जामडीह पाण्डेय व ग्राम-मनहनडीह का कुछ भाग पड़ता है तथा अस्पताल चौराहा व सोनूपार 	<p>आपत्ति विन्दु महायोजना प्रारूप से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>आपत्ति विन्दु महायोजना प्रारूप से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>आपत्ति विन्दु महायोजना प्रारूप से सम्बन्धित नहीं है।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत् बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>



99
190

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>से जहाँ उक्त रास्ता निकलता है लगभग 11 फिट ही चौड़ा है और आगे पूरव तरफ जाने पर और अधिक चौड़ा हो जाता है। उक्त रास्ता अस्पताल की चहारदीवारी के बगल पक्की व पूरव तरफ कुछ दूर तक खड़जा व पुनः प्रार्थी के भूखण्ड संख्या-02 के उत्तर तक मिट्टी का है।</p> <p>4. यह कि जहाँतक उक्त रास्ता अस्पताल के चहारदीवारी से सटा है उसके दक्षिण व पुनः आगे दोनों तरफ सँकड़ों मकानात बने हुए हैं।</p> <p>5. यह कि उक्त रास्ता अस्पताल चौराहे से सोनूपार की सड़क के पश्चिम शिवा कालोनी तक चला जाता है तथा गोरखपुर-फैजाबाद रोड जो अस्पताल चौराहे से होकर जाती है व उक्त रास्ते के बीच कोई अन्य सड़क नहीं है।</p>	<p>आपत्ति विन्दु महायोजना प्रारूप से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>आपत्ति विन्दु महायोजना प्रारूप से सम्बन्धित नहीं है।</p>	

[Handwritten Signature]

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>6. यह कि प्रस्तावितमहायोजना में ऊपर वर्णित सड़क जामडीह पाण्डेय के गांव के उत्तर अस्पताल चौराहे से सोनूपार वाली सड़क के पश्चिम तक दिखाया गया है। पर उक्त सड़क के पूरव ग्राम-मनहनडीह की सीमा को काल्पनिक तौर पर जामडीह पाण्डेय गांव के दक्षिणी सरहद के सीध में दिखा दिया गया है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जिलाचिकित्सालय की दक्षिणी चहारदीवारी से सटकर जामडीह पाण्डेय के उत्तर से जाने वाली सड़क जो अस्पताल चौराहा सोनूपार वाली सड़क के पश्चिम शिवा कालोनी तक व पूरव तरफ ग्राम-मनहनडीह दक्षिणी सरहद को छोड़कर ग्राम इटेली पाण्डेय के उत्तरी चार्डर से होकर जाने वाली सड़क को व उसके दक्षिण प्रस्तावित सड़क जिसे अस्पताल चौराहे से सोनूपार वाली</p>	<p>प्रस्तावित राजस्व ग्रामों की सीमा को राजस्व विभाग द्वारा नियत प्राधिकारी, बस्ती के माध्यम से उपलब्ध कराये गये सजरा मानचित्रों को सूक्ष्मीकृत करने के उपरान्त ही दर्शाया गया है। अतः पुनः सर्वे/निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।</p>	

[Handwritten Signature]

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
87.	श्रीमती सुनीता पुत्री जगदम्बा साकिन-डिडौहा तप्पा हवेली परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती।	<p>सड़क के पश्चिम जामडीह शुक्ल व जामडीह पाण्डेय के बार्डर से जाना प्रस्तावित किया गया है, को उक्त सड़क के पूरव ग्राम-इटैली पाण्डेय के उत्तर प्रस्तावित किया गया है जो सम्भव ही नहीं है।</p> <p>नोट :- उपरोक्त के सम्बन्ध में जामडीह पाण्डेय, जामडीह शुक्ल, इटैली पाण्डेय व मनहनडीह के रेवेन्यू मैप का अवलोकन अति आवश्यक होगा।</p> <p>अतः आपत्ति प्रेषित कर निवेदन है कि वर्तमान प्रारूप महायोजना को निरस्त कर राजस्व मानचित्र के अनुरूप व रथल वर्तमान स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण करके महायोजना का प्रारूप तैयार कराया जाये।</p>	महायोजना प्रारूप के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों की जमीन का प्रयोग कृषि कार्य हेतु होता रहेगा। जब तक कि प्रस्तावित भू-उपयोग के अन्तर्गत भूमि	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हूँ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति

[Handwritten Signature]


102

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
88.	श्री राम अचल पुत्र स्वर्गीय श्री राम भरोस निवासी ग्राम-डिडौहा तप्पा हवेली परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती।	<p>एवं एक रिहायशी पक्का मकान एवं ट्यूबवेल स्थिति है। हम प्रार्थिनी के पास खोराखार, नाउडाइरानी तथा डिडौहा में कृषि जमीन स्थित है। जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हम प्रार्थिनी की जमीन एवं मकान को अधिग्रहण किया गया तो हम प्रार्थिनी भूमिहीन एवं मकान विहीन हो जाउंगी। ऐसी दशा में नाउडाइरानी के गाटा संख्या 4 एवं डिडौहा का गाटा संख्या 268, 269, 333, 334, 341 के अतिरिक्त और नम्बरान है जिसको अधिग्रहीत न किया जाना न्यायसंगत है।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि हम प्रार्थिनी की जमीन एवं मकान स्थिति भोजा डिडौहा, खोराखार, नाउडाइरानी की अधिग्रहीत न किया जावे।</p>	विकसित नहीं हो जाती है। उल्लेखनीय है कि महायोजना प्रारूप में केवल भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाते हैं न कि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। अतः आपत्ति/औचित्यपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।	द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना के भू-उपयोग प्रस्ताव वृहद् स्तर पर दिये जाते हैं, न कि फ्लॉट स्तर पर अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
88.	श्री राम अचल पुत्र स्वर्गीय श्री राम भरोस निवासी ग्राम-डिडौहा तप्पा हवेली परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती।	<p>निवेदन है कि हम प्रार्थी आराजी नम्बर 438 स्थित भोजा-डिडौहा, तप्पा हवेली, परगना-बस्ती पूरव तहसील एवं</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना

[Handwritten Signature]


103
192

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
89.	श्री राम अचल पुत्र स्वर्गीय राम मरोस एवं श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री राम अचल निवासी डिंडौहा तप्पा	जिला-बस्ती के संक्रमणीय भूमिधर कब्जा है जिसमें कुछ भाग में प्रार्थी का मकान बना है तथा पेड़ लगे हैं। कुछ ही भाग में कृषि कार्य होता है। महायोजना द्वारा तैयार किये गये नक्शे में प्रार्थी का मकान व पेड़ नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी का परिवार बड़ा है, निकट भविष्य में प्रार्थी को और भी मकान की आवश्यकता पड़ेगी। प्रार्थी की आवश्यकताओं तथा उक्त नगर के आबादी से सटे होने के कारण दुबारा सर्वे करवाकर महायोजना द्वारा तैयार प्रारूप को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त आराजी नम्बर के सम्बन्ध में महायोजना का प्रारूप निरस्त करने की कृपा की जाय। निवेदन है कि हम प्रार्थी आराजी नम्बर 1122 तथा 1086 व 1097 के संक्रमणीय भूमिधर हैं तथा यह सभी नम्बरान माँ जा-मड़ वानगर, तप्पा-हवेली.	दिमागीय अभिमत आपत्ति संख्या-2 एवं 62 के अनुसार।	मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत् बने रहेंगे। मले ही उन्हें तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपरिथत नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना




104

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
	हवेली परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती।	परगना-बस्ती पूरव तहसील एवं जिला-बस्ती में स्थित है। आराजी नम्बर 1086 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के बागल में है जो काफी कीमती है तथा व्यवसायिक प्रयोजन की भूमि है तथा आराजी नम्बर 1122 में सागीन के पेड़ लगे हैं जो काफी बड़े हो गये हैं। जिन्हें महायोजना के नक्शे में नहीं दर्शाया गया है। दुबारा सर्वे द्वारा उक्त नम्बरान में लगे पेड़ों को महायोजना के नक्शे में दर्शाया जाना तथा उक्त नम्बरान को उक्त वर्णित बातों के आधार पर महायोजना से पृथक किया जाना आवश्यक है। क्योंकि इस वक्त के प्रारूप के आधार पर महायोजना लागू हो जाने से प्रार्थी के पास कोई कृषि भूमि नहीं बचेगी। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त आधार पर उक्त आराजियात को महायोजना से पृथक रखे जाने की कार्यवाही की जाय।		मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत् बने रहेंगे। मले ही उन्हें तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।




105
193

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
90.	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट एवं 02 अन्य आपत्तिकर्ता निवासी गण मौजा निकट अम्बेडकर पार्क, मड़वा नगर, जनपद-बस्ती।	<p>आपत्ति विरुद्ध प्रस्तावित भूचित्र महायोजना 2021 :-</p> <p>1. यह कि प्रस्तावित महायोजना प्रारूप 2021 जिस सर्वे के आधार पर तैयार कर प्रदर्शित करके आपत्ति एवं सुझाव चाहा गया है उसका सर्वे जहां तक हमारी जानकारी है, 14-15 वर्ष पुराना है। उक्त सर्वे एवं प्रदर्शन के समय के मध्य महायोजना प्रारूप 2021 में दर्शाये गये स्थल की भौतिक स्थिति काफी परिवर्तित हो चुकी है, जबकि उक्त सर्वे जहाँ तक हमें जानकारी सर्वे के 1 से डेढ़ वर्ष के बीच प्रारूप तैयार कर उसको क्रियान्वित कर दिया जाना चाहिए।</p> <p>2. यह कि प्रस्तावित महायोजना प्रारूप में राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.आई.) पर स्थित ग्राम-वड़ेवन, तप्पा-हवेली की आवादी के उत्तर से</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-1 के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत् बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>



106

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>ग्राम-मड़वानगर को ग्राम-मड़वानगर में स्थित शहर के एक मात्र अम्बेडकर पार्क से होते हुए मौजा-रौतापार तप्पा-हवेली की उत्तरी सीमा से होते हुए जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग जो आगे जाकर मालापीय मार्ग से लिंक होता है को महायोजना प्रारूप 2021 में प्रदर्शित नहीं किया गया है और न ही उक्त स्थल के आसपास हुए भौतिक परिवर्तनों को ही दर्शाया गया है। जबकि उक्त मार्ग पर काफी मकान नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, बस्ती से स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुसार निर्मित हो चुके हैं। इतना ही नहीं उक्त मार्ग के जुड़ अंश को श्रीमान् जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.08 के अनुपालन में नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, बस्ती द्वारा पिच रोड भी बनवाया गया है। उक्त मार्ग को महायोजना प्रारूप</p>		




107
194


क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>2021 में दर्शाया जना आवश्यक है, क्योंकि उक्त मार्ग एन.एच.आई. एवं मालवीय मार्ग को लिंक करने वाला एकमात्र मार्ग है जो अति महत्वपूर्ण है।</p> <p>3. यह कि हमारा सुझाव है कि प्रस्तावित महायोजना प्रारूप 2021 निरस्त कर नये सिरे से स्थलीय सर्वेक्षण कराकर नियमानुसार महायोजना प्रारूप तैयार कराया जाना समीचीन होगा। इससे जनसामान्य को अनावश्यक परेशानियों को भाग-दौड़ से भी रहत मिलेगी।</p> <p>अस्तु उक्त आपत्तियों के प्रकाश में अनुरोध है कि आपत्ति के पैरा-2 में उल्लिखित महत्वपूर्ण मार्ग एवं उसके आसपास एवं मौजूद निर्माणों को प्रस्तावित महायोजना में प्रदर्शित करते हुए उसका प्रकाशन करने की कृपा करें।</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।	



क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
91.	श्री आनन्द कुमार सिंह, नानक नगर, खीरीघाट, पोस्ट-पुरानी बरती।	<p>निवेदन के साथ कहना है कि प्रार्थी का खसरा संख्या-31, 32 ग्रामसभा - नाउडाइरानी, ग्राम क्रमांक -53030600331 में आवासीय भूमि है और उसमें मानचित्र भी घर बनाने के लिए पास है।</p> <p>प्रार्थी को निकट भविष्य अपने उक्त निर्माणाधीन आवासीय भूमि में निर्माणपूर्ण होने के बाद रहना है, क्योंकि प्रार्थी के पास कोई अपना आवास वर्तमान में नहीं है।</p> <p>आर.बी. आफिस में लगे मानचित्र में प्रार्थी के प्लॉट की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी के भूमि को यदि किसी अन्य प्रयोजन में रखा जा रहा है तो उसे संशोधित करते हुए भूमि को आवासीय प्रयोजन में ही रखा जाय। प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।</p>	महायोजना प्रारूप वृहद स्तर पर तैयार किया जाता है न कि भूखण्ड/प्लॉट के स्तर पर। उक्त तकनीकी कारणों से सम्बन्धित प्लॉट को महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाया गया है।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिशिष्ट में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना का प्रश्नगत प्रस्ताव भावी एवं स्थायी आवश्यकता के दृष्टिगत उपयुक्त स्थल पर किया गया है। अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
92.	श्रीमती सत्यवती पाठक पत्नी श्री राजकिशोर पाठक एवं श्रीमती	निवेदन है कि हम प्रार्थीगण श्रीमती सत्यवती पाठक पत्नी श्री राजकिशोर पाठक व		




क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
	सरस्वती सिंह पत्नी श्री सूर्यवीर सिंह, निवासी ग्राम-खीरीघाट, पोस्ट-पुरानी बस्ती, जनपद-बस्ती।	श्रीमती सरस्वती सिंह पत्नी श्री सूर्यवीर सिंह, निवासियान ग्राम-खीरीघाट, पोस्ट-पुरानी बस्ती, जिला-बस्ती की निवासिनी हैं व एक गरीब व महिला हैं। आराजी नम्बर 139 ग्राम-खीरीघाट में 0-1-10 में सत्यवती पाठक का मकान वर्ष 1988 ईस्वी में का बना है व 0-1-0 में सरस्वती सिंह का मकान बना हुआ है। कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ जिसमें मास्टर प्लान के अन्तर्गत पार्क व नगर केंद्र आराजी नं० 139 में प्रस्तावित किया गया है। मास्टर प्लान के अन्तर्गत पार्क व नगर केंद्र बनने से हम प्राथिनीगण को सख्त हकतल्फी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रस्तावित मास्टर प्लान के अन्तर्गत नगर केंद्र/पार्क हेतु किया गया सर्वे व प्रस्ताव निरस्त करके अन्य दूसरे स्थान पर नगर केंद्र/पार्क बनाने हेतु नया प्रस्ताव व सर्वे किया जाय। प्राथिगण कृतज्ञ होगी।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-65 के विन्दु (4) के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हूँ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि प्रश्नगत नगर केंद्र एवं पार्क महायोजना की भावी एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थलों पर किये गये हैं, जो औचित्यपूर्ण है। अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।



110

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
93.	श्री वसन्त चौधरी, निवास श्री कृष्ण चेरिटेबुल ट्रस्ट अस्पताल, टोरिका रोड, बड़ेवन, बरगदवा, बस्ती, उत्तर प्रदेश। मो०नं०-9898033870	महोदय हम कि प्रार्थी मु०/ग्राम-बरगदवा में एक चेरिटेबुल हारिस्पताल का निर्माण हो रहा है जो विनियमित क्षेत्र, बस्ती कार्यालय से स्वीकृत है। प्रचार-प्रसार द्वारा पता चला है कि मास्टर प्लान यानी महायोजना बनाया जा रहा है। जबकि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग गोरखपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर इस अस्पताल का निर्माण हो रहा है। जबकि निर्माण स्थल मास्टर प्लान में कृषि क्षेत्र दर्शाया गया है। यह सन् 1997 के सर्वे के अनुसार है। अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि इसका पुनः सर्वे कराकर उचित तरीके से उचित जगह व रोडों की चौड़ाई का मानक दिखाया जाए और शहरों का सही तरीके से विस्तार किया जाए।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-3 एवं 5 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत् बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
94.	श्री आनन्द राजपाल, जिलाध्यक्ष - उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल, गांधीनगर, बस्ती। मो०नं० - 9415037456	महोदय, शहर की सड़कों एवं गलियों के निर्धारण के सम्बन्ध में अपनी सभी व्यापारियों की ओर आपत्ति दाखिल करता हूँ, क्योंकि	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार। विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना



111
196


क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
95.	श्री परशुराम चौधरी एवं अन्य 3 आपत्तिकर्ता गण ग्राम-डिडौहा, जिला-बस्ती।	इसके निर्धारण में व्यापारियों को विश्वास में नहीं लिया गया है। और यह प्लान जनहित एवं व्यापार हित में नहीं है। इस नये मास्टर प्लान के नगर पालिका क्षेत्र प्लान से हम सभी पदाधिकारी एवं सदस्य सहमत नहीं हैं। कृपया दर्ज किया जाये। हम प्रार्थीगण परशुराम चौधरी पुत्र श्री राय अदालत व अन्य ग्रामवासी बंशराज चौधरी, विजय चौधरी, राम धीरज, राम औतार, जगेश्वर, राधेश्याम, रामजी, बलवन्त, रामशब्द आदि ग्राम-डिडौहा, तप्पा हवेली, परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला-बस्ती मेन रोड बाई पास के निवासी हैं। हम प्रार्थीगण फोर लेन के सड़क में प्लाजा के रूप में पूरा गांव उजड़ गया है। बाकी आराजी नम्बर जो बाई पास के पूरब पड़ता है वह	अनुसार। विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।	मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत मार्ग महायोजना को सुदृढ़ एवं प्रभावी यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थल पर किया गया है जो औचित्यपूर्ण है। अतः आपत्ति तथ्यहीन होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिष्कृत में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत् बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सका

112


क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
96.	कुमारी आशा सिंह, मालवीय रोड, बस्ती।	खेती बची हुई है। सूचना प्रसारण के तहत ग्राम वासियों को यह सूचना मिला है कि प्रार्थीगण के जमीन में ट्रान्सपोर्ट नगर क्रीड़ांगन व पार्क व सामुदायिक स्थल बनाया जा रहा है। सन् 1997 में सर्वे के माध्यम से यह किया गया था, जो लगभग 12, 13 साल पुराना हो चुका है। जगह-जगह पर अनेकों मकान बन चुके हैं। प्रार्थीगण को भविष्य में मकान बनाने के लिए सिर्फ यही जगह बची है जो डिडौहा गांव के पूरब बाई पास के पूरब जगह पड़ती है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि पुनः सर्वे कराकर मास्टर प्लान महायोजना का विस्तार किया जाय। मास्टर प्लान बनाने समय पूरे गांव वासियों को सूचित किया जाय। निवेदन है कि हम प्रार्थीनी कु० आशा सिंह पुत्री बंशराज सिंह, ग्राम / मुहल्ला-मालवीय रोड, बस्ती की निवासी	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।	है। इसलिए पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। आपत्ति/सुझाव के परिष्कृत में नगर एवं ग्राम नियोजन

113
197

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>हैं। प्रार्थिनी ने स्टेशन रोड निकट सुयश पैलेस हीरो होण्डा के निकट कुछ जमीन खरीदी है जो व्यावसायिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। प्रार्थिनी को सूचना प्रसारण से पता चला कि बस्ती में मास्टर प्लान महायोजना बनाया जा रहा है। प्रार्थिनी को सूचना मिलते ही यह आपत्ति प्रमाण पत्र दाखिल कर रही है कि महायोजना के नक्शे में प्रार्थिनी की जमीन को आयासी दर्शाया गया है जो मुख्य मार्ग पर पड़ता है। प्रार्थिनी एक विकलांग महिला है। प्रार्थिनी के इस प्रार्थना पत्र को देखते हुए पुनः सर्वेक्षण कराते हुए सड़क व मुख्य जमीन का सही तरीके से विस्तार किया जाय।</p> <p>अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कार्यालय द्वारा सूचित हुआ है कि सन् 1997 में सर्वेक्षण हुआ था जिसकी अवधि 13 वर्ष हो चुकी है। शहरों में अनेक सड़कें या मकानात बन चुके हैं। इसलिए</p>		<p>विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत् बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>



क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
97.	श्री राकेश कुमार सिंह-पुत्र वंशराज सिंह, मालवीय रोड, बस्ती। मो0नं0 - 9415037052	<p>इस प्रार्थना पत्र को देखते हुए पुनः सर्वेक्षण कराते हुए महायोजना का विस्तार किया जाये।</p> <p>हम कि प्रार्थी राकेश कुमार सिंह पुत्र श्री वंशराज सिंह, मुहल्ला-स्टेशन रोड, बस्ती खास में जमीन खरीदा है जो मेन रोड पर पड़ता है। प्रार्थी की जमीन व्यावसायिक लायक है। प्रार्थी ने नियत प्राधिकारी कार्यालय/विनियमित क्षेत्र बस्ती में मास्टर प्लान का अवलोकन किया। जिसमें मानक के रूप में सड़क नहीं दर्शायी गयी है व 1997 के सर्वे के अनुसार बहुत सी खाली जमीनें पड़ी हुई थीं जो आवादी लायक की प्रार्थी के जमीन भी आवासीय भूमि में कर दी गयी है। जबकि मुख्य मार्ग पर व्यावसायिक होना चाहिए।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी के भूमि का अवलोकन करते हुए और पुनः सर्वे कराते हुए मास्टर प्लान</p>	<p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत् बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>



क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
98.	श्री त्रिभुवन सिंह पुत्र राम लोचन सिंह एवं 3 अन्य प्रार्थीगण, ग्राम-दामोदर पुर, तहसील व जिला-बस्ती।	(महायोजना) का विस्तार किया जाय। जिससे भविष्य में भवन मानचित्र बनवाने में प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कठिनाई न पड़े। निवेदन है कि हम प्रार्थीगण दामोदरपुर तहसील व जिला-बस्ती के छोटे-छोटे किसान हैं। हम प्रार्थीगण का ग्राम-दामोदरपुर में कृषि योग्य जमीन है। जिस पर खेती की जा रही है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ग्राम-दामोदरपुर की कृषि योग्य जमीनों मास्टर प्लान के अन्तर्गत काफी प्रभावित हो रही है। जिससे हम प्रार्थीगण मुखमरी के कगार पर हो जायेंगे। अन्य कोई जमीन प्रार्थीगणों के पास कृषि योग्य मौजूद नहीं है। जिससे अपना एवं अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। ग्राम-दामोदरपुर पर मास्टर प्लान लागू किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है।	महायोजना प्रारूप के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों में किसी भी राजस्व ग्राम की जमीन में कृषि कार्य को प्रतिबन्धित किये जाने का प्राविधान नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त होने योग्य है।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र में नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इसलिए प्रश्नगत ग्राम को महायोजना क्षेत्र से पृथक नहीं किया जा सकता है। अतः आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।

116

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
99.	श्री राम विलास शुक्ल पुत्र श्री राम सुंझावन शुक्ल एवं अन्य 7 आपत्तिकर्ता गण ग्राम-बेलगड़ी तहसील व जिला-बस्ती।	अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि कृषि भूमि को देखते हुए मास्टर प्लान समाप्त करने की कृपा करें। निवेदन है कि हम प्रार्थीगण ग्राम-बेलगड़ी तहसील व जिला-बस्ती के छोटे-छोटे किसान हैं। ग्राम-बेलगड़ी में हम प्रार्थीगणों की कृषि योग्य जमीनें हैं। जिस पर खेती की जा रही है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ग्राम-बेलगड़ी में मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है। जिसके कारण हम प्रार्थीगणों की कृषि योग्य जमीनें काफी प्रभावित हो रही है। जिससे हम प्रार्थीगण मुखमरी के कगार पर हो जाएंगे। हम प्रार्थीगणों के पास इन जमीनों के अतिरिक्त अन्य कोई कृषि योग्य जमीन नहीं है। जिससे प्रार्थीगण अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। ग्राम-बेलगड़ी	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या (98) के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत् बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से महायोजना मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सकता है। इसलिए पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।

117
199


क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
100.	श्रीमती राधा देवी श्रीवास्तव पति श्री ओंकार नाथ श्रीवास्तव गाटा संख्या-347 खीरीघाट, नानक नगर, बस्ती।	पर मास्टर प्लान लागू किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि कृषि भूमि को देखते हुए मास्टर प्लान समाप्त करने की कृपा करें। निवेदन है कि नियंत्रक कार्यालय में जो महा परियोजना का नक्शा दर्शाया गया है, जिसमें काफी त्रुटियाँ दिखायी पड़ रही हैं। प्रार्थी द्वारा कुछ निम्न तथ्य हैं :- 1. यह है कि प्रार्थिनी का नक्शा खीरीघाट, नानक नगर, गाटा संख्या 347 से 527/2006-07 को बना तथा भवन का निर्माण हुआ। 2. यह है कि प्रार्थिनी के पति 31 जनवरी, 2007 को सेवा-नियुक्त रेलवे से होकर बस्ती आये। भवन (निर्माण) बनाकर रहने लगी। 3. यह है कि भवनका नक्शा आप के कार्यालय द्वारा बना तथा पास किया गया है।	आपत्ति विन्दु महायोजना से सम्बन्धित नहीं है। — तदैव — महायोजना लागू होने से पूर्व नियमानुसार स्वीकृतोपरान्त बने वैध निर्माण यथावत् बने रहेंगे तथा शेष भाग को यथावत्	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भू-उपयोग प्रस्ताव महायोजना की भावी एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थल पर किया गया है अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।

[Handwritten Signature]

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
101.	श्री ताराशंकर श्रीवास्तव पुत्र श्री गुरुदेव नरायण, ग्राम-खीरीघाट, नानक नगर, प्लॉट नं०-347 तप्या-हवेली, जिला-बस्ती।	उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए मानचित्र में निवास क्षेत्र को सामुदायिक केंद्र क्षेत्र से निरस्त करके सामुदायिक केंद्र को निवास क्षेत्र बनाया जाये। निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम-खीरीघाट, जिला-बस्ती का निवासी है। प्रार्थी ने खीरीघाट में गाटा संख्या 347 में सड़क से लगी जमीन पर सन् 1986 में मकान का नक्शा पास करवाकर मकान बनवाया है और वर्तमान में उसी में निवास कर रहा है। मकान के बगल में सड़क से लगी हुई जमीन पर एक अन्य नक्शा पास कराया है और इस पर व्यवसायिक स्थल का भवन निर्माणशुद्ध है। उसके बाद 14 फिट का रास्ता है जो अन्दर कालोनी में जाता है एवं गाटा संख्या 347 में अब इनती जमीन पर्याप्त नहीं है एवं ऐसा माहौल भी नहीं है तथा जनहित में भी नहीं है। जिससे सामुदायिक केंद्र जैसी संस्थाएं बन सकें। प्रार्थी 66 वर्षीय वृद्ध है तथा उसके पास	प्रस्तावित किया जाना ही औचित्यपूर्ण है। विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-100 के विन्दु (3) के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। शेष आपत्ति 100 के अनुसार।


[Handwritten Signature]

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
102.	श्रीमती लालनी श्रीवास्तव मु० नानक नगर (खीरीघाट) पत्रालय मड़वानगर (पुरानी बस्ती), बस्ती।	<p>कोई अन्य मकान नहीं है।</p> <p>अतः आप से अनुरोध है कि मानचित्र में सामुदायिक केंद्र को प्रस्तावित स्थान से निरस्त करके आवासीय क्षेत्र को घोषित किया जाये।</p> <p>निवेदन है कि नियंत्रक कार्यालय में महापरियोजना, बस्ती का नक्शा दर्शाया गया है। उसमें गाटा संख्या 347 में सामुदायिक केंद्र निर्माण हेतु प्रस्तावित है लेकिन इसी गाटा संख्या में 0-1-20 जमीन खरीद कर लगभग 13 वर्षों से मकान बनाकर परिवार सहित रहता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई मकान नहीं है।</p> <p>अतः आप महानुभाव से निवेदन है कि उक्त खाता संख्या 347 को आवासीय भूमि रहने दें। किसी प्रकार का सरकारी निर्माण कार्य जनहित में न कराया।</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-100 के विन्दु (3) के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि प्रश्नगत प्रस्ताव महायोजना क्षेत्र की भावी एवं स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।



120

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
103.	श्री अमित कुमार चौधरी एवं 14 अन्य प्रार्थी गण मकान नं०-299, गांधी नगर, बस्ती। मो० नं० 9415968348	<p>मास्टर प्लान में शहर की कई पुरानी सड़कों को नहीं दिखाया गया है। सार्वजनिक स्थल जैसे पुराना मुस्लिम कब्रिस्तान, ईसाई कब्रिस्तान, रलाटर हाउस को नहीं दर्शाया गया है। जहां पहले से ये स्थल है। उन्हें आवासीय/व्यावसायिक दिखाया गया है।</p> <p>डिडौहा में एजूकेशनल सेंटर एवं ट्रान्सपोर्ट नगर अगल-बगल दिखाया गया है। जो कि दुर्भावनाओं एवं परेशानियों को बढ़ाने वाला है।</p> <p>अतः निवेदन है कि वास्तविक एवं सर्वे के आधार पर जनता के हितों को ध्यान में रखकर पुनः तैयार करा कर ही स्वीकृति दी जाये।</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-5 के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि प्रश्नगत प्रस्ताव महायोजना क्षेत्र के भावी एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थलों पर दिये गये हैं जो औचित्यपूर्ण हैं। अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
104.	श्री प्रकाश लाल पुत्र श्री उदित राम सा० डिडौहा तप्पा पड़िया पं० बस्ती, पूरब बस्ती।	<p>सचिनय निवेदन है कि प्रार्थी प्रकाश लाल पुत्र उदित राम सा० डिडौहा तप्पा पड़िया पं० बस्ती पूरब तहसील व जिला-बस्ती का निवासी है। प्रार्थी की जमीन सा० डिडौहा में स्थित है जो ट्रान्सपोर्ट नगर के</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-65 के विन्दु (3) के अनुसार।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर




121
201


क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
105.	श्री गौरीशंकर पुत्र जोखू साठ सिसवा पत उल्लाह तप्पा उजियार, परगना-मगहर पूरब तहसील - खलीलाबाद, जि० - संतकबीरनगर।	<p>लिए प्रयोग किया गया है। जिससे प्रार्थी का मकान बना है। उसी मकान में प्रार्थी का पूरा परिवार रहता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई जमीन नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जमीन को सुरक्षित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी की जमीन ट्रान्स्पोर्ट नगर के लिए प्रयोग न करने की कृपा करें।</p> <p>सविनय निवेदन है कि प्रार्थी गौरी शंकर पुत्र जोखू साकिन सिसवा फतहल्लाह तप्पा उजियार परगना मगहर पूरब तहसील-खलीलाबाद जिला-संतकबीर नगर का नवासी है। प्रार्थी अनुसूचित जाति, उपजाति धोबी है। गाटा संख्या 2626/0-1-0 वावत ग्राम/मौजा बस्ती खास/मोहल्ला-रेवले स्टेशन रोड तप्पा हवेली, परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला-बस्ती का वैनामदार संक्रमणीय</p>	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-65 के विन्दु (3) एवं आपत्ति संख्या-81 के अनुसार।	<p>किया गया कि महायोजना के भू-उपयोग बृहद स्तर पर प्रस्तावित किये जाते हैं न कि प्लाट स्तर पर अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना के भू-उपयोग बृहद स्तर पर प्रस्तावित किये जाते हैं न कि प्लाट स्तर पर अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने</p>




क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>भूमिधर वकवजा है। प्रश्नगत भूखण्ड की चौहद्दी निम्नवत् है। उत्तर जमीन श्रीमती चन्द्रा देवी, दक्षिण बंजर जमीन, पूरब जमीन जावेद आदि, पश्चिम रेलवे स्टेशन रोड। उक्त भूखण्ड बाउन्ड्रीवाल से घिरी है। बस्ती महायोजना 2006 द्वारा उक्त भूखण्ड सामुदायिक केंद्र के प्रस्तावित है। प्रार्थी का उक्त भूखण्ड आवासीय उद्देश्य से क्रय की गयी है। बस्ती मुख्यालय पर उक्त भूखण्ड के अलावा हम प्रार्थी के पास अन्य कोई जमीन नहीं है। प्रश्नगत भूखण्ड को हम प्रार्थी को सूचित किये बिना / बिना सुने सामुदायिक केंद्र प्रस्तावित किया गया है। जिससे प्राकृतिक न्याय का हनन है और हम प्रार्थी को अपूर्तिनीय क्षति है। ऐसी सूरत में प्रश्नगत उपरोक्त भूखण्ड को महायोजना से पृथक किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।</p>		<p>के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>




क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
106.	श्रीमती भानमती देवी पत्नी श्री राजाराम चौधरी एवं श्रीमती चतुरी देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र चौधरी साकिनान बड़कुइयां पो0-मझीवा मीर तप्पा-पड़िया, परगना-बस्ती पूरब तहसील व जिला- बस्ती।	अतः प्रार्थना है कि गाटा संख्या 2626/0-1-0 वावत मौजा बस्ती खास (मोहल्ला रेलवे स्टेशन रोड) तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरब तहसील व जिला-बस्ती को बस्ती महायोजना से पृथक करने की कृपा करें। सविनय निवेदन है कि प्रार्थीगण श्रीमती भानमती देवी पत्नी श्री राजाराम चौधरी व श्रीमती चतुरी देवी पत्नी रमेश चंद्र चौधरी, साकिनान बड़कुइयां, पोस्ट-मझीवा मीर, तप्पा-पड़िया, परगना-बस्ती पूरब तहसील व जिला- बस्ती की निवासिनी हैं। गाटा संख्या-139/3-6-7 वावत ग्राम-खीरीघाट, तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरब तहसील व जिला-बस्ती में रकबा 0-1-10 पोख्ता का बैनामा दिनांक 17.12.86 कोलिया है। जिसकी चौहदी निम्नवत् है। उत्तर द्विजेश परिषद् मार्ग, दक्षिण जमीन मुक्ति पूरब जमीन श्रीमती	महायोजना प्रारूप के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रश्नगत भू-उपयोग भावी नगरीय एवं स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत ही किया गया है। अतः तकनीकी दृष्टि से यथावत् रखना ही उचित होगा। आपत्ति निरस्त होने योग्य है।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। आपत्ति/सुझाव के परिश्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत रिथर किया गया कि प्रश्नगत भू-उपयोग महायोजना क्षेत्र की भावी एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थल पर किया गया है। अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।



क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
107.	श्री परमात्मा पुत्र दूर सा0 खोराखार तप्पा हवेली परगना-बस्ती पूरब तहसील व जिला-बस्ती।	सरस्वती सिंह, पश्चिम जमीन मुक्ति उक्त गाटे पर हम प्रार्थिनीगण का मकान बना हुआ है। जिसमें सपरिवार रहते हैं। इसके अलावा अन्य कोई मकान नहीं है। बस्ती महायोजनान्तर्गत उक्त गाटा संख्या गार्डन हेतु प्रस्तावित है। जिससे हम प्रार्थिनीगण को सख्त हकतल्फी है। न्यायहित में उक्त गार्डन को अन्यत्र खाली भूखण्ड पर प्रस्तावित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना है कि गाटा संख्या-139/3-6-7 में से बैनामा शुदा रकबा 0-1-10 को बस्ती महायोजना में प्रस्तावित गार्डन को अन्यत्र प्रस्तावित किया जाय तथा प्रश्नगत भूखण्ड को आगामी मँरहने दिया जावे। आपत्ति निम्न ग्राम खोराखार तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरब पी./1 क्रीडामग्न निम्न है :-	महायोजना प्रारूप के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रश्नगत भू-उपयोग भावी नगरीय आवश्यकता के दृष्टिगत ही किया गया है। अतः तकनीकी दृष्टि से यथावत् रखना	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिश्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन




क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>1. यह कि ग्राम-खोराखार तप्पा-हवेली, परगना-वस्ती पूरब तहसील व जिला-वस्ती के भूमि संख्या-175 को क्रीडांगन हेतु सुरक्षित किये जाने हेतु प्रकाशन गलत ढंग से किया गया है।</p> <p>2. यह कि खसरा संख्या- 175 में हम प्रार्थी के मकानात बोरिंग तथा काफी पुरानी नींव भरी है। आबादी से आच्छादित होने के कारण क्रीडांगन हेतु सुरक्षित होने योग्य नहीं है।</p> <p>3. यह कि उक्त भूमि के बावत दीवानी वाद संख्या सिविल जज (जू.डि.) वस्ती के न्यायालय में लम्बित है तथा स्थगन आदेश भी पारित है।</p> <p>4. यह कि अधिग्रहण की कार्यवाही गलत होने के कारण भूमि संख्या-175 का अधिग्रहण से पृथक रखा जाना उचित है।</p>	<p>ही उचित होगा। आपत्ति विन्दु निरस्त होने योग्य है।</p> <p>— तदैव —</p> <p>यह विन्दु महायोजना प्रारूप से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-62 के अनुसार।</p>	<p>विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत् बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>




126

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
108.	श्री संतराम एवं लाल बहादुर ग्राम-डिडोहा तप्पा हवेली परगना-वस्ती पूरब तहसील व जिला-वस्ती।	<p>अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि भूमि संख्या-175, ग्राम-खोराखार की पी. /1 क्रीडांगन की अधिग्रहण से पृथक रखा जावे।</p> <p>ग्राम-डिडोहा, नाउडाइरानी व खोराखार तप्पा-हवेली, परगना-वस्ती पूरब तहसील व जिला-वस्ती में प्रार्थीगण की निम्नलिखित भूमि का प्रस्ताव न किये जाने के सम्बन्ध में :-</p> <p>1. यह कि प्रार्थीगण ग्राम-डिडोहा तप्पा-हवेली, परगना-वस्ती पूरब तहसील के जिला-वस्ती के मूल निवासी हैं तथा पूर्वजों के समय से इसी ग्राम में आबाद हैं।</p> <p>2. यह कि आराजियात हबस तफसील जैल के भूमिधर मालिक हम प्रार्थीगण हैं। इससे किसी अन्य से कोई वास्ता सरोकार नहीं है।</p>	<p>आपत्ति विन्दु महायोजना से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>आपत्ति विन्दु महायोजना से सम्बन्धित नहीं है।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र में नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इसलिए प्रश्नगत ग्राम को महायोजना क्षेत्र से पृथक नहीं किया जा सकता है। अतः आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>




127
204

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>3. यह कि हम प्रार्थीगण तथा हमारे परिवार का एक मात्र जीवन यापन का साधन खेती है तथा इसी खेती से प्रार्थीगण अपना तथा अपने परिवार का भरणपोषण किसी तरह करते चले आ रहे हैं। जीवनयापन का अन्य कोई साधन नहीं है।</p> <p>4. हम प्रार्थीगण आराजियात हस्य तपसील जेल में खेती करते हैं। अलखत्ता कुछ भाग में आबादी बन गई है तथा उसमें आबाद है।</p> <p>5. ग्राम-डिडौहा में ही हम प्रार्थीगण का मकान सहन अगवारा पिछवाड़ा घासी घरनी तथा दरख्तान आदि पूर्वजों के समय से मौजूद हैं जिस सबके मालिक हम प्रार्थीगण हैं।</p> <p>6. विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि प्रार्थीगण की भूमि सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत</p>	<p>आपत्ति विन्दु महायोजना से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>— तदैव —</p> <p>— तदैव —</p> <p>— तदैव —</p>	



128

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>की जाने की योजना बना दी गयी है। जबकि ऐसा हो गया तो प्रार्थीगण व परिवार उजड़ जायेंगे तथा जीवनयापन किया जाना किसी भी तरह से संभव नहीं रह जायेगा।</p> <p>7. प्रार्थीगण बहुत छोटे काश्तकार हैं। गरीब वो मजदूर हैं। किसी तरह खेती से ही अपना तथा अपने परिवार का गुजर-बसर कर रहे हैं।</p> <p>8. यह कि कर्ज मोहाल प्रार्थीगण की भूमि को जिस प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत किये जाने की योजना है वह भूमि उसके लिए उपयुक्त भी नहीं है। इसलिए भी प्रार्थीगण की भूमि का अधिग्रहण किया जाना कर्त्तई उचित नहीं होगा।</p> <p>9. प्रार्थीगण के परिवार को कोई सदस्य कहीं किसी नौकरी में नहीं है। तथा बाहरी आय का कोई साधन नहीं है। ऐसी दशा में हर प्रकार से</p>	<p>— तदैव —</p> <p>महायोजना प्रारूप के अन्तर्गत केवल भूमि का उपयोग ही प्रस्तावित किया जाता है न कि उसका अधिग्रहण किया जाता है। आपत्ति विन्दु निराधार एवं निरस्त होने योग्य है।</p> <p>आपत्ति विन्दु महायोजना प्रारूप से सम्बन्धित नहीं है।</p>	



129
205

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>प्रार्थीगण भजवूरी में ही चल रहे है। और किसी तरह जीवनयापन करते हैं।</p> <p>10. हम भजवूर होकर प्रार्थना पत्र दे रहे है क्योंकि अन्य कोई रास्ता नहीं है।</p> <p>11. यह कि कथित अधिग्रहण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है जो जनहित के विरुद्ध है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण की उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा जनभावनाओं का सम्मान करते हुए प्रार्थीगण की निम्नलिखित भूमि को प्रस्ताव से मुक्त रखने की कृपा करें यथा ग्राम-डिडौहा की खाता संख्या-68, 87, 93, 101 ग्राम-नाउडाड़रानी की खाता संख्या-56 एवं ग्राम-खोराखार की खाता संख्या-61</p>	<p>आपत्ति विन्दु महायोजना से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-8 एवं आपत्ति संख्या-62 के अनुसार।</p>	
109.	श्री श्याम लाल पुत्र धिराऊ एवं अन्य चार प्रार्थीगण ग्राम-डिडौहा तप्पा	ग्राम-डिडौहा में प्रार्थीगण की भूमि जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है का प्रस्ताव	आपत्ति विन्दु महायोजना प्रारूप से सम्बन्धित नहीं है।	आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के

[Handwritten Signature]


130

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
	हवेली परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती।	<p>रोकने के सम्बन्ध में :-</p> <p>1. हम प्रार्थीगण ग्राम-डिडौहा तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती के मूल निवासी हैं तथा इसी ग्राम में प्रार्थीगण का मकान सहन पेड़ खेती वारी पूर्वजों के ही समय से हैं।</p> <p>2. प्रार्थीगण गरीब तथा भजवूर खेतीहर किसान हैं तथा खेती है। प्रार्थीगण का परिवार के जीवन-यापन का एक मात्र साधन है।</p> <p>3. हम प्रार्थीगण आराजियात हस्य तपसली जैल के संक्रमणीय भूमिघर कब्जा है किस अन्य से कोई वास्ता सरोकार नहीं है।</p> <p>4. यह कि हम प्रार्थीगण की निम्नलिखित भूमि में खेती का कार्य किया जाता है तथा कुछ भाग में आबादी व पेड़ हैं। इसमें से कोई भूमि अधिग्रहण किये जाने योग्य नहीं है।</p>	<p>आपत्ति विन्दु महायोजना से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>— तदैव —</p> <p>— तदैव —</p> <p>महायोजना प्रारूप के अन्तर्गत भूमि का केवल प्रस्तावित भू-उपयोग ही निर्धारित किया जाता है न कि सम्बन्धित भूमि का अधिग्रहण।</p>	<p>परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार वने निर्माण यथावत् वने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>

[Handwritten Signature]


131
206

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>5. हम प्रार्थीगण के परिवार के जीवनयापन का साधन केवल खेती है। अन्य कोई साधन नहीं है। इसी से प्रार्थीगण का परिवार का गुजर-बसर होता है। यदि प्रार्थीगण की भूमि का अधिग्रहण कर लिया जायेगा तो प्रार्थीगण के साथ घोर अन्याय हो जायेगा।</p> <p>6. जिस उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किये जाने की बात की जा रही है प्रार्थीगण की भूमि उस कार्य के लिए कर्तई उपयुक्त नहीं है। इसलिए उसे अधिग्रहण से पृथक किया जाना ही उचित तथा न्यायसंगत होगा।</p> <p>7. हम प्रार्थीगण बहुत छोटे काश्तकार हैं तथा खेती भी सीमित है। यदि अधिग्रहण कर लिया जायेगा तो प्रार्थी का परिवार उजड़ जायेगा तथा कही रहने का कोई ठिकाना नहीं रह जायेगा।</p> <p>8. प्रार्थी का परिवार का कोई सदस्य</p>	<p>— तदैव —</p> <p>महायोजना प्रारूप के अन्तर्गत भूमि का केवल प्रस्तावित भू-उपयोग ही निर्धारित किया जाता है न कि सम्बन्धित भूमि का अधिग्रहण।</p> <p>— तदैव —</p> <p>आपत्ति विन्दु महायोजना से सम्बन्धित</p>	



132

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
		<p>सरकारी या प्राइवेट विभाग में नौकरी भी नहीं करता है। इस प्रकार जीवन यापन का कोई और साधन नहीं है।</p> <p>9. प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है तथा पूर्वजों के समय से ही उस पर खेती करते आ रहे हैं।</p> <p>10. इस प्रजातंत्र से प्रार्थीगण की जरूरतें एवं भावनाओं को ध्यान में रखकर तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर प्रार्थीगण की भूमि अधिग्रहीत नहीं होनी चाहिए।</p> <p>11. यह कि कथित अधिग्रहीत का प्रस्ताव हर प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य है।</p> <p>अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण की आवश्यकताओं को तथा स्थिति पर विचार करते हुए निम्नलिखित भूमि के गाटा संख्या 290/0, 25307/0.010, 432/0.697 पर होने वाले</p>	<p>नहीं है।</p> <p>आपत्ति विन्दु महायोजना से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या 109 के विन्दु (5) के अनुसार</p> <p>— तदैव —</p> <p>प्रस्तावित भू-उपयोग भावी स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत ही उपयुक्त स्थल पर किया गया है जो औचित्यपूर्ण है तथा आपत्ति निरस्त होने योग्य है।</p>	



133
207

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
110.	श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं महेंद्र कुमार पुत्र श्री नरसिंह, ग्राम-डिडौहा तप्पा हवेली, तहसील व जिला-वस्ती।	<p>प्रस्ताव को समाप्त करने की कार्यवाही करने की कृपा करें।</p> <p>ग्राम-डिडौहा में गाटा संख्या-193 साविक रकया 0-1-10 के सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रस्ताव को रोकने के सम्बन्ध में :-</p> <ol style="list-style-type: none"> हम प्रार्थीगण साविक नम्बर 193 रकया 0-1-10 के संक्रमणीय भूमिधर व कब्जा है। इससे किसी अन्यसे कोई वास्ता सरोकार नहीं है। हम प्रार्थीगण गरीब वो भूमिहीन है। प्रार्थीगण के पास केवल यही 0-1-10 रकया है अन्य कोई भूमि नहीं है। प्रार्थीगण ने घर बनवाने के लिए उपरोक्त भूमि का बैनामा लिया है तथा बैनामों के आधार पर प्रार्थीगण का नाम अंकित हो चुका है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ग्राम-डिडौहा के भूमि का अधिग्रहण 	<p>आपत्ति विन्दु महायोजना से सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>— तदैव —</p> <p>— तदैव —</p> <p>महायोजना प्रारूप के अन्तर्गत किसी भी तरह की भूमि के अधिग्रहण का कोई</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार बने निर्माण यथावत् बने रहेंगे। भले ही उन्हें तकनीकी कारणों से नहीं दर्शाया जा सका है। इसलिए पुनः सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है और आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।</p>

[Handwritten Signature]

134

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
111.	श्री प्रेम नारायण चौधरी पुत्र श्री राम कुमार चौधरी, मुहल्ला-जयपुरवा पोस्ट-गांधीनगर, वस्ती।	<p>किया जा रहा है। जिसमें प्रार्थी का उपरोक्त रकया भी शामिल है।</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रार्थीगण के पास मकान बनाने के लिए अन्य कोई भूमि नहीं है। यदि प्रार्थीगण की उक्त भूमि का अधिग्रहण कर लिया जायेगा तो प्रार्थीगण के साथ घोर अन्याय होगा। यह कि न्यायहित में तथा प्रार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में किया गया प्रस्ताव निरस्त किया जाना चाहिए। <p>अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के साविक गाटा नं० - 193/0-1-10 स्थित ग्राम-डिडौहा में किया गया प्रस्ताव को निरस्त करने की कृपा की जाय।</p> <p>निवेदन है कि प्रार्थी प्रेम नारायण चौधरी पुत्र स्वर्गीय राम कुमार चौधरी ग्राम-डिडौहा में 10 बिसवा 4 धुर जमीन है। उसी में घर</p>	<p>प्राविधान नहीं है। अतः आपत्ति विन्दु निराधार एवं निरस्त होने योग्य है।</p> <p>महायोजना प्रारूप के अन्तर्गत किसी भी तरह की भूमि के अधिग्रहण का कोई प्राविधान नहीं है। अतः आपत्ति विन्दु निराधार एवं निरस्त होने योग्य है।</p> <p>सम्बन्धित प्रस्ताव भावी स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत ही उपयुक्त स्थल पर किया गया है, जो औचित्यपूर्ण है तथा आपत्ति विन्दु निरस्त होने योग्य है।</p> <p>विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या-62 के अनुसार।</p>	<p>आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन</p>

[Handwritten Signature]

135
208

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
1	निर्धारित अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों / सुझाव अन्य श्री राम लखन पुत्र श्री बदलू ग्राम-बरहपेड़ा, मुसहा-वर्तमान पता-खोराखार तप्पा हवेली परगना-बस्ती पूरब तहसील व जिला-बस्ती।	बनाएंगे। इसके अलावा भेरे पास जमीन नहीं है। अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि हमारे जमीन को फिर से सर्वे कराकर ड्रक अड्डा से बाहर करने की कृपा करें। आराजी संख्या 410/0.1930 हेक्टेयर। निवेदन है कि हम प्रार्थी का ग्राम-बरहपेड़ा मुखहा तप्पा-गौर, परगना-बस्ती पश्चिम तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का निवासी हैं तथा प्रार्थी ने घर बनवाने हेतु मौजा खोराखार तथा हवेली, परगना-बस्तीपूरब तहसील व जनपद-बस्ती में गाटा संख्या-175/ मै 0-076 एयर जमीन का बैनाम घर बनवाने हेतु बैनामा लिया था। उक्त जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया है। प्रार्थी की किसी सूत्रों से पता चला है कि उक्त जमीन स्टैडियम ग्राउण्ड बनवाने हेतु सरकार लेना चाहती है। प्रार्थी ने उक्त जमीन पर घर बनवाने के लिए	महायोजना प्रारूप के अन्तर्गत किसी भी तरह की भूमि के अधिग्रहण का कोई प्राविधान नहीं है। अर्थात् किसी भी तरह के भूमि के अधिग्रहण का कार्य नहीं किया जा रहा है, केवल प्रश्नगत प्रस्ताव किये जा रहे हैं। अतएवं आपत्ति निरस्त होने योग्य है।	विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि प्रश्नगत भू-उपयोग महायोजना की भावी एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ही उपयुक्त स्थल पर किया गया है। इसलिए पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है तथा आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। अन्य : 1. आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिशिष्ट में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के




136

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
2	श्री रामदीन पुत्र श्री दर्शन साकिन-देईपार तप्पा हवेली परगना-बस्ती पूरब तहसील व जिला-बस्ती।	लियाहें। उक्त नम्बर में प्रार्थी ने वाउन्ड्री वाल भी बनवा कर नल भी लगवा लिया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का उक्त जमीन सरकार के अधिग्रहण में नहीं देना चाहता हूँ। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी उक्त जमीन का अधिग्रहण न किया जाय। जिससे प्रार्थी अपना मकान बनवा सके। इसके अलावा प्रार्थी के नाम कोई जमीन बस्ती शहर में नहीं है। निवेदन है कि प्रार्थी रामदीन पुत्र दर्शन साकिन देईपार तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरब तहसील व जिला-बस्ती का हैं। प्रार्थी के पास मात्र गाटा संख्या 171/0.687, 226/0.012, 206/0.041 है, जिससे प्रार्थी अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा है। प्रार्थी के क्षेत्र उपरोक्त महानगर योजना में सम्मिलित	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या 62 के अनुसार।	भू-उपयोग वृहद् स्तर पर प्रस्तावित किये जाते हैं न कि प्लाट स्तर पर इसलिए प्लाट को महायोजना क्षेत्र से पृथक किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिशिष्ट में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के भू-उपयोग वृहद् स्तर पर प्रस्तावित




137
209

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
3	श्री भैया राम पुत्र श्री जगराम साकिन, ग्राम-डिडोहा तप्पा हवेली परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती।	किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। श्रीमान् जी प्रार्थी छोटा किसान है। और प्रार्थी की भूमि महानगर योजना में सम्मिलित होने से प्रार्थी की अपूर्तिनीय क्षति होगी। ऐसी दशा में प्रार्थी की भूमि महानगर योजना से पृथक किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की भूमि महानगर योजना से पृथक किये जाने की कृपा करें। निवेदन है कि प्रार्थी मइया राम पुत्र जगराम साकिन-डिडोहा, तप्पा-हवेली, परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती का हैं। प्रार्थी के पास मात्र गाटा संख्या - 46/0.599 वा 99/0.273 है जिसे प्रार्थी अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। प्रार्थी के क्षेत्र उपरोक्त महानगर योजना में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव किया	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या 62 के अनुसार।	किये जाते हैं न कि प्लाट स्तर पर इसलिए प्लाट को महायोजना क्षेत्र से पृथक किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि महायोजना क्षेत्र के भू-उपयोग वृहद स्तर पर प्रस्तावित किये जाते हैं न कि प्लाट स्तर पर



138

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
4	श्री रतनदीप पुत्र स्व० श्री अनन्त प्रसाद, मो०-पटान टोला, पोस्ट-पुरानी बस्ती, जनपद-बस्ती। मो०नं० - 9935613306	गया है। श्रीमान् जी प्रार्थी छोटा किसान है और प्रार्थी की भूमि महानगर योजना में सम्मिलित होने से प्रार्थी की अपूर्तिनीय क्षति होगी। ऐसी दशा में प्रार्थी की भूमि महानगर योजना से पृथक किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की भूमि महानगर योजना से पृथक किये जाने की कृपा करें। प्रार्थी की पैतृक जमीन ग्राम मरवटिया तप्पा-करड़, परगना-बस्ती पूरव तहसील व जिला-बस्ती ब्लाक-साऊँधाट पालिटैक्निक चौराहे के पूरव गोरखपुर फेंजावादा तथा बस्ती-बांसी मार्ग के चौराहे पर स्थित है। वर्तमान समय में सिविल जज सि० डिवीजन बस्ती के यहां वाद संख्या-75/2000 ग्राम पंचायत - मरवटिया बनाम तारा देवी लखित है। जिस पर मारटर प्लान में रोडवेज का प्रस्तावित स्थल दिखाया गया है जो कि न्याय संगत नहीं है।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या 65 के बिन्दु संख्या (3) के अनुसार।	इसलिए प्लाट को महायोजना क्षेत्र से पृथक किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि प्रश्नगत प्रस्तावित भू-उपयोग बस अड़ड़ा महायोजना क्षेत्र की भावी एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ही उपयुक्त स्थल पर किया गया है। अतएव आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण



139
210

क्र.सं.	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति/सुझाव का सारांश	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी	उपसमिति का निर्णय/संस्तुति
१	२	३	४	५
5	श्री शम्भू नाथ, उपसचिव, उ०प्र० शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, लखनऊ।	अतः आप महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रस्तावित रोडवेज हेतु विहित स्थल को मास्टर प्लान के नक्शे में संशोधन करने की कृपा करें। आपत्ति संख्या 5 एवं 6 के अनुसार।	विभागीय अभिमत आपत्ति संख्या 5 एवं 6 के अनुसार।	उसे निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। आपत्तिकर्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आपत्ति/ सुझाव के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की टिप्पणी एवं महायोजना मानचित्र के अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि बिन्दु संख्या - 2, 3 महायोजना से सम्बन्धित नहीं है तथा बिन्दु संख्या- 1 एवं 4 तथ्यहीन होने के कारण आपत्ति/ सुझाव को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।

(सतीश बन्द)

नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र
बस्ती
सदस्य

(सियाराम प्रसाद)

अधिशाली अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम
बस्ती
सदस्य

(वी०पी० श्रीवास्तव)

अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख०,सौ०/वि०
बस्ती
सदस्य

(बिनोद कुमार)

सहयुक्त नियोजक
गोरखपुर
सदस्य

(अनिल कुमार दत्तेल)

जिलाधिकारी
बस्ती
अध्यक्ष

793
30-1-14

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, बस्ती की अध्यक्षता में दिनांक 10-01-2014 समय 4 बजे अपराह्न आहूत बैठक की कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि:- 10-01-2014

बैठक का समय:- 4 बजे अपराह्न

बैठक का स्थान:- कलेक्ट्रेट समा कक्ष बस्ती

बैठक में उपस्थिति

1-जिलाधिकारी, बस्ती	-	अध्यक्ष
2-अपर जिलाधिकारी, बस्ती	-	सदस्य
3-सहयुक्त नियोजक, गौरखपुर	-	सदस्य
4-उपजिलाधिकारी सदर बस्ती	-	सदस्य
5-अधिसाषी अभियन्ता जलनिगम बस्ती	-	सदस्य
6-अधिसाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0विभाग बस्ती	-	सदस्य
7-महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बस्ती	-	सदस्य
8-नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बस्ती सदस्य सचिव/विशेष आमंत्रित		

सूचना के अनुसार दिनांक 10-01-2014 समय 4 बजे अपराह्न अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में उक्त सदस्य गणों की उपस्थिति में आहूत बैठक संपन्न हुई। संपन्न बैठक का विवरण निम्नवत है:-

1-पिछली कार्यवाही की पुष्टि :- गत बैठक दिनांक 27-11-2013 की कार्यवाही, जिसकी प्रति समस्त सदस्यों को प्रेषित की गई थी, उसे उपस्थिति सदस्यों को पढकर सुनाया गया, जिसको सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

2-नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलीय वाद धारा 15 (2) की सुनवाई व निस्तारण पर विचार :- सूची के अनुसार लम्बित अपीलीय वाद धारा 15 (2) नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधिवक्तागणों के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण वादों की सुनवाई नहीं की जा सकी, जिसके लिए आगामी बैठक दिनांक 07-02-2014 नियत की गई।

3-अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार:-

क-विनियमित क्षेत्र बस्ती की तैयार महायोजना प्रारूप 2021 पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के सुनवाई पर विचार:- गत बैठक की कार्यवाही के विन्दु सं0-(क) अन्तर्गत लिए गये निर्णय के अनुक्रम में विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलाधिकारी बस्ती की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित तिथि-08-01-2014 से दिनांक 10-01-2014 तक प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सुनवाई कराने

श्री-राम सिंह
अ.0.0.0.0.0

25/01/14

25/01/14

विषयक प्रेस विज्ञप्ति पत्रांक 7488 दिनांक 19-12-2013 को जारी करके आपत्तिकर्ताओं की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नोटिस जारी की गई, जिसके अनुक्रम में गठित समिति द्वारा निम्नवत् तिथियों में महायोजना प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई की गई:-

क्रमांक	दिनांक	सुनवाई हेतु निर्धारित आपत्तियों/सुझावों का विवरण
1-	08-01-2014	- आपत्ति/सुझाव क्रमांक 01 से 37 तक
2-	09-01-2014	- आपत्ति/सुझाव क्रमांक 38 से 75 तक
3-	10-01-2014	- आपत्ति/सुझाव क्रमांक 76 से 112 अर्थात् अन्त तक

बस्ती महायोजना प्रारूप-2021 पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई गठित समिति द्वारा करने के उपरान्त अपनी संस्तुति/ निर्णय प्राधिकारी सभा के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई जिसे विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए उक्त समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

1-बस्ती महायोजना के मानचित्र में दर्शाये गये वर्तमान मार्गों की चौड़ाई निर्मित/विकसित क्षेत्रों में सरकारी अभिलेखों में दर्ज चौड़ाई के अनुरूप रखने तथा वाह्य क्षेत्रों में वर्तमान मार्गों की चौड़ाई प्रारूप के अनुसार यथावत रखने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

2-सहयुक्त नियोजक, गोरखपुर एवम् अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, बस्ती के साथ महायोजना मानचित्र में दर्शाये गये वर्तमान मुख्य मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करके जिन मार्गों के दोनों तरफ व्यावसायिक विकास हो गये हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए मानक के अनुसार उन मार्गों के दोनों तरफ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

3- बस्ती महायोजना प्रारूप 2021 में जो पार्क/खुले स्थल/क्रीडांगन एवम् ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किये गये हैं, उनका पुनः स्थलीय निरीक्षण कर लिया जाय तथा वर्तमान समय में हुए निर्माणों/विकास को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें वर्तमान भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित करते हुए शेष भाग को ही पार्क/खुले स्थल/क्रीडांगन एवम् ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

4-महायोजना मानचित्र में प्रदर्शित जिन राजस्व ग्रामों की ग्रामीण आबादियों को नहीं दर्शाया गया है, उन्हें सजरा मानचित्र के अनुसार महायोजना मानचित्र पर दर्शाये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

5-महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि जल संरक्षण के निमित्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त जल स्रोतों यथा-तालाब/पोखरा/जलाशय एवम् नदी-नाले इत्यादि को यथा सम्भव महायोजना मानचित्र में दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख राजस्व विभाग से प्राप्त कर महायोजना प्रतिवेदन में संलग्न कर दिया जाय ।

6-उक्त सुझावो को समावेशित करते हुए संशोधित बस्ती महायोजना-2021 (प्रारूप) मानचित्र एवम् प्रतिवेदन को तैयार कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु सहयुक्त नियोजक गोरखपुर को निर्देशित किया गया तथा उक्त कार्य में व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान विकास शुल्क मद से कराये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

(ख) विकास शुल्क के रेट निर्धारण के सम्बन्ध में विचार:- गत बैठक में लिए गये निर्णयानुसार विकास शुल्क के रेट निर्धारण हेतु फैजाबाद विकास प्राधिकरण तथा महाराजगंज एवम् मगहर-खलीलाबाद विनियमित क्षेत्र के विकास शुल्क के रेट का तुलनात्मक विवरण मा0 सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । जिसे सर्वसम्मति से आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।

उपरोक्त प्रस्तावों के अलावा अन्य कोई प्रस्ताव न होने के कारण उक्त बैठक का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ किया गया ।

(अनिल कुमार दमेले)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, जनपद-बस्ती

(4)

पत्राक:- 7535/2014 दिनांक-18-जनवरी,2014

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अपर जिलाधिकारी, बस्ती ।
- 2-नियत प्राधिकारी, वि0क्षे0 बस्ती ।
- 3-सहयुक्त नियोजक, गोरखपुर ।
- 4-उपजिलाधिकारी, बस्ती सदर ।
- 5-अधिशायी अभियन्ता, जल निगम बस्ती ।
- 6-अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बस्ती ।
- 7-अधिशायी अभियन्ता, आवास विकास परिषद, ~~बस्ती~~ गोरखपुर ।
- 8-क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, गोरखपुर ।
- 9-अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, बस्ती ।
- 10-अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बस्ती ।
- 11-कार्यवाही पंजिका हेतु ।

(अनिल कुमार दमेले)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, जनपद-बस्ती

858
19-02-14

नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र-बस्ती की आहूत बैठक
दिनांक-07.02.2014 समय 4 बजे जिलाधिकारी की
अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त।

1. बैठक की तिथि:- 07.02.2014
2. बैठक का समय:- पूर्वान्ह 4 बजे।
3. बैठक का स्थान:- कलेक्ट्रेट सभा कक्ष-बस्ती।

बैठक में उपस्थित।

- | | | |
|---------------------------|---|---------|
| 1. श्री अमिल कुमार दमेले | जिलाधिकारी बस्ती | अध्यक्ष |
| 2. श्री विनोद कुमार | सहयुक्त नियोजक
गोरखपुर | सदस्य |
| 3. श्री धी0वी0 श्रीवास्तव | अधिकाधी अभियन्ता प्रान्तीय
प्रान्तीय खण्ड लो0वि0वि0 बस्ती। | सदस्य |
| 4. श्री सियाराम प्रसाद | अधिकाधी अभियन्ता जल निगम
बस्ती | सदस्य |
| 5. श्री रामायण शरण | अधिकाधी अभियन्ता, आवास
एवं विकास परिषद गोरखपुर। | सदस्य |
| 6. श्री उदयशंकर सिंह | अपर मुख्य अधिकारी जिला परिषद
बस्ती। | सदस्य |
| 7. श्री सतीश चन्द्र | विशेष आमंत्रित/सचिव/नियत प्राधिकारी
वि0क्षे0 बस्ती। | |


बैठक का एजेण्डा:-

1. पिछली कार्यवाही की पुष्टि।
2. अपील अर्न्तगत धारा 15 (2) के सुनवाई एवं निस्तारण पर विचार।
3. अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से अन्य विषय पर।
- क. तैयार महायोजना प्रारूप-2021 पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार।
- ख. नियोजित विकास हेतु नितिगत निर्णय पर विचार।

सूचना के अनुसार दिनांक-07.02.2014 समय 4 बजे
अप्रशान्ह अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सदस्यगणों की उपस्थिति में
आहूत बैठक का विवरण निम्नवत है।

1. पिछली कार्यवाही की पुष्टि:- गत बैठक दिनांक-10.01.2014 समय
4 बजे अपरान्ह उपस्थिति सदस्यगणों के समक्ष प्रेषित की गई उसे

श्री एन सिंह,
अधीक्षक (2)



19/02/14

उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाया गया, जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

2. अपील अर्न्तगत धारा 15(2) की विचाराधीन पत्रावलियों की सुनवाई पर विचार:- नियंत्रक प्राधिकारी सभा के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गई पत्रावली प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण समस्त पत्रावलियों के सुनवायी/निस्तारण हेतु सर्व सम्मति से आगामी बैठक दिनांक-07.003.2014 को अपराह्न 2 बजे आयोजित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
3. बस्ती महायोजना 2021 को अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में विचार:- नियंत्रक प्राधिकारी की दिनांक- 10.01.2014 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सहयुक्त नियोजक गोरखपुर द्वारा विनियमित क्षेत्र के अवर अभियन्ता के साथ महायोजना प्रारूप 2021 मानचित्र में प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों का स्थलीय सत्यापन दिनांक-18.01.2014 को किए जाने के पश्चात् तैयार कराये गये संशोधित मानचित्र एवं प्रतिवेदन उपस्थित सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसको विस्तृत विचारविमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से अन्तिम रूप से अनुमोदित करते हुए शासन को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया, और सहयुक्त नियोजक गोरखपुर को यह दिर्देश दिया गया, कि अन्तिम रूप से अनुमोदित बस्ती महायोजना 2021 के प्रतिवेदन (रंगीन जोडिंग रेगुलेशन्स एवं समस्त मानचित्रों सहित) की यथाशीघ्र आपेक्षित प्रतियां तैयार कराकर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बस्ती के माध्यम से शासन को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित कराने की कार्यवाही सम्पन्न कराये तथा उक्त कार्य में घ्यय हुई धनराशि का बिल भुगतान हेतु नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र कार्यालय को उपलब्ध करायेगे।
4. विकास शुल्क की दर में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में विचार:- विकास शुल्क की दर में बढ़ोत्तरी/पुनः विचार किये जाने के सम्बन्ध में तुलनात्मक विवरण तैयार है। विचार विमर्श के उपरान्त आगामी

बैठक दिनांक-07.03.2014 में प्रस्तुत किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।


अन्त में विनियमित क्षेत्र बस्ती की महायोजना 2021 को जनहित/जनउपयोगी तैयार किये जाने के कारण सहयुक्त नियोजक गोरखपुर व अन्य सदस्य को धन्यवाद व्यापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समस्त की गई।


(अनिल कुमार दमले)
अध्यक्ष/जिलाधिकारी
बस्ती।

पत्रांक:- 7597(3) तददिनांक- 13-2-2014 बस्ती

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी बस्ती।
2. अपर जिलाधिकारी बस्ती।
3. सहयुक्त नियोजक गोरखपुर।
4. नियत प्राधिकारी वि०क्षे० बस्ती।
5. उम जिलाधिकारी बस्ती संदर।
6. अधिशाषी अभियन्ता जल निगम-बस्ती।
7. अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लौ०नि०वि० बस्ती।
8. अधिशाषी अभियन्ता आवास विकास परिषद गोरखपुर।
9. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी गोरखपुर।
10. अपर मुख्यअधिकारी जिला धरषद बस्ती।
11. अध्यक्ष नगर प्रालिका परिषद बस्ती।
12. कार्यालय प्रति।


(अनिल कुमार दमले)
अध्यक्ष/जिलाधिकारी
बस्ती।

15.1.0 बस्ती महायोजना-2021 को तैयार करने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया एवं शासन महायोजना परीक्षण समिति द्वारा दिये गए सुझावों के अनुपालन की स्थिति :-

15.1.1 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 6020/37-3-82-55 एन0के0वि0 82 दिनांक 14 अक्टूबर, 1983 (परिशिष्ट-1) द्वारा बस्ती विनियमित क्षेत्र अधिघोषित किया गया। तत्पश्चात नियंत्रक प्राधिकारी सभा की दिनांक 04.07.2008 (परिशिष्ट-8) को सम्पन्न हुई बैठक में बस्ती विनियमित क्षेत्र की महायोजना तैयार कराने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को अभिकरण (एजेन्सी) घोषित किया गया। जिसके अनुक्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 के गोरखपुर सम्भागीय नियोजन खण्ड द्वारा बस्ती नगर पालिका एवं इसके अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्र के वर्तमान विकास के स्वरूप एवं स्थानीय आवश्यकताओं का विस्तृत सर्वेक्षण एवं विश्लेषण करके बस्ती विनियमित क्षेत्र हेतु वर्ष 2021 तक अनुमानित 2.35 लाख जनसंख्या की विभिन्न नगरीय अवस्थापना हेतु बस्ती महायोजना-2021 (प्रारूप) तैयार किया गया। जिसे शासन स्तरीय गठित समिति द्वारा दिनांक 10.11.2009 (परिशिष्ट-9) को सम्पन्न हुई बैठक में परीक्षणोपरान्त अनुमोदित किये जाने के पश्चात नियंत्रक प्राधिकारी सभा विनियमित क्षेत्र बस्ती की दिनांक 16.06.2010 (परिशिष्ट-10) को सम्पन्न हुई बैठक में जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया। जिसके अनुक्रम में जन-सामान्य से बस्ती महायोजना-2021 (प्रारूप) पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के निमित्त

कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी कार्यालय में दिनांक 21.07.2010 से 19.08.2010 तक प्रदर्शनी आयोजित की गई तथा प्रदर्शनी सम्बन्धी विज्ञप्ति दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक जागरण एवं कौटिल्य का भारत) (परिशिष्ट-11) में भी प्रकाशित कराई गई। प्रदर्शनी अवधि में कुल 112 आपत्ति/सुझाव (परिशिष्ट-12) प्राप्त हुए। जिनकी सुनवाई निस्तारण की कार्यवाही जिलाधिकारी, बस्ती की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 08.01.2014 से 10.01.2014 तक की गई। उक्त समिति की संस्तुतियों के आधार पर नियंत्रक प्राधिकारी सभा की दिनांक 10.01.2014 (परिशिष्ट-13) को सम्पन्न हुई बैठक में महायोजना मानचित्र के प्रस्तावों का विनियमित क्षेत्र के अपर अभियन्ता के साथ सहयुक्त नियोजक गोरखपुर द्वारा स्थलीय सत्यापन दिनांक 18.01.2014 को करके उपरान्त अपेक्षित संशोधनों परान्त बस्ती महायोजना-2021 के प्रस्तावित- भू उपयोग का मानचित्र तैयार कराकर नियंत्रक प्राधिकारी सभा की दिनांक 07.02.2014 (परिशिष्ट-14) को आयोजित बैठक में अन्तिम रूप से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसे विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से अन्तिम रूप से अनुमोदित करते हुए शासन को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

15.1.2 बस्ती महायोजना-2021 में शासन स्तरीय गठित परीक्षण समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन की स्थिति -

बस्ती महायोजना - 2021 के प्रतिवेदन में महायोजना परीक्षण समिति द्वारा दिनांक 11.07.2008 के क्रम में 10.11.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में दिये गए सुझावों के अनुपालन की स्थिति का विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	समिति द्वारा दिये गये सुझाव	अनुपालन आख्या
1	2	3
1.	<p>सामुदायिक सुविधाएँ/सेवाएँ उपयोग महायोजना के विभिन्न जोन्स में जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित सुविधाओं/सेवाओं का विवरण तालिका में दर्शाया जाय। यदि किसी जोन में वितरण असन्तुलित है तो उसके औचित्य का उल्लेख भी प्रतिवेदन में किया जाय।</p>	<p>महायोजना प्रतिवेदन के अध्याय 14 के अन्तर्गत तालिका संख्या 14.1 में जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित सुविधाओं/सेवाओं का वितरण दर्शा दिया गया है तथा जिस जोन में वितरण असन्तुलित है उसका औचित्य भी महायोजना प्रतिवेदन के उक्त अध्याय के अन्तर्गत ही पृष्ठ संख्या 67 पर उल्लिखित कर दिया गया है।</p>
2.	<p>व्यावसायिक उपयोग महायोजना में 30 मीटर चौड़े मार्ग पर एक नगर केन्द्र (सी-5) तथा एक मण्डलीय केन्द्र (सी-3) एक दूसरे से संतुलन कर प्रस्तावित किये गये हैं को नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं पाया गया। समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि मण्डलीय केन्द्र को यथा सम्भव रिंग रोड से संलग्न प्रस्तावित किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।</p>	<p>समिति के सुझावानुसार प्रश्नगत मण्डलीय केन्द्र (सी-3) को रिंग रोड से सटे महायोजना मानचित्र में जोन संख्या 2 के अन्तर्गत प्रस्तावित कर दिया गया है।</p>
3.	<p>कार्यालय उपयोग समिति द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 11.07.2008 में दिये गये सुझाव के क्रम में महायोजना में बस्ती को मण्डल मुख्यालय बनाए जाने के फलस्वरूप कार्यालय उपयोग हेतु पर्याप्त भूमि रिंग रोड के साथ प्रस्तावित की गई है। इस सम्बन्ध में मण्डलीय कार्यालयों को यदि प्रस्तावित स्थल पर स्थापित किया जाता है तो इस दशा में उस क्षेत्र में जोनिंग रेगुलेशन्स जो कि सामान्य कार्यालय उपयोग से भिन्न होंगे को भी महायोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित किया जाना चाहिए।</p>	<p>समिति के सुझावानुसार महायोजना मानचित्र तथा महायोजना प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या (91-95) जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत वांछित संशोधन कर लिया गया है।</p>

क्र.सं.	समिति द्वारा दिये गये सुझाव	अनुपालन आख्या
1	2	3
4.	<p>यातायात उपयोग यातायात के सम्बन्ध में समस्याग्रस्त मार्गों एवं क्रासिंग्स के सुधार हेतु प्रस्ताव या वैकल्पिक व्यवस्था का उल्लेख प्रतिवेदन में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यमान मार्गों के विस्तार तथा नये प्रस्तावित मार्गों के विकास की प्राथमिकता भी महायोजना प्रतिवेदन में निर्धारित की जानी चाहिए।</p>	<p>समिति के सुझावानुसार वांछित विवरण महायोजना प्रतिवेदन के अध्याय-12 के अन्तर्गत पृष्ठ संख्या (50 से 54) तक समावेशित कर लिया गया है।</p>
5.	<p>इन्टीग्रेडेड टाउनशिप हेतु आरक्षित क्षेत्र समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि किसी स्थल/क्षेत्र विशेष को इन्टीग्रेडेड टाउनशिप के विकास हेतु महायोजना में आरक्षित किया जाना औचित्य पूर्ण नहीं है। महायोजना प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया जाना पर्याप्त है कि शासन की नीति के अन्तर्गत इस प्रकार की टाउन शिप के विकास हेतु महायोजना में पर्याप्त आवासीय क्षेत्र का प्राविधान किया गया है।</p>	<p>समिति के प्रश्नगत सुझाव को महायोजना प्रतिवेदन के अध्याय 13 में (पृष्ठ संख्या 57) समावेशित कर लिया गया है।</p>

बस्ती महायोजना-2021 में विभागीय मानक के अनुसार सुविधाओं/सेवाओं का भावी जनसंख्या के आधार पर आगणन सम्बन्धी विवरण (कुल जनसंख्या-2,35,000)

क्र० सं०	सुविधाएँ/सेवाओं/विद्यमान	जनसंख्या के अनुसार मानक	मानक के अनुसार आवश्यक सुविधाएँ	मानक के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्गमीटर/हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
1.0	शैक्षिक सुविधाएँ			
1.1	नर्सरी स्कूल 13	2500 जनसंख्या पर 01 अदद	94 स्कूल	47000 वर्ग मी० (500 x 94)
1.2	प्राईमरी स्कूल 32	5000 जनसंख्या पर 01 अदद	47 स्कूल	47000 वर्ग मी० (1000 x 47)
1.3	जूनियर हाई स्कूल 7	7500 जनसंख्या पर 01 अदद	31 स्कूल	62000 वर्ग मी० (2000 x 31)
1.4	इण्टर कालेज 10	10000 जनसंख्या पर 01 अदद	24 स्कूल	96000 वर्ग मी० (4000 x 24)
1.5	डिग्री कालेज 3	80000-100000 जनसंख्या पर 01 अदद	03 कालेज	नगरीय 15000 वर्ग मी० (5000 x 03) ग्रामीण 30000 वर्ग मी० (10000 x 03)
1.6	इन्जीनियरिंग कालेज 2	100000 जनसंख्या पर 01 अदद	02 कालेज	4.00 हेक्टेयर (2.00 x 02)
1.7	मेडिकल कालेज	1000000 जनसंख्या पर 01 अदद	--	10.00 हेक्टेयर (10 x 01)

क्र० सं०	सुविधाएँ / सेवाओं / विद्यमान	जनसंख्या के अनुसार मानक	मानक के अनुसार आवश्यक सुविधाएँ	मानक के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्गमीटर / हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
1.8	डेन्टल कालेज	1000000 जनसंख्या पर 01 अदद	—	2.00 हेक्टेयर (2.00 x 01)
2.0	चिकित्सा सुविधाएँ			
2.1	स्वास्थ्य केन्द्र 8	15000 जनसंख्या पर 01 अदद	16	12800 वर्ग मी० (800 x 16)
2.2	बाल कल्याण एवं प्रसूति गृह 3	4500 जनसंख्या पर 01 अदद	52	104000 वर्ग मी० (2000 x 52)
2.3	सामान्य चिकित्सालय न्यूनतम 100 शैयाओं का 3 (647 शैयाएँ)	100000 जनसंख्या पर 01 अदद	02	400 हेक्टेयर (2.00 x 02)
3.0	दूरसंचार सुविधाएँ एवं अन्य सेवाएँ			
3.1	उपडाकघर 10	10000 जनसंख्या पर 01 अदद	24	2400 वर्ग मी० (100 x 24)
3.2	टेलीफोन एक्सचेंज 1	100000 जनसंख्या पर 01 अदद	02	8000 वर्ग मी० (4000 x 02)
3.3	पुलिस स्टेशन 2	50000 जनसंख्या पर 01 अदद	05	20000 वर्ग मी० (4000 x 05)
3.4	पुलिस चौकी 8	15000 जनसंख्या पर 01 अदद	16	24000 वर्ग मी० (1500 x 16)
3.5	फायर स्टेशन 1	100000 जनसंख्या पर 01 अदद	02	12000 वर्ग मी० (6000 x 02)

क्र० सं०	सुविधाएँ / सेवाओं / विद्यमान	जनसंख्या के अनुसार मानक	मानक के अनुसार आवश्यक सुविधाएँ	मानक के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्गमीटर / हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
3.6	कम्प्यूटराईज्ड रेल / विमान आरक्षण केन्द्र	5000 जनसंख्या पर 01 अदद	47	2350 वर्ग मी० (50 x 47)
3.7	ए०टी०एम० सहित एक्स्टेन्शन काउन्टर 11 राष्ट्रीयकृत बैंक	1500 जनसंख्या पर 01 अदद	157	12717 वर्ग मी० (81 x 157)
3.8	विद्युत सब स्टेशन 5			
3.8.1	11 के०वी०ए० 3	15000 जनसंख्या पर 01 अदद	16	8000 वर्ग मी० (500 x 16)
3.8.2	33 के०वी०ए० 2	50000 जनसंख्या पर 01 अदद	05	5.00 एकड़ (1.00 x 05)
3.8.3	66 के०वी०ए०	100000 जनसंख्या पर 01 अदद	02	3.00 एकड़ (1.50 x 02)
3.8.4	132 के०वी०ए०	—	01	5.00 एकड़ (5.00 x 01)
3.8.5	220 के०वी०ए०	500000 जनसंख्या पर 01 अदद	01	10.00 एकड़ (10.00 x 01)
4.0	सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ			
4.1	बारातघर / कम्युनिटी सेण्टर	25000 जनसंख्या पर 01 अदद	09	13500 वर्ग मी० (1500 x 09)

क्र० सं०	सुविधाएँ/सेवाओं/विद्यमान	जनसंख्या के अनुसार मानक	मानक के अनुसार आवश्यक सुविधाएँ	मानक के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्गमीटर/हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
5.0	व्यावसायिक			
5.1	सुविधाजनक दुकानें	400 जनसंख्या पर 01 अदद	588	कुल योजना क्षेत्र का 05 प्रतिशत (कार्यालय उपयोग सहित)
5.2	सेक्टर शापिंग	200 जनसंख्या पर 01 अदद	1175	29375 वर्ग मी० (25.00 x 1175)
6.0	वितरण सेवा केन्द्र			
6.1	एल०पी०जी० गोदाम/गैस गोदाम	40000 से 50000 जनसंख्या पर 01 अदद	06	6000 वर्ग मी० (1000 x 02)
7.0	क्रीड़ा क्रियाएँ			
7.1	नगर क्रीड़ा केन्द्र	1000000 जनसंख्या पर 01 अदद	01	20 हेक्टेयर (20 x 01)
7.2	जोनल क्रीड़ा केन्द्र	100000 जनसंख्या पर 01 अदद	02	16.00 हेक्टेयर (8.00 x 02)
7.3	नेबर हुड क्रीड़ा केन्द्र	15000 जनसंख्या पर 01 अदद	16	24.00 हेक्टेयर (1.5 x 16)
7.4	आवासीय इकाईयों में क्रीड़ा केन्द्र	5000 जनसंख्या पर 01 अदद	47	235000 वर्ग मी० (5000 x 47)

संसाधन नियोजन एवं चरणबद्धता

17.1 कार्यदायी विभाग/संस्थाएं

किसी भी नगर की महायोजना उस नगर के संगठित एवं सुनियोजित विकास की दीर्घकालीन रूपरेखा होती है। इसमें नगरीय विकास में संलग्न सभी विभागों/संस्थाओं का सम्भावित प्रयास परम आवश्यक होता है। शासन के सीमित संसाधनों के पंचवर्षीय एवं वार्षिक बजट की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए चरणबद्ध रूप से उपलब्ध संसाधनों के क्रम में वार्षिक रूप रेखा तैयार की जानी चाहिये एवं मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक प्रस्तावित समिति का गठन कर इसका अनुश्रवण उक्त समिति के माध्यम से किया जाना चाहिए। नगर विकास में संलग्न विभाग/संस्थाएं निम्नवत् हैं:-

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. बस्ती विनियमित क्षेत्र | 2. नगर पालिका परिषद, बस्ती |
| 3. लोक निर्माण विभाग, | 4. उद्यान विभाग |
| 5. वन विभाग | 6. शिक्षा विभाग |
| 7. स्वास्थ्य विभाग | 8. विद्युत विभाग |
| 9. जल निगम | 10. जल संस्थान |
| 11. डाक एवं तार विभाग | 12. पुलिस विभाग |
| 13. परिवहन विभाग | 14. पर्यटन विभाग |
| 15. पुरातत्व विभाग | |

उपरोक्त विभागों में उपलब्ध बजट के अनुसार वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था, वार्षिक बजट प्राविधान, समन्वय, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु गठित समिति में मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल को अध्यक्ष उपरोक्त समस्त विभागों के स्थानीय अधिकारियों को सदस्य एवं मण्डल के सहयुक्त नियोजक को सदस्य/सचिव बनाया जाना प्रस्तावित है।

1. आयुक्त, बस्ती मण्डल	अध्यक्ष
2. जिलाधिकारी, बस्ती	सदस्य
3. पुलिस अधीक्षक, बस्ती	सदस्य
4. नियत प्राधिकारी (विनियमित क्षेत्र, बस्ती)	उपाध्यक्ष
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बस्ती	सदस्य
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बस्ती	सदस्य
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती	सदस्य
8. मुख्य अभियन्ता, विद्युत वितरण	सदस्य
9. महाप्रबन्धक, जल निगम	सदस्य
10. डी०एफ०ओ०, वन विभाग	सदस्य
11. संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग	सदस्य
12. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
13. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी	सदस्य
14. अधीक्षक, पुरातत्व विभाग	सदस्य
15. डाकपाल, बस्ती	सदस्य
16. उपनिदेशक, उद्यान	सदस्य
17. सहयुक्त नियोजक, गोरखपुर/बस्ती मण्डल	सदस्य/सचिव

सभी सम्बन्धित विभाग उक्त समिति द्वारा निर्धारित किये गये अंशदान के अनुसार बस्ती महायोजना-2021 में प्रस्तावित अवस्थापना संबंधी प्रस्तावों पर अपने अपने विभागों का कार्य सम्पादित करायेंगे।

17.2 अवस्थापना सुविधाओं के विकास/सुदृढीकरण की प्रक्रिया:-

बस्ती महायोजना वर्ष 2021 तक की अवधि के लिए तैयार की गयी है। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, बस्ती महायोजना-2021 में प्रस्तावित सभी अवस्थापना सुविधाएं, पार्क,

खेलकूद का मैदान, मार्ग, सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं आदि के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य वर्ष 2021 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त समस्त कार्यों का समिति प्रत्येक वर्ष अप्रैल, मई माह में वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी सम्बन्धित विभागों से कार्य की लागत का प्रस्ताव मांगेगी एवं उसे संकलित कर एक प्रतिवेदन के रूप में समिति से अनुमोदित करायेगी एवं इसी के अनुसार वार्षिक कार्य योजना क्रियान्वित की जायेगी।

17.3 भौतिक एवं वित्तीय चरणबद्धता:-

बस्ती महायोजना-2021 के अन्तर्गत आवश्यक भावी अवस्थापना सुविधाओं जैसे-पार्क, सीवर लाईन, पाईप लाईन, मार्ग व्यवस्था तथा पार्किंग आदि को ध्यान में रखते हुए इनके विकास/निर्माण का चरणवार विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित चरण
1.	मार्गों का विकास/निर्माण एवं सुदृढीकरण	प्रथम चरण (2016तक)
2.	पार्कों का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण	प्रथम चरण (2016तक)
3.	पार्किंग एवं बस टर्मिनस का निर्माण	प्रथम चरण (2016 तक)
4.	सीवर लाईन निर्माण	प्रथम चरण (2016 तक)
5.	पाईप लाईन	प्रथम चरण (2016 तक)
6.	शौचालय एवं यात्री शेड्स/रैन बसेरा निर्माण	द्वितीय चरण (2021 तक)
7.	डाकतार एवं दूर संचार सम्बन्धी सुविधाएं	द्वितीय चरण (2021 तक)
8.	पुलिस चौकियों की स्थापना/निर्माण	द्वितीय चरण (2021 तक)
9.	सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना/निर्माण	द्वितीय चरण (2021 तक)

बस्ती महायोजना-2021 के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2021 तक की अवधि उपलब्ध होगी, जिसको चरणबद्ध रूप से कराया जाना अपेक्षित है। अतः प्रस्ताव है कि प्रतिवर्ष सम्बन्धित विभागों/अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित अवस्थापना सुविधाओं का विकास आगामी निर्धारित अवधि में किया जाय, ताकि बस्ती महायोजना-2021 के अन्तर्गत प्रस्तावित भावी अवस्थापना सुविधाओं जैसे-मार्ग व्यवस्था, पार्क, सीवर लाईन, पाईप लाईन एवं पार्किंग आदि का महायोजना अवधि तक सुनियोजित एवं संतुलित विकास किया जा सके।

